नगरीय विकास में महिला पार्षदों की भूमिका का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(रायपुर एवं दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के सामाजिक विज्ञान संकाय
के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय में
पी-एच.डी. की उपाधि हेतु
प्रस्तुत

शोध - प्रबंध

(कंडिका 45 के अनुसार)

2017

शोध निर्देशक

डॉ. ललित कुमार शुक्ल
सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र)
शा.जे.योगानन्दम छत्तीसगढ़
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

शोध-सहनिर्देशक

डॉ. एल.एस. गजपाल
एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)
अध्ययन शाला, पं. रविशंकर
शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

शोधार्थी

श्रीमती आशा दुबे
सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र)
शास. कला एवं वाणिज्य कन्या
महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर,
रायपुर (छ.ग.)

- शोध-केन्द्र -

समाजशास्त्र अध्ययन शाला
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

DECLARATION BY THE CANDIDATE

(Para – 12-B)

I declare that the thesis entitled **"नगरीय विकास में महिला पार्षदों की भूमिका का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (रायपुर एवं दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में)"** is my own work, conducted under the supervision of **Dr. Lalit Shukla,** Asstt. Prof., Deptt. of Sociology, Govt. J.Y. Chhattisgarh P.G. Autonomous College, Raipur (C.G.), and co-supervision of **Dr. L.S. Gajpal**, Asso. Prof., School of Studies in Sociology, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) at Centre **School of Studies in Sociology, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur** (C.G.) approved by Research Degree Committee. I have put in more than 200 days of attendance with the supervisor at the centre.

I further declare that to the best of my knowledge the thesis does not contain any part of any work, which has been submitted for the award of any degree either in this University or in any other University/ Deemed University without proper citation.

13-07-2017

Signature of Supervisor

RESEARCH GUIDE
Dr.LALIT KUMAR SHUKLA
ASSTT. PROFESSOR
DEPTT.OF SOCIOLOGY
GOVT. J.Y.CHHATTISGARH
COLLEGE

13-7-2017

Signature of Co-Supervisor

Research Guide
S. O. S. in Sociology
Pt. R. S. U., Raipur (C. G.)

Signature of Candidate

13/07/2017

Signature of the Head S.O.S.

Head
School of Studies in Sociology
Pt. Ravishankar Shukla University
INDIA

CERTIFICATE OF THE SUPERVISOR

(Para – 12-C)

This is to certify that the work entitled "**नगरीय विकास में महिला पार्षदों की भूमिका का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (रायपुर एवं दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में)**" is a piece of research work done by **Mrs. Asha Dubey,** under our guidance and supervision for the Degree of Philosophy in Sociology of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.), India. That the candidate has put in an attendance of more than 200 days with me.

To the best of my knowledge and belief the thesis

(1) Embodies the work of the candidate herself;

(2) Has duly been completed;

(3) Fulfills the requirements of the Ordinance relating to the Ph.D. Degree of University; and

(4) Is upto the standard both in respect of contents and language for being referred to the examiner.

13-07-2017
Signature of Supervisor

RESEARCH GUIDE
Dr.LALIT KUMAR SHUKL
ASSTT. PROFESSOR
DEPTT.OF ...OGY
GOVT. ...TISGARH
COLL... ...PUR

13.7.2017
Signature of Co-Supervisor

Research Co Guide
S. O. S. in Sociology
Pt. R. S. U., Raipur (C. G.)

Forwarded

13/07/2017
Signature of the Head S.O.S.

Head
School of Studies in Sociology
Pt. Ravishankar Shukla University

COPY RIGHT TRANSFER APPROVAL FORM
(Clause 14e of the Ordinance - 45)

Name of the Candidate	:	**Mrs. Asha Dubey**
Department	:	**Sociology**
Degree	:	**Doctor of Philosophy (Ph.D.)**
University	:	**Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)**
Supervisor	:	**Dr. Lalit Shukla,** Asstt. Professor, Dept. of Sociology, Govt J.Y. Chhattisgarh PG Autonomous College, Raipur (C.G.)
Co-Supervisor	:	**Dr. L.S. Gajpal,** Associate Professor, Dept. of Sociology, School of Studies in Sociology, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)
Thesis Title	:	**"नगरीय विकास में महिला पार्षदों की भूमिका का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (रायपुर एवं दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में)"**
Year of Award	:	**2017**

AGREEMENT

1- I hereby declare that, if appropriate, I have obtained and attached hereto a written permission/statement from the owner(s) of each third party copyrighted matter to be included in my thesis/dissertation, allowing distribution as specified below.

2- I hereby grant to the university and its agents the non-exclusive license to archive and make accessible, under the condition specified below, my thesis/dissertation, in whole or in part in all forms of media, now or hereafter known. I retain all other ownership rights to the copyright of the thesis/dissertation; I and my Supervisor also retain the right to use in future works (such as articles or books) all or part of this thesis/dissertation, or project work.

Condition:

1. Release the entire work for access worldwide.

13-07-2017   13.7.2017

Signature of Supervisor   Signature of Co-Supervisor   Signature of Candidate

Place: Raipur (C.G.)

Date: .07.2017

RESEARCH GUIDE
Dr. LALIT KUMAR SHUKLA
ASSTT. PROFESSOR
DEPTT. OF SOCIOLOGY
GOVT. J.Y. CHHATTISGARH
COLLEGE. RAIPUR

Research Guide
S. O. S. in Sociology
Pt. R. S. U., Raipur (C. G.)

SCHOOL OF STUDIES IN SOCIOLOGY

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.) 492010

Pre - Ph.D. Presentation Certificate

This is to certify that Mrs. Asha Dubey, Research Scholar, School of Studiest in Sociology, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur has presented Pre- Ph.D presentation on her thesis entitled-

नगरीय विकास में महिला पार्षदों की भूमिका का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (रायपुर एवं दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में)

Before the DRC on 04.05.17 under the supervision of - Dr. Lalit Shukla- Asstt. Professor - Govt. J.Y. Chhattisgarh College Raipur; Co-Supervised by Dr.L.S. Gajpal - Asso. Professor School of Studies in Sociology, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.

Date : 04-05-17

CHAIRMAN DRC
School of Studies in Sociology
Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur (C.G.)

Head
School of Studies in Sociology
Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur - 492 010 (C. G.) INDIA

URKUND

Urkund Analysis Result

Analysed Document: NAGRIYA VIKAS ME MAHILA PARSHADON KI BHUMIKA KA EK SAMAJSHASHTRIYA ADHYAYAN RAIPUR EVAM DURG JILE KE VISHESH SANDARBH ME (ASHA DUBEY).pdf (D29584725)
Submitted: 2017-07-10 08:55:00
Submitted By: library_prsu@rediffmail.com
Significance: 1 %

Sources included in the report:

Samiksha Thesis.docx (D29520964)
Dissertation Project2017.docx (D27247878)
Dissertation_Tarang.docx (D27335895)
Ziaul Haque.pdf (D22918200)
Thesis(Part-1).pdf (D22445105)
Final thesis.pdf (D22918290)
FRONT - INDEX.pdf (D17322199)

Instances where selected sources appear:

21

10/7/17
University Librarian
Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur (C.G.)

“आभार”

शोध के विषय चयन से लेकर उपसंहार तक का कार्य न केवल कठिन अपितु मुश्किल भी होता है। ऐसी परिस्थिति में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। मुझे अत्यंत हर्ष व गर्व है कि, प्रस्तुत शोध प्रबंध के विषय चयन से लेकर उसकी पूर्णता तक मुझे अपने शोध निर्देशक डॉ. ललित शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, शासकीय जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नात्तकोतर महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) का मार्गदर्शन मिलता रहा, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।

समाजशास्त्र अध्ययन शाला के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉ. पी.के. शर्मा एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. जे.एल. तिवारी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिनके बहुमूल्य सुझाव व सहयोग से मेरा शोध कार्य पूर्ण हुआ।

शोध प्रबंध के लक्ष्य को पूर्ण करने में पथ-प्रदर्शक के रूप में मेरे सह सुपरवाईजर डॉ. एल.एस. गजपाल (एसोसिएट प्रोफेसर) के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। साथ ही डॉ. एन. कुजुर, एसो. प्रोफेसर, जिनके बहुमूल्य सुझाव व सहयोग मेरे इस शोध कार्य अत्यंत सहायक सिद्ध हुए है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध को पूर्ण करने में मेरी प्राचार्या डॉ. संध्या वर्मा का अत्यंत सहयोग मुझे प्राप्त हुआ उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।

मैं अपने पिता तुल्य बड़े भाई श्रीमान प्रवीण कुमार शुक्ला तथा परिवार से जुड़े समस्त सदस्यों का अभिवादन करती हूँ जिनकी प्रेरणा के कारण मैं इस शोध कार्य को मूर्त रूप दे सकी उनकी शुभकामनाओं के लिए चिर ऋणी रहूंगी।

शोध कार्य को निरंतर गतिशील बनाये रखते हुए पूर्णता की ओर ले जाने में मेरे पति श्रीमान आलोक कुमार दुबे, मेरे ससुर श्रीमान जी.पी. दुबे व मेरी दोनों पुत्री अन्विति दुबे, अनुजा दुबे का जो आत्मीय सहयोग प्राप्त हुआ उनके प्रति आभार प्रदर्शन करना प्रेम व स्नेह का उचित पारितोषण नहीं हो सकता ।

मेरे मित्रों में डॉ. अंजना पुरोहित, डॉ. मिनी एलेक्स, डॉ. सुषमा तिवारी, डॉ. वर्षा वर्मा, डा. सिरिल डेनियल एवं महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ जिनके प्रेरणा व सहयोग से यह शोध कार्य पूर्ण हो सका है।

अध्ययन क्षेत्र के समस्त उत्तरदाताओं एवं पंचायत के समस्त सदस्य के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने सूचना प्रदान कर इस शोध प्रबंध को पूर्ण करने में अहम भूमिका निभायी है।

पं. सुन्दर लाल शर्मा ग्रंथालय, पं. रविशंकर शुल्क विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के गंथापाल एवं समस्त कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिनका सहयोग समय-समय पर मिलता रहा।

अंत में मैं श्री समीर वैरागड़े का (टाईपिस्ट) की भी आभारी हूँ जिनके सहयोग से शोध प्रबंध का टंकण कार्य पूर्ण हुआ।

ADubey

शोधार्थी
श्रीमती आशा दुबे

सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र)
शास. कला एवं वाणिज्य कन्या
महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर,
रायपुर (छ.ग.)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ संख्या
अध्याय – प्रथम	**1-25**
प्रस्तावना	1-22
अध्ययन का समाजशास्त्रीय महत्व	12-13
शोध साहित्य का पुनरावलोकन	14-18
अध्ययन का उद्देश्य	18
शोध की उपकल्पना	18
अध्ययन की शोध पद्धति	19-
अध्ययन क्षेत्र का परिचय	19-20
उत्तरदाताओं का चुनाव	20-21
तथ्य संकलन के प्रविधि एवं उपकरण	21
तथ्यों का विश्लेषण	21
अध्ययन की कठिनाईयां	22
अध्याय – द्वितीय	**26-58**
उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि	26-57
अध्याय – तृतीय	**59-94**
उत्तरदाताओं का राजनीतिक समाजीकरण	58-92
अध्याय – चतुर्थ	**95-107**
महिला पार्षदों की जनकल्याणकारी कार्यक्रम में सक्रियता	95-107
अध्याय – पंचम	**108-139**
शासकीय योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयां	108-138
अध्याय – षष्ठम	**140-180**
नगरीय विकास में महिला पार्षदों की भूमिका	140-180
अध्याय – सप्तम	**181-205**
निष्कर्ष एवं सुझाव	181-205
परिशिष्ट	**206-232**
ग्रंथ सूची	206-209
प्रकाशित शोध पत्र	210-213
साक्षात्कार-अनुसूची	214-232

तालिका सूची

सरल क्रमांक	तालिका क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	2.1	उत्तरदाताओं की आयु	29
2.	2.2	उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति	30
3.	2.3	उत्तरदाताओं के जाति का वर्ग	32
4.	2.4	उत्तरदाताओं का धर्म	33
5.	2.5	उत्तरदाताओं के वैवाहिक स्थिति	34
6.	2.6	उत्तरदाताओं की आय	35
7.	2.7	पारिवारिक सदस्यों की आयु	37
8.	2.8	पारिवारिक सदस्यों की शिक्षा	38
9.	2.9	पारिवारिक सदस्यों के शिक्षा का स्तर	39
10.	2.10	पारिवारिक सदस्यों की वैवाहिक स्थिति	40
11.	2.11	पारिवारिक सदस्यों का व्यवसाय	41
12.	2.12	पारिवार की मासिक आय	42
13.	2.13	स्वयं का मकान होना	43
14.	2.14	मकान का स्वरूप	44
15.	2.15	मकान का निर्माण स्वयं के द्वारा किया जाना	45
16.	2.16	सहयोग करने वाले सदस्य/संस्था	45
17.	2.17	सहयोग का स्वरूप	46
18.	2.18	आवास में उपलब्ध मूलभुत सुविधाएं	47
19.	2.19	मकान परिवार के आवश्यकता के अनुरूप	47
20.	2.20	आवश्यकता की दृष्टि से पर्याप्त न होने का कारण	48
21.	2.21	घर में पेयजल सुविधा का स्त्रोत	49
22.	2.22	परिवार के आय का स्त्रोत	50
23.	2.23	परिवार के पास भू-स्वामित्व का आकार	51
24.	2.24	घर में उपलब्ध घरेलु उपकरण	52
25.	2.25	घर में उपलब्ध मनोरंजन के साधन	53
26.	2.26	घर में कम्प्यूटर होना	54
27.	2.27	घर में टेलीफोन सुविधा	55
28.	2.28	पारिवारिक सदस्य जिनके पास मोबाईल है	56
29.	2.29	स्वयं अथवा पारिवारिक सदस्य के पास वाहन होना	57
30.	3.1	राजनीति के प्रति रूझान	61
31.	3.2	विद्यार्थी जीवन में विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी	62
32.	3.3	राजनीतिक पदों पर परिवार के अन्य सदस्य की स्थिति	63

सरल क्रमांक	तालिका क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
33.	3.4	राजनीतिक दल से सम्बद्धता	65
34.	3.5	दल विशेष से जुड़ने का कारण	67
35.	3.6	वर्तमान में दल के सदस्य के रूप में प्राप्त पद	68
36.	3.7	राजनीति में आने का कारण होना	68
37.	3.8	राजनीति में आने के कारण का प्रकार	69
38.	3.9	दलीय नेता के भागीदारी से संतुष्ट होना	70
39.	3.10	कार्य दलहित को ध्यान में रखकर करना	70
40.	3.11	मूल एवं दल व्यवहार में भिन्नता	71
41.	3.12	विरोधी दल के कार्यो के विरोध करने की स्थिति	72
42.	3.13	पार्षद पद के प्रति दृष्टिकोण	73
43.	3.13.1	लाभदायक होने का प्रकार	74
44.	3.13.2	गैर लाभदायक होने का कारण	75
45.	3.13.3	समाज सेवा का माध्यम का स्वरूप	75
46.	3.14	दलीय संगठन से अपेक्षाएं	76
47.	3.15	सत्ताधारी पार्टी से अपेक्षाएँ	77
48.	3.16	प्रस्तावित कार्य को पार्षद मण्डल द्वारा महत्व दिया जाना	78
49.	3.16.1	पार्षद मण्डल द्वारा दिए जाने वाले महत्व का प्रकार	79
50.	3.16.2	महत्व नहीं दिए जाने का कारण	80
51.	3.17	पार्षद चुनाव के लिए पार्टी का टिकट मिलने के आधार	80
52.	3.18	पार्टी का टिकट पाने हेतु किए गये प्रयास	81
53.	3.19	चुनाव में विजयी होने का आधार	82
54.	3.20	चुनाव में प्रलोभन दिया जाना	83
55.	3.21	प्रलोभन के प्रकार	84
56.	3.22	जनप्रतिनिधियों द्वारा जनता के पैसों का दुरूपयोग	85
57.	3.23	मंत्री के गुण	85
58.	3.24	महिला पार्षद हेतु सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सक्षम होना	86
59.	3.24.1	पति के सक्षम होने का कारण	87
60.	3.24.2	सक्षम नहीं होने की आवश्यकता के पीछे तर्क	88
61.	3.25	एम.आई.सी. में सक्षम पार्षद होना	89
62.	3.26	सक्षम पार्षदों द्वारा सक्षमता का प्रयोग किया जाना	89
63.	3.27	थाने में कोई प्रकरण दर्ज होना	90
64.	3.28	प्रकरणों का प्रकार	91
65.	3.29	सहयोग का प्रकार	92

सरल क्रमांक	तालिका क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
66.	4.1	आपने अपने वार्ड के विकास के लिए कौन-कौन से कार्य कराये है	96
67.	4.2	शासन के द्वारा चलाये गये जनकल्याण कार्यक्रम	97
68.	4.3	जनकल्याण कार्यक्रम जो वार्ड में चलाये	98
69.	4.4	वार्ड में पेयजल व्यवस्था का विस्तार किया जाना	99
70.	4.5	पेयजल व्यवस्था के विस्तार का स्वरूप	100
71.	4.6	पेयजल स्त्रोत से वर्ष भर पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति हो पाना	101
72.	4.7	किसी योजना के प्रस्ताव तैयार करने के पश्चात् सामान्य योजना के क्रियान्वयन की अवधि	101
73.	4.8	योजनाओं के क्रियान्वयन करने में वार्ड के सदस्यों का सहयोग मिलना	102
74.	4.9	सफाई और स्वास्थ्य को लेकर अपने वार्ड में योजना चलाया जाना	103
75.	4.10	सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ी योजना का स्वरूप	104
76.	4.11	अपने वार्ड में सड़क निर्माण कराया जाना	105
77.	4.12	निर्मित सड़क का प्रकार	105
78.	4.13	नाली के निर्माण के लिए नगर निगम में अपील करना	106
79.	5.1	योजना के क्रियान्वयन करने के लिये योजना के चुनाव का स्वरूप	109
80.	5.2	योजना प्रस्ताव को भेजे जाने वाले विभाग	110
81.	5.3	योजना स्वीकृत कराने में समस्या आना	111
82.	5.3.1	समस्या का स्वरूप	112
83.	5.4	बजट की समस्या का सामना करना	113
84.	5.4.1	बजट संबंधी समस्याओं के समाधान का स्वरूप	114
85.	5.5	योजना के क्रियान्वयन में लगने वाली अवधि	115
86.	5.6	निगम की बैठकों में जाने के लिये परिवार से अनुमति लेना	116
87.	5.6.1	अनुमति देने वाले सदस्य	117
88.	5.7	निगम की बैठकों में साथ जाने वाले पारिवारिक सदस्य	118
89.	5.8	नगर के बाहर की बैठकों में जाने के लिए परिवार की अनुमति की आवश्यकता	119
90.	5.8.1	अनुमति देने वाले सदस्य	120
91.	5.9	घरेलू कार्यों में परिवार के सदस्यों का योगदान	121
92.	5.10	पार्षद पद का दायित्व और परिवार के कार्यों में सामंजस्य का स्वरूप	121
93.	5.11	जिम्मेदारी को लेकर कभी परिवार में विवाद/तनाव की स्थिति आना	123
94.	5.12	कार्यो की व्यस्तता के कारण अपने बच्चों के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन	123

सरल क्रमांक	तालिका क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
95.	5.13	वार्ड के लोगों का सहयोग मिलना	124
96.	5.13.1	वार्ड के लोगों के सहयोग का स्वरूप	125
97.	5.14	वार्ड के लोगों के सहयोग की पर्याप्ता	126
98.	5.15	वार्ड के लोगों के द्वारा कार्य करने हेतु दबाव	127
99.	5.16	वार्ड के लोगों की शिकायतों के प्रति अभिमत	128
100.	5.17	कार्यकाल के दौरान वार्ड के लोगों से हुए वाद-विवाद की मुख्य घटनाएं	129
101.	5.18	भारतीय समाज के पुरूष सत्तावादी प्रवृत्ति के कारण महिलाओं के द्वारा संघर्ष किया जाना	130
102.	5.19	वार्ड के विकास कार्य के लिए आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना	131
103.	5.20	विकास कार्य के लिए समय पर निर्धारित राशि का भुगतान होना	132
104.	5.20.1	भुगतान का माध्यम	132
105.	5.21	स्वीकृत राशि का उपयोग पूर्ण रूप से कर पाना	133
106.	5.22	आर्थिक कारको की वजह से विकास कार्यो में रूकावटें आना	134
107.	5.23	विकास कार्यों में रूकावट के स्वरूप	135
108.	5.24	विकास कार्य हेतु स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होने पर व्यय व्यवस्था	135
109.	5.25	पार्षदों की राय को महत्व दिया जाना	136
110.	5.25.1	राय के महत्व की सीमा	137
111.	5.26	समस्याओं के निराकरण में विरोधी दल की भूमिका	138
112.	6.1	किसी राजनीतिक दल से संबंधित होना	141
113.	6.2	नगर में निवास की अवधि	142
114.	6.3	वार्ड के विकास के लिए किए गये कार्य	143
115.	6.4	पार्षदों द्वारा वार्ड का नियमित निरीक्षण किया जाना	144
116.	6.5	वार्ड के निवासियों द्वारा किए जाने वाले शिकायत का स्वरूप	145
117.	6.6	शिकायत का समाधान	146
118.	6.7	वार्ड में नगर निगम द्वारा संचालित योजनाएं	147
119.	6.8	वार्ड में लागू योजनाएं	148
120.	6.9	योजनाओं के क्रियान्वयन में नेता प्रमुख का सहयोग मिलना	148
121.	6.10	नेता प्रमुख के सहयोग का प्रकार	150
122.	6.11	महिलाओं पर केन्द्रित विकास कार्यक्रमों में वार्ड पर लागू कार्यक्रम	151
123.	6.12	साक्षरता अभियान में महिलाओं की भागीदारी	152
124.	6.13	महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना	153
125.	6.13.1	योजना का लाभ सभी महिलाओं को मिलना	153
126.	6.13.2	यदि नहीं तो क्यों	154

सरल क्रमांक	तालिका क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
127.	6.14	सामाजिक बुराईयों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने हेतु किए गये प्रयास	155
128.	6.15	नशा मुक्ति के लिए महिलाओं द्वारा वार्ड में आंदोलन किया जाना	156
129.	6.15.1	आंदोलन में सहभागिता का स्वरूप	157
130.	6.16	पार्षद बनने के पश्चात् वार्ड में बाल विवाह होना	158
131.	6.17	विधवा पुर्नविवाह को प्रोत्साहन	158
132.	6.18	विधवा का पुर्नविवाह कराना	159
133.	6.19	वार्ड में आदर्श सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करना	160
134.	6.20	महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्त कराना	161
135.	6.21	गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य किया जाना	162
136.	6.22	रोजगार विकास एवं विस्तार का कार्य किया जाना	163
137.	6.22.1	किये गये कार्य	164
138.	6.23	महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाना	165
139.	6.23.1	किए गये कार्य	165
140.	6.24	स्वच्छता संबंधी किये गये कार्य	166
141.	6.25	स्वच्छता संबंधी कार्य का स्वरूप	167
142.	6.26	नगर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान	168
143.	6.27	पर्यावरण विकास संबंधी कार्य किया जाना	169
144.	6.27.1	पर्यावरण विकास के किए गये कार्य का स्वरूप	170
145.	6.28	महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गये कार्य	171
146.	6.29	पार्षदों के द्वारा नगर विकास के लिए किये जाने वाले कार्य संबंधी अभिमत	172
147.	6.30	दल के नेता का भागीदारी से संतुष्ट होना	172
148.	6.31	पार्षद के रूप में अपनी भूमिका से संतुष्ट होना	173
149.	6.31.1	संतुष्टि का स्वरूप	174
150.	6.32	छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने संबंधी विचार	175
151.	6.32.1	महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने संबंधी स्वरूप	176
152.	6.33	महिलाओं को आरक्षण दिये जाने का समर्थन करना	177
153.	6.34	महिलाओं की प्रगति में महिलाएं ही अवरोध बनने संबंधी विचार	178
154.	6.35	पुरूषों की तुलना में अपने आपको असुरक्षित महसूस करना	179
155.	6.36	भारत जैसे विकासशील देश को आज नारी प्रतिनिधित्व की अत्यंत आवश्यकता होना	179

अध्याय - प्रथम

प्रस्तावना

अध्याय – प्रथम

प्रस्तावना

नेतृत्व राजनीति का महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अभाव में एक नेता कभी भी अपने अनुयायियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता पंचायतीराज व्यवस्था की भांति स्थानीय नगरीय निकायों की समस्याओं के समाधान में पार्षद की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी गयी है क्योंकि वार्ड पार्षद ही अपने वार्ड की समस्याओं को नगर प्रशासन के समक्ष बेहतर ढंग से रख सकता है और वह चुना हुआ प्रतिनिधि होने के कराण कार्यों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संविधान के 12वीं अनुसूची में सत्ता के विकेन्द्रीकरण को ध्यान में रखते हुए नगरीय निकायों में चुनाव का प्रावधान किया गया। साथ ही महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

नगरीय निकाय में महिला नेतृत्व की भूमिका का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है । हम सभी इस तथ्य से भली-भांति परिचित है कि ग्राम पंचायतों में आरंभित दौर में सरपंच पति का वर्चस्व अधिक देखने को मिला इस दृष्टि में क्या नगरीय निकायों में भी पार्षद पति की भूमिका देखने को मिलती है यह जानना महत्वपूर्ण हो सकता है।

नगर सभ्यता के विकास का केन्द्र होता है जहां पर लैगिंक समानता की स्थिति बेहतर होती है, ऐसे में नगरीय निकायों में महिला पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। यह देखना और भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या महिला पार्षद अपनी वार्ड की समस्याओं को बेहतर ढंग से रख पाती है? क्या महिला पार्षद अपने वार्ड में योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर पाती हैं, जन सामान्य का महिला पार्षदों के प्रति दृष्टिकोण का ज्ञान महिला नेतृत्व की दशा एवं दिशा तय करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

आज सभी को स्वीकार करना होगा कि महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ-कुछ प्रयास हर जगह और हर स्तर पर किये जा रहें है, भारत में पिछले 15-16 वर्षों से महिला सशक्तिकरण का नया दौर शुरू हुआ है। यह सशक्तिकरण जमीनी स्तर पर हुआ है। देश में त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी के लिए की गई व्यवस्था एक क्रांतिकारी कदम है। 73वें और 74वें संविधान के द्वारा देश की ग्रामीण एवं नगरीय दोनों पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कई

राज्यों में महिलाओं का आरक्षण 36-37 प्रतिशत तक पहुँच गया है, और बिहार जैसे राज्य में महिलाओं के इस निर्धारण आरक्षण में बढ़ोत्तरी होकर यह देश में सर्वाधिक 50 प्रतिशत तक पहुँच गया है। संविधान विधेयक (110वाँ संशोधन) 26 नवम्बर 2009 को लोक सभा में पेश किया गया। इस प्रकार भारत में राज्य संस्थाओं में करीब 12 लाख से ज्यादा निर्वाचित महिलाओं को जन प्रतिनिधियों के रूप में विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व एवं अधिकार प्राप्त हुए हैं, अब उन्हे लोकतंत्र के आधार पर मूल्य स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के सुअवसर मिले हैं। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के व्यापक भावार्थ है जिसमें मुख्य रूप से मताधिकार निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सहभागिता, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा राजनीतिक चेतना मुख्य है भारत में महिलाएं न केवल मतदान में भाग लेती है बल्कि अब वे शासकीय कार्यालय में समस्याओं को लेकर जाने लगी है तथा राजनीतिक दलों में निचले स्तर पर कार्यकर्ता के रूप में भागीदार बन रही है।

वर्ष 2014 में हुए आम चुनाव में महिलाओं के मतदान का प्रतिशत 65.63 था इसकी तुलना में पुरूषों का प्रतिशत 67.09 था जो कि तुलनात्मक रूप से लगभग समान है। महिलाओं की संसद में भागीदारी के मामलों में भारत 20वें स्थान पर है। वर्तमान में अनेक राज्यों में महिला मुख्यमंत्री कार्यरत है। राजनीतिक दलों के द्वारा महिला मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं जिसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महिला मोर्चा और C.P.I. द्वारा गठित नेशनल फेडरल ऑफ इंडियन विमेन मुख्य है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 2004 में केन्द्रिय सत्ता पाने में महिला वोटरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कांग्रेस ने अपने एजेंडा में सभी स्तर के दलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग को आगे बढ़ाया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पहली बार श्रीमती मीरा कुमार तथा प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया।

कांग्रेस की सफलता को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीति महिला नेतृत्व की सहभागिता बढ़ाने हेतु पार्टी स्तर पर गठित समस्त संगठनों में 33% स्थान रखे जाने का प्रावधान किया है। विगत दो दशकों में महिलाओं की भारतीय राजनीति में भागीदारी बढ़ी है। वर्ष 2012 में राष्ट्रीय संसद में 10.9 प्रतिशत महिलाएं थी जो कि हंगरी, ब्राजील, चीन तथा मलेशिया जैसे देशों से अधिक था।

भारत वैश्विक स्तर में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की दृष्टि से 20वें स्थान पर जबकि दुनिया के प्रथम 9 देशों में जहाँ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अधिक है उनमें डेनमार्क, स्वीट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश है इनकी स्थिति में भारत में महिला नेतृत्व की स्थिति संतोषजनक है।

राज्य में चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों ने अपवादों को छोड़कर अपनी भूमिका संयमता से निभाते हुए सिद्ध कर दिया है कि महिलाएँ किसी तरह पुरूषों से कम नहीं है।

राज्यमंत्री मणिशंकर अय्यर का कहना सही है कि भारत में एक मौन लोक क्रांति हो रही है जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से भले ही दिखाई नहीं दे रही है पर उसकी धीमी आंच भारतीय लोकतंत्र को मजबुत बना रही है। पंचायत स्तर पर इतनी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर पर सामुदायिक जीवन और चेतना तथा संस्कृति में भी परिवर्तन लाया है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को ही ले तो इसके तहत् प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम 50 प्रतिशत कामगार समूह विशेष तौर पर महिलाओं के लिए रिजर्व रखे गये केन्द्र सरकार की मदद से चलाई जाने वाली इंदिरा आवास योजना में यह शर्त रख दी गई कि मकान या तो औरतों के नाम से आबंटित होगा या फिर पुरूष के साथ औरतों का भी नाम होगा।

चुनावों में महिलाओं का आरक्षण मिलने के बाद राजनीति में उनके लिए रास्ते खुल गये हैं और महिलाओं ने नेतृत्व का बीड़ा उठा लिया। बिहार के राजपुर बक्सर की जिला परिषद की सदस्य लालसा देवी का मानना है कि महिलाएं समाज सेवा का कार्य पुरूषों से बेहतर तरीके से कर सकती है। 7वीं पास लालसा देवी अपने इलाकें में पानी, बिजली, स्वास्थ्य एवं महिलाओं की शिक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है।

लखमौर, खैरी, दरभंगा की पंचायत समिति की सदस्य तिलिख देवी है वह शराब, लिंगभेद, मजदूरों के शोषण के खिलाफ और औरतों के जमीन हक के लड़कर गांव में मदद से भूदान की। राजनैतिक सशक्तिकरण की दृष्टि से भारत की महिलाओं का स्थान 128 देशों में 21वें स्थान पर है। महिलाओं का राजनीति में समान भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए तो निश्चित रूप से देशों में उन्हे अपने उन्नयन के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकेंगे। सामाजिक व्यवस्था विभिन्न उप-व्यवस्था जैसे राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था तथा शैक्षिक व्यवस्था का पुंज होता है। इन

उपव्यवस्थाओं में सामाजिक व्यवस्था को प्रमाणित करने वाले कारकों में राजनीतिक व्यवस्था वर्तमान सन्दर्भों में अत्यंत प्रभावशाली व्यवस्था है सुप्रसिद्ध भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक व्यवस्था को सर्वोपरी, प्रभावशाली एवं परिवर्तनशाली बताया गया है। समाज में राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव दिनों-दिन बलवती होती जा रहा है। इस्टन के अनुसार "राजनैतिक व्यवस्था किसी समाज में अन्तःक्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से बाध्यकारी तथा अधिकारपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं।" इस प्रकार बाध्यकारी अथवा अधिकारपूर्ण निर्णयों को लेने की यह प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था को समाज के भीतर और बाहर की उन व्यवस्थाओं के पर्यावरण का निर्माण करती है।

मैक्स वेबर[1] के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था "मानव समुदाय जो किसी निश्चित भू-प्रदेश में शारीरिक बल के वैध प्रयोग का सफल एकाधिकार रखता है।"

"संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा महिलाओं की राजनीति में भागीदारी तथा राजनीतिक निर्णयों में उनकी स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा 1990 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना था। इस प्रस्ताव का यह प्रभाव रहा कि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक भागीदारी वर्ष 1995 में 30 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000 तक 40 प्रतिशत से भी अधिक हो गयी। यह तथ्य वैश्विक परिदृश्य में महिलाओं की स्थानीय निकायों में बढ़ रहे नेतृत्व की स्थिति को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों का ही परिणाम रहा है कि वर्ष 2006 में अफ्रीका के बुर्कीना फेसो में अफ्रीका के स्थानीय निकायों के चुने हुए महिलाओं का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया।[2]"

"फेडरेशन ऑफ कैनेडियन म्युनिसिपल पार्टीस 2009 में प्रकाशित एक लेख में यह देखा गया है कि "घाना" दक्षिण अफ्रीका के महिला पार्षदों के द्वारा स्थानीय निकायों में न केवल बेहतर ढंग से कार्य कराए जा रहे है बल्कि उपलब्ध अवसरों का लाभ भी लिया जा रहा है।"[3]

वर्ष 2005 में "टोरन्टो के स्थानीय निकाय के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा श्रीलंका में नगरीय निकाय के महिला पार्षदों की स्थिति का जायजा लेने तथा उन्हे राजनीतिक नेतृत्व में आगे लाने एक निगरानी कार्यक्रम 4 वर्षो तक चलाया गया। इसका परिणाम यह रहा है कि श्रीलंका में बड़ी संख्या में महिलाएं स्थानीय निकायों में भागीदार बन रही है।"[4]

वेबर की राजनीतिक व्यवस्था के परिभाषा वैज्ञानिक आल्मंड[5] का कथन है कि राजनीतिक व्यवस्था "अन्तःक्रियाओं की वह व्यवस्था है जो उन सभी स्वतंत्र समाजों में पायी जाती है जो कम व

अधिक विधि-सम्मत शारीरिक बाध्यता को काम में लाते हुए आन्तरिक दृष्टि से तथा अन्य समाजों के सन्दर्भ में भी समाकलन एवं अनुकूलन स्थापित करने के कृत्यों में लगे होते हैं।"

समाज वैज्ञानिकों की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उपरोक्त विचार राजनीतिक व्यक्तियों के महत्ता तथा उनका समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करता है। राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक संबंधों को नियंत्रण करने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली संगठन है एवं महिलाएँ सामाजिक सम्बंधों को नियंत्रित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है महिला जनप्रतिनिधि पार्षदों का समाज शास्त्रीय अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण शोध विषय है।

वैधानिक संरचना

छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के दूसरे भाग में नगर निगम की विधिक संरचना से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है धारा 7 के अनुसार निगम का नाम उसी नगर के नाम पर रखा जायेगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी और उस भाग से वाद प्रस्तुत किया जायेगा। एक विधिक निकाय के रूप में निगम अपनी सीमाओं के भीतर चल-अचल सम्पत्ति धारण कर सकेगा तथा उसे सम्पत्ति हस्तान्तरण करने की शक्तियाँ भी प्राप्त होगी।

नगरीय निकाय में वार्डो की संख्या और सदस्यों की संख्या

राज्य शासन नगर निगम के वार्ड की संख्या तथा सीमा निश्चित करेगा। धारा 1 के अनुसार निगम में दो तरह के सदस्य होगें प्रथम निर्वाचित तथा द्वितीय सहयोजित (मनोनित)। दुर्ग नगर निगम में कुल 58 वार्ड पार्षद और 6 मनोनित सदस्य है।

राज्य शासन निम्न मामलों में भी अधिनियम के अनुरूप नियम बना सकता हैः-

1. मतदाता सूची तैयार करने और उसका परीक्षण करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त करने से संबंधित नियम।
2. अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित नियम।
3. मतदाता सूची, वार्ड विभाजन से संबंधित आपत्तियाँ दर्ज करने की तिथी तथा प्राधिकारी जिसके द्वारा इन आपत्तियों पर सुनवाई होगी।
4. निर्वाचन की तिथी निर्धारित करने से संबंधित नियम।
5. मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि।

6. उम्मीदारों के नामांकन तथा आपत्तियों के संदर्भ में।

7. मतदान की तिथी, समय, मतदान का तरीका, मतदान व्यवस्था तथा मतों की समानता की दशा में प्रक्रिया के संबंध में नियम।

8. निर्वाचन संबंध कागजातों की सुरक्षा के लिए तथा निर्वाचन नियमन तथा संचालन से संबंधित अन्य नियम।

आरक्षण व्यवस्था

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पार्षदों की संख्या और कुल पार्षदों की संख्या का वहीं अनुपात होगा जो अनुसूचित जातियो और जनजातियों का उस नगर की जनसंख्या से होगा। महिलाओं का 33% आरक्षण मिलेगा।

मतदाताओं की आर्हताएं एवं निर्योग्यताएँ

धारा 12 में मतदाताओं की आर्हताओं तथा उसके नाम दर्ज किए जाने का उल्लेख किया गया है।

1. मतदाता 18 वर्ष की आयु पार कर चुके हो।

2. वह लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 20 के अंतर्गत उस वार्ड का निवासी हो।

3. वह उस वार्ड से विधानसभा की निर्वाचित नामावली में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी हो किन्तु (क) कोई भी नागरिक उस नगर के किसी वार्ड में एक से अधिक बार नाम दर्ज करोन का अधिकारी नहीं। (ख) जिस वार्ड की निर्वाचक नामावली तैयार की गई या पुर्नरीक्षित की गयी हो उस वर्ष की प्रथम जनवरी को उस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए।

धारा 13 के अनुसार निम्न व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराये जाने के लिए अयोग्य होगेः-

1. यदि वह भारत का नागरिक नहीं है।

2. न्यायालय द्वारा पागल घोषित हो।

3. प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राईट्स एक्ट 1955 के अंतर्गत किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो, जब तक उसका दोषी ठहराया गया हो, जब तक उसका दोष सिद्ध के विषय में पांच वर्ष की कालवधि जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले के अनुसार बीत नहीं गया हो।

4. निर्वाचन संबंधी किसी विधि के उपबंधो के अधीन मतदान करने के लिए समय निर्धारित हो।

न्यायिक दृष्टांत

किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में केवल इस आधार पर काट देना उचित नहीं कि व्यक्ति का नाम किसी गांव के विधानसभा संबंधी मतदाता सूची में अंकित कर दिया गया है। वह गाँव का निवासी हो गया है। एक मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इसके संबंध में जाँच किया जाना चाहिए कि वह नगर का निवासी विधिवत् है या नहीं तभी काटा जाना चाहिए।

निर्वाचन नामावली

धारा 14 में निर्वाचन नामावली तैयार करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी किसी वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करेगा तथा धारा 10 के अधीन निहित नियम से प्रकाशित करेग।

पार्षद पद की योग्यता एवं नियोग्यताएँ

धारा 16 में पार्षद के रूप में निवार्चित आर्हता का उल्लेख है। मतदाता अपने वार्ड में या अन्य किसी वार्ड में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। पार्षद पुनः चुनाव लड़ सकता है।

धारा 17 में पार्षद पद से संबंधित नियोग्यताओं का उल्लेख किया गया है :-

1. वह व्यक्ति पार्षद नहीं हो सकता जो 1 वर्ष से अधिक की सजा प्राप्त कर चुका हो या निर्वाचन भ्रष्टाचार का दोषी हो या न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित कर दिया गया हो अथवा आयु 21 वर्ष से कम हो।
2. कोई भी पार्षद निम्न आधार पर अयोग्य घोषित किया जायेगा यदि उसका नाम किसी कारणवश निर्वाचन नामावली से काट दिया गया हो या वह निगम की बैठकों से 6 माह तक अनुपस्थित रहे।
3. सक्षम अधिकारी द्वारा पार्षद पद की रिक्ती की घोषणा करना।

पार्षद को हटाने की प्रक्रिया

धारा 18 के अंतर्गत पार्षद अपना त्यागपत्र महापौर को संबोधित करके दे सकता है। धारा 19 के अनुसार शासन उस स्थिति मे ं पार्षद को हटा सकेगा यदि शासन के मत में सार्वजनिक हित या निगम के दो तिहाई सदस्य किसी पार्षद को पटाने का प्रस्ताव शासन को भेज दें। धारा 21 के अनुसार किसी पार्षद का स्थान रिक्त होने पर नये पार्षद का चुनाव या मनोनयन किया जावेगा।

अध्यक्ष (स्पीकर) का निर्वाचन

धारा 18 अनुसार स्पीकर का निर्वाचन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है :-

1. निगम का महापौर तथा पार्षद धारा 22 के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर निर्वाचित पार्षदों मे से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।
2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान निगम की अध्यक्षता करने के लिए प्रतिवर्ष दो निर्वाचित पार्षदों एक नामावली घोषित करेगा।
3. उपधारा (1) के अधीन सम्मेलन कलेक्टर द्वारा बुलाया जाएगा तथा वह उसकी अध्यक्षता करेगा।
4. अध्यक्ष की पदावधी, निगम की पदावधि की सह विस्तारी होगी।

नगर पालिका निगम की अवधि

धारा 20 के अनुसार नगर पालिक निगम की अवधि निम्न प्रकार से होती है :-

1. जब नगर पालिक निगम का विघटन यदि पहले नहीं किया जाता है तो अपने प्रथम सम्मेलन के लिए नियम तारीख से पांच वर्ष तक बना रहेगा।
2. किसी नगर पालिक निगम का गठन करने के लिए निर्वाचन (क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट उसकी कालावधि की समाप्ति के पूर्व, (ख) उसके विघटन की तारीख से छः महिने की कालवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा कर लिया जायेगा।
3. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए महापौर तथा प्रत्येक पार्षद पद की अवधि निगम के पद अवधि के सह-विस्तारी होगी।

नगर निगम में पार्षदों की भूमिका

पश्चिम में नगर पालिकाओं और नगर निगम के सदस्यों के लिए सिटी फादर्श शब्द का प्रयोग किया गया है । वे नगर पिता कहलाते है नगर के लालन-पालन, शिक्षा का भार इन्ही नगर पिता पर रहता है। माता-पिता ही बच्चों के लालन-पालन करके उसे व्यस्कता प्रदान कर उसे अपने पैरों पर खड़ा कर देते है।

पार्षद अपेन वार्ड के नेता होते है उनमें ही वार्ड को नेतृत्व करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। वार्ड के अनेक लोग तो रोजी-रोटी अर्जित करने में अन्य पारिवारिक समस्याओं के निराकरण के लिए दिन-रात अर्जित करने में, अन्य पारिवारिक समस्याओं के निराकरण के लिए दिन-रात जुझते रहते है। उनको अधिकांश अवसरों पर इस बात का भी ज्ञान नहीं रहता हि उनका पड़ौसी कौन है उनकी क्या समस्याएं है।

पार्षद के लिए अधिक पढ़ा लिखा हो यह जरूरी नहीं है और निगम अधिनियम पढ़ने-लिखने की योग्यता का कहीं पर उल्लेख नहीं है उनके लिए जिन योग्यताओं की आवश्यकता है वे वार्ड के कोने-कोने से परिचित होना कौन व्यक्ति क्या करता है, कहाँ रहता है, उनके परिवार में कितने सदस्य है। उसे सदैव नागरिकों से मेल-जोल रखना चाहिए और वार्ड का लगातार भ्रमण करते रहना चाहिए। उनके कार्य इनपुट के कार्य है वह वार्ड समस्याओं का गहराई से अध्ययन करता है। इनको वर्गीकृत करता है इन्हे अध्ययन करके निगम में इन सब बातों को व्यवस्थित ढंग से पेश करता है। पेश करने के कई ढंग है। प्रतिवेदन या शिकायतें आयुक्त को सीधे दी जा सकती है और उन पर दबाव डालना पड़ता है कि वह इन प्रतिवेदनों और शिकायतों के निराकरण का तत्काल प्रयास करें। आयुक्त इन प्रतिवेदनों और शिकायतों को संबंधित विभाग को भेज देता है या फिर स्वयं संबंधित विभागों के अधिकारियों को इनके समाधान के लिए कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह इन बातों को सीधे संबंधित समितियों में पेश कर सकता है।

प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक व्यक्ति को, निगम क्षेत्र में निम्न समस्याएं होती है – बिजली कहां लगायी जाये, पेयजल और निस्तारी जल की पूर्ति पर्याप्त मात्रा हो। सड़कों का डामरीकरण हो। नालिया बने, पुल बने, अच्छे स्कुल बने, नालियों की सफाई हो, सड़कों की सफाई हो और डस्टबीन रखा जाये। छोटे-छोटे हाट बाजार लगे, आमोद-प्रमोद के लिए बाग-बगीचे बने, लोग अब किडन गार्ड, बाल मंदिर, वाचनालय, सांस्कृतिक भवन आदि की बात करते है। यदि ये सब बातें हो तो वार्ड को विकसित वार्ड कहा जायेगा। वहीं सफल पार्षद माना जायेगा जो अपने वार्ड में इन सब आवश्यकताओं को पूरा कर सके या इन सबके लिए दिन-रात परिश्रम करें।

पार्षदों का कर्तव्य है कि वह लगातार अपने वार्ड में घूमता रहें लोगों से मिले उनकी आवश्यकता को समझें। उन आवश्यकताओं को वर्गीकृत करें। नागरियों की हजारों आवश्यकताएं होती है किन्तु सफल पार्षद वह है जो इन सारी आवश्यकताओं को एकीकृत वर्गीकृत करें, उनका बारीकी से अध्ययन करें तत्पश्चात उनको आवेदनों, प्रतिवेदनों के माध्यम से निगम से संबंधित

विभाग को प्रेषित करे। उन समस्याओं को सामान्य सभा और समितियों में पेश करके उनके लिए लड़ता रहे और आयुक्त से मिलता रहे उनकी समस्याओं को पेश करने का ढंग, उसके निराकरण के लिए उसकी संघर्षशीलता, उसका जुझारू व्यक्तित्व सब उसको एक सफल पार्षद का रूप प्रदान करते है।

आज नगर-निगम के माध्यम से 20 सूत्रीय कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। पार्षद को निम्नवर्गय समर्थन प्राप्त करने के लिए इन कार्यक्रमों का भी गहराई से अध्ययन करना पड़ता है और इनको अपने वार्ड में पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्नशील रहना पड़ता है। पार्षद के पास नागरिक नौकरी, प्रमाण पत्र, लाइसेंस, नक्शा पास करवाना आदि के लिए भी आते रहते है। निगम के दायरे के बाहर जाकर भी पार्षद को कुछ कार्य करने पड़ते है और जिन कार्यो को पूरा करने पर ही उनका व्यक्तित्व सम्पूर्ण बनता है। उसे वार्ड के सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, खेलकूद, होली आदि में भाग लेना पड़ता है न केवल भाग लेना पड़ता है वरन इन समारोहों कार्यक्रमों के लिए चंदे एकत्रित करना, भाषण देना, पुरूस्कार वितरण करना आदि के भी कार्य करने पड़ते है। शादी विवाह में सम्मिलित होना, मृत्यु के अवसर पर मिलने जाना और संवेदना प्रकट करना भी उनके कार्यों में सम्मिलित हैं।

वह महापौर, आयुक्त तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कलेक्टर, कमीशनर, राजनेताओं से लेकर अपने वार्ड में घूमता है और वार्ड की विषमतम समस्याओं से उन्हे परिचित कराता है। घोर वर्षा के समय नालियों नालों में पानी ऊपर से भरने लगे, लोगों के घरों में घुसने लगे, सड़क कीचड़मय हो जाये तो नागरिक आशा करते है कि पार्षद निगम के अधिकारियों को लाकर वार्ड में घुमा और यदि वे उदासीन और अक्षमता करते है तो कलेक्टर, कमीशनर, राजनेताओं को लाकर वार्ड में घुमाये। इतने पर भी समस्या का हल न हो तो आंदोलन के लिए लोगों को संगठित करें। उसके पूर्व अखबारों के माध्यम से इन समस्यों का प्रचार करें और इस संबंध में सशक्त जनमत का निर्माण करें।

इस प्रकार निगम अधिकारियों, कलेक्टर, कमीशनर की लालफीताशाही को तोड़ने वाला, राजनेताओं, मंत्रियों उनको नींद से झकझोरने वाला प्रमुख एजेंट होता है। आज निगम और जिला प्रशासन के क्षेत्र में भारी लालफीताशाही छाई हुई है।

ये कार्य इनपुट के कार्य कहलाते है। इन कार्यो को निगम व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। अपने विविध कार्यों के द्वारा जैसे अस्पताल खोलकर, नालियों, सड़कों की सफाई करवाकर, हाट बाजार, स्कूल, वाचनालय खुलवाकर, पेयजल और निस्तारी जल की पूर्ति करवाकर दुकान

खुलवाकर, नक्शे पास करवाकर सड़कों का मुरमीकरण और डामरीकरण करवाकर ये सब आऊटपुट के कार्य होते है इन आऊटपुट के कार्यों से नागरिकों एवं स्वयं पार्षद को भारी असंतोष हो सकता है क्योंकि नागरिकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुकूल निगम ने प्रतिक्रिया आदि को अभिव्यक्त करने का कार्य और इन कार्यो को और भी ठीक से करने का सुझाव वार्डों के नागरिक अपने-अपने पार्षदों के माध्यम से देते है। इन कार्यो को फीड बैक कहते है। निगम इस फीडबैक का ध्यान रखकर पुनः अपनी गलतियों में सुधार करती है। इस संबंध में फीडबैक का काम पार्षदों का है। नलो में कई इलाकों में पानी ठीक से नहीं चढ़ता है बरसात में सड़के कीचड़मय हो जाती है। मछली बाजार, मटन बाजार खुले में लग रहा है, इन सब कार्यो का फीडबैक पार्षदों का कार्य है। डामरीकरण ठीक से नहीं हुआ है। इनका फीडबैक पार्षद करें, स्कुल में फर्नीचर नहीं है, कमरे कम है, शिक्षक कम है, खेल मैदान नहीं है इसका फीडबैक पार्षद करें।

इस प्रकार पार्षद नगर की राजनीति में आऊटपुट, इनपुट, फीडबैक की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इनपुट कार्य नागरिकों की मांग से संबंधित है। आऊटपुट कार्य निगम निर्माण, लोक-निर्माण के कार्यो से संबंधित है। जिनको हम उत्पादन, प्रोडक्ट कह सकते है। फीडबैक आऊटपुट या उत्पादकों के प्रति जब असंतोष का अभिव्यक्त करते है।

पार्षदों की विरोधी भूमिका

पार्षदों की विरोध की भूमिका एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है जो इनपुट, आऊटपुट, फीडबैक की कड़ियों को सशक्त और सक्रिय बनाती है। पार्षदों की यह भूमिका कई माध्यमों से अभिव्यक्त होती है।

1. भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना – भिलाई नगर निगम में समय-समय पर अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया गया है।
2. पार्षद निगम के कार्यालयों में बार-बार जाकर यह देखते है कि कर्मचारी अधिकारी कागजों-फाईलों को आगे कार्यवाही के लिए बढ़ाते रहें। कागज या फाईलों को दबाना पाये।
3. अधिकारियों व कर्मचारियों की सुस्ती पर प्रहार करते है उनको तेजी से कार्य करने के लिए बाध्य करते है।
4. नागरिकों को निगम कर्मचारियों, अधिकारीयों की निरंकुशता से न्याया दिलाना मनमाने कर लगाना, प्रतिरोध की भावना से व्यापारियों नागरिकों के विरूद्ध कार्य करना इन पर भी पार्षद अंकुश लगाते है।

5. गरीब तबकों के हितों के लिए लड़ना जैसे रिक्शे वाले, झुग्गी-झोपड़ी वालों, गंदी बस्ती के निवासियों के हितों केलिए लड़ना इन विरोधी पार्षदों का एक प्रमुख कार्य है।

6. पिछड़े वर्ग को घनी वार्ड की बराबरी पर लाना और कार्यों के द्वारा पार्षद संविधान में उल्लेखित सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शो के क्रियान्वित करने की भूमिका अदा करते है।

7. वाद-विवाद करना सामान्य सभा समितियों में यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। सामान्य सभा में निगम क्षेत्र के लगभग सबी कार्यो को उठाया जा सकता है। विशिष्ठ समितियों में विशिष्ट समस्याएं के शिकायतों को उठाया जा सकता है।

8. सार्वजनिक समस्याओं प्रचार-प्रसार करने के लिए अखबारों, सभाओं, जुलूसों, प्रदर्शन, भुख-हड़ताल आदि के साधनों का प्रयोग करना।

9. प्रश्न पूछ कर अविश्वास प्रस्ताव पेश करना।

राजनितिक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति जिस गति से ऊंची उठ रही है वह वास्तव में एक आश्चर्य का विषय है। सन् 1937 के चुनाव में स्त्रियों के लिये 41 सीटे सुरक्षित होने पर भी केवल 10 स्त्रियां ही चुनाव के लिए सामने आयी है। जबकि सन् 1957 के चुनाव तक स्त्रियों की जागरूकता इतनी बढ़ गयी कि केवल राज्य विधान सभाओं के लिये ही 342 स्त्रियां चुनाव के लिए खड़ी हुई है जिनमें से 195 निर्वाचित हो गई।

1977 के आम चुनाव के बाद राज्य सभा और लोकसभा स्त्री सदस्यों की संख्या 42 थी जबकि 1980 के आम चुनावों के पश्चात यह संख्या बढ़कर 54 हो गई। भारत के अनेक राज्यों में स्त्रियों का मुख्यमंत्री बनना सम्पूर्ण संसार के लिए आश्चर्य की बात थी।

1980 में जब श्रीमती गांधी पुनः भारत की प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई तब पश्चिम के तथाकथित सभ्य समाजों की स्त्रियां जैसे हतप्रभ रह गई।

अध्ययन का समाजशास्त्रीय महत्व

प्रस्तुत शोध अध्ययन नगरीय विकास में महिला पार्षदों की भूमिका का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन रायपुर एवं दुर्ग जिलें के विशेष संदर्भ में विषय पर आधारित है। अध्ययन की प्रासंगिकता इस दृष्टि से अधिक है कि, शासन द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था एवं महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है क्या इसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है कि नहीं? इस

तथ्य की पुष्टि करना, साथ ही पुरूष प्रधान समाज में महिला पार्षदों की भूमिका की वस्तुस्थिति को उजागर करना। यह शोध विषय राजनीतिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था के अर्न्तसम्बंधों के बारें में जानकारी देने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं वर्तमान राजनीतिक जागरण के दौर में समाज पर महिला जनप्रतिनिधियों का प्रभाव एवं प्रभुत्व दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है जो सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने वाली एवं सामाजिक परिवर्तन के नवीन संरचना का निमार्ण करने वाली है। यदि समाज में महिला जनप्रतिनिधियों की बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ यदि उच्च है तो समाज को उसका सकारात्मक लाभ मिलता है।

इस अध्ययन में महिला पार्षदों के उपरोक्त स्थितियों की जानकारी मिलेगी जो शोधार्थियों एवं विशेषकर मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि चुनते वक्त प्रतिनिधियों के गुणों का आंकलन कर मत देने की प्रेरणा देगी। यह अध्ययन विशेषकर समाजशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र के शोधार्थियों के लिए उपयोगी होगा इस अध्ययन में महिला पार्षदों की योग्यता एवं निष्पादित कार्य को विशेष रूप से उल्लेख किया गया, जिसका विश्लेषण का लाभ, राजनीतिक दल अपने टिकटों के वितरण के लिए कर सकता है।

यह अध्ययन जनप्रतिनिधियों के लिये भी अत्यंत उपयोगी होगा क्योंकि शोध परिणामों में पार्षदों की कुशलता एवं अकुशलता दोनों का ही विश्लेषण किया गया है जिससे वे अपने भावी परिस्थितियों में सुधार कर सकते हैं। प्रस्तुत शोध प्रबंध का क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व है जिसकी उपयोगिता विशेषकर नगरीय विकास एवं नगर में रहने वाले सदस्यों के लिए पथप्रदर्शक एवं अभिप्रेरकीय होगा।

संविधान संशोधन (73वाँ संशोधन) अधिनियम 1993 एवं संविधान संशोधन (110वाँ संशोधन) अधिनियम 2009 के द्वारा शहरी व्यवस्था के कुल पदों में क्रमशः 33 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत सीटों में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हुआ है। इस अधिनियम में महिलाएँ अत्याधिक लाभांवित हुई है। आज स्थिति ऐसी है कि महिला पार्षद नेतृत्व कर रही है एवं उनकी शोध अध्ययन नगरीय समस्याओं एवं आवश्यक निर्माण कार्य इत्यादि में कहाँ तक निर्णायक भूमिका अदा कर पा रही है यह अध्ययन के महत्व को बतलाता है। शोध अध्ययन में यह भी ज्ञात होता है कि चुनी हुई महिला पार्षदों में राजनीतिक जागरूकता किस स्तर पर पहुँची है या किस स्तर को प्राप्त कर चुकी है।

प्रस्तुत अध्ययन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि, महिला पार्षदों की भूमिका नगरों एवं कस्बों में समान रूप से परिलक्षित हो रही है अथवा नहीं यह प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होगा। अध्ययन से यह भी ज्ञात होगा कि आज महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्त हुई है कि नहीं।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

जनप्रतिनिधियों में पार्षदों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नगर की शक्तियों का संकेन्द्रण प्रमुखतः इन्ही जन प्रतिनिधियों के पास होता है। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि राजनैतिक शक्तियों से नवीन सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है।

नगरीय विकास देश का प्रमुख मुद्दा है। जिसके फलस्वरूप समय-समय पर राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय द्वारा कई शोध अध्ययन किये गये हैं किन्तु अधिकांश अध्ययन सामान्यतः ग्रामीण विकास में महिला सरपंच की भूमिका नगरीय विकास में विधायकों की भूमिका पर अध्ययन किये गये है, प्रायः यह देखा गया है कि नगरीय विकास में महिला पार्षदों की भूमिका पर अध्ययन नहीं हो पाया है। प्रस्तुत अध्ययन में शोध विषय से संबंधित निम्न साहित्यों का पुनरावलोकन किया गया है –

ढिल्लन एच.एस. (1956)[6] दक्षिण भारतीय ग्रामों में नेतृत्व एवं वर्ग सम्बंधी अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारतीय ग्रामीण नेतृत्व के स्वरूप में मुख्य रूप से तीन तत्व प्रभावी होते हैं। प्रथम – परिवार का उच्च सामाजिक स्तर, द्वितीय – परिवार का आर्थिक स्तर, तृतीय – व्यक्तित्व के लक्षण।

सिरसिकर (1965)[7] का अध्ययन समाजशास्त्रीय एवं राजनीति शास्त्रीय रहा है जिसमें उन्होंने भारत में राजनीतिक व्यवहार का सामाजिक व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है। जिसमें विधायकों के विभिन्न सामाजिक पृष्ठ भूमियों का समाजशास्त्रीय विवेचना की गई है।

कौशिक सुशीला (1979)[8] ने महिलाओं की राजनीति में सहभागिता विषय पर एक पुस्तक का सम्पादन किया है इसमें इण्डियन एसोशिएशन ऑफ वीमेन्स स्ट्डीज द्वारा आयोजित चार राष्ट्रीय सम्मेलनों में चयनित पत्रों को सम्मिलित किया है।

पुजारी प्रेमलता एवं कौशिक विजय कुमार (1994)[9] ने भारत में महिलाओं की शक्ति विषय में अध्ययन संपादित किया है। इस अध्ययन में महिलाओं के विकास से संबंधित विविध विषयों पर लिखे गये निबंध, शोध पत्र, उद्धरण के संकल्प पर आधारित है।

शर्मा शकुन्तला (1994)[10] ने अपनी पुस्तक में स्थानीय राजनीति एवं पंचायतराज की वृहद विवेचना प्रस्तुत की है। इस पुस्तक में पंचायत राज व्यवस्था के विकास के साथ पंचायत नेतृत्व का पंचायत चुनाव एवं मतदान के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है।

उम्मन टी.एस. एवं दत्त अभिजित (1995)[11] ने पंचायतों एवं उनकी वित्तिय व्यवस्था का संविधान के 73वें संविधान संशोधन एवं 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में भी विश्लेषित किया गया है।

गुहा सम्पा (1996)[12] ने बदलते समाज में महिलाओं की राजनीति को अपने अध्ययन में शामिल किया है। इस अध्ययन में वर्तमान दशकों में बदलते हुए सामाजिक, राजनीतिक परिदृष्य को महिला वर्ग के संदर्भ में विश्लेषित किया गया है।

जैन पी.सी., जैन शशि व भटनागर सुधा (1997)[13] ने अनुसूचित जाति महिलाओं पर एक सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन किया है महिलाएँ समाज के पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तथा अनुसूचित जाति महिलाएं पिछड़ों में भी पिछड़ती है।

सेठ प्रवीण (1998)[14] ने भारत में राजनीति एवं महिलाओं के सशक्तिकरण विषय पर अपनी पुस्तक में प्रथम आम चुनाव से वर्तमान तक महिलाओं की भागीदारी जो राजनीतिक दलों के महिला प्रतिनिधि के दृष्टिकोण के संदर्भ में विश्लेषित किया है।

शर्मा आदर्श (2000)[15] ने पंचायतीराज में महिला आरक्षण, औचित्य एवं संभावनाओं का अध्ययन किया है, और यह पाया कि महिलाओं में शक्ति एवं योग्यता अर्न्तनिहित है, जिसका उपयोग समाज के विकास की आवश्यकता की पूर्ति कि लिए आवश्यक है और इसी संदर्भ में पुरूष एवं महिला के दोहरे मापदण्ड को को अपने अनुभविक अध्ययन में त्यागने का सुझाव दिया है।

भनोट बेला (2000)[16] ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन किया है। और यह ज्ञात किया कि महिला जनप्रतिनिधि पंचायत के कार्यों के प्रति जिम्मेदार होती जा रही है। अतः महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पारिवारिक, सामाजिक, एवं व्यक्तिगत समस्या से निवृत होने की आवश्यकता है।

अग्निहोत्री वन्दना (2002)[17] ने पंचायतीराज और महिलाएँ शीर्षक में पंचायत के कार्यो का अध्ययन किया और यह पाया कि पंचायत के कार्य में महिला प्रतिनिधि के स्थान पर उनके पति जाते है जिससे पंच पति, सरपंच पति का तबका उभर कर सामने आया है। इस स्थिति से निपटने के लिए सर्वप्रथम महिलाओं को शिक्षित एवं जागरूक करना आवश्यक है।

श्रीवास्तव सुधारानी (2006)[18] में भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति का अध्ययन किया है। और यह पाया कि महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना

उनके कल्याणार्थ कानून बनाने के लिए सरकार से सिफारिश करना, उनकी कठिनाईयों के निराकरण में सहायता देना और महिलाओं से संबंधित मामलों के नीति-निर्धारण में सरकार को सलाह देना इसके मुख्य उद्देश्य है।

दुबे माधवी (2008)[19] ने भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की दशा व दिशा शीर्षक में बताया कि महिलाओं की कमजोर प्रस्थिति को मजबूत बनाने के लिए महिला कल्याण कार्यो को प्राथमिकता दी गई।

फारूकी उमर (2010)[20] ने महिला सशक्तिकरण में पंचायतीराज की भूमिका के एक अध्ययन में पाया कि महिलाओं को पहले 33 प्रतिशत आरक्षण और अब 50 प्रतिशत आरक्षण देने से वे राजनीतिक रूप से सशक्त हुई, अब वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है। बल्कि समाज के हित में सही फैसले भी ले रही है। निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में पंचायत ने अमूल्य योगदान दिया है।

श्रीवास्तव मनोज (2011)[21] ने पंचायती राज के जरिए राजनीतिक रूप से सशक्त हुई महिलाएं नामक शीर्षक में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए की गई आरक्षण की व्यवस्था से महिलाएं राजनीतिक रूप से भी सशक्त हुई है यही वजह है कि गांवों में विभिन्न संस्थाओं में न सिर्फ महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है बल्कि बालिका शिक्षा का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है।

गोस्वामी कुनाल (2012)[22] ने "भारतीय महिलाएँ विविध आयाम" गोस्वामी ने भारतीय महिलाएं के कानूनी अधिकार राष्ट्रीय कल्याणकारी योजानाएं, महिलाओं के बढ़ते अधिकार और महिलाओं के विकास हेतु विभिन्न कदम आदि के विषय में विस्तार से समझाया है।

नागपाल (2013)[23] ने वूमेन इम्पावरमेन्ट इन हरियाणा – रोल ऑफ फिमेल रिप्रेजेनटेटिव ऑफ पंचायती राज इन्सट्यूशन्स के अपने अध्ययन 93 निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व का अध्ययन किया और यह पाया कि, 53.8 प्रतिशत उत्तरदाता 21.40 वर्ष समूह के है। इनमें 37.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे। अपने निष्कर्ष में यह पाया कि, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों पंचायत की बैठक में भागीदार अधिक पाया गया और महिला प्रतिनिधियों के द्वारा बहुत कम महिला प्रतिनिधि पंचायत चर्चा में विकास के मुद्दे उठाते है। तथा 50 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि पंचायत के कार्यो को करने में पति पर निर्भर पाये गये है।

गोछायत अर्तातीरानामा (2013)[24] ने **Participation of women in gram panchayat election in Orissa: A case study of Hindol Block in Dhenkanal District** के अपने अध्ययन में 25 महिलाओं सरपंचों का अध्ययन किया जिसमें उन्होंने पाया कि 56 प्रतिशत महिला सरपंच प्राथमिक हाईस्कूल व इससे अधिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की थी। इन महिलाओं में 56 प्रतिशत गृहणी एवं 28 प्रतिशत दैनिक मजदूर का व्यवसाय का कार्य चुनाव के पूर्व करते थे। तथा महिला सरपंचों में 88 प्रतिशत ग्राम सभा की बैठक शामिल होना पाया गया है।

थानीकाशालम एस. एवं सरस्वती एस. (2014)[25] के रोल ऑफ ग्राम पंचायत इन रूरल डेव्हलपमेंटः ए स्टडी ऑफ भगुरानी विलेज ऑफ उसीलभत्ती ब्लॉक ऑफ मदुरई डिस्ट्रीक्ट तमिलनाडु के अपने अध्ययन में यह पाया कि महिला पंचायत प्रतिनिधि द्वारा ग्राम पंचायत में 22.72 प्रतिशत पेयजल, 27.27 प्रतिशत शौचालय, 68.18 प्रतिशत सड़क मार्ग में विद्युत, 27.27 प्रतिशत अच्छी सड़क निर्माण, 90.09 प्रतिशत स्कुल निर्माण कराया है। इस प्रकार कुल 27.73 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि द्वारा पंचायत के विकास में कार्य कराया जाना पाया गया है।

गंगवानी के. एवं झंग एक्स (2015)[26] ने तमिलनाडु के 3 जिले के 144 ग्राम पंचायतों का अध्ययन किया, इनका अध्ययन का केन्द्र पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण तथा उनके नेतृत्व क्षमता पर केन्द्रित है। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि महिलाएं पंचायत स्तर पर नेतृत्व कर रही है। परन्तु प्रशासनिक पहुंच के कारण इन्हें काफी दिक्कतों का सामने करना पड़ रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण मिलने के कारण अब महिला नेत्रियों के नेतृत्व क्षमता में काफी सुधार पाया गया है। तथा इन्होंने पाया कि सभी महिला नेत्री विवाहित थे जिनकी औसत आयु 42 वर्ष थी नेतृत्व के अधार पर महिला सशक्तीकरण के मामले में तमिलनाडु देश में अपना विशेष स्थान रखने की बात कहीं।

विदेशों में किये गये शोध अध्ययनों को भी पूर्ववर्ती अध्ययन में शामिल किया गया है। बेले, डेविस, डाक्सन, प्रेक्टि, तथा होपकिंग के अनुसार राजनीति सामाजिक परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करती है, तथा यह सामाजिक गतिशिलता एवं राजनैतिक परिवर्तन का आधार होता हैं। होपकिंग के अनुसार राष्ट्र के विकास में राजनीतिक भूमिकाओं को महत्वपूर्ण माना गया है।

पूर्ववर्ती अध्ययनों में हाब्सलॉक एवं रूसो के विचार राज्य एवं समाज के विशलेषण को भी अवलोकित किया गया है जिसमें राज्य एक भौगोलिक दशा हैं जो राजनीति की प्रशासकीय आधार पर निर्धारित होती है। दूसरी ओर समाज पारस्परिक अन्तक्रियाओं के माध्यम से बनने वाली एक

व्यवस्था है। मार्क्स तथा सेंटसाइमन आदि विद्वानों ने राज्य की अपेक्षा समाज को महत्वपूर्ण माना है जो राज्य की राजनीतिक परिदृश्य निर्मित करती है।

उपरोक्त शोध अध्ययनों से स्पष्ट है कि, स्थानीय निकाय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के साथ-साथ नगरीय निकायों में महिला नेतृत्व उभरकर सामने आया है। शोध अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि, महिला नेतृत्व के समक्ष किस प्रकार की समस्याएं है जिनका समाधान किए बिना वे अपने नेतृत्व का लोहा नहीं मनवा सकती। प्रस्तुत अध्ययन में उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर शोध परख ढंग से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है वर्तमान दौर, महिला राजनीतिक का दौर है। चुनावों में लोगों की राजनैतिक गतिविधियों में महिलाओं की संलग्नता बढ़ी है जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक संगठन के स्वरूप में परिवर्तन आया है, इन परिवर्तनों में राजनीतिक महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण महिला जन प्रतिनिधियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य है।

1. महिला पार्षदों की सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि को ज्ञात करना।
2. महिला पार्षदों का राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन करना।
3. महिला पार्षदों की जनकल्याणकारी कार्यक्रमों में सक्रियता का अध्ययन करना।
4. शासकीय योजनाओं के क्रियान्यवन में आने वाली कठिनाईयों को ज्ञात करना।
5. नगरीय विकास में महिला पार्षदों की भूमिका का अध्ययन करना।

अध्ययन की उपकल्पना

प्रस्तावित अध्ययन को वैज्ञानिक आधार पर निश्चित दिशा की ओर ले जाने हेतु कुछ उपकल्पनाओं की सहायता करने का प्रयास किया गया है।

1. महिला पार्षद संयुक्त परिवार की तुलना में एकाकी परिवार से अधिक संबंधित हो सकते है।
2. उच्च शिक्षित महिला पार्षद निम्न शिक्षित महिला पार्षद की तुलना में नगरीय विकास में अधिक योगदान देती है।

अध्ययन की शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध अध्ययन अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना पर आधारित है जिसमें नगरी विकास में महिला पार्षदों की भूमिका विश्लेषण किया गया है। शोध अध्ययन की पद्धति को चार भागों में विभक्त किया गया है :-

1. अध्ययन क्षेत्र का परिचय
2. उत्तरदाताओं का चुनाव
3. तथ्य संकलन के प्रविधि एवं उपकरण
4. तथ्यों का विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

प्रस्तुत अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर तथा दुर्ग जिले का चुनाव किया गया है।

रायपुर जिला

"रायपुर भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ का एक जिला है। जिले का मुख्यालय है। रायपुर जिला 1 नवंबर सन् 2000 में पृथक छत्तीसगढ राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित हुआ। रायपुर जिला में एक नगर पालिक निगम एवं नगर पंचायत है। यह एक मेट्रो पॉलिटन सिटी है। यह कुल 226 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में फैला है। यहां की जलवायु ट्रॉपिकल एवं मॉड्रेड तापमान है। रायपुर का क्षेत्रफल – 15,190.62 वर्ग किलो मीटर है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 30,16,330 है, जो बढ़कर 2011 में 4,062,160 है। यहां 70 वार्ड हैं जिनमें एक महापौर तथा 70 वार्ड पार्षद है, इनमें 56 पुरूष वार्ड पार्षद एवं 24 महिला वार्ड पार्षद है।"[27]

दुर्ग जिला

"दुर्ग नगर निगम की स्थापना 1983 को हुई। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना से नगर निगम को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है। दुर्ग नगर निगम का प्रथम चुनाव 1983 में हुआ जिसमें महापौर पद के लिए सुच्चा सिंह चुने गये। उनके बाद अब तक दुर्ग नगर निगम में 6 महापौर हो चुके है। वर्तमान में महापौर पद पर भाजपा की सुश्री सरोज पाण्डेय आसीन है जिन्होंने अपना कार्यकाल दोहराया है। दुर्ग नगर निगम में पूर्व में 51 वार्ड थे जो बढ़कर 58 हो गया है। दुर्ग जिले

का क्षेत्रफल 8701.80 वर्ग कि.मी. है। यहां की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनसुार कुल जनसंख्या 2810436 है। दुर्ग जिले नगर निगम में कुल 58 वार्ड हैं। जिनमें से 34 पुरूष वार्ड पार्षद एवं 24 महिला पार्षद हैं।"[28]

रायपुर नगर निगम का परिचय

17 मई 1867 में रायपुर में नगर पालिका का गठन किया। प्रारंभ में यहां के संचालन के लिए जिले का अधिकारी डिप्टी कमिश्नर होता था। इस नगर पालिका को सन् 1888 और 1903 में और मध्य प्रान्त तथा बरार नगर पालिका अधिनियम 1922 के अधीन 1925-26 में पूर्नगठित किया था।[29]

नगर पालिका से संबंधित विधि को समंकित संशोधित करने के लिए तथा उनके बेहतर संगठन एवं प्रशासन की व्यवस्था करने की दृष्टि से सन् 1961 के अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात् नगर पालिका समिति रायपुर का प्रशासन पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन शासित नियामित किया जाता था। नई समिति में 26 सदस्य थें। उनमें से 19 निर्वाचित दो चयन किये गये पदों तथा चार नाम निर्दिष्ट सदस्य थें। परिषद में एक शासकीय अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया।[30]

सन् 1967 में राज्य शासन ने मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम संशोधन अध्यादेश क्रमांक 07 सन् 1967 प्रस्थापित किया गया तथा इस अध्यादेश को रायपुर शहर पर लागू किया गया था। परिणामस्वरूप 26 अगस्त 1967 से नगर पालिक परिषद को नगर पालिक निगम के रूप में क्रमोन्नत कर दिया गया।[31]

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपना स्वयं का नगर निगम अधिनियम निर्मित नहीं किया है, बल्कि मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 को स्वीकार कर लिया है। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ में 1 नवम्बर 2000 से प्रभावशाली हुआ है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ नगर निगम का नाम नगर पालिका अधिनियम छत्तीसगढ़ 1956 और इसका क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ है।[32]

उत्तरदाताओं का चुनाव

प्रस्तावित अध्ययन हेतु रायपुर तथा दुर्ग जिले के नगर पालिक निगम, नगर पालिका तथा विभिन्न नगर पंचायतों में 130 महिला पार्षदों में से 94% प्रतिशत का दैव निदर्शन की लॉटरी पद्धति द्वारा चुनाव किया गया है, जो निम्नानुसार हैः-

तालिका :- रायपुर एवं दुर्ग जिला के नगर पालिक निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत में महिला पार्षदों का विवरण

क्रं.	नगर पालिक निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का नाम	कुल पार्षदों की संख्या	महिला पार्षदों की संख्या	चयनित उत्तरदाताओं की संख्या
1.	नगर पालिक निगम दुर्ग	58	24	23
2.	नगर पालिक निगम भिलाई	67	25	24
3.	नगर पालिक निगम जामुल	18	8	7
4.	नगर पालिक निगम कुम्हारी	24	9	8
5.	नगर पालिक निगम रायपुर	70	24	23
6.	नगर पंचायत आरंग	15	5	5
7.	नगर पंचायत कुरूद	15	5	4
8.	नगर पंचायत गोबरा नवापारा	21	7	6
9.	नगर पंचायत अभनपुर	15	5	4
10.	नगर पंचायत राजिम	15	6	6
11.	नगर पंचायत बलौदा बाजार	15	6	6
12.	नगर पंचायत गरियाबंद	15	6	6
	योग	**348**	**130**	**122**

उपरोक्त तालिका अनुसार रायपुर एवं दुर्ग जिले में कुल 130 महिला पार्षद में से 94% अर्थात् 122 महिला उत्तरदाताओं का दैवनिदर्शन की लॉटरी पद्धति द्वारा अध्ययन इकाई के रूप में चुनाव किया गया है।

तथ्य संकलन के प्रविधि एवं उपकरण

रायपुर एवं दुर्ग जिले में चयनित कुल महिला पार्षदों से तथ्यों का संकलन महत्वपूर्ण उपकरण साक्षात्कार अनुसूची, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति एवं अवलोकन प्रविधि के द्वारा किया गया। शोध अध्ययन में प्राथमिक तथ्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार द्वितीय तथ्यों का भी संकलन किया गया तथा अध्ययन संबंध फोटोग्राफी इत्यादि शोधपरक तथ्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

तथ्यों का विश्लेषण

शोध अध्ययन में प्राप्त तथ्यों के सारणीयन करने के पश्चात् तथ्यों का विश्लेषण किया गया। जिसमें तालिका एवं चित्रावली सहसम्बन्ध, औसत मध्यिका इत्यादि वैज्ञानिक आधार पर तथ्यों का विश्लेषण किया गया।

अध्ययन की कठिनाईयां

प्रस्तुत अध्ययन में नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत के महिला पार्षदों को लिया गया है जो कि दुर्ग एवं रायपुर जिले के महिला पार्षदों पर आधारित है। अध्ययन की प्रमुख कठिनाईयां निम्न है:-

1. यह अध्ययन दुर्ग एवं रायपुर जिले के सभी महिला पार्षदों पर आधारित है।

2. साक्षात्कार करते समय महिला पार्षद अपने पति के साथ ही साक्षात्कार देने के लिए तैयार होती थी। उन्हें अकेले डर लगता था कि कहीं कोई गलत जानकारी न दे दें।

3. यहां दूर के नगर पंचायत जैसे गरियाबंद, धमधा, पाटन आदि स्थानों के कुछ प्रतिनिधि दूसरे दिन अथवा बाद में आने की बात करते थे, जिससे अध्ययन में व्यवहारिक कठिनायों का सामना करना पड़ा।

3. शिक्षा का स्तर कहीं - कहीं कम होने के कारण सरकारी योजनाओं या कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए वे पति का सहारा लेती थी जिससे पति के होने पर ही साक्षात्कार लेना पड़ता था जिससे कठिनाई होती थी।

4. पद पर आसीन होने के बावजूद वो गृहिणी के रूप में घरेलु जिम्मेदारियों के निर्वहन के कारण कार्यालय अवधि के बाद साक्षात्कार देने के लिए तैयार नहीं होती थी।

5. उनक कार्य क्षेत्र में योजनाओं के अमल न होने अथवा किसी प्रकार की असफलता की जानकारी प्रदान करने में वे भय महसूस करती थी इसका उन पर कोई विपरित प्रभाव न पड़े। यहां भी शोध के उद्देश्य को बार-बार समझाना पड़ता था।

संदर्भ सूची

1. Max, Weber (1971); Political as Avacati in Pijomo (eds.), Political Sociology Pengain Book Ltd. England.

2. Federation of Canadian Municipalities (2009); The publication was undertaken with the financial support of the Government of Canada provided through the Canadian International Development Agency (CIDA), Page 2.

3. Federation of Canadian Municipalities (2009); The publication was undertaken with the financial support of the Government of Canada provided through the Canadian International Development Agency (CIDA), Page 3.

4. Federation of Canadian Municipalities (2009); The publication was undertaken with the financial support of the Government of Canada provided through the Canadian International Development Agency (CIDA), Page 5.

5. Almond (1965); The civic culture, political attitude and democracy in five nations, page 267.

6. डिल्लन, एच.एस. (1995); लीडरशिप्स एण्ड ग्रुप्स इन साऊथ इंडिया विलेजेस प्रोग्राम, इलेल्यूवेशन आग्रेनाइजेशन प्लानिंग कमीशन, नई दिल्ली, विद्या पंचागम ग्रामीण छ.ग. में महिला नेतृत्व पृष्ठ, 04-05.

7. सिरसिकर, वी.एम. (1965); पालिटिकल बिहेवियर इन इंडिया बाम्बे मनकतला, पृष्ठ 276.

8. कौशिक, सुशीला (1993); वुमेन, पार्टी सिमेशन इन पालिटिक्स इन पालिटिकल, विकास पब्लिसंग हाऊस, न्यू दिल्ली, पृष्ठ 04-08.

9. पुजारी, कौशिक; प्रेमलता एवं विजय कुमार (1994); वुमन पावर इन इंड्यिा, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृष्ठ 04-12.

10. शर्मा, शकुन्तला (1994); ग्रास रूड पालिटिक्स एवं पंचायत राज, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन नई दिल्ली, पृष्ठ 04-12.

11. उमन्न, टी.एस. एवं दत्त, अभिजीत (1995); पंचायत राज एण्ड देयर फाईनेन्स कान्सेफ, नई दिल्ली, पृष्ठ 04-12.

12. गुहा, संपा (1966); पॉलिटिकल पार्टीसिप्रेशन ऑफ वुमन ए चेजिंग सोसाएटी, इंटर इंडिया पब्लिकेशन नई दिल्ली, पृष्ठ 04-12.

13. जैन एवं भटनागर, पी.सी., शशि एवं सुधा (1997); शिड्युल वुमन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पंचागम ग्रामीण छ.ग. में महिला नेतृत्व, पृष्ठ 04-12.

14. सेठ, प्रवीण (1998); वुमन एम्पावरमेंट पालिटिक्स इन इंडिया, कर्णावती पब्लिकेशन अहमदाबाद, पृष्ठ 04-12.

15. शर्मा, आदर्श (2000); पंचायती राज में महिला आरक्षण : औचित्य एवं संभावनाएं, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृष्ठ 04-10.

16. भनोट, बेला (2000), पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता, राजस्थान ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृष्ठ 78-90.

17. अग्निहोत्री, वंदना (2002); पंचायती राज एवं महिलाएं सामाजिक सहयोग, वर्ष 11 अंक 43 जुलाई से अगस्त से सितम्बर वर्ष 2002, पृष्ठ 07-10

18. श्रीवास्तव (2006), सुधारानी; भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, अजय वर्मा कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, पृष्ठ 12-20.

19. दुबे, माधवी (2006); भारतीय समाज में महिला सशक्तीकरण की दिशा व दशा मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जनरल वर्ष 2006 अंक 2 जुलाई, सत्र 2008, पृष्ठ 49-59.

20. फारूकी, उमर (2010); भारतीय समाज में महिला समाज में पंचायती राज की भूमिका.... वर्ष 56 अंक 12 अक्टुबर 2010 पृष्ठ 33-36.

21. श्रीवास्तव, मनोज (2011); पंचायती राज के जरिए राजनैतिक रूप से सशक्त हुई महिलाएं. वर्ष 57 अंक 11 सितम्बर 2011, पृष्ठ 9-14.

22. गोस्वामी, कुनाल (2012); भारतीय महिलाएं : विविध आयाम संपादक ISBN 978-81-8420-307-7 नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2012.

23. Nagpal, Ritesh (2013); Women empowerment in Haryana: Role of female representatives at Panchayati Raj Institution. Asian Journal of Multidimensional Research, Vol 2, Issue 6, p. 135-149.

24. Gocchayat, Artatrana (2013); Political participation of women in Gram Panchayat Elections in Odisha: A case study of Hindol Block at Dhenkanal District. International Journal of Humanities and Social Science Invervention, ISSN (Online): 2319-7722, ISSN (Print) 2319-7714, www.ijhssi.org, Volume 2, February 2013, pp. 38-46.

25. Thanikasalam, S, & Saraswathy, S. (2014); Role of Gram Panchayat in Rural Development : A study at Vagurani Village of Usilampatti Block at Madurai District (Tamilnadu). International Journal of Humanities and Social Science Invervention, ISSN (Online): 2319-7722, ISSN (Print): 2319-7714, www.ijhssi.org, Volume 3, Issue I, pp. 49-56.

26. Gangwani, K., and Zhang, X. (2015); The world Bank economic review, Oxford Journal, 29(2), 2015, 234-261.

27. जिला सांख्यिकी पुस्तिका (2011), जिला रायपुर, पृष्ठ 4-5.

28. जिला सांख्यिकी पुस्तिका (2011), जिला दुर्ग, पृष्ठ 3-4.

29. वार्षिक प्रतिवेदन, नगर निगम, रायपुर, 2013-14, पृष्ठ 3-5.

30. वहीं, पृष्ठ 3-5.

31. वहीं, पृष्ठ 3-5.

32. वहीं, पृष्ठ 3-5.

अध्याय - द्वितीय

उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि

अध्याय – द्वितीय

उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि

प्रस्तुत अध्ययन महिला पार्षदों की सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इन्ही प्रतिमानों के द्वारा ही होता है।

किसी भी विषय का सामाजिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित सामान्य जानकारी उसके सामाजिक, पारिवारिक तथ्यों को ज्ञात करना आवश्यक होता है। व्यक्तिगत विकास और मनोवृत्तियों के निर्धारण में व्यक्ति की सामाजिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति जिस सामाजिक-पारिवारिक स्तर से संबंधित रहता ेह, उसे जिस प्रकार का जीवन अवसर प्राप्त होता है तथा जिन सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों में उसको प्रशिक्षित किया जाता है, वे उसकी शैक्षणिक उपलब्धि, मूल्य और आकांक्षाओं के स्तर को प्रभावित करते हैं।

सामाजिक प्राणी के रूप में मानव के व्यक्तित्व के निर्माण में सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्ति के समाजीकरण में सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों, आदर्शों, प्रतिमानों एवं विश्वासों की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। समाज में व्यक्ति का व्यवहार, मानसिक स्थिति, दृष्टिकोण तथा कार्यप्रणाली बहुत हद तक इन्ही लक्षणों से संबद्ध दिखायी पड़ता है।

मनुष्य अपने मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए समाज में रहता है। समाज हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखता है और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। सांस्कृतिक विरासत से हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलती है। समाज पर व्यक्ति तथा समाज के संबंध की व्याख्या करते हुए मैकावर (1985)[1] ने कहा है कि – "अपनी सभी परम्पराओं के होते हुए भी समाज, सामाजिक जीवन की एक महान परिवर्तनशील व्यवस्था है, जो व्यक्ति की मानसिक तथा शारीरिक आवश्यकताओं से पैदा होती है। यह वह व्यवस्था है जिससे मनुष्य का जन्म होता है, तथा उसकी सीमाओं के भीतर उसका विकास होता है तथा वह भावी पीढ़ी हेतु जीवन के लिए आवश्यक बातें छोड़ जाता है। हमें ऐसे किसी भी दृष्टिकोण को अस्वीकार कर देना चाहिए, जो व्यक्ति और समाज के संबंधों को केवल एक पक्षीय दृष्टिकोण से देखता है।"

वास्तविकता इसी तथ्य में निहित है कि समाज द्वारा प्रतिपादित मूल्यों, नियमों, प्रतिमानों और मान्यताओं के अनुसार ही उस समाज के सदस्यों का समाजीकरण होता है, अर्थात मनुष्य वर्तमान में जो कुछ सोचता है एवं करता है वह अधिकांश उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित होता है।

एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य की अनेक आवश्यकताएँ होती है और संस्कृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक मात्र आधार है। मानव का व्यक्तित्व जन्म से ही पूर्ण नहीं होता है। जन्म के समय उसके पास न भाषा होती है, न समझ, उसके न कोई विचार होते हैं, न विश्वास, वह न नियम जानता है, न संस्कृति, लेकिन सामाजिक सीख की एक लम्बी प्रक्रिया और अनुभवों के द्वारा उसमें व्यक्तित्व संबंधी बहुत से सामाजिक गुणों का समावेश हो जाता है। सामाजिक पृष्ठभूमि सामान्य रूप से सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक व भौगोलिक स्थिति का द्योतक है।

व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित करने में मूल्यों, आदर्शों, व्यवहार, प्रतिमानों एवं विश्वासों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह बात स्टेवर्ट व ग्लिन (1995)[2] के अध्ययन से स्पष्ट होती है कि सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण में उसके व्यवहार को आकृति प्रदान करने लगता है।

मीड (1955)[3] के अध्ययन में पाया है कि बच्चा समाज की विभिन्न क्रियाओं का अनुरकरण करता है। वह धीरे-धीरे समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों को भी आत्मसात करता चला जाता है।

भारत में परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर तो इसकी प्रगति की गवाही दुनिया भर के अर्थशास्त्री दे रहे है। लेकिन यह विडंबना ही है कि हमारे देश को आजादी मिले 68 वर्ष बीतने के बाद भी आधी आबादी कहलाने वाली महिलाओं की हालत को अब भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। भारतीय समाज में महिलाएँ अपमान, अत्याचार और शोषण का शिकार होती रही है इसलिए भारत में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का मुद्दा हमेशा ही मुख्य धारा की चर्चा का हिस्सा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक स्त्रियों की निम्न दशा के प्रमुख कारण अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक निषेध, जाति बंधन, स्त्री नेतृत्व का अभाव तथा पुरूषों का उनके प्रति अनुचित दृष्टिकोण आदि थे। हालांकि स्वतंत्रता के बाद से आई विभिन्न सरकारों ने देश में महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक विकास में बराबर की हिस्सेदारी के अवसर प्रदान करने के लिए समय-समय पर अनेक कानून लाकर उनके सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है फिर भी इसके बावजूद मुख्य धारा में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के मामले में भारत अभी भी दुनिया के कई देशों से पीछे है।

कुछ ही महीने पहले प्रकाश में आए एशिया-प्रशांत क्षेत्र में लैंगिक समानता पर किए गए एक सर्वे के अनुसार महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के मामले में भारत इस क्षेत्र के 16 देशों में सबसे निचले पायदान पर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि, यद्यपि इस क्षेत्र में पुरूषों के मुकाबले महिलाएँ ज्यादा शिक्षित हो रही है, लेकिन लैंगिक समानता का अभी भी अभाव है। खासकर कारोबारी नेतृत्व, स्वामित्व और राजनीतिक भागीदारी के मामले में।

सरकारी आंकड़ों में भी महिलाओं की स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं है। आर्थिक विकास और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के बावजूद महिलाओं के पास स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता बहुत कम है। महिलाओं की स्थिति के व्यापक अध्ययन के लिए बनाई गई एक उच्च-स्तरीय समिति 2014 में अपनी प्रथम रिपोर्ट जारी कर महिलाओं के विरूद्ध आर्थिक सशक्तिकरण, घटते लिंग अनुपात और हिंसा आदि मुख्य सामयिक मुद्दे बताए और कहा कि इन पर देश को तत्काल ध्यान देने और सरकार द्वारा तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा किए गए तमाम प्रयासों ने महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को पहले से बेहतर स्थिति में पहुंचाया है लेकिन यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि, कैसे उपलब्ध कानूनों का सही क्रियान्वयन किया जाए ताकि अपने संवैधानिक अधिकारों का लाभ शहरों में रह रही उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के वह महिलाएँ भी उठा सकें जो संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों से भी वंचित है।

(अ) उत्तरदाताओं की आयु :-

प्राचीन समय में नेतृत्व कम आयु की तुलना में अधिक आयु के लोगों की अधिकता देखने को मिलती थी। पंचायती राज व्यवस्था तथा नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा में आयु संरचना में परिवर्तन आया है। आज भारतीय समाज में नेतृत्व का निर्धारण अधिक आयु वाले व्यक्तियों के द्वारा नहीं बल्कि युवा वर्ग में राजनीतिक जागरूकता, दलगत राजनीति का प्रवेश तथा सामाजिक, सांस्कृति परिवर्तनों के परिपेक्ष्य में परिवर्तित होता जा रहा है। ओपलर (1959)[4] के अनुसार परम्परागत भारत में कम आयु वालों की अपेक्षा अधिक आयु वालों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, अतः उनको नेतृत्व का अधिक अवसर प्राप्त होता रहा है, इसके विपरीत बनार्ड.एस. कोह (1965)[5] ने भारत के नेतृत्व एवं संरचना का व्यापक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने के पश्चात् यह पाया कि, अब युवा नेतृत्व का समावेश पंचायती राज व्यवस्था में हो चुका है। अध्ययनगत उत्तरदाताओं से उनके आयु के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की गई जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 2.1

उत्तरदाताओं की आयु

क्रं.	जिले का नाम	उत्तरदाताओं की आयु (वर्ष में)							
		20-40	प्रतिशत	40-60	प्रतिशत	60 से अधिक	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	दुर्ग	34	54.8	25	40.3	3	4.8	62	100
2.	रायपुर	31	51.7	26	43.3	3	5.0	60	100
योग		65	53.3	51	41.8	6	4.9	122	100

उत्तरदाताओं की आयु संबंधी विवरण से स्पष्ट है कि अधिकतर 53.3 प्रतिशत महिला पार्षद 20 से 40 वर्ष वर्ग के व 40 से 60 आयु वर्ग के 41.8 प्रतिशत पार्षदों का द्वितीय स्थान है तथा सबसे कम 60 से अधिक आयु वर्ग के 4.9 प्रतिशत पार्षद कार्यरत् है। जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग जिले में 20 से 40 वर्ष आयु वर्ग के व रायपुर जिले में 40 से 60 एवं 60 से अधिक आयु वर्ग के महिला पार्षदों की संख्या सर्वाधिक है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि युवा वर्ग के पार्षदों का चुनाव अधिक किया गया है ताकि वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन सक्रियता से कर सकें। एक अन्य तथ्य यह भी है कि आज नगरीय परिवेश में लोग युवा नेतृत्व से अधिक उम्मीद रखते हैं।

आरेख

उत्तरदाताओं की आयु

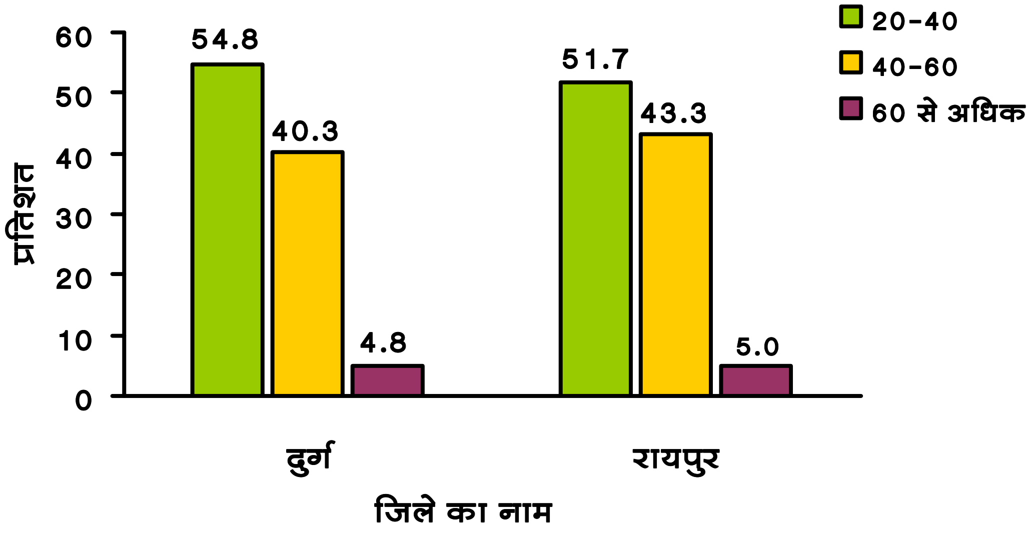

उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति :-

आधुनिक समय में समाज व राष्ट्र की प्रगति में स्त्री व पुरूष दोनों का ही सहयोग नितान्त आवश्यक है, इसलिए सभी स्त्री शिक्षा के लिए उचित वातावरण का निर्माण व सुविधाएँ प्रदान करने के लिए स्त्री वर्ग के क्षेत्र में शिक्षा विकास एक आवश्यक तत्व है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है जनता में स्त्री पुरूष दोनों आते है अगर इनमें एक वर्ग अशिक्षित हुआ तो जातियता, प्रादेश्यिता एवं अन्य संकीर्ण भावनाओं से प्रेरित होकर स्वार्थ निहित दलों को चुनाव में जीताकर दूषित शासन का गठन कर बैठेंगे जिससे प्रजातंत्र की नींव कमजोर बनी रहेगी इसलिए आवश्यक है कि हम स्त्री शिक्षा के द्वारा स्त्रीयों में राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय प्रगति व राष्ट्रीय महत्व की भावना को विकसित करें। शिक्षा व्यक्ति में नागरिक गुणों का विकास करती है। राय प्रदिप्तो (1967)[6] का मानना है कि, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की नगरीय एवं ग्रामीण नेतृत्व में अधिक भागीदारी होती है। अध्ययनगत उत्तरदाताओं की शिक्षा संबंधी विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 2.2

उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति

क्रं.	जिले का नाम	उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति											
		प्राथ.	प्रति-शत	माध्य.	प्रति-शत	उ.मा.	प्रति-शत	हाई स्कुल	प्रति-शत	महाविद्या-लय	प्रति-शत	योग	प्रति-शत
1.	दुर्ग	6	9.7	12	19.4	11	17.7	11	17.7	22	35.5	62	100
2.	रायपुर	7	11.7	12	20.0	11	18.3	6	10.0	24	40.0	60	100
योग		13	10.6	24	19.7	22	18.0	17	13.9	46	37.7	122	100

महिला पार्षदों के शैक्षणिक स्तर से स्पष्ट है कि अधिकतर 37.7 प्रतिशत पार्षदों ने महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा ग्रहण किये है तत्पश्चात् 19.7 प्रतिशत माध्यमिक, 18.0 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक, हाई स्कुल 13.9 प्रतिशत एवं सबसे कम 10.6 प्रतिशत पार्षदों ने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है। नगरीय निकायों के आधार पर देखे तो दुर्ग जिले की तुलना में रायपुर जिले के महिला पार्षदों द्वारा आधिक उच्च शिक्षा प्राप्त की गई है। उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले में माध्यमिक एवं हाई स्कुल स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाले पार्षदों का प्रतिशत 18.0 है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा का प्रभाव व्यक्ति के सोच, कार्य एवं व्यवहार को प्रभावित करता है जिसके कारण वार्ड के निवासियों द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त पार्षदों का चुनाव अधिक किया गया है।

आरेख

उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति

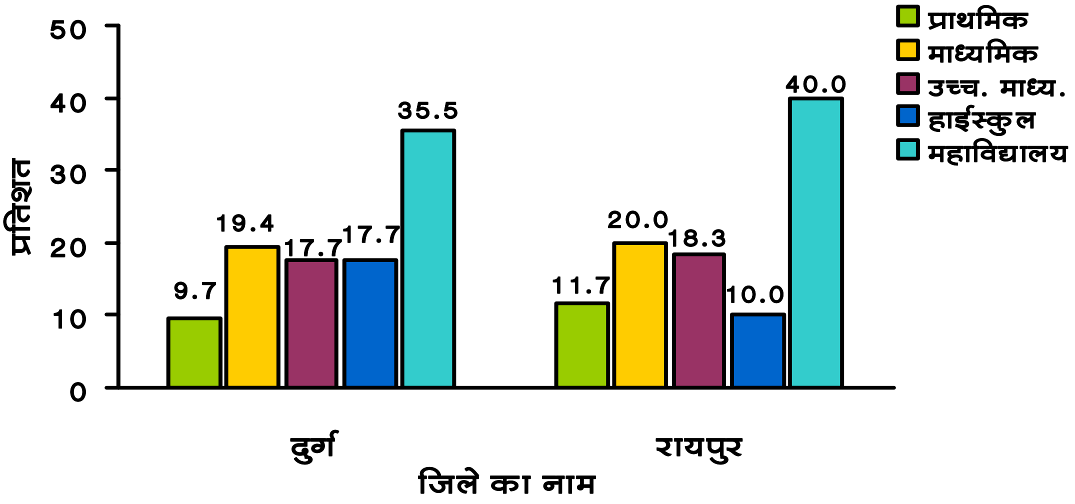

उत्तरदाताओं की जाति का वर्ग :-

भारतीय संविधान की धारा 341 तथा 342 में वे जातियाँ गिनाई गई है जिन्हे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति कहा जाता है। और उन्हे पिछड़ी जाति (वर्ग) माना जाता है। पिछड़े वर्ग के उत्थान के महत्व को समझाते हुए तथा राजनैतिक स्वतंत्रता व समानता के साथ-साथ आर्थिक व सामाजिक जनतंत्र को यथार्थ रूप देने के लिए उन्हे चुनाव में मानसिक दृष्टि से सम्मिलित किया गया है।

वाय.डी. जडेजा (1964)[7] द्वारा गुजरात के तीन ग्रामों के अध्ययन से स्पष्ट किया है कि, नेतृत्व में जाति की प्रधानता परिवर्तित हो गई है और उसके स्थान पर सदस्यों की यथेष्ट संख्या सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गया है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में युवा नेताओं का उदय हुआ है, उच्च जाति एवं उच्च आर्थिक स्थिति वाले लोगों की तुलना में ऐसे लोगों का महत्व बढ़ा है। जो विवादों एवं समस्याओं को दुर करने में सक्षम है।

गोह कैथलीन (1973)[8] के अनुसार कुम्बोपत्ताई ग्राम के मुखिया के लिये ब्राम्हण होना आवश्यक है अन्यथा वह ग्राम पर अपनी सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता।

शर्मा के.एल. (1974)[9] ने अपने अध्ययन में 6 गाँवों को शामिल किया और यह बताया कि नगरीय क्षेत्र से लगे गाँवों की तुलना में दूरवर्ती गाँवों में उच्च जाति वाले आसानी से उच्च स्थिति प्राप्त सम्मान और शक्ति प्राप्त कर लेते है। उत्तरदाताओं ने प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक – 2.3

उत्तरदाताओं के जाति का वर्ग

क्रं.	जिले का नाम	जाति का वर्ग									
		अ.पि.	प्रति-शत	अ.ज.जा	प्रति-शत	अ.ज.	प्रति-शत	सामान्य	प्रति-शत	योग	प्रति-शत
1.	दुर्ग	39	62.9	4	6.5	8	12.9	11	17.7	62	100
2.	रायपुर	36	60.0	4	6.7	7	11.7	13	21.6	60	100
योग		75	61.5	8	6.6	15	12.3	24	19.7	122	100

जाति संबंधी तालिका से स्पष्ट है कि अधिकतर 61.5 प्रतिशत पार्षद अन्य पिछड़ा वर्ग के है एवं 19.7 प्रतिशत सामान्य वर्ग तथा सबसे कम 6.6 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति वर्ग के है। उल्लेखनीय है कि दुर्ग एवं रायपुर दोनों ही जिलों में सबसे कम 6.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के पार्षद है। तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि निम्न जाति वर्ग (अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति) के महिलाओं में राजनीतिक सक्रियता कम पाई गई है, जबकि इसके विपरित अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में राजनीतिक सक्रियता अधिक देखी गई है।

नगरीय निकाय के आधार पर देखा जाए तो विभिन्न जाति के लोग निवास करते है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जाति सामाजिक संगठन का निर्धारण करता है।

आरेख

उत्तरदाताओं के जाति का वर्ग

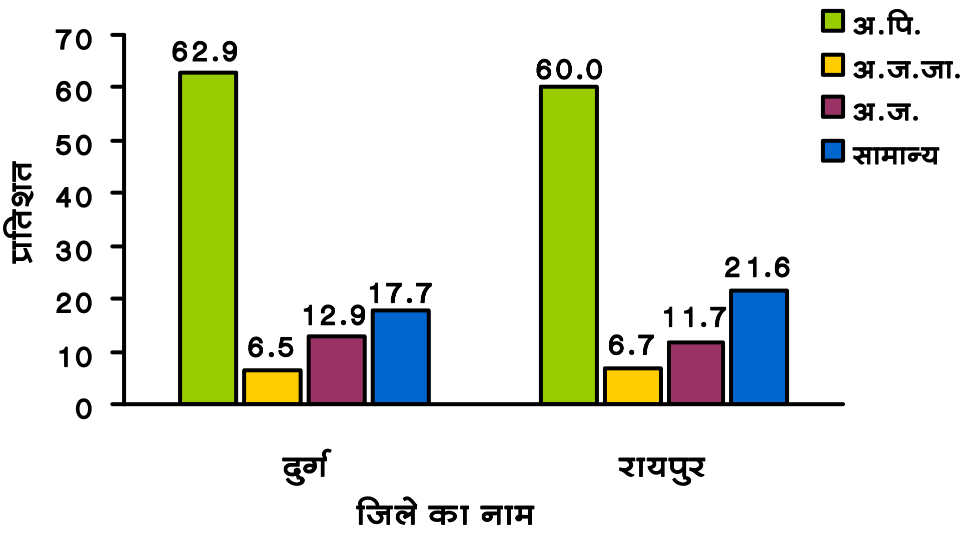

उत्तरदाताओं की धर्म :-

भारत को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है। क्योंकि भारत में सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। धर्म किसी न किसी प्रकार की मानवीय या लौकिक या समाजोपरि शक्ति पर विश्वास है, जिसका आधार भय, शक्ति और पवित्रता की धारणा, जिसकी अभिव्यक्ति, प्रार्थना, पूजा व आराधना है। मैलिनोवस्की (1948)[10] ने कहा है कि "धर्म एक सामाजशास्त्रीय तथ्य के साथ ही एक व्यक्ति अनुभव भी है।" प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाता से उनके धर्म संबंधी विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 2.4

उत्तरदाताओं का धर्म

क्रं.	जिले का नाम	उत्तरदाताओं का धर्म							
		हिन्दु	प्रतिशत	मुस्लिम	प्रतिशत	सिक्ख	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	दुर्ग	59	95.2	2	3.2	1	1.6	62	100
2.	रायपुर	56	93.3	1	1.7	3	5.0	60	100
योग		115	94.3	3	2.5	4	3.3	122	100

उत्तरदाताओं के धर्म संबंधी विवरण से ज्ञात होता है कि अधिकतर 94.3 प्रतिशत पार्षद हिन्दु धर्म के है। एवं सिक्ख धर्म के 3.3 प्रतिशत व सबसे कम मुस्लिम धर्म में 2.5 प्रतिशत है। नगरीय निकायों के आधार पर देखा जाए तो हिन्दु धर्म के पश्चात् रायपुर जिले में सिक्ख एवं दुर्ग जिले में महिला पार्षदों की संख्या अधिक है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मुस्लिम महिलाओं में राजनीतिक सक्रियता कम पाई गई है जिसका प्रमुख कारण है मुस्लिम धर्म में अनेक प्रथाएं व नियम होते है जिसके परिणामस्वरूप उनमें राजनीतिक भागीदारी कम होती है।

उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति :-

व्यक्ति के वैवाहिक स्थिति का प्रभाव उसके विचार एवं व्यवहार पर पड़ता है। क्योंकि विवाहित जीवन मनुष्य को सुख, संतोष व स्थिरता प्रदान करता है। इसके विपरीत अविवाहित जीवन व्यक्ति को असामान्य व्यवहार करने को प्रेरित करता है। किसी समाज में व्यक्ति की विवाहित स्थिति उसके महत्व को प्रदर्शित करती है। विवाह व्यक्ति को समाज में एक निश्चित परिस्थिति प्रदान करती है।

कापड़िया (1972)[11] ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि विवाह भारतीय समाज की सांस्कृतिक विशेषता की अनिवार्यता है।

आल्पोर्ट (1924)[12] समाज के अनुसार समाज की उत्पत्ति यौन संबंधी सहज प्रकृति से होती है।

नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज व्यवस्था में नेतृत्व करने वाले अधिकांश महिला पार्षद विवाहित है। विवाह एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जो स्त्री-पुरूष को कुछ विशेष नियमों के अंतर्गत परिवार निर्माण के अवसर प्रदान करती है। उत्तरदाताओं के वैवाहिक स्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है –

तालिका क्रमांक - 2.5

उत्तरदाताओं के वैवाहिक स्थिति

क्रं.	जिले का नाम	वैवाहिक स्थिति							
		अविवाहित		विवाहित		विधवा		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	1	1.6	58	93.5	3	4.8	62	100
2.	रायपुर	2	3.4	53	88.3	5	8.3	60	100
योग		3	2.5	111	91.0	8	6.6	122	100

वैवाहिक स्थिति संबंधी विवरण से स्पष्ट है कि अधिकतर 91.0 प्रतिशत पार्षद विवाहित व 6.6 प्रतिशत विधवा तथा सबसे कम 2.5 प्रतिशत महिला पार्षद अविवाहित है । जिले के आधार पर देखा जाए तो रायपुर जिले में 8.3 प्रतिशत विधवा है एवं दुर्ग जिलें में 4.8 प्रतिशत उत्तरदाता विधवा है जबकि अविवाहित महिला पार्षदों की संख्या दुर्ग जिले के .6 प्रतिशत की तुलना में रायपुर जिले के 3.4 प्रतिशत में अधिक पाई गई है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि पारिवारिक सहयोग के कारण विवाहित पार्षदों की संख्या अधिक है जिसके कारण उनमें राजनीतिक भागीदारी अधिक है।

अध्ययनगत पार्षदों की आय :-

आधुनिक युग में जीवन शैली में आय एक महत्वपूर्ण निर्धारक होता है, नगर में रहने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसे कम आय के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता आज के नगरीय निकाय में चुनाव के समय धन-बल का महत्व देखने को मिलता है। व्यक्ति चुनाव के

समय जितना अधिक धन खर्च करता है उतना ही वह लोगों के मध्य लोकप्रिय बन जाता है। लोग ऐसे प्रत्याशी को आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण अपना मत देते है।

दुबे एवं ऑस्कर लेविस (1958)[13] ने "नेताओं के व्यक्तिगत तथा सामाजिक आर्थिक लक्षणों का जो अध्ययन किया है। उसमें उन्होंने निम्नलिखित कारकों को महत्वपूर्ण माना है - भू-स्वामित्व, संपत्ति, पारिवारिक प्रतिष्ठा, आयु, वंश, वैयक्तिक गुण, वृहद सम्पर्क, परिवार की यथेष्ट संख्या आदि।"

प्रमिला कपूर (1970)[14] के अध्ययन से स्पष्ट है कि "पत्नि के रोजगाररत् रहने से पतियों को तब तक आपत्ति नहीं होती जब तक उनकी पत्नियाँ घर में अपनी परंपरागत भूमिका और परिस्थिति को यथा-स्थिति बनाए रखती है।"

आय के संदर्भ में उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 2.6

उत्तरदाताओं की आय

क्रं.	जिले का नाम	उत्तरदाताओं का आय							
		75000 से कम		75000-100000		100000 से अधिक		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	दुर्ग	5	8.1	52	83.9	5	8.1	62	100
2.	रायपुर	5	8.3	51	85.0	4	6.7	60	100
योग		10	8.2	103	84.4	9	7.4	122	100

उत्तरदाताओं की वार्षिक आय संबंधी विवरण से स्पष्ट होता है कि अधिकतर 84.4 प्रतिशत पार्षदों की वार्षिक आय 75,000 से 1,00,000 रूपये के मध्य है जबकि सबसे कम 7.4 प्रतिशत पार्षदों की आय 1,00,000 रूपये से अधिक है। नगरीय निकायों के आधार पर दोनों ही जिलों में 75,000 से कम वार्षिक आय प्राप्त करने वाले पार्षदों की संख्या 8.2 प्रतिशत है। उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि 75,000 से 1,00,000 के मध्य अधिकांश पार्षदों की वार्षिक आय है।

अध्ययनगत महिला पार्षदों की वार्षिक आय से यह भी स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में से अधिकांश सामान्य प्रकृति के व्यवसाय में संलग्न है या गृहणी है।

आरेख

उत्तरदाताओं की आय

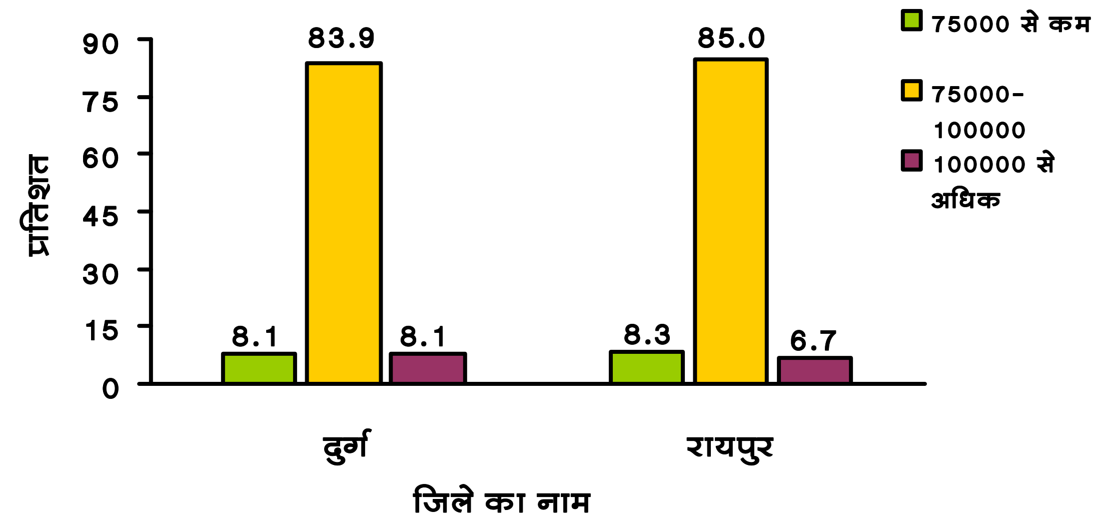

(ब) पारिवारिक विवरण

उत्तरदाताओं के व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी जानना आवश्यक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में परिवार की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परिवार समाज की एक मूलभूत इकाई है जो व्यक्ति को जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने का कार्य करती है। मानव की प्राथमिक, वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार के द्वारा ही की जाती है। मानव समाज में परिवार की स्थिति केन्द्रीय होती है। परिवार का अर्थ समझाते हुए डॉ. डी.एन. मजूमदार ने लिखा है कि, "परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक मकान में रहते है रक्त द्वारा संबंधित है और स्थान, स्वार्थ तथा पारस्परिक कर्तव्य-बोध के आधार पर समान होने की चेतना या भावना रखते है।"

पारिवारिक सदस्यों की आयु :-

परम्परागत रूप से नेतृत्व में कम आयु की तुलना में अधिक आयु के लोगों का वर्चस्व देखने को मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था तथा नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद आयु संरचना में परिवर्तन आया है। समाज में व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति के निर्धारण में आयु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आयु के आधार पर ही व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता तथा सामर्थ्य का निर्धारण होता है। भारत में नेतृत्व अधिक आयु वालों के हाथों में था। परंतु मतदान द्वारा राजनैतिक जागरूकता, दलगत राजनीति में प्रवेश तथा सामाजिक सांस्कृति परिवर्तन अब युवाओं के हाथों में है।

ओपलर (1959)[4] के अनुसार "परम्परागत भारत में कम आयु की अपेक्षा अधिक आयु वालों को अधिक महत्ता प्रदान की गई और उन्ही के नेतृत्व का अधिक अवसर प्राप्त हो रहा है।" इसके विपरीत बनार्ड.एस. कोह (1965)[5] ने "ग्रामीण भारत की नेतृत्व एवं संरचना का व्यापक परिपेक्ष्य में अध्ययन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि आज युवा का समावेश ग्रामीण नेतृत्व में हो चुका है।" अब युवा सदस्य भी नगरीय निकायों में तेजी से आगे आ रहे है। इस विषय में ज्ञात तथ्यों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक - 2.7

पारिवारिक सदस्यों की आयु

(N = 502)

क्रं.	जिले का नाम	उत्तरदाताओं के पारिवारिक सदस्यों की आयु (वर्ष में)									
		20 से कम	प्रति-शत	20-40	प्रति-शत	40-60	प्रति-शत	60 से अधिक	प्रति-शत	योग	प्रति-शत
1.	दुर्ग	97	39.0	79	31.7	50	20.1	23	9.2	249	100
2.	रायपुर	107	42.3	66	26.1	61	24.1	19	7.5	253	100
योग		204	40.6	145	28.9	111	22.1	42	8.4	502	100

उत्तरदाताओं के पारिवारिक सदस्यों की आयु में अधिकतर 40.6 प्रतिशत 20 वर्ष से कम, 20 से 40 आयु वर्ग के 28.9 प्रतिशत, 40 से 60 आयु वर्ग में 22.1 प्रतिशत एवं सबसे कम 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 8.4 प्रतिशत सदस्य है। जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग की तुलना में रायपुर जिलें में 20 वर्ष से कम तथा 40 से 60 आयु वर्ग के पारिवारिक सदस्यों की संख्या अधिक है जबकि दुर्ग जिले में 20 से 40 एवं 60 से अधिक आयु वर्ग के पारिवारिक सदस्य अधिक है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्यों में युवा वर्ग के व्यक्तियों की संख्या अधिक है।

पारिवारिक सदस्यों की शिक्षा :-

परम्परागत नेतृत्व में शिक्षा का स्थान कम होता था। निरक्षर तथा कम पढ़े-लिखे लोग भी पंचायतों तथा विधानसभा व लोकसभा में भी नेतृत्व करते थे। वर्तमान में इस स्थिति में बदलाव देखने को मिला है और अब मतदाता (विशेषकर शहरी) निरक्षर लोगों को अथवा नेता बनाने के पक्ष में नहीं होते है। इस विषय़ में अध्ययनगत नगर निगम/नगर पंचायतों की स्थिति क्या है इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक – 2.8

पारिवारिक सदस्यों की शिक्षा

(N = 502)

क्रं.	जिले का नाम	शिक्षित		अशिक्षित		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	221	88.8	28	11.2	249	100
2.	रायपुर	211	83.4	42	16.6	253	100
योग		432	86.1	70	13.9	502	100

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिकतर 86.1 प्रतिशत महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्य शिक्षित है जबकि 13.9 प्रतिशत ही अशिक्षित है जिसके अंतर्गत 60 से अधिक आयु वर्ग के सदस्य सम्मिलित है। नगरीय निकायों को देखे तो रायपुर की तुलना में दुर्ग के महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्य अधिक शिक्षित है। जबकि रायपुर जिले के 16.6 प्रतिशत पारिवारिक सदस्य अशिक्षित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भी रायपुर की तुलना में दुर्ग जिले में शिक्षित सदस्यों की संख्या अधिक है। निष्कर्ष के रूप में यह माना जा सकता है कि पारिवारिक सदस्यों में शिक्षितों की संख्या सर्वाधिक है।

आरेख

पारिवारिक सदस्यों की शिक्षा

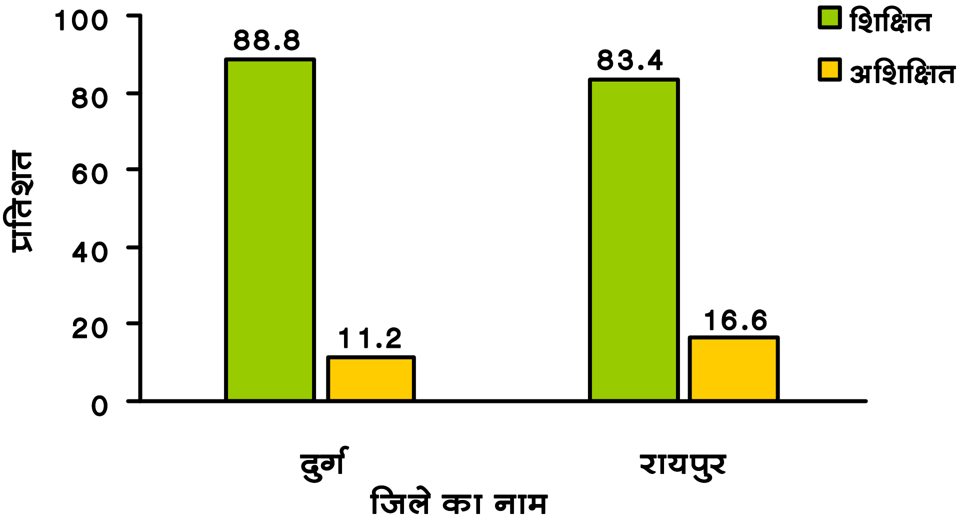

पारिवारिक सदस्यों की शिक्षा का स्तर :-

शिक्षा किसी भी समाज की एक महतवपूर्ण संस्था है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। वर्तमान में समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, अब रूढ़िवादी

परम्परागत नेतृत्व को प्रायः नगरवासी स्वीकार नहीं करते क्योंकि शिक्षित नेता ही अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को प्रभावित करता है।

पंजाब के एक गाँव मोहली के अध्ययन में हरजिन्दर सिंह (1968)[15] ने पाया कि "गाँव का नेतृत्व अब उन लोगों के हाथ में जा रहा है जो कि अधिक शिक्षित उच्च आय तथा बड़े आकार वाले परिवारों से है।"

प्रदीप्तो रॉय (1967)[6] का भी मानना है कि "उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की ग्रामीण नेतृत्व में अधिक भागीदारी होती है।"

प्रस्तुत अध्ययन नगरीय क्षेत्रों में महिला नेतृत्व से संबंधित है। अध्ययन में इस तथ्य का परीक्षण करने का प्रयास किया गया है क्या ग्रामीण नेतृत्व की भांति शहरी नेतृत्व में पारिवारिक सदस्यों की शिक्षा का स्तर महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 2.9

पारिवारिक सदस्यों के शिक्षा का स्तर

(N = 432)

क्रं.	जिले का नाम	उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति											
		प्राथ.	प्रति-शत	माध्य.	प्रति-शत	उ.मा.	प्रति-शत	हाई स्कुल	प्रति-शत	महा-विद्यालय	प्रति-शत	योग	प्रति-शत
1.	दुर्ग	51	23.1	43	19.5	33	14.9	42	19.0	52	23.5	221	100
2.	रायपुर	48	22.7	46	21.8	34	16.1	34	16.1	49	23.3	211	100
योग		99	22.9	89	20.6	67	15.5	76	17.6	101	23.4	432	100

महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्यों के शिक्षा के स्तर संबंधी विवरण से स्पष्ट है कि अधिकतर 23.4 प्रतिशत सदस्य महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा प्राप्त है, 22.9 प्रतिशत प्राथमिक, 20.6 प्रतिशत माध्यमिक एवं सबसे कम 15.5 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त किए है। जिले के आधार पर देखे तो रायपुर की तुलना में दुर्ग जिले में शिक्षा का स्तर अधिक पाया गया है। जहां सर्वाधिक महाविद्यालय स्तर के 23.5 प्रतिशत एवं सबसे कम 14.9 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्राप्त पारिवारिक सदस्य है। जबकि रायपुर जिले में भी महाविद्यालय स्तर के शिक्षा प्राप्त सर्वाधिक 23.3 प्रतिशत एवं सबसे कम 16.1 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक एवं हाई स्कुल के शिक्षा प्राप्त है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्य सबसे कम 15.5 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक एवं सबसे अधिक 23.4 प्रतिशत महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा प्राप्त है।

पारिवारिक सदस्यों की वैवाहिक स्थिति :-

विवाह एक सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था है जो एक स्त्री-पुरूष को कुछ विशेष नियमों के अंतर्गत परिवार के निर्माण का अवसर प्रदान करती है। तथा परिवार में व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवसरों का निर्धारण विवाह संस्था का संबंध एक विशेष सामाजिक स्वीकृति से है जो साधारणतया कानूनी अथवा धार्मिक संस्कार के रूप में होता है और जो दो विषम लिंग के व्यक्तियों में यौन संबंधों को स्थापित करने एवं उससे संबंधित उत्तरदायित्वों के निर्वहन का अधिकार देती है।

इस अध्ययन की दृष्टि से उत्तरदाताओं के वैवाहिक स्थिति को ज्ञात करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह ज्ञात होगा कि पंचायती राज व्यवस्था तथा नगरीय निकाय में विवाहित तथा अविवाहित महिलाओं का योगदान है।

शिव कुमार (2000)[16] ने अपने अध्ययन में "केरल के अलपुझा जिले के महिलाओं की शादियों और पैदाईश संबंधी इतिहास में यह पाया कि हमेशा शादी-शुदा महिलाओं में उनकी पृष्ठभूमि की विशेषताओं नामतः धार्मिक, शैक्षणिक, आवास का स्थान और कार्यकारी पदांकन के कारण उनकी शादी की उम्र में वृद्धि तथा पैदाईश में घटाव आ रहा है।"

विवाहित महिला उत्तरदाताओं की अधिकता जहां उनके परिवार में बढ़ती स्थिति को स्पष्ट करती है वहीं अविवाहित महिलाओं की अधिकता महिला नेतृत्व के उभरते युवा प्रतिमान को स्पष्ट करती है। इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 2.10

पारिवारिक सदस्यों की वैवाहिक स्थिति

(N = 502)

क्रं.	जिले का नाम	अविवाहित		विवाहित		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	121	49.2	125	50.8	246	100
2.	रायपुर	125	48.8	131	51.2	256	100
योग		246	49.0	256	51.0	502	100

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्यों में 51.0 प्रतिशत विवाहित है जबकि 49.0 प्रतिशत सदस्य अविवाहित है। नगरीय निकायों के आधार पर देखे तो रायपुर की अपेक्षा दुर्ग जिले के महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्य अधिक अविवाहित है। जबकि रायपुर जिले के 51.2 प्रतिशत सदस्य विवाहित है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अध्ययनगत समूह के महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्यों में अधिकांश सदस्य विवाहित है।

पारिवारिक सदस्यों का व्यवसाय :-

व्यवसाय व्यक्ति की जीवकोपार्जन का आधार है। इसके द्वारा प्राप्त आय से वह स्वयं अपना और अपने परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वर्तमान समाज में जाति के आधार पर व्यवसाय काफी कम हो चुके है। कृषि के मुख्य व्यवसाय कम होते जा रहे है और औद्योगीकरण की महत्ता बढ़ती जा रही है। नेतृत्व के अनेक अध्ययनों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि व्यवसाय नेतृत्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

बीडलमेन (1959)[17] ने "सोनापुर और रामपुर नाम के गांव का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि रामपुर गाँव के 80 प्रतिशत भूमि के स्वामी होने के कारण प्रभुत्वशाली है जबकि ब्राम्हणों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वे शक्तिशाली नहीं है।"

बैली एवं मजूमदार (1957)[18] ने भी अपने अध्ययनों में "कृषि व्यवसाय या भू-स्वामित्व को नेतृत्व की भूमिका में स्वीकार किया है।"

परम्परागत रूप से समाज में महिलाओं का कार्यक्षेत्र परिवार तक सीमित रहा है। लेकिन आधुनिक समाज में उनके कार्य का दायरा बढ़ा है। यही कारण है कि महिलाएं शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग आदि क्षेत्रों में भी आगे आ रही है। महिला पार्षदों के परिवार के सदस्य व्यवसाय के साथ-साथ नगरीय निकाय में शासकीय सेवा में कार्यरत है। इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 2.11

पारिवारिक सदस्यों का व्यवसाय

(N = 502)

क्रं.	जिला का नाम	शिक्षित बेरोजगार		स्वयं का व्यवसाय		शासकीय सेवा		कोई व्यवसाय नहीं		पार्षद		प्राईवेट		योग	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	दुर्ग	5	2.0	38	15.1	18	7.2	109	43.4	62	24.7	19	7.6	251	100
2.	रायपुर	7	2.8	36	14.3	16	6.4	111	44.2	60	23.7	21	8.4	251	100
योग		12	2.4	74	14.7	34	6.8	220	43.8	122	24.3	40	8.0	502	100

पारिवारिक सदस्यों के व्यवसाय संबंधी तालिका से स्पष्ट है कि अधिकतर 43.8 प्रतिशत सदस्य कोई व्यवसाय नहीं करते है इसके अंतर्गत महिलाएं एवं बच्चे सम्मिलित है जो कि गृहणी एवं अध्यनरत् छात्र-छात्राएं है। जबकि सबसे कम 2.4 प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार है जो शिक्षा

प्राप्त कर चुके है एवं व्यवसाय की तलाश में है। नगरीय निकाय के आधार पर देखे तो दुर्ग नगर में स्वयं का व्यवसाय 15.1 प्रतिशत, शासकीय सेवा 7.2 प्रतिशत, पार्षद 24.7 प्रतिशत का व्यवसाय करने वाले सदस्यों की संख्या रायपुर की तुलना में अधिक है जबकि रायपुर जिले में प्राईवेट (8.4 प्रतिशत) व्यवसाय करने वाले सदस्यों की संख्या अधिक है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अध्ययनगत महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्यों में अधिकांश शासकीय या निजी व्यवसाय में संलग्न है।

परिवार की मासिक आय :-

नगरीय जीवन शैली में आय एक महत्वपूर्ण निर्धारक होता है क्योंकि नगर में रहने के लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है उसे कम आय के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। पूंजी के बढ़ते प्रभाव के फलस्वरूप आज नगरीय निकाय के चुनाव में भी धन बल का महत्व बढ़ा है। लोग ऐसे प्रत्याशी को मत देने में विश्वास करते है जो आर्थिक रूप से सक्षम होते है। प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययनगत समूह की पारिवारिक मासिक आय को ज्ञात करने का प्रयास किया गया जिसे निम्नांकित तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 2.12

पारिवार की मासिक आय

क्रं.	जिले का नाम	परिवार की मासिक आय (रूपये में)							
		75000 से कम		75000-100000		100000 से अधिक		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	5	8.1	52	83.9	5	8.1	62	100
2.	रायपुर	5	8.3	51	85.0	4	6.7	60	100
योग		10	8.2	103	84.4	9	7.4	122	100

महिला पार्षदों के परिवार की मासिक आय में सर्वाधिक 84.4 अधिकतर परिवार की आय 75000-100000 से अधिक है जबकि 8.2 प्रतिशत की 75000 से कम एवं सबसे कम 7.4 प्रतिशत 100000 से अधिक मासिक आय वाले परिवार के सदस्य है। नगरीय निकाय के आधार पर देखे तो दुर्ग जिले के नगरीय निकायों के महिला पार्षदों के परिवार की 75000-100000 मासिक आय 83.9 प्रतिशत एवं रायपुर जिले के महिला पार्षदों की मासिक आय 85 प्रतिशत है। जबकि दुर्ग जिले में रायपुर की तुलना में 100000 से अधिक मासिक आय एवं रायपुर जिले में 75000 से कम मासिक आय वाले अधिक है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि रायपुर की तुलना में दुर्ग जिले के महिला पार्षदों के परिवार की मासिक आय अधिक है क्योंकि दुर्ग जिले के महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्य शासकीय सेवा एवं स्वयं का व्यवसाय अधिक करते है।

आरेख

पारिवार की मासिक आय

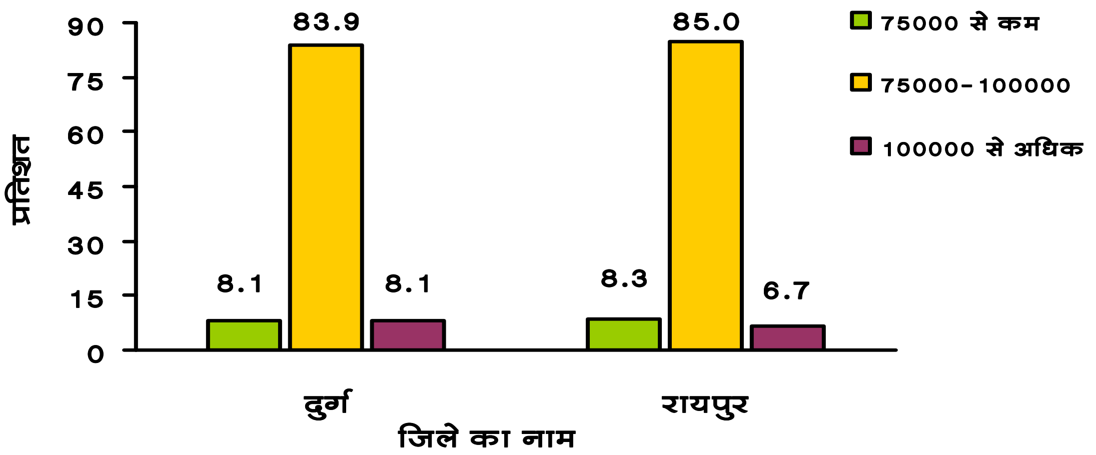

(स) स्वयं का मकान होना :-

शहरी जीवन शैली में मकान एक महत्वपूर्ण संपत्ति मानी जाती है। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के निर्धारण में भी स्वयं के मकान होने या न होने का व्यापक प्रभाव पड़ता है। आवास विहिन अथवा किराये के आवास में रहने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति उन लोगों की तुलना में कमतर मानी जाती है जो स्वयं के आवास में रहते हैं। अध्ययनगत समूह के उत्तरदाताओं के आवासीय स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक - 2.13

स्वयं का मकान होना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	44	71.0	18	29.0	62	100
2.	रायपुर	46	76.7	14	23.3	60	100
योग		90	73.8	32	26.2	122	100

महिला पार्षदों के स्वयं के मकान संबंधी विवरण से ज्ञात होता है कि अधिकतर 73.8 प्रतिशत पार्षदों ने बताया है कि उनका स्वयं का मकान है जबकि 26.2 प्रतिशत पार्षदों के पास स्वयं का मकान नहीं है। नगरीय निकाय के अधार पर देखे तो रायपुर जिले के 76.7 प्रतिशत महिला पार्षदों

के पास स्वयं का मकान अधिक है जबकि दुर्ग जिले के 29.0 प्रतिशत महिला पार्षदों के पास स्वयं का मकान नहीं है। इसके अन्तर्गत वे महिला पार्षद आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा एवं व्यवसाय के उद्देश्य से किराए के मकान में रहते है। जिनका स्वयं का मकान नहीं है।

मकान का स्वरूप :-

मकान का स्वरूप संबंधित विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :-

तालिका क्रमांक - 2.14

मकान का स्वरूप

(N = 90)

क्रं.	जिले का नाम	पक्का		अर्धपक्का		कच्चा		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	30	68.2	10	22.7	4	9.1	44	100
2.	रायपुर	34	73.9	9	19.6	3	6.5	46	100
योग		64	71.1	19	21.1	7	7.8	90	100

उत्तरदाताओं के मकान के स्वरूप संबंधी विवरण से ज्ञात होता है कि महिला पार्षदों के 71.1 प्रतिशत मकान पक्का, 21.1 प्रतिशत अर्धपक्का एवं सबसे कम 7.8 प्रतिशत मकान कच्चा है। जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग की तुलना में रायपुर जिले के महिला पार्षदों का मकान 73.9 प्रतिशत अधिक पक्का है। जबकि दुर्ग जिले में अर्ध-पक्का 23.3 प्रतिशत व 9.1 प्रतिशत कच्चा मकान अधिक है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जिन महिला पार्षदों के मकान अर्धपक्का एवं कच्चा है। उनकी पारिवारिक आय कम है।

आरेख

मकान का स्वरूप

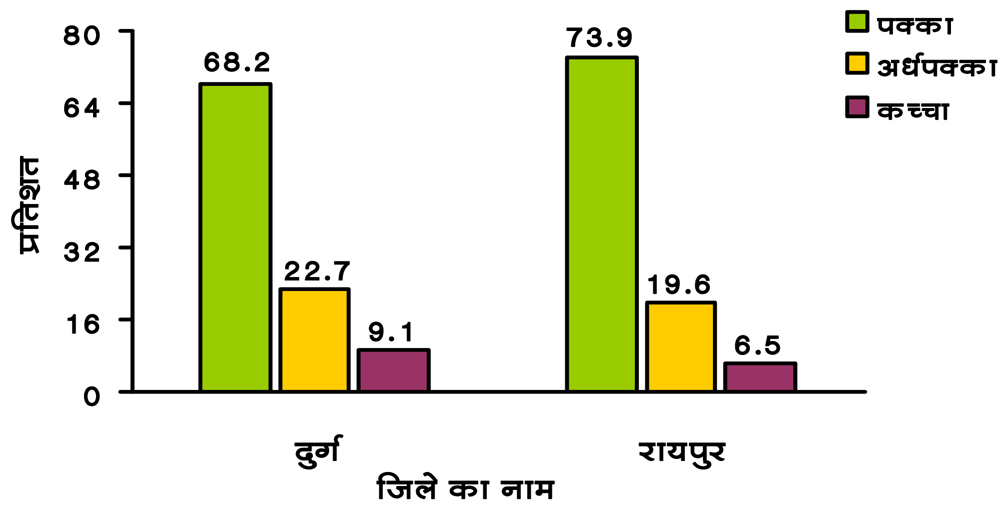

मकान का निर्माण स्वयं के द्वारा किया जाना :-

भारतीय समाज में सत्ता परम्परागत रूप से पुरूषों के हाथ में केन्द्रित रही है परिणामतः महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता बहुत कम प्राप्त रही जिसका प्रभाव उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर भी देखने को मिलता है। अध्ययनगत समूह के महिलाओं से यह ज्ञात किया गया है कि क्या उनके द्वारा आवास का निर्माण स्वयं के द्वारा किया गया अथवा उसमें पारिवारिक सदस्यों की भूमिका रही है। इसे निम्न तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया गया है:-

आरेख

मकान का निर्माण स्वयं के द्वारा किया जाना

(N = 90)

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	15	34.1	29	65.9	44	100
2.	रायपुर	16	34.8	30	65.2	46	100
योग		31	34.4	59	65.6	90	100

उपरोक्त विवेचना से ज्ञात होता है कि अधिकतर 65.6 प्रतिशत महिला पार्षदों ने बताया कि उन्होंने अपने मकान का निर्माण स्वयं नहीं किया है जबकि 34.4 प्रतिशत ने कहा है कि उन्होंने अपने मकान का निर्माण स्वयं किया है। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग की तुलना में रायपुर जिले के महिला पार्षदों द्वारा अपने मकान का निर्माण स्वयं अधिक किया गया है। जबकि दुर्ग जिले के 65.9 प्रतिशत महिला पार्षदों ने अपने मकान के निर्माण के लिए रिश्तेदारों एवं बैंक से सहयोग प्राप्त किया है।

सहयोग करने वाले सदस्य/संस्था :-

जिन महिलाओं ने आवास को स्वयं के द्वारा नहीं बनाए जाने की जानकारी दी है उनसे मकान को बनाने में जिन सदस्यों का सहयोग प्राप्त हुआ उसे भी स्पष्ट किया गया हैं जिसे निम्नांकित तालिका में देखा जा सकता है।

तालिका क्रमांक - 2.16

सहयोग करने वाले सदस्य/संस्था

(N = 59)

क्रं.	जिले का नाम	रिश्तेदारों के सहयोग		बैंक के सहयोग		अन्य सहयोग		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	26	89.7	2	6.9	1	3.4	29	100
2.	रायपुर	27	90	2	6.7	1	3.3	30	100
योग		53	89.8	4	6.8	2	3.4	59	100

तालिका से स्पष्ट है कि दुर्ग की तुलना में रायपुर जिले के महिला पार्षदों द्वारा मकान निर्माण में 90 प्रतिशत रिश्तेदारों से सहयोगअधिक लिया गया है। जबकि दुर्ग जिलें में बैंक से 6.9 प्रतिशत सहयोग अधिक लिया गया है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकतर 89.8 प्रतिशत महिला पार्षद अपने मकान के निर्माण में रिश्तेदारों से सहयोग अधिक लेते है जबकि बैंक से 6.8 प्रतिशत एवं अन्य संस्था से 3.4 प्रतिशत ही सहयोग प्राप्त करते है।

सहयोग का स्वरूप :-

जिन महिलाओं ने पारिवारिक सदस्यों तथा रिश्तेदारों से सहयोग प्राप्त होना बतलाया है उनसे सहयोग के स्वरूप को भी जानने का प्रयास किया गया जिसे निम्नांकित तालिका के माध्यम से दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 2.17

सहयोग का स्वरूप

(N = 4)

क्रं.	जिले का नाम	तैयार आवास		राशि के रूप में		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	1	50	1	50	2	100
2.	रायपुर	1	50	1	50	2	100
योग		2	50	2	50	4	100

महिला पार्षदों द्वारा अपने स्वयं के मकान निर्माण में रिश्तेदारों बैंक एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से तैयार आवास के रूप में 50 प्रतिशत एवं राशि के रूप में प्राप्त सहयोग द्वारा निर्मित आवास भी 50 प्रतिशत है।

आवास में उपलब्ध मूलभुत सुविधाएँ :-

नगरीय निकायों में व्यक्ति की मुलभूत आवश्यकताओं में आवास संबंधी सुविधाएँ महत्वपूर्ण होती है। आधुनिक आवास-व्यवस्था प्रत्येक आवास के स्थान में न्यूनतम सुविधाओं को स्वीकार करती है जिसमें पर्याप्त कमरे, हवा, पेयजल, शौचालय, स्नानघर, एवं विद्युत का समावेश होता है। यह आवास स्थान एक ऐसी कीमत पर उपलब्ध हो सके, जो औसत दर्जे का नागरिक दे सकता हो। उत्तरदाताओं से आवास संबंधी सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक - 2.18

आवास में उपलब्ध मूलभुत सुविधाएं

क्रं.	आवास संबंधी सुविधाएं	जिले का नाम								योग			
		दुर्ग				रायपुर							
		हां		नहीं		हां		नहीं		हां		नहीं	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	रसोईघर	60	96.8	2	3.2	59	98.3	1	1.7	119	97.5	3	2.5
2.	पेयजल	58	93.5	4	6.5	57	95.0	3	5.0	115	94.3	7	5.7
3.	शौचालय	59	95.2	3	4.8	58	96.7	2	3.3	117	95.9	5	4.1
4.	स्नानघर	57	91.9	5	8.1	56	93.3	4	6.7	113	92.6	9	7.4
5.	विद्युत	62	100	0	-	60	100	0	-	122	100	0	-
योग		296	95.5	14	4.5	290	96.6	10	3.3	586	96.1	24	3.9

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, दुर्ग जिले में अधिकांश उत्तरदाताओं के आवास में रसोईघर 97.5 प्रतिशत, पेयजल 94.5 प्रतिशत, शौचालय 95.9 प्रतिशत, स्नानघर 92.6 प्रतिशत, एवं विद्युत 100 प्रतिशत सुविधाएँ उपलब्ध है। इसी तरह रायपुर जिले में भी सभी उत्तरदाताओं के आवास में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है।

प्राप्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अध्ययनगत समूह की महिला पार्षदों को अपने आवास में लगभग सभी मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध है।

मकान का परिवार के आवश्यकता के अनुरूप होना :-

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गई जिसमें उनका मकान परिवार के आवश्यकता के अनुरूप पाया गया। परिवार के अन्य सदस्य सविधायुक्त मकान में निवास करते है। दुर्ग व रायपुर जिले के कुछ पार्षद किराये के मकान में रहते है, जो उनके आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 2.19

मकान परिवार के आवश्यकता के अनुरूप

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	41	66.1	21	33.9	62	100
2.	रायपुर	42	70.0	18	30.0	60	100
योग		83	68.0	39	32.0	122	100

उपरोक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि अधिकतर 68.0 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि उनके मकान आवश्यकता के अनुरूप है जबकि 32.0 प्रतिशत पार्षदों का मानना है कि उनका मकान परिवार की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग जिले के 33.9 प्रतिशत व रायपुर जिले के 30.0 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि उनके मकान परिवार के आवश्यकता के अनुरूप नहीं है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जिन पार्षदों के मकान आवश्यकता के अनुरूप नहीं है उनमें से अधिकांश पार्षद किराये के मकान में निवास करते हैं।

आवश्यकता की दृष्टि से पर्याप्त न होने का कारण :-

नगरीय निकायों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए मकान उपलब्ध करवाना बहुत कठिन हो रहा है, नगरों में न केवल आवासों का अभाव है, बल्कि प्रति व्यक्ति स्थान का भी अत्यंत अभाव है। नगरों में कई परिवार एक कमरे में रहता है, कभी-कभी 10-12 आदमी एक साथ रहते है क्योंकि शहर में कम आय में स्वयं का मकान बनाना आसान नही होता है। नगरों में किराये में वृद्धि बड़ी तीव्र गति से हो रही है, पिछले 10 वर्षो में किराये में लगभग चौगुनी वृद्धि हुई है। अतः किराये का मकान परिवार की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होता। उत्तरदाताओं से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की कई जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 2.20

आवश्यकता की दृष्टि से पर्याप्त न होने का कारण

(N = 39)

क्रं.	जिले का नाम	कारण					
		मकान किराये का है		कमरे की कमी		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	19	90.5	2	9.5	21	100
2.	रायपुर	14	77.8	4	22.2	18	100
योग		31	84.6	6	15.4	39	100

जिन 39 (32.0 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने स्वयं के मकान को आवश्यकता की दृष्टि से अपर्याप्त माना है उनमें इसके कारण को भी ज्ञात किया गया है जो कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है। जिन पार्षदों के आवश्यकतानुरूप नहीं है उनमें 84.6 प्रतिशत पार्षदों का मकान किराये का है एवं 15.4 प्रतिशत पार्षदों के मकान में कमरे की कमी है। रायपुर की अपेक्षा दुर्ग जिले के सर्वाधिक 90.5 प्रतिशत पार्षदों का मकान किराये का है जबकि रायपुर की तुलना में दुर्ग के पार्षदों के मकान में कमरे की कमी अधिक पाई गई है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिकांश पार्षद ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आते है तथा स्वयं का मकान न होने के कारण किराये के मकान में रहते हैं जो उनके परिवार के आवश्यकतानुरूप नहीं होता है। यह भी संभव है कि शहर में कम आय में स्वयं का मकान बना पाना आसान नहीं होता है। अध्ययनगत समूह के पार्षदों की वार्षिक आय भी कम है, यह एक कारण है किराये के मकान में रहने का।

घर में पेयजल की सुविधा का स्त्रोत :-

नगरों में पीने के पानी की समस्या दिनों-दिन विकराल रूप लेती जा रही है और आने वाले 50 वर्षों में तो यह और भी भीषण हो जायेगी। इस समस्या को यह रूप देने का काम जनसंख्या तो करेगी ही साथ ही पर्यावरण में आने वाला परिवर्तन इसके लिए उत्तरदायी होगें। पानी की दिन पर दिन कम होती आपूर्ति और इसकी आसमान छूती मांग के कारण लोगों को मिलने वाले पानी की सुविधा की मात्रा उत्तरदाताओं से ज्ञात करने का प्रयास किया जिसे निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 2.21

घर में पेयजल सुविधा का स्त्रोत

क्रं.	पेयजल संबंधी सुविधाएं	जिले का नाम								योग			
		दुर्ग				रायपुर							
		हां		नहीं		हां		नहीं		हां		नहीं	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	नल	40	69.0	18	31.0	45	78.9	12	21.1	85	73.9	30	26.1
2.	हैंडपम्प	10	17.2	48	82.8	5	8.8	52	91.2	15	13.0	100	87.0
3.	कुंआ	5	8.6	53	91.4	3	5.3	54	94.7	8	7.0	107	93.0
4.	बोर पम्प	3	5.2	55	94.8	4	7.0	53	93.0	7	6.1	108	93.9
योग		58	25.0	174	75.0	57	25.0	171	75.0	115	25.0	345	75.0

पेयजल की सुविधा संबंधी तालिका से स्पष्ट है कि दुर्ग जिले में अधिकतर 69.0 प्रतिशत पार्षदों ने नल, 17.2 प्रतिशत हैण्डपंप, 8.6 प्रतिशत पार्षद कुंआ व सबसे कम 5.2 प्रतिशत पार्षद बोर पम्प से पेयजल प्राप्त करते है। तथा रायपुर जिलमें सर्वाधिक 78.9 प्रतिशत नल और सबसे कम 5.3 कुंआ से पेयजल प्राप्त करते है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बहुसंख्यक महिला पार्षदों के घर में पेयजल की सुविधा का स्त्रोत नल है।

परिवार के आय का स्त्रोत :-

आय जीवन-यापन का साधन होने के साथ-साथ व्यक्ति की प्रतिष्ठा की प्रतीक है। यह भौतिक प्रसाधन एवं सेवाओं को प्राप्त करने में सहायक होती है जिससे जीवन पद्धति निर्धारित होती है। "मार्क्स के अनुसार दुनिया में आर्थिक विकास के साथ-साथ प्रतिनिधित्व का भी विकास होता है। धनवान व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने के लिए संपत्ति का सहारा लेता है।" उत्तरदाताओं के आय के स्त्रोत को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 2.22

परिवार के आय का स्त्रोत

क्रं.	जिले का नाम	नौकरी		कृषि		व्यापार		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	27	43.5	13	21.0	22	35.5	62	100
2.	रायपुर	29	48.3	9	15.0	22	36.7	60	100
योग		56	45.9	22	18.0	43	35.2	122	100

परिवार के आय संबंधी विवरण से स्पष्ट होता है कि नौकरी द्वारा अधिकतर 45.5 प्रतिशत पार्षदों को आय की प्राप्ति होती है। व्यापार से 35.2 प्रतिशत व सबसे कम कृषि से 18.0 प्रतिशत पार्षदों को आय प्राप्त होता है। दुर्ग जिले की तुलना में रायपुर जिले के पार्षद सर्वाधिक नौकरी व व्यापार द्वारा आय प्राप्त करते है। जबकि रायपुर की अपेक्षा दुर्ग के पार्षद कृषि से आय अधिक प्राप्त करते है।

आरेख

परिवार के आय का स्त्रोत

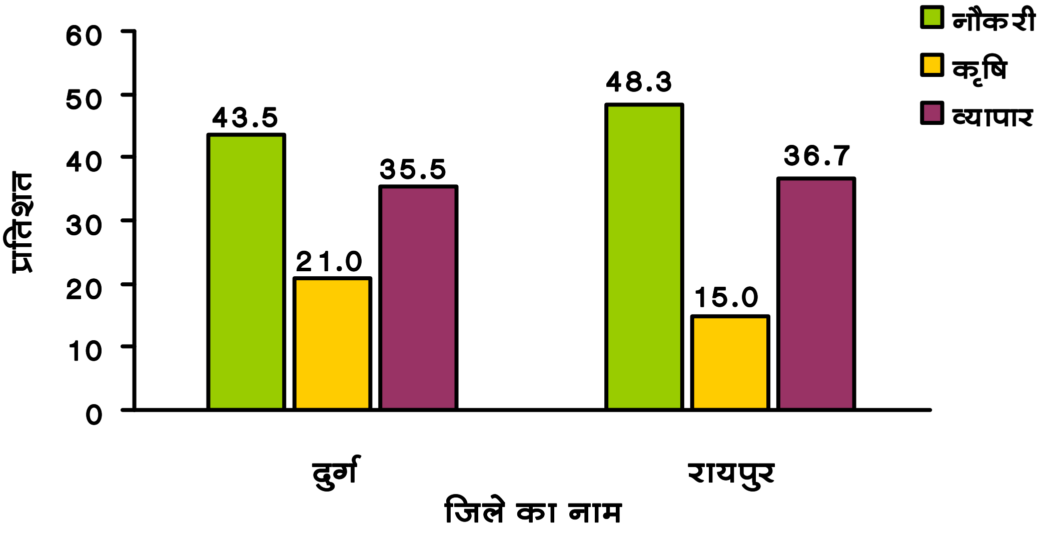

आय के स्त्रोत संबंधी विवरण से स्पष्ट है कि समुह की अधिकांश महिला पार्षदों के आय का मुख्य स्त्रोत नौकरी है अर्थात सेवारत् परिवारों की महिलाएं अन्य वर्गों की तुलना में अधिक संख्या में नगरीय निकायों में भागीदार बन रही है।

परिवार के पास भू-स्वामित्व का आकार :-

परंपरागत नेतृत्व में पारिवारिक सदस्यों की जमीन परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का निर्धारण करती है। मजुमदार (1958)[19] ने "उत्तर प्रदेश के एक गाँव का अध्ययन के आधार पर नेतृत्व के निर्धारण आधार के रूप में भू-स्वामी, सम्पत्ति, आयु, विवेक, ईमानदारी, दयालुता श्रेष्ठ परिवार को स्वीकार किया है।" इस प्रकार भू-स्वामित्व की भुमिका नेतृत्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण दिखलायी पड़ती है। भू-स्वामित्व की भूमिका नगरीय निकाय में भी नेतृत्व को निर्धारित एवं सुदृढ़ करती है। वही दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन जैसें प्रजातंत्र का विकास, सामुदायिक विकास योजना, पंचायती राज व्यवस्था, आरक्षण व्यवस्था तथा अश्पृश्यता उन्मुलन भी प्रभावशाली कारक रहे है। परिवार के पास कुल जमीन को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक - 2.23

परिवार के पास भू-स्वामित्व का आकार

क्रं.	जिले का नाम	जमीन का क्षेत्रफल (वर्गफीट में)									
		1000 से कम		1000-2000		2000-4000		4000 से अधिक		योग	
		आवृत्ति	प्रति-शत	आवृत्ति	प्रति-शत	आवृत्ति	प्रति-शत	आवृत्ति	प्रति-शत	आवृत्ति	प्रति-शत
1.	दुर्ग	12	19.4	11	17.7	13	21.0	26	41.9	62	100
2.	रायपुर	13	21.7	9	15	13	21.7	25	41.6	60	100
योग		25	20.5	20	16.4	26	21.3	51	41.8	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, अधिकतर 41.8 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि उनके पास 4000 वर्गफीट से अधिक जमीन है जबकि 1000 व 2000-4000 वर्गफीट जमीन वाले पार्षद 20.5 & 21.3 प्रतिशत एवं सबसे कम 16.4 प्रतिशत पार्षदों के पास 1000-2000 वर्गफीट से अधिक जमीन है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जिन पार्षदों के जमीन 4000 वर्गफीट से अधिक है वे पार्षदों के अन्य सदस्य नौकरी व व्यापार वाले है।

प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बहुसंख्यक वार्ड पार्षदों के पास 4000 से अधिक वर्गफीट की जमीन परिवार के पास है। यह तथ्य स्पष्ट करताहै कि समूह के महिला वार्ड पार्षदों की आर्थिक स्थिति पारिवारिक दृष्टि से बेहतर है क्योंकि नगरीय क्षेत्र में 4000 से अधिक वर्गफीट का बाजार कीमत काफी अधिक है तथा इतनी जमीन शहर में होना आर्थिक दृष्टि से मुख्य बात है।

घर में उपलब्ध घरेलु उपकरण :-

उत्तरदाताओं की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के पास घर में मुख्य घरेलु उपकरण है जिसका प्रयोग वह स्वयं के समय की बचत करने के लिए करते है ताकि वे अपना अधिक से अधिक समय अपने पार्षद पद की जिम्मेारियों का निर्वहन करने, लोगो के बीच उनकी समस्याओं को सुनने और निराकरण करने के लिए लगा सकें।

उत्तरदाताओं के पास आधुनिक सुख-सुविधा से संबंधित घरेलु उपकरण की उपलब्धता से संबंधित जानकारी से ज्ञात होता है कि रेडियों, श्वेतश्याम टेलीविजन, पंखा, टेप-रिकार्डर, ए.सी., मिक्सी आदि उपलब्ध प्रमुख साधन है जिससे वे घर के कार्य कम समय में ही खत्म कर लेती है और बाकी का समय घर से बाहर लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करने में व्यतीत करते है।

तालिका क्रमांक - 2.24

घर में उपलब्ध घरेलु उपकरण

क्रं.	घरेलु उप.	दुर्ग				रायपुर				योग			
		हां		नहीं		हां		नहीं		हां		नहीं	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	सामान्य स्टोव	32	51.6	30	48.4	31	51.7	29	48.3	63	51.6	59	48.4
2.	गैस स्टोव	50	80.6	12	19.4	53	88.3	7	11.7	103	84.4	19	15.6
3.	ओवन	14	22.6	48	77.4	11	18.3	49	81.7	25	20.5	97	79.5
4.	मिक्सी	29	46.8	33	53.2	30	50	30	50	59	48.4	63	51.6
5.	फुडप्रोसेसर/ जूसर	15	24.2	47	75.8	13	21.7	47	78.3	28	23.0	94	77.0
6.	ओ.टी.पी.	6	9.7	56	90.3	3	5	57	95	9	7.4	113	92.6
7.	फ्रिज	32	51.6	30	48.4	31	51.7	29	48.3	63	51.6	59	48.4
8.	टोस्टर	7	11.3	55	88.7	3	5	57	95	10	8.2	112	91.8
9.	सिलाई मशीन साधारण	20	32.3	42	67.7	18	30	42	70	38	31.1	84	68.9
10.	सिलाई मशीन फैशमेकर	6	9.7	56	90.3	7	11.7	53	88.3	13	10.7	109	89.3
11.	आलमारी	20	32.3	42	67.7	19	31.7	41	68.3	39	32.0	83	68.0
12.	डायनिंग टेबल	16	25.8	45	72.6	14	23.3	46	76.7	30	24.6	92	75.4
13.	फैन	48	77.4	14	22.6	47	78.3	13	21.7	95	77.9	27	22.1
14.	कुलर	54	87.1	8	12.9	53	88.3	7	12.7	107	87.7	15	12.3
15.	ए.सी.	13	21.0	49	79.0	12	20	48	80	25	20.5	97	79.5
16.	अन्य	6	9.7	56	90.3	5	8.3	55	91.7	11	9.0	111	91.0

घरेलू उपकरण संबंधी तालिका से स्पष्ट होता है कि अधिकतर 87.7 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि उनके घर में कुलर है तत्पश्चात् 84.4 प्रतिशत गैस स्टोव, 77.9 प्रतिशत फैन, एवं सबसे अधिक 94.3 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि उनके घर कुलर 12.3 प्रतिशत की सुविधा नहीं है। जिले के आधार पर देखें तो रायपुर जिले में सर्वाधिक 87.1 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि उनके घर कुलर व गैस स्टोव की सुविधा है जबकि दुर्ग जिले में सर्वाधिक 90.0 प्रतिशत कुलर तत्पश्चात 80.6 प्रतिशत गैस स्टोव पार्षदों के घर में पाया गया है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि नगरीय निकायों में वृक्षों की कमी एवं प्रदूषण अधिक होने के कारण तापमान अधिक होने के फलस्वरूप गर्मी अधिक पड़ती है जिससे निजात पाने के लिए अधिकांश मध्यमवर्गीय पार्षदों के घर में कुलर एक मुख्य उपकरण के रूप में पाया गया है। घरेलु उपकरण संबंधी विवरण से यह भी स्पष्ट होता है कि बहुसंख्यक महिला पार्षदों के घर में आधुनिक जीवन में उपयोग आने वाली ज्यादातर वस्तुएं उपलब्ध है।

घर में उपलब्ध मनोरंजन के साधन :-

अधिकांश उत्तरदाताओं के पास मनोरंजन के साधनों में टी.वी. एवं टेप अधिक मात्रा में है। जिसे निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 2.25

घर में उपलब्ध मनोरंजन के साधन

क्रं.	मनोरंजन के साधन	दुर्ग				रायपुर				योग			
		हां		नहीं		हां		नहीं		हां		नहीं	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	रेडियो	3	4.8	59	95.2	3	5.0	57	95.0	6	4.9	116	95.1
2.	टेप	13	21.0	49	79.0	12	20.0	48	80.0	25	20.5	97	79.5
3.	टी.वी. रंगीन	54	87.1	8	12.9	53	88.3	7	11.7	107	87.7	15	12.3
4.	होम थियेटर	19	30.6	43	69.4	17	28.3	43	71.7	36	29.5	86	70.5
5.	सी.डी. प्लेयर	32	51.6	30	48.4	30	50.0	30	50.0	62	50.8	60	49.2
6.	आई पॉट	8	12.9	54	87.1	8	13.3	52	86.7	16	13.1	106	86.9
7.	साधारण कैमरा	11	17.7	51	82.3	10	16.7	50	83.3	21	17.2	101	82.8
8.	विडियो कैमरा	1	1.6	61	98.4	1	1.7	59	98.3	2	1.6	120	98.4
9.	डिजिटल कैमरा	3	4.8	59	95.2	3	5.0	57	95.0	6	4.9	116	95.1

घर में मनोरंजन के संबंधी साधन से स्पष्ट होता है कि, अधिकतर 87.7 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि उनके घर रंगीन टी.वी. है जबकि 50.8 प्रतिशत ने सी.डी. प्लेयर, 29.5 प्रतिशत ने होम थियेटर, 20.5 प्रतिशत ने टेप व सबसे कम 1.6 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि उनके घर विडियों कैमरा है दोनों ही जिलों के पार्षदों के घर में रेडियों, आई. पॉड, विडियो कैमरा एवं डिजिटल कैमरा समान मात्रा में पाया गया है जबकि टेप, होम थियेटर, सी.डी. प्लेयर एवं साधारण कैमरा, रायपुर के पार्षदों की तुलना में दुर्ग के पार्षदों के घर अधिक पाया गया।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, अधिकांश महिला पार्षदों के घर रंगीन टी.वी. है जिसका प्रमुख कारण है यह सस्ता होने के साथ-साथ आकर्षक भी होता है। इसका एक अन्य पहलू यह भी है कि आज के दौर में राजनीतिक प्रतिनिधि होने के कारण तथा अपना प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए मनोरंजन के आधुनिक साधनों का घर में होना स्वयं के नहीं वरन समुदाय की दृष्टि से आवश्यक माना जाता है इसके अतिरिक्त आवश्यकता न होने पर भी हम समाज में अपनी साख बताने के लिए उन वस्तुओं का क्रय करते है।

घर में कम्प्यूटर होना :-

नगरीय निकायों में अधिकांश महिला पार्षद उच्च शिक्षा प्राप्त है। कामकाजी महिलाओं में इनके प्रति सजगता अधिक रहती है। कम्प्यूटर के द्वारा वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेती है जो उनके क्षेत्र के लिए भी उपयोगी होती है। नगरीय निकायों में जिन लोगों के घर कम्प्यूटर है वे नौकरी पेशा है तथा जिनके यहाँ नहीं है वे इसकी अधिक आवश्यकता महसूस नहीं करती। जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका कमांक - 2.26

घर में कम्प्यूटर होना

क्रं.	जिले का नाम	कम्प्यूटर होना					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	26	41.9	36	58.1	62	100
2.	रायपुर	23	38.3	37	61.7	60	100
योग		49	40.2	73	59.8	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि आधे से अधिक 59.8 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि उनके घर कम्प्यूटर नहीं है जबकि 40.2 प्रतिशत ने बताया है कि उनके घर कम्प्यूटर है। नगरीय निकायों में देखें तो रायपुर की तुलना में दुर्ग के पार्षदों के घर कम्प्यूटर अधिक पाया गया है।

प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि, बहुसंख्यक महिला पार्षदों के घर में कम्प्यूटर नहीं है। सामान्य चर्चा में उत्तरदाताओं ने यह बताया है कि घर में इसकी आवश्यकता नहीं है, कुछ ने कहा कि बच्चे अभी छोटे है और स्वयं भी चलाना नहीं जानते इसलिए नहीं रखे है जबकि जिन लोगों के घर में कम्प्यूटर है उनमें से अधिकांश नौकरी पेशा और व्यावसायी है।

टेलीफोन की सुविधा :-

पंचायती राज व्यवस्था तथा नगरीय निकाय में नेतृत्व करने वाले अधिकांश महिला पार्षदों के पास टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि टेलीफोन की जगह वे मोबाईल फोन का उपयोग करती है। मोबाईल से वे कहीं पर भी रहने पर लोगों की समस्याओं, शिकायतों को सुन सकते है तथा अधिक बिल भुगतान से भी बचे रहते है क्योंकि मोबाईल टेलीफोन की अपेक्षा सस्ता है। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गई जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 2.27

घर में टेलीफोन सुविधा

क्रं.	जिले का नाम	टेलीफोन की सुविधा				योग	
		हाँ		नहीं			
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	22	35.5	40	64.5	62	100
2.	रायपुर	17	28.3	43	71.7	60	100
योग		37	32.0	83	68.0	122	100

उत्तरदाता के घर में टेलीफोन सुविधा से संबंधित अध्ययन से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 68.0 प्रतिशत पार्षदों के घर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है जबकि 32.0 प्रतिशत पार्षदों के घर ही टेलीफोन की सुविधा है। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग की तुलना में रायपुर जिले के पार्षदों के पास टेलीफोन की सुविधा अधिक नहीं है इसका प्रमुख कारण है कि टेलीफोन की अपेक्षा मोबाईल सस्ती एवं सुविधाजनक होती है जिसके कारण टेलीफोन का उपयोग कम किया जाता है।

जिन पारिवारिक सदस्यों के पास मोबाईल है उसका विवरण :-

नगरीय निकायों में वार्डवासियों की समस्याओं को जानने तथा समय-समय पर ली जाने वाली बैठकों की सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए परिवार के सदस्यों और उत्तरदाताओं के पास मोबाईल की सुविधा उपलब्ध है जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 2.28

पारिवारिक सदस्यों के पास मोबाईल

(N = 308)

क्रं.	जिले का नाम	पारिवारिक सदस्यों के पास मोबाईल है									
		स्वयं		पति		बेटा		बेटी		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	56	90.3	50	80.6	39	62.9	11	17.7	156	100
2.	रायपुर	56	93.3	49	81.7	36	60.0	9	15.0	150	100
योग		112	91.8	99	81.1	75	61.5	20	16.4	306	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकतर 91.8 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि उनके स्वयं के पास मोबाईल अधिक है तत्पश्चात् पति के पास 81.1 प्रतिशत, बेटे के पास 61.5 प्रतिशत एवं सबसे कम परिवार के अन्य सदस्यों के पास 16.4 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि रायपुर की अपेक्षा दुर्ग के महिला पार्षदों के परिवार में पति, बेटा एवं बेटी के पास मोबाईल की सुविधा है एवं दोनों ही जिलों के महिला पार्षदों के पास मोबाईल की सुविधा उपलब्ध है।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि वार्डवासियों के समस्याओं को जानने, बैठकों के सूचनाओं की जानकारी एवं वार्डवासियों के समस्याओं के निराकरण के लिए यह एक महत्वपूर्ण साधन है।

आरेख

पारिवारिक सदस्य जिनके पास मोबाईल है

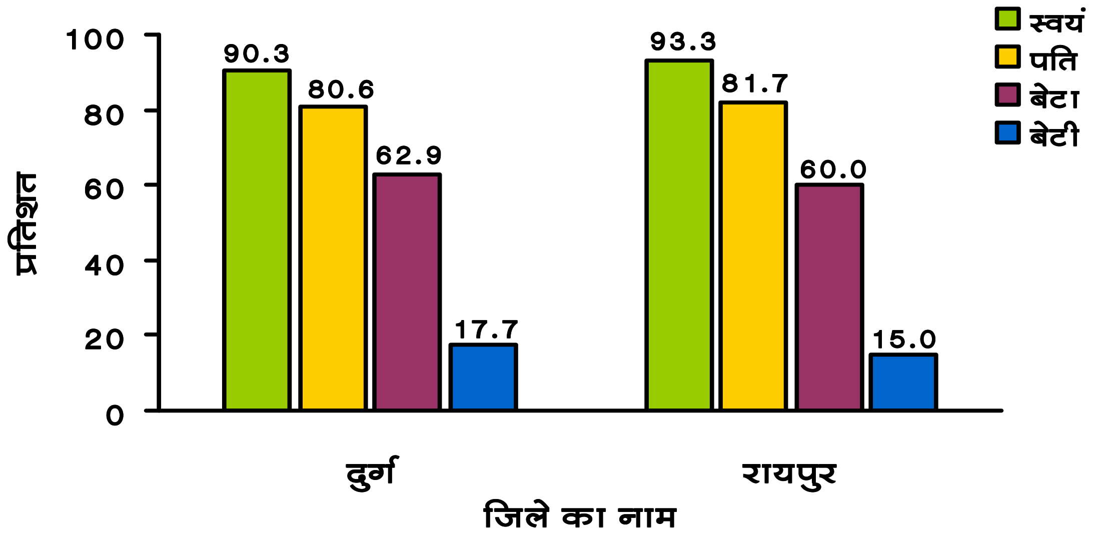

स्वयं अथवा पारिवारिक सदस्य के पास वाहन होना :-

महिला पार्षदों के परिवारों में पति तथा अन्य सदस्यों में स्वयं के वाहन उपलब्ध है। जिसके द्वारा वह वार्ड की समस्याओं का अवलोकन समय-समय पर करते रहते है परिवार के पास स्वयं के वाहन संबंध जानकारी प्राप्त की गई जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 2.29

स्वयं अथवा पारिवारिक सदस्य के पास वाहन होना

(N = 192)

क्रं.	जिले का नाम	वाहन का विवरण									
		स्वयं		पति		बेटा		बेटी		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	23	37.1	43	69.4	24	387	7	11.3	97	100
2.	रायपुर	23	38.3	44	73.3	23	38.3	5	8.3	95	100
योग		46	37.7	87	71.3	47	38.5	12	9.8	192	100

महिला पार्षदों के पास स्वयं वाहन संबंधी अध्ययन से ज्ञात होता है कि अधिकतर 71.3 प्रतिशत वाहन उनके पति के पास तत्पश्चात् 38.5 प्रतिशत बेटे के पास व 37.7 प्रतिशत स्वयं के पास एवं सबसे कम 9.8 प्रतिशत परिवार के अन्य सदस्यों के पास है। तुलनात्मक रूप से देखें तो रायपुर की अपेक्षा दुर्ग जिले के महिला पार्षदों के बेटा एवं बेटी के पास स्वयं का वाहन अधिक है। जबकि दुर्ग की तुलना में रायपुर में पति एवं परिवार के अन्य सदस्यों के पास वाहन अधिक है।

उत्तरदाताओं का करदाता होना :-

दोनों ही नगरीय निकायों में एक भी पार्षद ऐसे नहीं है जिन्होंने कर दिया हो अर्थात अध्ययनगत समूह के समस्त महिला पार्षद कर के दायरे में नहीं आते हैं। इसका कारण उनकी आय का कर योग्य नहीं होना है।

संदर्भ

1. Maciver, R.M., & Page (1985); Society, p. 212.
2. Stewart & Glynn (1995); Introduction to Sociology, p. 31.
3. Mead, G.H. (1955); On the Self Philospհy and Pehnomenological Research, 15, p. 320-331.
4. Opler, M. (1959); Factors of Tradition and Change in a Local Election, in Leadership and Political Institution in India, Opcit, p231.

5. Bernard, S. Cohn (1965); Anthropological notes on dispute law in India. American Anthropologist, Vol 67, Dec, p. 87.

6. Roy, Pradipto (1967); The characteristics of emergent leader in L.P. Vidyarthi (ed.), Leadership in India Publicity House, Bombay, p. 294.

7. Jadeja, Y.D. (1964); Trends in village leadership in three villages at Gujrat. Khadigramodyog, Vol. 10, No. 9, p. 202-204.

8. **कैथलीन, गोह (1973); तंजोर के एक ग्राम की सामाजिक संरचना, सन्दर्भित, मैकिम मेरियर, ग्रामीण भारत राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृ. 45.**

9. Sharma, K.L. (1974); The changing rural stratification system, Orient Longman Limited, p. 55.

10. Malinowski, B. (1948); Magic, Science and Religion and other Essays, Glance, p. 24.

11. Kapadia, K.M. (1966 & 1972); Marriage and family in india. Oxford University Press, Delhi, p. 77-79.

12. Alport (1924); Social Psychology House, New York, p. 133.

13. Dubey, S.C., & Levis, A. (1958); Village life in Northern India Urban University, Illinois Press, p. 113.

14. Pramila, Kapoor (1970); The changing role and status of women, Starling Publication, New Delhi, p. 6.

15. Harjinder Singh (1968); Success of Village leadership and analysis. Journal of Social Research, Vol. 10, p. 1.

16. Shiv Kumar S.N. (2000); Age from the Alpuzha District of Kerala. The findings Hindu and Christian women have higher age of marriage and lower fertility than the muslim, ijsw.issuedos,assoc()cea. c84894dindoc.

17. Bedalman, T.O. (1959); A comparative analysis of the Jajmani System. New York: Monograph of the Association for Asian Study, p. 18-19

18. Bailly & Majumdar (1957); Cast and the economic frontier. Manchester University Press.

19. Majumdar, D.N. (1958); Cast and communication in an Indian village, New York: Asis Publishing House, p. 191-214.

अध्याय - तृतीय

उत्तरदाताओं का राजनीतिक समाजीकरण

अध्याय – तृतीय

उत्तरदाताओं का राजनीतिक समाजीकरण

राजनीतिक समाजीकरण विकासात्मक प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का एक क्रम है जिसकी उत्पत्ति समाज में व्यक्ति की एक-दूसरे से अन्तःक्रिया द्वारा होती है यह प्रक्रिया बचपन से आरम्भ होकर जीवन-पर्यन्त चलती है। द्वितियक समूहों के माध्यम से परिवर्तित व परिमार्जित होती है। राजनीतिक अनुभव, नेताओं से सम्बन्ध, मतदान में सहभागिता, कानूनों का पालन, आन्दोलनों में सहभागिता, विधानमण्डलीय भूमिका, चुनाव के समय आश्वासन, निर्वाचनीय सम्बन्ध आदि राजनीतिक सामाजीकरण के अभिकरण है।

राजनीति समाजीकरण की प्रक्रिया का अंश मात्र है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति स्वयं को समाज का सक्रिय सदस्य बनाता है यह सीखने की ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है इस अर्थ में राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति में राजनीतिक पदों, परिस्थितियों आदि के चयन, निर्णय एवं मूल्यांकन करने की क्षमता का विकास होता है।

ग्रीन स्टेन (1980)[1] ने "राजनीतिक समाजीकरण को सीमित एवं व्यापक दो अर्थों में प्रस्तुत किया है, प्रथम राजनीतिक समाजीकरण अनुदेश-अभिकरणों के माध्यम से जिन्हे औपचारिक रूप से यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है। राजनीतिक सूचना, मूल्यों एवं व्यवहार का विमर्शपूर्वक अर्न्तनिवेशन है तथा दूसरे अर्थ में जीवन को प्रत्येक अवस्था में औपचारिक एवं अनौपचारिक तथा नियोजित एवं अनियोजित, सभी राजनीतिक सीख सम्मिलित है और इसमें सुस्पष्ट राजनीतिक सीख, सामाजिक मनोवृत्तियों एवं व्यक्तित्व गुणों को प्राप्त करना समाहित है। "

स्टेवर्ट (1995)[2] ने अपने अध्ययन में कहा है कि "सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण में सके व्यवहार को आकृति प्रदान करने लगता है।"

राजनीतिक व्यक्तियों के समाजशास्त्रीय अध्ययन में उनके राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि इससे नेतृत्व विकास के कारकों का पता चलता है।

वर्मा एस.पी. (1986)[3] ने भारत में चुनाव एवं राजनीतिक जागरूकता विषय पर अध्ययन किया तथा अध्ययन में क्रमगत बढ़ती हुई राजनीतिक जागरूकता को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख आधार माना है।

गैबरील[4] ने अपने राजनीतिक समाजीकरण संबंधी अध्ययन में पाया कि समाज का तीव्रता से राजनीतिक समाजीकरण हो रहा है अधोसंरचनात्मक क्षेत्रीय विकास एवं लोगों के जीवन स्तर के गुणात्मक विकास का आधार भी राजनीतिक परिस्थितियाँ होती है। अपने अध्ययन में पाया कि अन्य क्षेत्रों की तुलना उन क्षेत्रों में निर्माण एवं विकास का कार्य तेजी से होता है जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति होते है।

वासेल मर्फी, फिशर आदि (1953)[5] ने अपने राजनैतिक समाजीकरण के अध्ययन में पाया कि जैसे-जैसे बच्चे बढ़ते जाते है वे परिवार के प्रभावों से दूर हटते जाते है तथा उन पर दल, दबाव समूह, टी.वी., सिनेमा, क्लब आदि का प्रभाव बढ़ता जाता है। राजनीतिक व्यक्तियों के समाजशास्त्रीय अध्ययन से उनके राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन अत्यंत्र महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि इससे नेतृत्व विकास के कारकों का पता चलता है अतः इस तृतीय अध्याय में महिला पार्षदों के राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन प्रस्तुत किया है।

राजनीति के प्रति रूझान :-

जीवन की प्रत्येक अवस्था में औपचारिक एवं अनौपचारिक तथा नियोजित एवं अनियोजित, सभी राजनीतिक सीख सम्मिलित है और इसमें सुस्पष्ट राजनीतिक सीख, सामाजिक मनोवृत्तियां एवं व्यक्तित्व गुणों को प्राप्त करना समाहित है। राजनीतिक व्यक्तियों के समाजशास्त्रीय अध्ययन में उनके राजनैतिक समाजीकरण का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि इससे नेतृत्व विकास के कारकों का पता चलता है। राजनीतिक गुणों एवं व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहते है। उत्तरदाताओं के राजनीति के प्रति रूझान का अध्ययन किया गया जिसमें ये जानने का प्रयास किया गया कि इन राजनीतिक अभिकरणों में कौन से अभिकरण का प्रभाव उन पर पड़ा।

उत्तरदाताओं का राजनीति के प्रति रूझान आने के कारण को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 3.1

राजनीति के प्रति रूझान

क्रं.	राजनीति के प्रति रूझान का स्रोत	जिले का नाम								योग			
		दुर्ग				रायपुर							
		हां		नहीं		हां		नहीं		हां		नहीं	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	राजनीतिक समाचारों से	13	21.1	49	79.1	13	21.7	47	78.3	26	21.3	96	78.7
2.	आन्दोलन में भाग लेने से	1	1.6	61	98.4	0	-	60	100.0	1	0.8	121	99.2
3.	किसी राजनीतिक संगठन में जुड़ने से	16	25.8	46	74.2	18	30.0	42	70.0	34	27.9	88	72.1
4.	परिवार में राजनीतिक व्यक्ति होने से	32	51.6	30	48.4	28	46.7	32	53.3	60	49.2	62	50.8
	योग	62	25.0	186	75.0	59	24.6	181	75.4	121	24.8	367	75.2

राजनीति के प्रति रूझान संबंधी तालिका से स्पष्ट होता है कि अधिकतर 49.2 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में होने के कारण उनके मन में राजनीति के प्रति रूझान आई। जबकि सबसे कम 0.8 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि आन्दोलनों में भाग लेने से उनके मन में राजनीति के प्रति इच्छा उत्पन्न हुई है। उल्लेखनीय है कि दोनों ही नगरीय निकायों में 21.3 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि राजनीतिक समाचारों से उनके मन में रूझान आयी है जबकि 78.7 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि राजनीति में रूची समाचारों से नहीं आयी है। इसी प्रकार 99.2 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि राजनीति के प्रति रूझान आन्दोलन में भाग लेने से नहीं आयी है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सर्वाधिक महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्य राजनीति से जुड़े होने के कारण इससे संबंधित चर्चाएं घर पर होती रहती है जिसका प्रभाव आवश्यक रूप से परिवार के सदस्यों पर पड़ता है।

विद्यार्थी जीवन में विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी :-

राजनीतिक समाजीकरण के विभिन्न अभिकरण है जैसे परिवार, शिक्षण संस्थाएँ, मित्र-मंडली, पड़ौस, कामगार समूह तथा संचार के माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र आदि।

विद्यार्थी के राजनीतिक समाजीकरण में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बच्चे परिवार से शिक्षण संस्थाओं में आते है, वहां उन्हे राजनीतिक सीख के अनके औपचारिक अवसर प्राप्त होते है। अच्छी शिक्षण संस्थाएँ आदर्शो, विश्वासों, मूल्यों एवं मानकों का उपार्जन करती है। आल्मण्ड (1965)[6] ने "सिविक कल्चर से संबंधित अपने अनुमानिक अध्ययन

में स्कुल संबंधी निर्णयों में बच्चों की सहभागिता के चरों का विश्लेषण किया तो पाया कि इन बच्चों की सहभागिता एवं क्षमताबोध की प्रकृति सर्वेक्षण किए जाने वाले पांच देशों में लगभग एक समान है। बच्चों के राजनीतिक रूझान को निर्धारित करने में स्कूल की भूमिका का अत्यधिक महत्व होता है। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की नवीन राजनीतिक विचारधाराओं का प्रभाव विभिन्न राजनीतिक दलों पर पड़ता है।" विद्याथी जीवन में गतिविधियों में भागीदारी को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 3.2

विद्यार्थी जीवन में विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी

क्रं.	गतिविधियां	जिले का नाम								योग			
		दुर्ग				रायपुर							
		हां		नहीं		हां		नहीं		हां		नहीं	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	परिवार में राजनीतिक चर्चा	40	64.5	22	35.5	31	51.7	29	48.3	71	58.2	51	41.8
2.	मित्रों से राजनीतिक चर्चा	10	16.1	52	83.9	11	18.3	49	81.7	21	17.2	101	82.8
3.	सामाजिक कार्यकर्ता	19	30.6	43	69.4	15	25.0	45	75.0	34	27.9	88	72.1
4.	राजनीतिक कार्यकता	5	8.1	57	91.9	3	5.0	57	95.0	8	6.6	114	93.4
योग		74	29.8	174	70.2	60	25.0	180	75.0	134	27.5	354	72.5

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकतर 58.2 प्रतिशत पार्षद विद्यार्थी जीवन में परिवार के राजनीतिक चर्चा में भाग लेते थे, तत्पश्चात 27.9 प्रतिशत सामाजिक कार्यकर्ता, तत्पश्चात 17.2 प्रतिशत मित्रों से राजनीतिक चर्चा एवं सबसे कम 6.6 प्रतिशत राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे। दोनों ही नगरीय निकायों में महिला पार्षद विद्यार्थी जीवन में सर्वाधिक परिवार के राजनीतिक चर्चा में भाग लेते थे इसके विपरीत 93.4 प्रतिशत पार्षद राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य नहीं करते थे इसका प्रमुख कारण है कि विद्यार्थी जीवन में पार्षद घरेलु कार्य एवं शिक्षा के कारण परिवार के साथ राजनीतिक चर्चा में भाग तो लेते थे किन्तु कार्यकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर पाते थे।

परिवार के सदस्य का राजनीतिक पद पर होना :-

नगरीय निकायों में परम्परागत रूप से नेतृत्व को निर्धारित एवं नियंत्रित करने में कुछ विशिष्ट परिवारों की भूमिका प्रभावशाली होती थी क्योंकि नेता वही व्यक्ति बनता था जिसके परिवार

के सदस्य नेतृत्व का संचालन करते थे परन्तु आज नेतृत्व परिवार के सदस्य होने या न होने का प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि लोगों के बीच उनकी स्वच्छ छवि एवं लोकप्रियता के कारण नेतृत्व सौंपा जाता है। यह बात रंगनाथ (1967)[7] के अनुसार "जमींदारी उन्मुलन ने सामान्य ग्रामीणों को जमींदारी पर उनकी निर्भरता से मुक्त किया सहकारी समितियां ने उन्हे सहायता प्राप्ति के लिए भू-स्वामियों का विकल्प प्रस्तुत किया, वही राजनीतिक दलों ने राजनीति के क्षेत्र में जागरूकता एवं विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की।" (रंगनाथ, पेज नं. 267-276)

परिवार के सदस्य किसी राजनीतिक पद पर आसीन रहे है अथवा नहीं संबंधी तथ्यों को निम्न तालिका में स्पष्ट किया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 3.3

राजनीतिक पदों पर परिवार के अन्य सदस्य की स्थिति

क्रं.	जिला का नाम	राजनीतिक पद													
		पंच		सरपंच		पार्षद		महापौर		केवल सदस्य		नहीं		योग	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	दुर्ग	1	1.6	6	9.6	13	21.0	0	-	21	33.9	21	33.9	62	100
2.	रायपुर	2	3.3	5	8.4	12	20.0	0	-	21	35.0	20	33.3	60	100
योग		3	2.5	11	9.0	25	20.5	0	-	42	34.4	41	33.6	122	100

तालिका से ज्ञात होता है कि, महिला पार्षदों के 34.4 प्रतिशत पारिवारिक सदस्य केवल राजनीतिक दल के सदस्य है तत्पश्चात् पार्षद 20.5 प्रतिशत, सरपंच 9.0 प्रतिशत एवं सबसे कम पंच 2.5 प्रतिशत है जबकि महापौर के पद पर एक भी सदस्य आसीन नहीं रहे है सर्वाधिक 33.6 प्रतिशत पारिवारिक सदस्य किसी भी राजनीतिक पद पर आसीन नहीं है। जिले के आधार पर देखे तो रायपुर की तुलना में दुर्ग के महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्य सरपंच 9.6 प्रतिशत, पार्षद 21.0 प्रतिशत के पद पर अधिक रहे है जबकि रायपुर में पंच 3.3 प्रतिशत, राजनीतिक दल का सदस्य 35.0 प्रतिशत अधिक है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्य किसी भी पद पर आसीन नहीं रहे है और जिन महिला पार्षदों के सदस्य किसी राजनीतिक पद पर आसीन रहे है वे केवल राजनीतिक दल के सदस्य ही रहे है क्योंकि राजनीतिक दल के सदस्य होने के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती है। जिसके कारण इसकी सदस्य संख्या अधिक है।

आरेख

राजनीतिक पदों पर परिवार के अन्य सदस्य की स्थिति

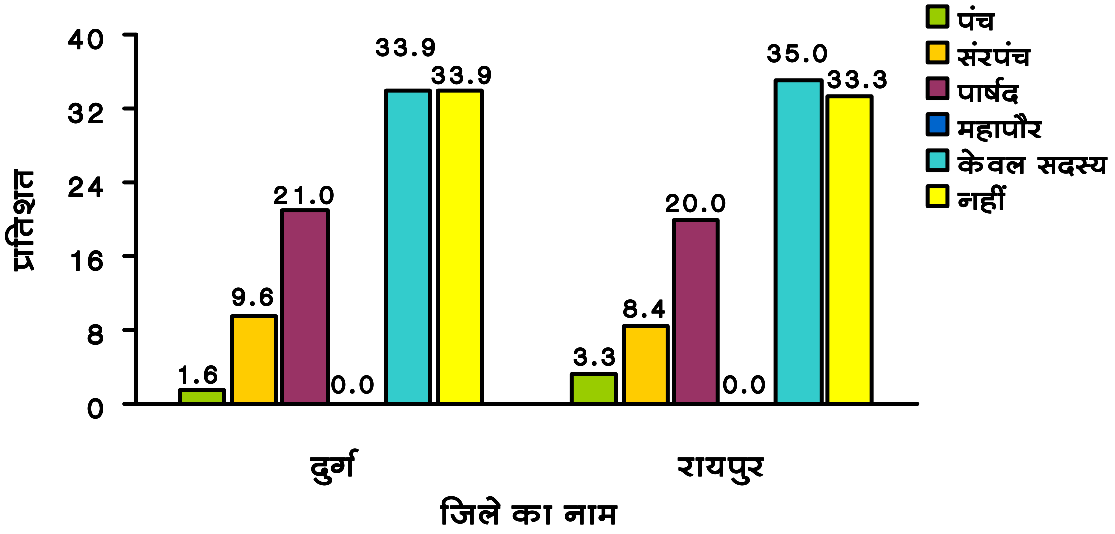

किसी राजनीतिक दल से सम्बद्धता :-

सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया ने ग्रामों में राजनीतिक गतिविधियों को तीव्रता प्रदान की है। जिसके कारण आज लोगों में राजनीतिक भागीदारी एवं जागरूकता बढ़ती जा रही है और लोग विभिन्न राजनीतिक दलों उनके संगठनों, आदर्शों, नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति अधिकाधिक जागरूक होते जा रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् राजनीतिक संरचनाओं या राजनीतिक दलों में नये आधुनिक मूल्यों का समावेश हुआ है जिसके फलस्वरूप सभी स्तर के लोगों की राजनैतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। रेड्डी तथा शेषाद्रि (1972)[8] के अध्ययन में भी "ज्यादातर नेता किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य थे। आधुनिकीकरण तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना ने परम्परागत तथा चमात्कारिक शक्ति वाले नेतृत्व के प्रति लोगों के विश्वास को काफी हद तक कम किया है। ग्रामीण भारत में ग्राम स्वराज्य के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होने से ग्रामवासियों में नेतृत्व करने की प्रवृत्ति एवं जागरूकता में वृद्धि हुई है यही कारण है कि आज ग्रामों में प्रायः प्रत्येक राजनीतिक दलों के सदस्यों एवं समर्थकों की बहुतायत संख्या दिखाई पड़ती है। ग्राम स्तर की राजनीति से ही उभरकर अनेक नेता केन्द्र एवं राज्य स्तर की राजनीति के केन्द्र बिन्दु बने है।" मायनर वीनर (1967)[9] का कहना है कि कांग्रेस नेता ग्रामीण समुदाय के सभी सार्वजनिक और व्यक्तिगत संस्थाओं में सक्रिय है और वोट शक्ति का खुला प्रदर्शन करते हैं।" सिंह राजेन्द्र (1978)[10] ने "उत्तरप्रदेश में बस्ती जिले के ग्रामों में हुए दो कृषक आंदोलनों का वर्णन किया है। जिसमें राजनीतिक दलों की भागीदारी स्पष्ट होती है।

एक तो सन् 1946 का निजाई बोल आंदोलन।" एलन बील्स (1956)[11] ने भी अपने अध्ययन में यह पाया है कि "ग्रामवासियों का विश्वास दलबन्दी शक्तिशाली नेतृत्व पर अधिक होता है।"

रेड्डी तथा शेषाद्री (1974)[12] तथा नर्वदेश्वर राय (1974)[13] "आदि के अध्ययनों में भी ज्यादातर नेता किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य थे। आधुनिकीकरण तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना ने परम्परागत तथा चमात्कारिक शक्ति वाले नेतृत्व के प्रति लोगों के विश्वास को काफी हद तक कम किया है। है। यही कारण है कि आज ग्रामों में प्रायः प्रत्येक राजनीतिक दलों के सदस्यों एवं समर्थकों की बहुतायत संख्या दिखाई पड़ती है।"

भारतीय राजनीति में बहुदलीय व्यवस्था है दलों से संबंधित लोगों की अपनी विचारधारा होती है वे अपने दलो की नितीयों एवं कार्यक्रम का संचालन करते है। दलों के क्षेत्रगत एवं जाति भी आधार होते है। नगरीय निकाय के चुनाव मं दलीय आधार पर लड़े जाते है ऐसी स्थित में पार्षद और महापौर के लिए चुनाव लड़ने वाले अधिकांश प्रत्याशी किसी न किसी दल के सदस्य अवश्य होते हैं। प्रस्तुत अध्ययन के समूह के उत्तरदाताओं के किसी राजनीतिक दल से सम्बद्धता की स्थिति को ज्ञात किया गया है जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट है :-

तालिका क्रमांक - 3.4

राजनीतिक दल से सम्बद्धता

क्रं.	जिले का नाम	राजनीतिक दल							
		कांग्रेस		भाजपा		निर्दलीय		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	25	40.3	29	46.8	8	12.9	62	100
2.	रायपुर	25	41.7	31	51.6	4	6.7	60	100
योग		50	41.0	60	49.2	12	9.8	122	100

तालिका से स्पष्ट है कि, अधिकतर 49.2 प्रतिशत महिला पार्षद भाजपा से, 41.0 प्रतिशत कांग्रेस एवं सबसे कम निर्दलीय 9.8 प्रतिशत दल से जुड़े है। नगरीय निकायों के आधार पर देखें तो दोनों ही जिलों में 40.3 प्रतिशत कांग्रेस से एवं भाजपा से दुर्ग में 46.8 प्रतिशत व रायपुर में 51.6 प्रतिशत इस दल से जुड़े है। जबकि निर्दलीय दल में रायपुर जिले के 6.7 प्रतिशत की तुलना में दुर्ग जिले के 12.9 प्रतिशत महिला पार्षद अधिक सम्मिलित है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश महिला पार्षद भाजपा से जुड़े हुए है। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की ही सरकार है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी के प्रति रूझान होना स्वाभाविक है।

आरेख

राजनीतिक दल से सम्बद्धता

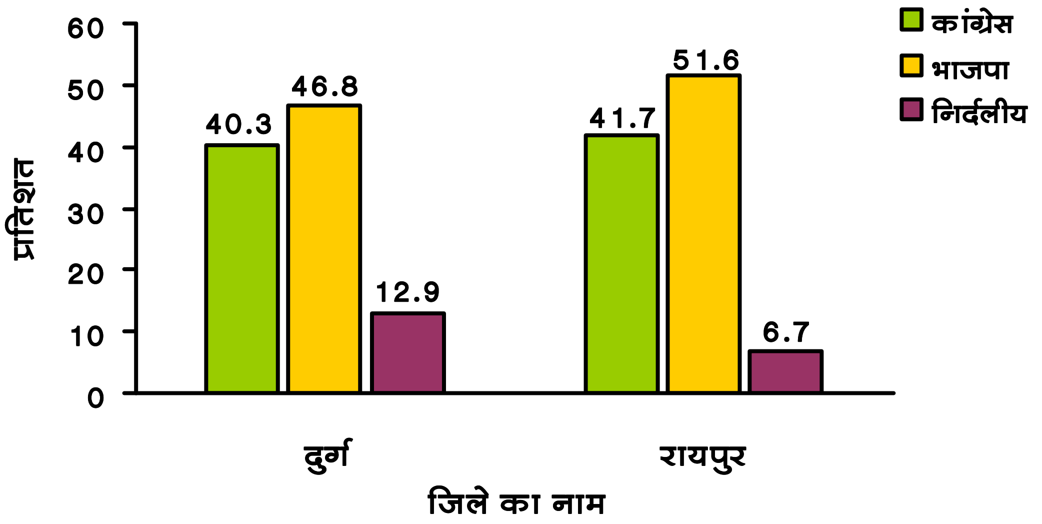

दल विशेष से जुड़ने के कारण :-

सक्रिय राजनीति में दलीय संबंध अनिवार्य से प्रतीत होते हैं। राजनीति में कार्यों को करने, करवाने एवं अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए दलीय संबंध की उपयोगी एवं सार्थक भूमिका होती है। नेताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि, वे किन कारणों से राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं जिस व्यक्ति की राजनीति में रूची होती है वह किसी भी दल की सदस्यता किसी न किसी कारण से लेता है किसी को दल की नीति अच्छी लगती है तो किसी को उसके प्रयास या किसी दल में राष्ट्रीय नेता का मशहूर होना भी कारण हो सकता है। उत्तरदाताओं के दल विशेष से जुड़ने के कारण राजनीतिक नेताओं से प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त होना ताकि विकास एवं कल्याण हेतु पर्याप्त धनराशी स्वीकृत हो जाये।

रेड्डी तथा शेषाद्री (1972)[8] तथा नर्मदेश्वर राय (1979)[13] "आदि के अध्ययनों में भी ज्यादातर नेता किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य थे।"

मायरन वीनर (1962)[14] का मत है कि "कांग्रेस नेता ग्रामीण समुदाय के सभी सार्वजनिक और व्यक्तिगत संस्थाओं में सक्रिय है वोट शक्ति का खुला प्रदर्शन करते है।"

इस विषय में अध्ययनगत समूह के उत्तरदाताओं की स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 3.5

दल विशेष से जुड़ने का कारण

क्रं.	जिले का नाम	कारण					
		राजनीतिक सक्रियता		सामाजिक कार्य		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	30	48.4	32	51.6	62	100
2.	रायपुर	28	46.7	32	53.3	60	100
योग		58	47.5	64	52.5	122	100

दल विशेष से जुड़ने के कारण संबंधी विश्लेषण से स्पष्ट है कि, 52.5 प्रतिशत पार्षद सामाजिक कार्य एवं 47.5 प्रतिशत पार्षद राजनीतिक सक्रियता के कारण दल से जुड़े है। जिले के आधार पर देखें तो रायपुर की तुलना में दुर्ग में 48.4 प्रतिशत पार्षद राजनीतिक सक्रियता के कारण दल विशेष से जुड़े है। जबकि रायपुर जिले के 53.3 प्रतिशत पार्षद सामाजिक कार्य से अधिक जुड़े है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सर्वाधिक पार्षद सामाजिक कार्य के कारण दल से जुड़े हुए है क्योंकि निवासियों की समस्याओं का निराकरण समय पर कर सके। राशन कार्ड निर्माण, रोजगार भत्ता इत्यादि सामाजिक कार्य पार्षदों के भूमिका के अनुरूप होते है जिसके कारण वे दल विशेष से जुड़ते है।

आरेख

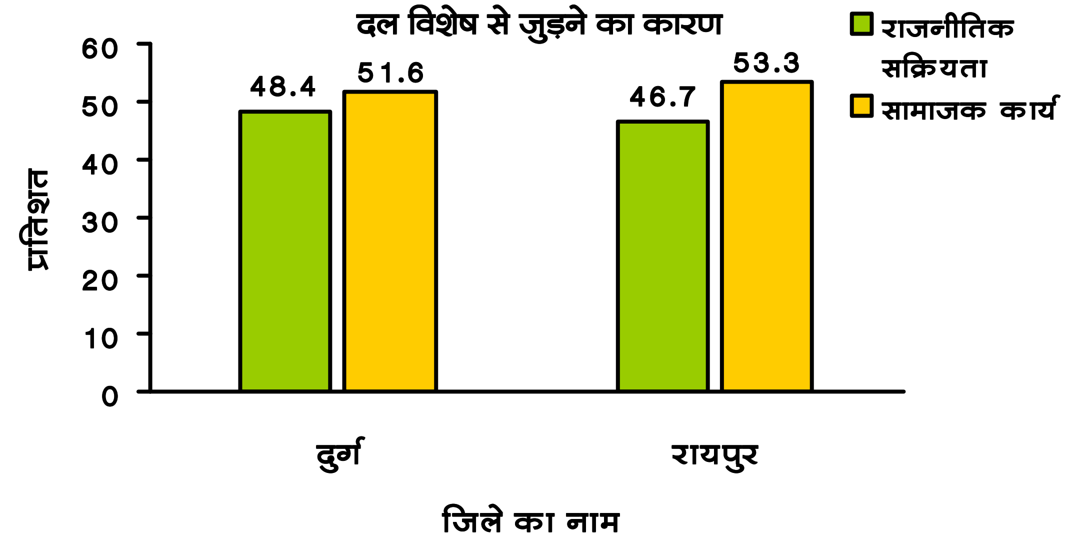

राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में पद प्राप्त होना :-

राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में किसी पद को प्राप्त करना इस दल के सदस्य की महत्वकांक्षा होती है। अध्ययन क्षेत्र के नगरीय निकायों के वार्ड पार्षदों से भी इस विषय में जानकारी

ली गयी है कि क्या उन्हे अपने राजनीतिक दल में किसी प्रकार का कोई पद प्राप्त है अथवा नहीं इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका क्रमांक - 3.6

वर्तमान में दल के सदस्य के रूप में प्राप्त पद

क्रं.	जिले का नाम	पद प्राप्त होना					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	24	38.7	38	61.3	62	100
2.	रायपुर	23	38.3	37	61.7	60	100
योग		47	38.5	75	62.5	122	100

वर्तमान में 38.5 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि वे किसी दल के सदस्य है जबकि 62.5 प्रतिशत पार्षदों को कोई पद प्राप्त नहीं है नगरीय निकायों में देखें तो दुर्ग की अपेक्षा रायपुर के 38.3 प्रतिशत पार्षदों को दल में पद प्राप्त है जबकि दुर्ग के 61.3 प्रतिशत पार्षदों को कोई भी पद प्राप्त नहीं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश पार्षदों को किसी भी राजनीतिक दल सदस्य के रूप में पद प्राप्त नहीं है। इसका कारण उनका राजनीति में भागीदार होने की अवधि का कम होना है।

राजनीति में आने का कारण :-

बेन्थम (1971)[15] एक दार्शनिक विचारक रहे हैं जिन्होंने यह लिखा है कि "व्यक्ति किसी भी कार्य को लाभ-हानि अथवा सुख के आधार पर करता है। यदि उसे किसी कार्य को करने पर अधिक सुख प्राप्त होता है तो वह उसे करता है।" राजनीति में आने की महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग इसे उसी रूप में देखते है। समूह के उत्तरदाताओं से इस विषय में जानकारी ली गयी है जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

तालिका क्रमांक - 3.7

राजनीति में आने का कारण

क्रं.	जिले का नाम	राजनीति में आने का कारण					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	33	53.2	29	46.8	62	100
2.	रायपुर	35	58.3	25	41.7	60	100
योग		68	55.7	54	44.3	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकतर 55.7 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि राजनीति में आने का कोई विशेष कारण नहीं बताया है। नगरीय निकाय के अधार पर देखें तो दुर्ग जिले के 53.2 प्रतिशत की तुलना में रायपुर जिलें में 58.3 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि राजनीति में आने का कोई विशेष कारण नहीं हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता हैं कि अधिकांश महिला पार्षदों के राजनीति में आने का कोई विशेष कारण होता है जैसें कि पारिवारिक राजनीतिक सक्रियता एवं सामाज सेवा से जुड़ने के कारण वे राजनीति में प्रवेश करती है।

राजनीति में आने के कारण का प्रकार :-

समूह के जिन उत्तरदाताओं ने राजनीति में आने का कारण किसी न किसी उद्देश्य को लेकर आना रहा है तो उनसे उसके कारण को भी ज्ञात किया गया है। बहुसंख्यक उत्तरदाताओं ने समाज सेवा को मुख्य कारण माना है। इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका क्रमांक - 3.8

राजनीति में आने के कारण का प्रकार

(N = 68)

क्रं.	जिले का नाम	कारण					
		समाज सेवा		वार्ड वासियों का विकास		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	18	54.5	15	45.5	33	100
2.	रायपुर	18	51.4	17	48.6	35	100
योग		36	52.9	32	47.1	68	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, अधिकतर 52.9 प्रतिशत महिला पार्षद के राजनीतिक दल में आने का प्रमुख कारण समाज सेवा है एवं 47.1 प्रतिशत उत्तरदाता विकास के कारण वे राजनीति में आयी है। जिले के आधार पर देखें तो रायपुर की तुलना में दुर्ग जिले के 54.5 प्रतिशत महिला पार्षद समाज सेवा के कारण, जबकि दुर्ग 45.5 प्रतिशत की तुलना में रायपुर जिले के 48.6 प्रतिशत महिला पार्षद वार्ड के विकास के लिए राजनीति में आई है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश महिला पार्षद समाज सेवा के कारण राजनीतिक दल से जुड़ी है।

दल के नेता का भागीदारी से संतुष्ट होना :-

अध्ययनगत समूह के वार्ड पार्षदों की भागीदारी से राजनीतिक दल के नेताओं का संतुष्ट होने संबंधित जानकारी अध्ययन का मुख्य बिन्दु था जिसके विषय में उत्तरदाताओं से सूचना एकत्र

किया गया है। इस विषय में शत्-प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह जानकारी दिया है कि दल के नेता उनकी भागीदारी से संतुष्ट है। इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 3.9
दलीय नेता के भागीदारी से संतुष्ट होना

क्रं.	जिले का नाम	संतुष्ट होना					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	62	100	0	-	62	100
2.	रायपुर	60	100	0	-	60	100
योग		120	100	0	-	122	100

दल के नेता का भागीदारी से संतुष्ट होने संबंधी तालिका से स्पष्ट है, कि दोनों ही नगरीय निकायों में शत्-प्रतिशत दल के नेता उनकी भागीदारी से संतुष्ट है। जिसका कारण उनका दल के नीतियों के अनुरूप कार्य करना रहा है, साथ ही वार्ड में लोगों का पार्षद के कार्य से संतुष्ट होना है।

दलहित को ध्यान में रखकर कार्य करना :-

यह एक राजनीतिक चरित्र है कि सामान्यतः दल के सदस्य जो भी कार्य करते है वह दलहित को ध्यान में रखकर करते है पर अपवाद स्वरूप कभी-कभी हमें यह भी सुनने को मिलता है कि राजनीतिक स्वार्थ के कारण लोग दल-बदल लेते हैं या उन कार्यों से जुड़ जाते है जो दल की नीति में शामिल नहीं होता है। इस विषय में समूह के महिला पार्षदों से ज्ञात तथ्यों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका क्रमांक - 3.10
कार्य दलहित को ध्यान में रखकर करना

क्रं.	जिले का नाम	दलहित को ध्यान में रखकर कार्य करना					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	56	90.3	6	9.7	62	100
2.	रायपुर	53	88.3	7	11.7	60	100
योग		109	89.3	13	10.7	122	100

महिला पार्षदों द्वारा कोई भी कार्य को ध्यान में रखकर करने संबंधी तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 89.3 प्रतिशत महिला पार्षद दल के हित को ध्यान में रखकर कार्य करती है, जबकि

10.7 प्रतिशत महिला पार्षद दलहित को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करती। दुर्ग जिले के 90.3 प्रतिशत महिला पार्षद दलहित को ध्यान में रखकर कार्य करती है, जबकि रायपुर जिले के 11.7 प्रतिशत महिला पार्षद दलहित को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करती।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, अधिकांश महिला पार्षद सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का निराकरण दलहित को ध्यान में रखकर करती है जिससे निराकरण के साथ-साथ उनके दल का वर्चस्व भी बढ़े।

मूल एवं दल व्यवहार में भिन्नता :-

ऐसी मान्यता है कि राजनीति में व्यक्ति को दोहरा चरित्र निभाना पड़ता है एक नेता के रूप में और दूसरा वास्तविक जीवन में क्योंकि एक नेता के रूप में वह किसी भी व्यक्ति को ना नहीं कह सकता है भले ही वह कार्य कर पाये या नहीं। हीमेन (1969)[16] ने "राजनीतिक व्यवहार से संबंधित विशेष व्यक्तियों और सामान्य व्यक्तियों के अध्ययन में पाया कि मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और श्रमिक वर्ग ये सब राजनीति के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण रखते है।"

वार्ड पार्षदों द्वारा अपने मूल व्यवहार तथा दल व्यवहार में भिन्नता से संबंधित जानकारी एकत्र किया गया है जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट है :-

तालिका क्रमांक - 3.11

मूल एवं दल व्यवहार में भिन्नता

क्रं.	जिले का नाम	मूल व दल व्यवहार भिन्ननता					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	1	1.6	61	98.4	62	100
2.	रायपुर	2	3.3	58	96.7	60	100
योग		3	2.5	119	97.5	122	100

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिकांश 97.5 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि, मूल व्यवहार एवं दल का व्यवहार भिन्न नहीं है जबकि 2.5 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि, दोनों के व्यवहार में भिन्नता है। इसी प्रकार रायपुर के 96.7 प्रतिशत एवं दुर्ग जिले के 98.4 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि दोनों ही व्यवहारों में भिन्नता नहीं पाई गई है। इससे स्पष्ट है कि पार्षदों के मूल व्यवहार एवं दल के सदस्यों के व्यवहार में भिन्नता नहीं हैं। क्योंकि दोनों के ही कार्य में समानता पाई जाती है।

विरोधी दल के कार्यों के विरोध करने की स्थिति :-

अपने विरोधी दल के सही कार्यों का भी विरोध करते कि नहीं उत्तरदाताओं के इन तथ्यों को निम्न तालिका से स्पष्ट किया गया है:-

तालिका क्रमांक - 3.12
विरोधी दल के कार्यो के विरोध करने की स्थिति

क्रं.	जिले का नाम	विरोधी दल के कार्यों का विरोध					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	5	8.1	57	91.9	62	100
2.	रायपुर	7	11.7	53	88.3	60	100
योग		12	9.8	110	90.2	122	100

उपर्युक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि अधिकांश 90.2 प्रतिशत महिला पार्षदों ने बताया है कि, वे अपने विरोधी दल के सही कार्यों का विरोध नहीं करते जबकि 9.8 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि, वे उनके सही कार्यों का भी विरोध करते है। इसी प्रकार दुर्ग जिले के 8.1 प्रतिशत की तुलना में रायपुर जिले के 11.7 प्रतिशत पार्षद विरोधी दल के कार्यों का विरोध करते है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश पार्षद अपने विरोधी दल के सही कार्यों का विरोध नहीं करते है क्योंकि उनके कार्य आम जनता के हित में ही होते है। इस प्रकार वे दलगत भावना से ऊपर उठकर उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करते है।

आरेख
विरोधी दल के कार्यो के विरोध करने की स्थिति

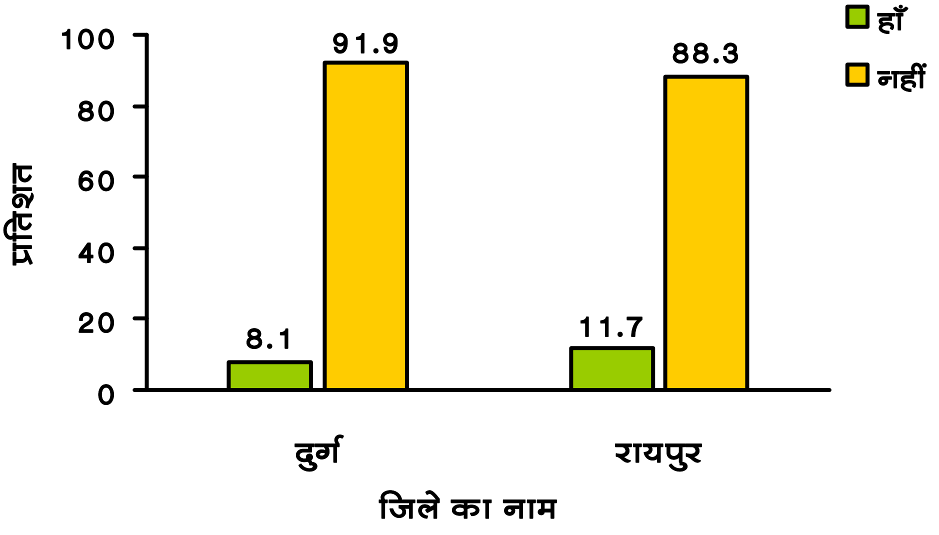

पार्षद पद के प्रति दृष्टिकोण :-

उत्तरदाताओं से पूछा गया कि पार्षद बनना किस प्रकार का पद है, इनके द्वारा ज्ञात तथ्यों को निम्न तालिका से स्पष्ट किया गया है :-

तालिका क्रमांक - 3.13

पार्षद पद के प्रति दृष्टिकोण

क्रं.	जिले का नाम	दृष्टिकोण							
		लाभदायक		गैर लाभदायक		समाज सेवा		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	3	4.8	2	3.2	57	91.9	62	100
2.	रायपुर	4	6.7	5	8.3	51	85	60	100
योग		7	5.7	7	5.7	108	88.5	122	100

उपरोक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 88.5 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि पार्षद बनना समाजसेवा का कार्य है क्योंकि वे अपने वार्ड के निवासियों के समस्याओं को दूर करने, उन्हे स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए एवं उन्हे आगे बढ़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है इस कारण सर्वाधिक लोग पार्षद बनना अधिक पसंद करते है जबकि 5.7 प्रतिशत लोग पार्षद के पद को लाभदायक एवं गैर लाभदायक समझते है। दुर्ग की तुलना में रायपुर जिले के पार्षद, पार्षद पद को लाभगदायक 6.7 प्रतिशत, गैरलाभदायक 8.3 प्रतिशत अधिक समझते है। जबकि दुर्ग जिले के पार्षद 91.9 प्रतिशत समाजसेवा के कारण पार्षद बनना अधिक पसंद करते है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, बहुसंख्यक महिला पार्षद यह मानती है कि, वे पार्षद बनने के साथ-साथ समाज सेवा कर पाती है क्योंकि पार्षद पर उन्हे मुख्य रूप से समाज सेवा का अवसर प्रदान करता है।

लाभदायक होने का प्रकार :-

पार्षद बनना उत्तरदाताओं के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विकास की प्रक्रिया में लाभदायक है। राजनीतिक जागरूकता का विकास होने के कारण विभिन्न दलों का निर्माण हो गया है जो आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। समाज में धन का महत्व बढ़ने के कारण समूह में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण आर्थिक सम्पन्नता पर आधारित होता जा रहा है। समाज में अपनी परिस्थिति को

प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे कार्य करता है जिससे कल्याण के साथ-साथ उसके स्वार्थ की पूर्ति भी हो चाहे आर्थिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक या राजनीतिक लाभ ही क्यों न हो।

चौधरी आर.के. (1987)[17] जटावार गाँव का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि "ग्राम में मंदिर की जमीन जब एक गुट के द्वारा पुजा करने वाले पुजारी को भरण-पोषण के लिये दी गयी तब ग्राम के दुसरे गुट ने महज इसलिए विरोध किया कि उनकी शक्ति ग्राम में कमजोर न आंकी जाये।" (चौधरी आर.के., पेज 140)।

पार्षद बनना उत्तरदाताओं के लिए लाभदायक होने के प्रकार संबंधी तथ्यों को निम्न तालिका में स्पष्ट किया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 3.13.1

लाभदायक होने का प्रकार

(N = 7)

क्रं.	जिले का नाम	प्रकार					
		जान पहचान बढ़ती है		राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	2	66.7	1	33.3	3	100
2.	रायपुर	2	50	2	50	4	100
योग		4	57.1	3	42.9	7	100

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 42.9 प्रतिशत लोगों ने बताया कि, इससे राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है जबकि सबसे कम 57.1 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इससे जान-पहचान बढ़ती है। नगरीय निकाय के आधार पर देखें तो दुर्ग की तुलना में रायपुर जिले के 50 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि इससे जान-पहचान बढ़ती है व आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश पार्षदों ने कहा है कि यह जान-पहचान बढ़ाने में लाभदायी है क्योंकि वार्ड के कार्यों के लिए अनेक बैठकों में जाने, निगम आयुक्त से मिलने से अनेक लोगों से पहचान बढ़ती है। परिणामस्वरूप भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर आसानी से सहायता ली जा सकती है।

गैर लाभदायक होने का कारण :-

पार्षद बनना उत्तरदाताओं के लिए गैर लाभदायक है इन तथ्यों को निम्न तालिका में स्पष्ट किया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 3.13.2

गैर लाभदायक होने का कारण

(N = 7)

क्रं.	**जिले का नाम**	**कारण**					
		लोगों की आलोचना सहनी पड़ती है		**तनाव अधिक रहता है**		**योग**	
		आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
1.	**दुर्ग**	**1**	**33.3**	**2**	**66.7**	**3**	**100**
2.	**रायपुर**	**1**	**25**	**3**	**75**	**4**	**100**
योग		**2**	**28.6**	**5**	**71.4**	**7**	**100**

गैर लाभदायक तथ्यों से ज्ञात होता है कि, 71.4 प्रतिशत पार्षदों ने कहा पार्षद बनने से तनाव अधिक रहता है जबकि 28.6 प्रतिशत पार्षदों का मानना है कि, इससे लोगों की आलोचना सहनी पड़ती है। जिले के आधार पर देखें तो दोनों ही जिलों में सर्वाधिक दुर्ग के 66.7 प्रतिशत एवं रायपुर के 75 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि पार्षद पद में तनाव अधिक रहता है क्योंकि वार्ड में अनेक समस्याएं होती है जिसे लेकर वार्डवासी बार-बार आते है तथा समस्या का निराकरण तत्काल नहीं होने पर मानसिक तनाव देते है। स्पष्ट है कि, जो लोग पार्षद पद को गैर लाभदायक मानते हैं उनका मानना है कि, पार्षद होने पर उन्हें लोगों की आलोचना सहनी पड़ती है और इसमें तनाव अधिक रहता है।

समाज सेवा के माध्यम का स्वरूप :-

प्रस्तुत अध्ययन में वार्ड पार्षदों के समाज सेवा के माध्यम का अध्ययन किया गया है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-

तालिका कमांक - 3.13.3

समाज सेवा के माध्यम का स्वरूप

क्रं.	**जिले का नाम**	**समाज सेवा के माध्यम का स्वरूप**					
		वार्ड की समस्याओं का निराकरण		**सामाजिक सहभागिता**		**योग**	
		आवृत्ति	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
1.	**दुर्ग**	**45**	**72.6**	**17**	**27.4**	**62**	**100**
2.	**रायपुर**	**48**	**80.0**	**12**	**20.0**	**60**	**100**
योग		**93**	**76.2**	**29**	**23.8**	**122**	**100**

समाज सेवा के माध्यम संबंधी विवेचन से स्पष्ट है कि 76.2 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि वे वार्ड की समस्याओं के निराकरण को समाज सेवा का माध्यम मानते है। जबकि 23.8 प्रतिशत पार्षद इसे सामाजिक सहभागिता के रूप में मानते है दोनों ही जिलों को देखवे तो रायपुर के 80.0 प्रतिशत

पार्षद सर्वाधिक वार्ड की समस्याओं के निराकरण को समाज सेवा का माध्यम मानते है। जबकि रायपुर की अपेक्षा दुर्ग के 27.4 प्रतिशत पार्षद इसे सामाजिक सहभागिता का प्रकार मानते है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश पार्षद समाज सेवा का माध्यम वार्ड की समस्याओं के निराकरण को मानते है क्योंकि वार्ड में अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे – सड़क-निर्माण, नाली की सफाई, वृक्षारोपण, पेयजल की व्यवस्था आदि समस्याएं होती है। जिसके निराकरण को ही समाज सेवा का माध्यम मानते है।

दलीय संगठनों से अपेक्षाएँ :-

वार्ड पार्षदों का अपने दलीय संगठन से क्या अपेक्षाएं है संबंधी अध्ययन किया गया है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 3.14

दलीय संगठन से अपेक्षाएं

क्रं.	जिला का नाम	अपेक्षाएँ											
		राष्ट्र का विकास		समाज के विकास के लिए		महिलाओं के लिए विशेष सुविधा		सबके हित में कार्य		कोई अपेक्षा नहीं		योग	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	दुर्ग	3	4.8	24	38.7	3	4.8	19	30.6	13	21.0	62	100
2.	रायपुर	4	6.7	25	41.7	2	3.3	16	26.7	13	21.7	60	100
योग		7	5.7	49	40.2	5	4.1	35	28.7	26	21.3	122	100

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपने दलीय संगठन से सर्वाधिक 40.2 प्रतिशत पार्षद समाज के विकास के लिए अपेक्षाएं रखते है तत्पश्चात् सबके हित में कार्य 28.7 प्रतिशत, राष्ट्र के विकास में 5.7 प्रतिशत एवं महिलाओं के लिए विशेष सुविधा 4.1 प्रतिशत पार्षद अपने दल से अपेक्षाएं रखते है जबकि 21.3 प्रतिशत ऐसे है जो अपने दलगत संगठन से कोई अपेक्षाएं नहीं रखते है। रायपुर के पार्षद दुर्ग के पार्षदों की तुलना में सर्वाधिक राष्ट्र के विकास 6.7 प्रतिशत, समाज के विकास के लिए 41.7 प्रतिशत अपने दल से अपेक्षाएं रखते है इसके विपरित दुर्ग जिले के महिला पार्षद महिलाओं के लिए विशेष सुविधा 4.8 प्रतिशत तथा 30.6 प्रतिशत सबके हित में कार्य करने संबंधी अपेक्षाएं रखते है।

निष्कर्ष के रूप में यह माना जा सकता है कि, अधिकांश महिला पार्षद यह मानती है कि दलीय संगठन उनसे यह अपेक्षा रखती है कि, वे समाज के विकास के लिए कार्य करें।

आरेख

दलीय संगठन से अपेक्षाएं

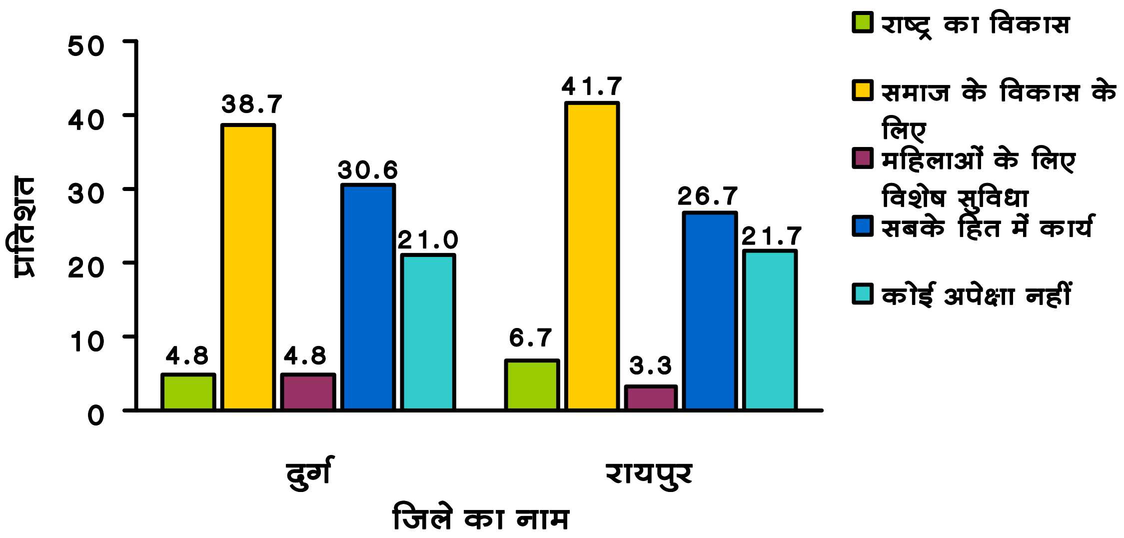

सत्ताधारी पार्टी से अपेक्षाएँ :-

प्रस्तुत अध्ययन में वार्ड पार्षदों के अपने सत्ताधारी पार्टी से क्या अपेक्षाएं है? इसका भी अध्ययन किया गया है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट है -

तालिका क्रमांक - 3.15

सत्ताधारी पार्टी से अपेक्षाएँ

क्रं.	जिले का नाम	अपेक्षाएँ							
		निम्न वर्ग का उत्थान		जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति		कोई अपेक्षा नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	23	37.1	25	40.3	14	22.6	62	100
2.	रायपुर	24	40.0	22	36.7	14	23.3	60	100
योग		47	38.5	47	38.5	28	23.0	122	100

महिला पार्षदों द्वारा अपने सत्ताधारी पार्टी से अपेक्षा संबंधी तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 38.5 प्रतिशत पार्षद निम्न वर्ग के उत्थान व 38.5 प्रतिशत जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधी अपेक्षाएं रखते है जबकि 23.0 प्रतिशत पार्षद किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते हैं। नगरीय निकाय के आधार पर देखे तो दुर्ग के 37.1 प्रतिशत की तुलना में रायपुर जिले के 40.0 प्रतिशत पार्षद निम्न वर्ग के उत्थान जबकि रायपुर के 36.7 प्रतिशत की तुलना में दुर्ग जिले के 40.3 प्रतिशत पार्षद जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा अधिक करते है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकतर पार्षद अपने सत्ताधारी पार्टी से निम्न वर्ग के उत्थान की अपेक्षाएं रखती है क्योंकि समाज के गरीब वर्ग और गरीब हो रहे जिसके कारण उनकी स्थिति दयनीय होती है इसी कारण अधिकांश पार्षद इस वर्ग का उत्थान चाहती है। जिन उत्तरदाताओं ने स्ताधारी पार्टी से कोई अपेक्षा नहीं है कहा है उनमें गैर सत्ताधारी पार्टी के पार्षद शामिल है।

प्रस्तावित कार्य को पार्षद मण्डल द्वारा महत्व दिया जाना :-

प्रस्तुत अध्ययन में वार्ड पार्षदों के प्रस्तावित कार्य को क्या पार्षद मण्डल महत्व देता है का अध्ययन किया गया है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 3.16

प्रस्तावित कार्य को पार्षद मण्डल द्वारा महत्व दिया जाना

क्रं.	जिले का नाम	पार्षद मण्डल द्वारा महत्व दिया जाना					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	54	87.1	8	12.9	62	100
2.	रायपुर	49	81.7	11	18.3	60	100
योग		103	84.4	19	15.6	122	100

उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि अधिकतर 84.4 प्रतिशत पार्षद मण्डल प्रस्तावित कार्य को महत्व देते है जबकि 15.6 प्रतिशत इस कार्य को कोई महत्व नहीं देते। दुर्ग जिले के 87.1 प्रतिशत एवं रायपुर जिले के 81.7 प्रतिशत पार्षद मण्डल कार्य को महत्व देते है क्योंकि ये प्रस्तावित कार्य वार्ड के विकास से संबंधित होते है जो आम जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप होते है। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि, बहुसंख्यक महिला पार्षदों के प्रस्तावित कार्य को पार्षद मण्डल के द्वारा महत्व दिया जाता है।

पार्षद मण्डल द्वारा दिए जाने वाले महत्व का प्रकार :-

प्रस्तुत अध्ययन में पार्षद मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्य को महत्व दिये जाने के प्रकार का अध्ययन किया गयाहै जो निम्न तालिका से स्पष्ट है –

तालिका क्रमांक – 3.16.1

पार्षद मण्डल द्वारा दिए जाने वाले महत्व का प्रकार

(N = 103)

क्रं.	जिले का नाम	महत्व का प्रकार					
		योजनाओं को महत्व देना		सहयोग प्रदान करना		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	32	59.3	22	40.7	54	100
2.	रायपुर	24	49.0	25	51.0	49	100
योग		56	54.4	47	45.6	103	100

पार्षद मण्डल द्वारा सर्वाधिक 54.4 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि उनके योजनाओं को महत्व दिया जाता है जबकि 45.6 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि वे उनके कार्य में सहयोग प्रदान करते है। नगरीय निकार के आधार पर देखें तो रायपुर जिले (49.0 प्रतिशत) की तुलना में दुर्ग जिले के 59.3 प्रतिशत पार्षदों की योजनाओं को महत्व दिया जाता है व दुर्ग (40.7 प्रतिशत) जिले की तुलना में रायपुर जिले के 51 प्रतिशत पार्षदों को सहयोग प्रदान किया जाता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि पार्षद मण्डल द्वारा पार्षद के योजनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है।

आरेख

पार्षद मण्डल द्वारा दिए जाने वाले महत्व का प्रकार

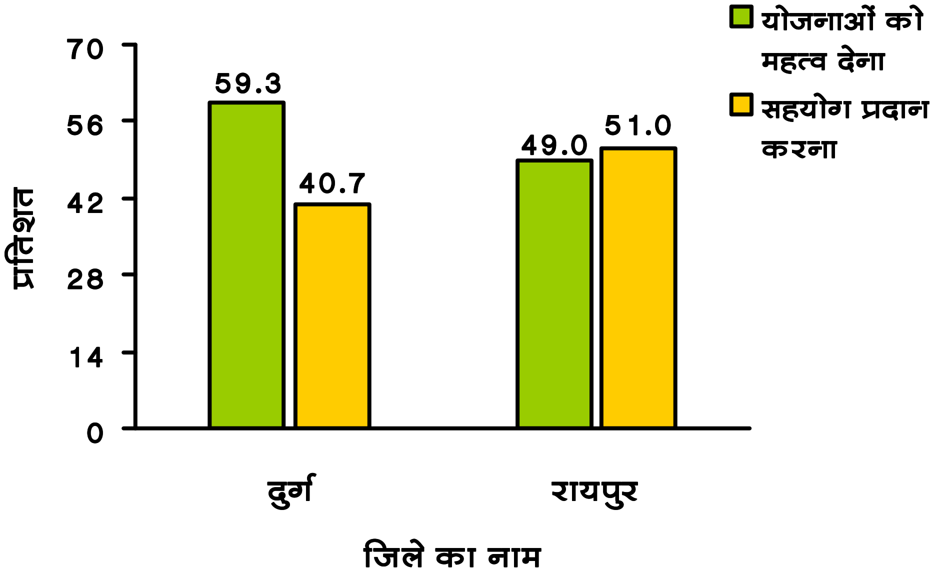

महत्व नहीं दिए जाने का कारण :-

प्रस्तुत अध्ययन में पार्षद मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्य को महत्व नहीं दिये जाने का अध्ययन किया गया है जो निम्न तालिका से स्पष्ट है :–

तालिका क्रमांक - 3.16.2

महत्व नहीं दिए जाने का कारण

(N = 19)

क्रं.	जिले का नाम	कारण					
		दल विशेष का न होना		योजना का उपयोगी न होना		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	5	62.5	3	37.5	8	100
2.	रायपुर	6	54.5	5	45.5	11	100
योग		11	57.9	8	42.1	19	100

पार्षद मण्डल द्वारा योजनाओं को महत्व नहीं दिये जाने संबंधी कारण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 57.9 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि दल विशेष के नहीं होने के कारण महत्व नहीं दिये जाते है। जबकि 42.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी योजनाएं विशेष उपयोगी नहीं होती इस कारण उसे महत्व प्रदान नहीं किया जाता है। दोनों ही नगरीय निकायों को देखे तो सर्वाधिक दुर्ग के 62.5 प्रतिशत, रायपुर के 54.5 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि पार्षद मण्डल दल का नहीं होने के कारण योजनाओं को महत्व प्रदान नहीं करते क्योंकि पार्षद मण्डल अपने दल का नहीं होने के कारण महत्वपूर्ण योजनाओं को भी महत्व प्रदान नहीं करते है।

पार्षद चुनाव के लिए पार्टी का टिकट मिलने के आधार :-

प्रस्तुत अध्ययन में पार्षद चुनाव के लिए पार्टी का टिकट मिलने के आधार क्या रहा है? का अध्ययन किया गया है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट है।

तालिका क्रमांक - 3.17

पार्षद चुनाव के लिए पार्टी का टिकट मिलने के आधार

क्रं.	जिले का नाम	टिकट मिलने का आधार							
		सामाजिक कार्यकर्ता		महिला आरक्षण		राजनीतिक संगठन का जुड़ाव		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	13	21.0	40	64.5	9	14.5	62	100
2.	रायपुर	14	23.3	41	68.3	5	8.4	60	100
योग		27	22.1	81	66.4	14	11.5	122	100

पार्षद चुनाव के लिए पार्टी से टिकट मिलने संबंधी तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 66.4 प्रतिशत पार्षदों को महिला आरक्षण के कारण व 22.1 प्रतिशत को सामाजिक कार्यकर्ता व

सबसे कम 11.5 प्रतिशत पार्षदों को राजनीतिक संगठन से जुड़ाव के कारण पार्टी से टिकट मिला है। जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग जिले के अपेक्षा रायपुर जिले के महिला पार्षदों को सामाजिक कार्यकर्ता 23.3 प्रतिशत व महिला आरक्षण 68.3 प्रतिशत के कारण अधिक प्राप्त हुआ है। जबकि रायपुर की 8.4 प्रतिशत की तुलना में दुर्ग जिले की 14.5 प्रतिशत पार्षदों को राजनीति संगठन में जुड़ाव के कारण टिकट प्राप्त हुआ है इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिकांश महिला पार्षदों को महिला आरक्षण के कारण पार्टी से टिकट प्राप्त हुआ है। प्राप्त तथ्यों को आरक्षण विधेयक का परिणाम भी माना जा सकता है जिसके कारण महिलाओं को नगरीय निकायों में नेतृत्व का अवसर प्राप्त हुआ।

आरेख

पार्षद चुनाव के लिए पार्टी का टिकट मिलने के आधार

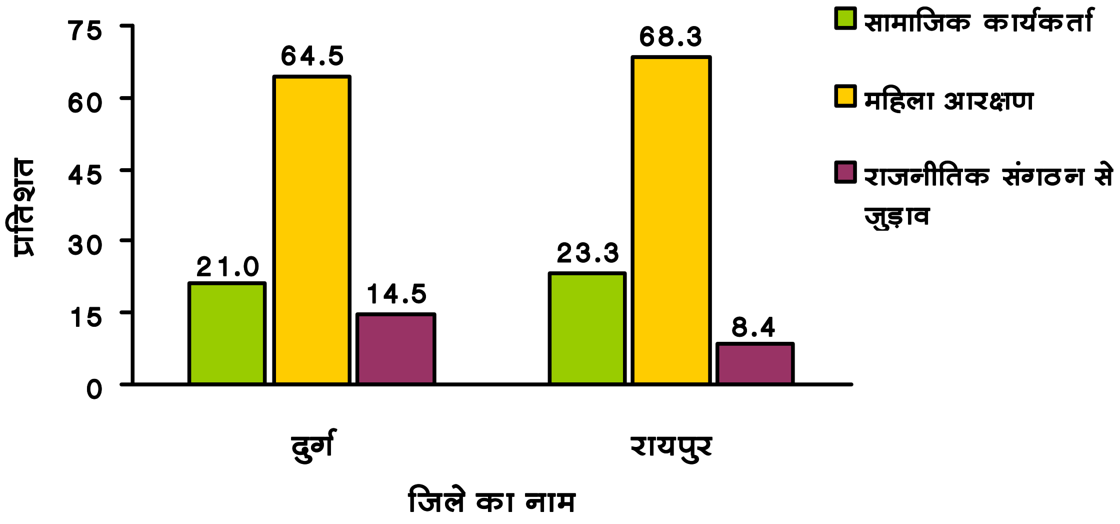

पार्षद का टिकट पाने हेतु किए गये प्रयास :-

प्रस्तुत अध्ययन में पार्षद द्वारा पार्टी का टिकट पाने हेतु क्या-क्या प्रयास करना पड़ा का अध्ययन किया गया है? इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 3.18

पार्टी का टिकट पाने हेतु किए गये प्रयास

क्रं.	जिले का नाम	प्रयास							
		कोई प्रयास नहीं		चुनाव में प्रचार-प्रसार		राजनीतिक कार्य		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	52	83.9	3	4.8	7	11.3	62	100
2.	रायपुर	52	86.7	4	6.7	4	6.6	60	100
योग		104	85.2	7	5.7	11	9.0	122	100

पार्टी के टिकट पाने हेतु महिला पार्षदों को 9.0 प्रतिशत राजनीतिक कार्य व 5.7 प्रतिशत चुनाव में प्रचार-प्रसार का कार्य करना पड़ा जबकि सर्वाधिक 85.2 प्रतिशत पार्षदों को पार्टी से टिकट पाने हेतु कोई प्रयास करना नहीं पड़ा। जिले के आधार पर देखे तो दोनों ही नगरीय निकायों में सर्वाधिक 83.9 व 86.7 प्रतिशत महिला पार्षदों ने पार्टी से टिकट पाने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया है। जबकि दुर्ग की तुलना में रायपुर जिले के पार्षदों द्वारा चुनाव में प्रचार-प्रसार जबकि रायपुर के 6.7 प्रतिशत की तुलना में दुर्ग जिले के 4.8 प्रतिशत के पार्षदों द्वारा राजनीतिक कार्य अधिक किये गये।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि महिला आरक्षण होने के कारण अधिकांश महिला पार्षदों को पार्टी से टिकट प्राप्त करने हेतु कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ा।

चुनाव में विजयी होने का आधार :-

प्रस्तुत अध्ययन में पार्षद द्वारा चुनाव में विजयी होने का क्या आधार रहा है? इसे भी ज्ञात किया गया, जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 3.19

चुनाव में विजयी होने का आधार

क्रं.	जिले का नाम	विजयी होने का आधार							
		पार्टी व वार्ड के लोगों का सहयोग		सामाजिक कार्यकर्ता		पहले से राजनीति में रूचि		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	55	88.7	5	8.1	2	3.2	62	100
2.	रायपुर	52	86.7	6	10	2	3.3	60	100
योग		107	87.7	11	9.0	4	3.3	122	100

महिला पार्षदों के द्वारा चुनाव में विजयी होने के आधार संबंधी तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 87.7 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि उन्हे पार्टी व वार्ड का सहयोग तत्पश्चात् 9.0 प्रतिशत ने सामाजिक कार्यकर्ता व सबसे कम 3.3 प्रतिशत ने राजनीति में रूचि को चुनाव में विजयी होने का आधार बताया है। जिले के आधार पर देखे तो दोनों ही नगरीय निकायों में पहले से राजनीति में रूचि के कारण 3.3 प्रतिशत व रायपुर की तुलना में दुर्ग जिले के 88.7 प्रतिशत पार्षदों ने पार्टी व वार्ड का सहयोग जबकि दुर्ग की तुलना में रायपुर के10 प्रतिशत पार्षदों ने सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण चुनाव में विजयी होने का आधार बताया। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, अधिकांश महिला पार्षदों के चुनाव में विजयी होने का आधार पार्टी व वार्ड के लोगों का सहयोग रहा है। यह तथ्य दर्शाता है कि, आज नगरीय निकाय के चुनावों में दल विशेष को मतदाता के द्वारा महत्व दिया जाता है।

चुनाव में प्रलोभन दिया जाना :-

प्रस्तुत अध्ययन में पार्षद द्वारा जनता को प्रलोभन दिये जाने संबंधी तथ्यों को बताया गया है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 3.20

चुनाव में प्रलोभन दिया जाना

क्रं.	जिले का नाम	प्रलोभन					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	35	56.5	27	43.5	62	100
2.	रायपुर	31	51.7	29	48.3	60	100
योग		66	54.1	56	45.9	122	100

चुनाव में प्रलोभन दिये जाने संबंधी तालिका से स्पष्ट है कि 45.9 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि वे चुनाव में विजयी होने के लिए कोई प्रलोभन नहीं देते जबकि 54.1 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि वे प्रलोभन देते है। इसी प्रकार दुर्ग जिले (56.5 प्रतिशत) की तुलना में रायपुर जिले (51.7 प्रतिशत) के पार्षद अपेक्षाकृत कम प्रलोभन देते है जबकि दुर्ग (43.5 प्रतिशत) की तुलना में रायपुर के 48.3 प्रतिशत पार्षद विजयी होने के लिए अधिक प्रलोभन नहीं देते है।

आरेख

चुनाव में प्रलोभन दिया जाना

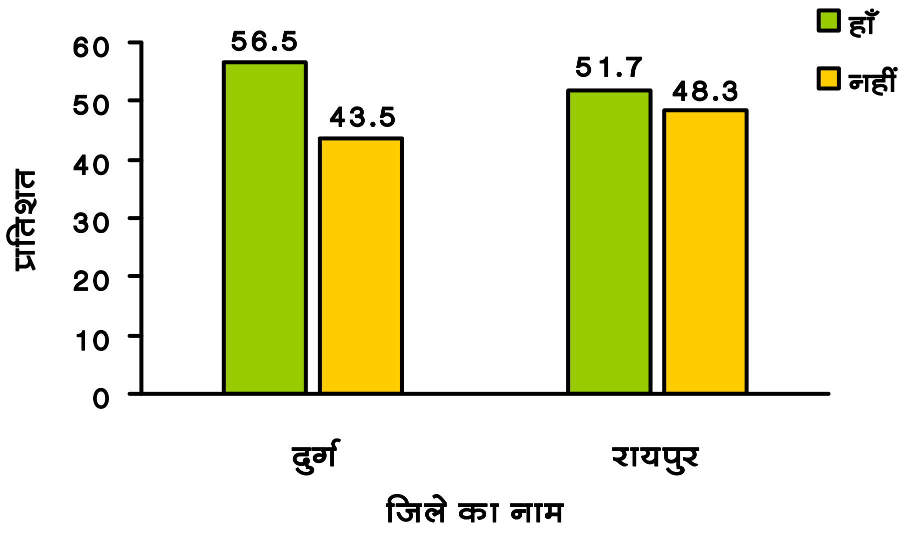

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश पार्षद चुनाव में प्रचार-प्रसार के साथ-साथ प्रलोभन भी देते है क्योंकि गरीब वर्ग के लोग पैसे एवं अपनी आवश्यकताओं की वस्तु पाकर इतने में खुश हो जाते है। और उस व्यक्ति को विजयी बनाने के लिए उन्हे वोट देते है। स्पष्ट है कि, वर्तमान राजनीति में चुनावी प्रलोभन एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है।

प्रलोभन के प्रकार :-

प्रस्तुत अध्ययन में पार्षद द्वारा जनता को किस-किस प्रकार से प्रलोभन दिये जाने संबंधी तथ्यों को बताया गया है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 3.21

प्रलोभन के प्रकार

(N = 66)

क्रं.	जिला का नाम	प्रकार									
		पैंसा		शराब		महिलाओं की दैनिक जरूरतों की चींजे		अन्य		योग	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	दुर्ग	13	37.1	9	25.7	6	17.1	7	20.0	35	100
2.	रायपुर	10	32.3	8	25.8	6	19.4	7	22.5	31	100
योग		23	34.8	17	25.8	12	18.2	14	21.2	66	100

उपरोक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि चुनाव में विजयी होने के लिए सर्वाधिक 34.8 प्रतिशत पैसा तत्पश्चात् शराब 25.8 प्रतिशत एवं सबसे कम महिलाओं की दैनिक जरूरतों की चीजें 18.2 प्रतिशत बांटी जाती है। रायपुर की तुलना में दुर्ग के पार्षदों द्वारा पैसा एवं शराब चुनाब के प्रचार-प्रसार के साथ अधिक वितरण करते है इसके विपरीत रायपुर के पार्षद महिलाओं की दैनिक जरूरतों की चीजें एवं अन्य घरेलु सामान अधिक बांटते है निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश पार्षद चुनाव में पैसा ही अधिक वितरित करते है क्योंकि वे अपने आवश्यकताओं के अनुसार अपनी जरूरत की सामग्री खरीद सकें स्पष्ट है कि, विधानसभा और लोकसभा चुनाव की भांति स्थानीय निकाय के चुनावों में 'पैसा' और 'शराब' मतदाताओं को प्रलोभन का मुख्य प्रकार होता है जो कि लोकतंत्र की सफलता की बढ़ी चुनौती मानी जा सकती है।

विधायक एवं मंत्री द्वारा जनता के पैसे का दुरूपयोग किया जाना :-

प्रस्तुत अध्ययन में विधायक एवं मंत्री द्वारा जनता के पैसे का दुरूपयोग किये जाने संबंधी अध्ययन को बताया गया है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 3.22

जनप्रतिनिधियों द्वारा जनता के पैसों का दुरूपयोग

क्रं.	जिले का नाम	पैंसे का दुरूपयोग					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	26	41.9	36	58.1	62	100
2.	रायपुर	21	35.0	39	65	60	100
योग		47	38.5	75	61.5	122	100

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिकांश 61.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि विधायक एवं मंत्री जनता के पैसे का दुरूपयोग नहीं करते है जबकि 38.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे इन पैसों का दुरूपयोग करते है दोनों ही जिलों से स्पष्ट होता है कि दुर्ग जिले के 41.9 प्रतिशत की तुलना में रायपुर के 35.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि विधायक एवं मंत्री इन पैसों का कम दुरूपयोग करते है। जबकि दुर्ग की तुलना में रायपुर जिले के पार्षदों ने माना कि विधायक एवं मंत्री जनता के पैसों का अधिक दुरूपयोग नहीं करते है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि विधायक एवं मंत्री जनता के पैसों का दुरूपयोग नहीं करते है क्योंकि वे इन पैसों का उपयोग समाजिक कार्य जैसे- सड़क निर्माण, पर्यावरणीय स्वच्छता एवं सुन्दरता, तालाब निर्माण व जनता के विकास के लिये करते है जिन 38.5 प्रतिशत विधायकों व मंत्री के द्वारा जनता के पैसे का दुरूपयोग किए जाने पर सहमति दर्शाया है वे सत्तारूढ़ दल के पार्षद नहीं है ऐसे में उनका इस विषय में विपरीत मत आना स्वाभाविक है।

मंत्री के गुण :-

अध्ययनगत महिला पार्षदों से मंत्री के विषय में जानकारी ली गयी है, जो कि निम्न तालिका में दर्शित हैः-

तालिका क्रमांक - 3.23

मंत्री के गुण

क्रं.	जिले का नाम	मंत्री गुण							
		समस्याओं का निराकरण करने वाला		निष्पक्ष कार्य करने वाला		व्यवहार कुशल		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	9	14.5	38	61.3	15	24.2	62	100
2.	रायपुर	9	15.0	38	63.3	13	21.7	60	100
योग		18	14.7	76	62.3	28	23.0	122	100

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिकतर 62.3 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि मंत्री को निष्पक्ष कार्य करने वाला होना चाहिए जबकि 23.0 प्रतिशत पार्षदों ने व्यवहार कुशल एवं 14.7 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि इन्हे समस्याओं का निराकरण करने वाला होना चाहिए। नगरीय निकायो के आधार पर देखे तो दुर्ग की तुलना में रायपुर के 15.0 प्रतिशत पार्षद मंत्री को समस्या का निराकरण करने वाला अधिक माना है जबकि दुर्ग के पार्षद मंत्री को निष्पक्ष कार्य एवं व्यवहार कुशल होना अधिक माना है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश पार्षदों ने मंत्री को निष्पक्ष कार्य करने वाला होने के संदर्भ में सूचना दिया है क्योंकि मंत्री अगर दलगत भावना से कार्य करेगा तो किसी क्षेत्र विशेष का ही विकास होगा जिससे सम्पूर्ण विकास नहीं हो पायेगा। जिससे उनके कार्य की भूमिका अपूर्ण ही रहेगी।

पार्षद बनने के लिए पति का सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सक्षम होना :-

राजनीतिक व्यवस्था में समकालीन परिदृश्य में जो बातों हमें मीडिया के माध्यम से सुनने और देखने को मिल रही है जो यह दर्शाता है कि राजनीति में सब कुछ संभव है विशेषकर धनबल और बाहुबल के आधार पर देश की सर्वोच्च राजनीतिक संस्था लोकसभा में उम्मीदवार चुनकर आ रहे। "ऐसे सांसदों की संख्या कुल सांसदों का लगभग 20 प्रतिशत है जो कि निश्चय ही चिंता का विषय है।" अध्ययन में समूह के महिला पार्षदों से पार्षदों के पति के ताकतवर होने के विषय में सूचना लिया गया है जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका क्रमांक - 3.24

महिला पार्षद हेतु सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सक्षम होना

क्रं.	जिले का नाम	सक्षम होना					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	23	37.1	39	62.9	62	100
2.	रायपुर	19	31.7	41	68.3	60	100
योग		42	34.4	80	65.6	122	100

उपरोक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि, सर्वाधिक 65.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि पार्षद बनने के लिए पति का सक्षम होना जरूरी नहीं है जबकि 34.4 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है

कि पति का सक्षम होना जरूरी है। नगरीय निकायों को देखे तो दुर्ग जिले 62.9 प्रतिशत की तुलना में रायपुर जिले के सर्वाधिक 31.7 प्रतिशत पार्षदों ने पार्षद बनने के लिए पति का सक्षम होना जरूरी है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, अधिकांश पार्षदों ने बतलाया है कि पार्षद बनने के लिए पति का ताकतवर होना जरूरी नहीं है क्योंकि आज की नारी अपने कर्तव्य व भूमिका के प्रति अधिक सक्रिय है व अपने कार्यों के निर्वाह में स्वयं सक्षम है इसलिए पति का ताकतवर होना जरूरी नहीं मानती इसके पीछे एक अन्य बात यह भी है कि लगभग एक तिहाई महिला पार्षद जिन्होने पति को ताकतवर होना आवश्यक माना है उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है तथा वे आरक्षण के कारण अपने पति के वार्ड से पार्षद के रूप में निर्वाचित हुई है।

पति के सक्षम होने के कारण :-

अध्ययनगत समूह के जिन 34.4 प्रतिशत महिला पार्षदों ने पति के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सक्षम होना आवश्यक माना है उनसे उनके कारण को भी ज्ञात किया गया है कि वे किन कारणों से स्वयं के पति को सक्षम होना आवश्यक मानते है इस विषय में बहुसंख्यक उत्तरदाताओं ने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए उनके पति का सक्षम होना आवश्यक माना है। इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 3.24.1

पति के सक्षम होने का कारण

(N = 42)

क्रं.	जिले का नाम	सक्षम होने का कारण					
		विपरित परिस्थिति का सामना करने के लिए		व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	9	39.1	14	60.9	23	100
2.	रायपुर	4	21.1	15	78.9	19	100
योग		13	31.0	29	69.0	42	100

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिकतर 69.0 प्रतिशत पार्षद ने बताया है कि, उनके पति उनके व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जबकि 31.0 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि वे विपरित परिस्थितियों में साथ देने के लिए उनका सक्षम होना आवश्यक है जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग की तुलना में रायपुर जिले के महिला पार्षद यह मानते है कि, स्वयं की सुरक्षा के लिए पति का सक्षम होना चाहिए।

जबकि रायपुर 21.1 प्रतिशत की तुलना में दुर्ग जिले के 39.1 प्रतिशत पार्षदों ने बताया है कि विपरित परिस्थितियों का सामना करने के लिए पति का सक्षम होना आवश्यक है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश महिला पार्षदों के पति व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से सक्षम है जिसके कारण वे अपने कार्यो को स्वतंत्र होकर कर पाती है। यहां पर सक्षम होने से आशय बाहुबल के स्थान पर पद, स्थिति व वार्ड में महत्व के आधार से है।

सक्षम नहीं होने की आवश्यकता के पीछे तर्क :-

जिन 65.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पति के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सक्षम होना जरूरी नहीं माना है, उनसे इसके कारण को भी ज्ञात किया गया है, जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 3.24.2

सक्षम नहीं होने की आवश्यकता के पीछे तर्क

(N = 80)

क्रं.	जिले का नाम	सक्षम नहीं होने के पीछे तर्क					
		सामाजिक राजनीतिक सहभागिता		जनता से व्यक्तिगत जुड़ाव		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	23	59.0	16	41.1	39	100
2.	रायपुर	24	58.5	17	41.5	41	100
योग		47	58.7	33	41.3	80	100

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिकतर 58.7 प्रतिशत महिला पार्षदों ने बतलाया है कि, उनके सामाजिक, राजनीतिक सहभागिता के कारण पति का सक्षम होना जरूरी नहीं है जबकि 41.3 प्रतिशत पार्षदों ने बतलाया है कि वे सामाजिक राजनीतिक सहभागिता एवं आम जनता से व्यक्तिगत जुड़व के कारण पार्षद पद के लिए पति का सक्षम होना समान रूप से सक्षम नहीं मानती।

स्पष्ट है कि, जिन पार्षदों की वार्ड के लोगों के साथ जुड़ाव है तथा वे सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को सहभागी होते रहते हैं उनके लिए पति का सक्षम होना जरूरी नहीं है।

एम.आई.सी. में सक्षम पार्षद होना :-

अध्ययनगत महिला पार्षद से यह ज्ञात किया गया है कि, क्या उनके नगर निगम/नगर पालिका में सक्षम पार्षद है? इस विषय में प्राप्त तथ्य निम्न है:-

तालिका क्रमांक - 3.25

एम.आई.सी. में सक्षम पार्षद होना

क्रं.	जिले का नाम	सक्षम पार्षद होना					
		संख्या		संख्या नहीं मालूम		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	11	17.7	51	82.3	62	100
2.	रायपुर	8	13.3	52	86.7	60	100
योग		19	15.6	103	84.4	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 84.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि, एम.आई.सी. में कितने पार्षद सक्षम है उनकी संख्या उन्हे मालूम नहीं है। जबकि 15.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं को एम.आई.सी. के सक्षम पार्षदों की संख्या मालुम है। दुर्ग एवं रायपुर जिलों में रायपुर के 13.3 प्रतिशत की तुलना में दुर्ग के 17.7 प्रतिशत सक्षम पार्षद है।

स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि अध्ययनगत नगर पालिका/नगर निगम में सक्षम पार्षदों की संख्या कम है।

सक्षम पार्षदों द्वारा सक्षमता का प्रयोग किया जाना :-

अध्ययनगत समूह के वार्ड पार्षदों से एम.आई.सी. के सक्षम पार्षदों के द्वारा सक्षमता का प्रयोग किए जाने के संबंध में सूचनाओं का संकलन किया गया है। इस विषय में ज्ञात तथ्य यह स्पष्ट करता है कि वे बैठकों में या कार्यों में सक्षमता का प्रयोग नहीं करते है। इसे निम्न तालिका में देखा जा सकता है:-

तालिका क्रमांक - 3.26

सक्षम पार्षदों द्वारा सक्षमता का प्रयोग किया जाना

क्रं.	जिले का नाम	सक्षमता का प्रयोग करना					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	13	21.0	49	79.0	62	100
2.	रायपुर	10	16.7	50	83.3	60	100
योग		23	18.9	99	81.1	122	100

एम.आई.सी. के सर्वाधिक 81.1 प्रतिशत सक्षम पार्षद अपने सक्षमता का उपयोग नहीं करते है जबकि 18.9 प्रतिशत पार्षद अपने सक्षमता का उपयोग करते है। दोनों ही जिलों को देखे तो दुर्ग की 21.0 प्रतिशत एवं रायपुर जिले के 16.7 प्रतिशत पार्षद अपने सक्षमता का उपयोग नहीं करते है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, सर्वाधिक पार्षद अपने सक्षमता का उपयोग नहीं करते है क्योंकि उनकी समस्याओं का निराकरण एवं योजनाओं का क्रियान्वयन आसानी से हो जाता है जिसके कारण उसे अपने सक्षमता का उपयोग करना नहीं पड़ता है।

थाने में कोई प्रकरण दर्ज होना :-

राजनीति और अपराध का इतिहास काफी पुराना है विशेषकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के समकालीन परिदृश्य में तो यह आम बात है। इस विषय में महिला पार्षदों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित हैः-

तालिका क्रमांक - 3.27

थाने में कोई प्रकरण दर्ज होना

क्रं.	जिले का नाम	थाने में प्रकरण की स्थिति					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	6	9.7	56	90.3	62	100
2.	रायपुर	10	16.7	50	83.3	60	100
योग		16	13.1	106	86.9	122	100

सर्वाधिक 86.9 प्रतिशत महिला पार्षदों ने बतलाया है कि, उनका कोई भी प्रकरण थाने में दर्ज नहीं है। जबकि 13.1 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि किसी न किसी प्रकार का प्रकरण थाने में दर्ज है। जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग जिले के 9.7 प्रतिशत एवं रायपुर जिले के 16.7 प्रतिशत पार्षदों के प्रकरण थाने में दर्ज है जबकि रायपुर जिले के 83.3 प्रतिशत की तुलना में दुर्ग जिले के अधिकांश 90.3 प्रतिशत पार्षदों के प्रकरण थाने मे दर्ज नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि, सर्वाधिक पार्षदों के कोई भी प्रकरण थाने में दर्ज नहीं है क्योंकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह बिना किसी लड़ाई-झगड़े के शालिनता पूर्वक करते है इस कारण वार्डवासी किसी भी प्रकार का प्रकरण थाने में दर्ज नहीं कराते है।

आरेख
महिला पार्षदों का थाने में प्रकरण की स्थिति

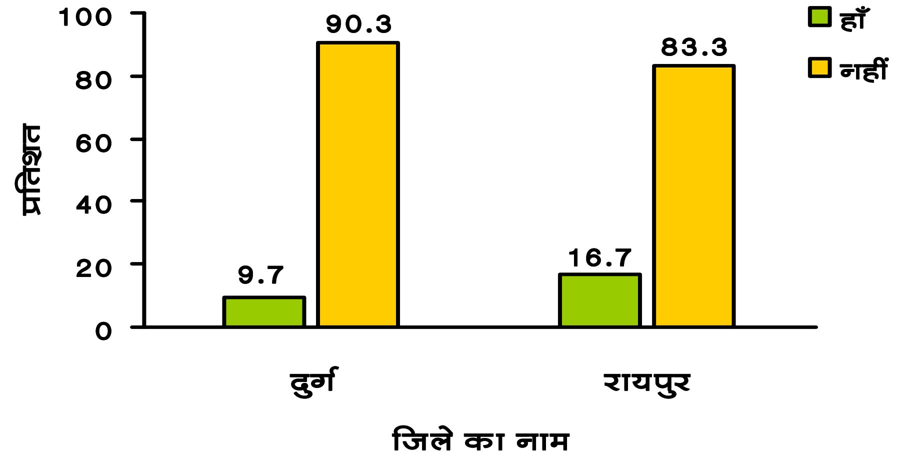

प्रकरण का प्रकार :-

जिन 16 पार्षदों ने थाने में प्रकरण दर्ज होना बतलाया है उन प्रकरणों के प्रकार को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 3.28

प्रकरणों का प्रकार

(N = 16)

क्रं.	जिले का नाम	प्रकरणों का प्रकार									
		आपराधिक		भ्रष्ट आचरण संबंधी		राजनैतिक कारण		आर्थिक कारण		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	1	16.7	0	-	2	33.3	3	50.0	6	100
2.	रायपुर	0	-	1	10.0	3	30.0	6	60.0	10	100
योग		1	6.3	1	6.3	5	31.1	9	56.3	16	100

समूह के 16 प्रतिशत ऐसे पार्षद जिनके प्रकरण थाने में दर्ज है उनमें सर्वाधिक 31.1 प्रतिशत आर्थिक कारण, तत्पश्चात् 31.1 प्रतिशत राजनैतिक कारण एवं सबसे कम 6.3 प्रतिशत अपराधिक कारण, भ्रष्ट आचरण के प्रकरण दर्ज है। नगरीय निकायों के आधार पर देखे तो दोनों ही नगरों में आर्थिक कारण के प्रकरण अधिक दर्ज है जबकि रायपुर की तुलना में दुर्ग में अपराधिक एवं राजनैतिक कारण के प्रकरण दर्ज है रायपुर के पार्षदों का भ्रष्ट आचरण संबंधी प्रकरण दर्ज है।

सहयोग का प्रकार :-

समूह के शत-प्रतिशत महिलाओं ने परिवार के सहयोग प्राप्त होना बतलाया है अतः उनसे सहयोग के स्वरूप को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 3.29

सहयोग का प्रकार

क्रं.	जिले का नाम	सहयोग का प्रकार							
		प्रचार-प्रसार के कार्यों में योगदान		राजनीतिक कार्यों में सहयोग		वार्ड के विकास कार्य में सहयोग		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	29	46.8	15	24.2	18	29.0	62	100
2.	रायपुर	30	50.0	13	21.7	17	28.3	60	100
योग		59	48.3	28	23.0	35	28.7	122	100

महिला पार्षदों को सर्वाधिक परिवार का सहयोग 48.3 प्रतिशत प्रचार-प्रसार के कार्यों में है, 28.7 प्रतिशत वार्ड के विकास कार्य में सहयोग है एवं सबसे कम 23.0 प्रतिशत राजनीतिक कार्यों में सहयोग पार्षदों को प्राप्त होता है दोनों ही जिलों में पार्षदों को राजनीतिक कार्यों में 24.2 व 21.7 प्रतिशत सहयोग प्राप्त हुआ है जबकि दुर्ग के 46.8 प्रतिशत की तुलना में रायपुर के 50.0 प्रतिशत पार्षदों को प्रचार-प्रसार के कार्यों में अधिक योगदान प्राप्त हुआ है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश पार्षदों के पारिवारिक सदस्य प्रचार-प्रसार के कार्यों में सहयोग प्रदान करते है क्योंकि परिवार के सदस्य ही वार्ड व अन्य रिश्तेदारों के साथ प्रचार-प्रसार करने में सर्वाधिक योगदान देते है। प्राप्त तथ्य यह भी दर्शाता है कि, एक महिला पार्षद के वार्ड में अच्छी छवि बनाने में पारिवारिक सदस्यों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ऐसा वार्ड पार्षद मानती है।

संदर्भ

1. Green, Stein Fred I. (1980); Political Socialization in David L. Sills (ed.), International Encyclopedia of the Social Science (vol. 14), Macmillan Free Press.

2. Stevart & Glyan (1995); Introduction to Sociology, Vol. 1, p. 18.

3. Verma, S.P. (1986); Iqbal Narain et al. : Voting Behaviour in a changing society. Delhi, National, p. 221.

4. Gabriel; Comparative politics today a world view, Almound, Gabrial A. (et al.), Person Education, New Delhi, p. 291.

5. Waset, Marfi (1953); Occupational status subjective social class identification and political affiliation, American Sociological Review.

6. Almond (1965); The civic culture, political attitude and democracy in five nations, p. 267.

7. Rangnath (1967); Changing pattern at rural leadership in Uttar Pradesh. New Delhi: Sindhu Publication, p. 267-276.

8. Reddy, Sheshadari and Bhargav (1972); Panchayatiraj and Rural Development in Andhra Pradesh, p. 52-53.

9. Winer, Myron (1967); Political Development in the Indian States in State Politics in India, edited by Iqbal Narain, Meenakshi Prakashan, Meerut, p. 696.

10. Singh, Rajendra (1978); Panchayati Raj in Haryana, G. Ram Reddy (Ed.), Pattern of Pnchayati Raj in India Delhi, MacMillan Company of India, p. 91-148.

11. Beals, Alen (1956); Opcit. Pp. 422-437. Herjender Singh Op.Cit, pp. 31-37. Edward and Louise Harper "Political Organization and Leadership in a Karnatka Village in Part and Tinker ed. Op.cit p. 453-469.

12. Reddy, Sheshadari (1974); The voller and Panchayati Raj. National Institute of Community Development, Hyderabad, p. 252-257.

13. Rai, Narvedeshwar (1976); Rural Power structure, Gandhi an Institute, Varanasi, p. 112.

14. Winer, Myron (1962); Political Parties and Panchayati Raj. Indian Journal of Public Administration, page. 42

15. Benthum, Jermy (1971); The work's of Jermy Benthum, Vol. 3 (usury, political economy, equity, parliamentary reform, page, 11).

16. Hyman (1962); Political socialization : A study in the Psychology of Political Behaviour. New York, The Free Press.

17. Choudhary, R.K. (1989); Cast and power structure in village India. Inter-India Publication, New Delhi, pp. 161-163.

<u>अध्याय - चतुर्थ</u>

महिला पार्षदों की जनकल्याणकारी कार्यक्रमों में सक्रियता

अध्याय – चतुर्थ

महिला पार्षदों की जनकल्याणकारी कार्यक्रमों में सक्रियता

महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जो अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहें है वे नियोजित परिवर्तन के अन्तर्गत ही आते है। किसी भी राष्ट्र की खुशहाली में वहाँ की महिलाओं का उल्लेखनीय योगदान होता है। महिलाएँ भी राष्ट्र की प्रगति में पुरूषों की भांति अहम भूमिका निभा सकती है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्र या समाज महिलाओं को किस प्रकार का स्थान देता है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 में यह स्वीकार किया गया कि महिलाओं को सशक्तिशाली बनाना है ताकि वे सामाजिक परिवर्तन में सक्षम बन सके राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति पर अमल करने हेतु 2001 वर्ष को महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया। महिलाओं को यह अधिकार दिया गया कि वह देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्रतापूर्वक रह सकती है।

इक्कीसवीं शताब्दी तक देश में महिलाओं को विधिक-सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिए जनकल्याण कार्यक्रम एवं योजनाएँ संचालित की गई है। "डायरेक्ट्री ऑफ मेयर स्कीम एंड प्रोग्राम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन" के अनुसार महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए लगभग 100 योजनाएं मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाई जा रही है। जैसे - महिला समृद्धि योजना, महिला जागृति योजना, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, अपनी बेटी अपना धन योजना, नगरीय विकास एवं शक्ति-संपन्नता आदि मुख्य कार्यक्रम एवं योजनाएँ है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को जागरूक करने के लिए पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

"पंचायतीराज संस्थाओं में परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 60 लाख महिलाओं प्रतिनिधित्व ने सामाजिक लाभबन्दी की प्रक्रिया को तेजी दी है। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने से न सिर्फ राजनीतिक कौशल हासिल किया है, वरन् वे महिलाओं के हितों की प्रधान समर्थक बनी है। महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के बिटुरगाँव की पंचायत में सभी महिला सदस्य है इन महिलाओं ने गाँव में शराब और जुए के अड्डे बन्द करवा दिए है। जुलाई 2001 को महिला शक्ति के क्षेत्र में आठ महिलाओं को दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने सम्मानित किया इसके अन्तर्गत सांप्रदायिक सौहार्द के लिए सैयदा नसीम चिश्ती, खादी ग्राम उद्योग व महिला आत्म-निर्भरता के लिए तारा

भट्टाचार्य, महिला अधिकार व जागरूकता कार्यक्रम के लिये शबाना आजमी को सम्मानित किया। इस अतिरिक्त संगीत और नृत्य के क्षेत्र में महिलाओं को सम्मानित किया गया।"[1]

आज महिलाओं ने शासन द्वारा चलाये गये जन कल्याण कार्यक्रम में केवल अपने उद्देश्यों भोजन देने, परिवार नियोजन स्वास्थ्य सेवा आदि तक सीमित नहीं रखा बल्कि प्रशासनिक भूमिका को भी बखूबी निभाया है।

भारत में योजना का मूल उद्देश्य लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना तथा उन्हे समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए अधिकाधिक सुविधाओं की व्यवस्था करना है। 1951 में भारत के योजनाकरण के मुख्य उद्देश्य में तीव्र गति से आर्थिक विकास, रोजगार की उचित व्यवस्था तथा रोजगार वृध्दि, धन तथा आय की विषमता को कम करना है।

नगरीय निकाय एवं पुनर्निमाण अर्थात नगर का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक आधार पर सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया है। विभिन्न विकास कार्यक्रमों को विशिष्ट तरीके से कार्यान्वित करने हेतु चार व्यापक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। (1) खण्डीय क्रार्यक्रम (2) रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम (3) क्षेत्रिए कार्यक्रम (4) सामुहिक उद्द्देश्योन्मुखी कार्यक्रम।

किशोर चंद पांधी (1986)[2] के अनुसार "दीर्घकालीन विकास में निम्नलिखित उद्द्श्यों के महत्व को ध्यान रखना आवश्यक है जैसें – ग्रामवासियों के विचारों व दृष्टिकोण में परिवर्तन, ग्रामीण नेताओं में विकास के प्रति उत्तरदायित्व का अहसास, ग्रामवासियों में विकास के प्रति आत्म-विश्वास जागृत करना, आय और रोजगार में वृद्धि मुख्य होता है। अध्ययन में उत्तरदाताओं के द्वारा प्राप्त तथ्यों को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 4.1

आपने अपने वार्ड के विकास के लिए कौन-कौन से कार्य कराये है

क्रं.	विकास के कार्य	दुर्ग				रायपुर				योग			
		हां		नहीं		हां		नहीं		हां		नहीं	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	स्वच्छता अभियान	49	79.0	13	21.0	52	86.7	8	13.3	101	82.8	21	17.2
2.	पेजयल की व्यवस्था	52	83.9	10	16.1	54	90.0	6	10.0	106	86.9	16	13.1
3.	तालाब सौंदर्यीकरण	5	8.1	57	91.9	6	10.0	54	90.0	11	9.0	111	91.0
4.	स्वास्थ्य के क्षेत्र में	25	40.3	37	59.7	24	40.0	36	60.0	49	40.2	73	59.8
5.	शिक्षा के क्षेत्र में	10	16.1	52	83.9	7	11.7	53	88.3	17	13.9	105	86.1
योग		141	45.5	169	54.5	143	47.7	157	52.3	284	46.6	326	53.4

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पार्षदों ने अपने वार्ड के विकास के लिए दोनों ही जिलों में अधिकाशतः पेयजल व्यवस्था सम्बन्धी विकास कार्य किया है। और सबसे कम 9.0 प्रतिशत तालाब सौंदर्यीकरण किया है। इसके अतिरिक्त स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तथा शिक्षा के क्षेत्र में विकास संबंधी कार्य किया है।

शासन द्वारा चलाये गये जनकल्याण कार्यक्रम :-

भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में इंगित किया गया है यही वजह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं योजना तक सरकार के द्वारा अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य आम जन को सामाजिक जीवन की मुलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी सुविधाओं को उपलब्ध कराना होता है। इस विषय में प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि अध्ययनगत वार्ड में कौन-कौन से जनकल्याण कार्यक्रम चलाये गये, इस संबंध में जिन उत्तरदाताओं ने अपने वार्ड में जनकल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जाने की जानकारी दी है उनसे उन कार्यक्रमों के नाम को भी ज्ञात किया गया है। जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 4.2

शासन के द्वारा चलाये गये जनकल्याण कार्यक्रम

क्रं.	चलाये गये जनकल्याण कार्यक्रम	जिले का नाम								योग			
		दुर्ग				रायपुर							
		हां		नहीं		हां		नहीं		हां		नहीं	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	स्वास्थ्य बीमा योजना	49	79.0	13	21.0	51	85.0	9	15.0	100	82.0	22	18.0
2.	रोजगार गारंटी	50	80.6	12	19.4	50	83.3	10	16.7	100	82.0	22	18.0
3.	पेंशन योजना	51	82.3	11	17.7	52	86.7	8	13.3	103	84.4	19	15.6
4.	परिवार विकास योजना	36	58.1	26	41.9	35	58.3	25	41.7	71	58.2	51	41.8
5.	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक/ गणवेश	5	8.1	57	91.9	5	8.3	55	91.7	10	8.2	112	91.8
	योग	191	61.6	119	38.4	193	64.3	107	35.7	384	63.0	226	37.0

शासन के जनकल्याण कार्यक्रम संबंधी तालिका से स्पष्ट है कि पेंशन योजना रायपुर में सर्वाधिक 86.7 प्रतिशत चलाई जा रही है। और सबसे कम निःशुल्क पाठ्यपुस्तक/गणवेश योजना

8.3 प्रतिशत चलाया गया है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि दोनों ही जिलों में पेंशन योजना पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, राजगार गारंटी, परिवार विकास योजना आदि कार्यक्रम पर भी विकास संबंधी कार्य किया गया है।

जनकल्याण कार्यक्रम जो वार्ड में चलाये गये :-

जन कल्याण कार्यक्रम जो शासन द्वारा चलाये गये जिसमें से महिला पार्षदों द्वारा अपने वार्ड के लोगों को उन जनकल्याण कार्यक्रम से लाभान्वित किया जैसे स्वास्थ्य बीमा योजना, रोजगार गारंटी, पेंशन-योजना, परिवार विकास योजना और निःशुल्क पाठ्यपुस्तक/गणवेश आदि जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 4.3

जनकल्याण कार्यक्रम जो वार्ड में चलाये

क्रं.	वार्ड में चलाये गये जनकल्याण कार्यक्रम	जिले का नाम								योग			
		दुर्ग				रायपुर							
		हां		नहीं		हां		नहीं		हां		नहीं	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	स्वास्थ्य बीमा योजना	47	75.8	15	24.2	48	80.0	12	20.0	95	77.9	27	22.1
2.	रोजगार गारंटी	48	77.4	14	22.6	48	80.0	12	20.0	96	78.7	26	21.3
3.	पेंशन योजना	49	79.0	13	21.0	50	83.3	10	16.7	99	81.1	23	18.9
4.	परिवार विकास योजना	37	59.7	25	40.3	37	61.7	23	38.3	74	60.7	48	39.3
5.	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक/ गणवेश	4	6.5	58	93.5	4	6.7	56	93.3	8	6.6	114	93.4
योग		185	59.7	125	40.3	187	62.3	113	37.7	372	61.0	238	39.0

जनकल्याण कार्यक्रम के विवरण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 81.1 प्रतिशत पेंशन योजना वार्ड में चलाई जा रही है तत्पश्चात 78.7 प्रतिशत रोजगार गांरटी व 77.9 प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा, 60.7 प्रतिशथ परिवार विकास योजना तथा सबसे कम 6.6 प्रतिशत निःशुल्क पाठ्यपुस्तक/ गणवेश योजना चलाई जा रही है। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग एवं रायपुर दोनों जिलों में सर्वाधिक पेंशन योजना व सबसे कम 6.5 एवं 6.7 प्रतिशत निःशुल्क पाठ्यपुस्तक/गणवेश योजना पार्षदों द्वारा अपने वार्ड में चलाई जा रही है। पेंशन योजना शहरी क्षेत्र के वृद्धजनों के लिए एक कारगर योजना है जो निर्धन वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

पेयजल व्यवस्था का विस्तार :-

जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं में पेयजल का स्थान सर्वोपरि है और इसलिए जल को जीवन की संज्ञा दी गई है। विमकॉक (2000)[3] के अनुसार "जल की गुणवत्ता और उसकी उपलब्धि निरन्तर चिन्ता का विषय बनी हुई है। अगर वर्तमान स्थिति भी यथावत बनी रही तब भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि, विश्व के अधिकांश लोग जल संकट से जुझते रहेंगे। यह स्थिति इसलिये भी अधिक चिन्ता की है कि जहाँ पानी की कमी है, उन क्षेत्रों की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है।" नगरीय परिवेश में पेयजल मुलभूत समस्याओं में से एक होता है। और इस विषय में आमजन अपने जन प्रतिनिधियों से यह उम्मीद रखते है कि वे अपने वार्ड में पेयजल व्यवस्था के विस्तार हेतु निरंतर प्रयासरत् रहेंगे। इस विषय अध्ययनगत वार्ड पार्षदों की स्थिति को निम्न तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 4.4

वार्ड में पेयजल व्यवस्था का विस्तार किया जाना

क्रं.	जिले का नाम	पेयजल व्यवस्था					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	52	83.9	10	16.1	62	100
2.	रायपुर	54	90.0	6	10.0	60	100
योग		106	89.9	16	13.1	122	100

वार्ड में पेयजल व्यवस्था का विस्तार के संबंध में अधिकांश 89.9 प्रतिशत वार्ड पार्षदों ने अपने वार्ड में पेयजल व्यवस्था का विस्तार किया है केवल 13.1 प्रतिशत वार्ड पार्षद ही ऐसे पाये गये है जिन्होंने यह कार्य नहीं किया है। प्राप्त तथ्यों का यदि हम जिले के नगरीय निकाय के आधार पर विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट है कि दुर्ग जिले के 83.9 प्रतिशत वार्ड पार्षदों ने पेयजल व्यवस्था का विस्तार किया है जबकि रायपुर जिलें में यह 90.0 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि दुर्ग जिले की तुलना में रायपुर जिले की महिला वार्ड पार्षद इस दिशा में ज्यादा सक्रिय है।

पेयजल व्यवस्था का विस्तार का स्वरूप :-

नगरीय निकायों में पेयजल की व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। नगरपालिका, नगर पंचायत व नगर निगम के पार्षदों द्वारा नल, हैण्डपम्प एवं कुँआ खुदवाकर

पेयजल की व्यवस्था की है इसके अतिरिक्त कभी-कभी पानी की समस्या को बाहर से टैंकर मंगाकर पेयजल की कमी की पूर्ति की जाती है इसके अतिरिक्त नगरीय निकायों में स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता के शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु वॉटर ए.टी.एम. की स्थापना किए जाने की योजना प्रस्तावित है वाटर ए.टी.एम. से टोकन 1 रू. से 5 लीटर शुद्ध जल प्राप्त हो सकेगा। इस हेतु समस्त 12 नगर निगमों में 10-10, समस्त 44 नगर पालिकाओं में 2-2 तथा समस्त 113 नगर पंचायतों मे 1-1 इस प्रकार कुल 321 वॉटर ए.टी.एम. स्थापित किया जाना प्रस्तावित है (शासकीय प्रतिवेदन 2015-16)[4]।

उत्तरदाताओं द्वारा पेयजल व्यवस्था के स्वरूप के विस्तार के संदर्भ में दी गई जानकारी को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 4.5

पेयजल व्यवस्था के विस्तार का स्वरूप

(N = 115)

क्रं.	जिले का नाम	पेयजल व्यवस्था का स्वरूप							
		नल द्वारा		हैण्ड पम्प		कुँआ खुदवाकर		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	30	57.7	20	38.5	2	3.8	52	100
2.	रायपुर	29	53.7	23	42.6	2	3.7	54	100
योग		59	55.7	43	40.6	4	3.7	115	100

पार्षदों द्वारा वार्ड में पेयजल व्यवस्था संबंधी विवेचन से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 55.7 प्रतिशत पार्षदों ने नल द्वारा तत्पश्चात 40.6 प्रतिशत हैण्ड पम्प एवं सबसे कम 3.7 प्रतिशत पार्षदों ने कुँआ खुदवाकर पेयजल की व्यवस्था की है। दोनों ही जिलों पार्षदों ने नल व हैण्ड पंप के द्वारा पेयजल की व्यवस्था अधिक की गई है।

पेयजल स्त्रोत से वर्ष भर पेयजल की आपूर्ति होना :-

जिन उत्तरदाताओं ने पेयजल के विभिन्न स्त्रोतों नल व हैण्डपंप के द्वारा पेयजल की आपूर्ति होने की जानकारी दिया है उनसे यह भी ज्ञात किया गया है कि क्या इन स्त्रोतों से वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति होती है या नहीं प्राप्त तथ्यों को निम्न तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया गया है:-

तालिका क्रमांक – 4.6

पेयजल स्त्रोत से वर्ष भर पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति हो पाना

क्रं.	जिले का नाम	पेयजल की आपूर्ति					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	52	83.9	10	16.1	62	100
2.	रायपुर	54	90.0	6	10.0	60	100
योग		106	86.9	25	13.1	122	100

वार्ड में स्थित पेयजल स्त्रोत से वर्ष भर पर्याप्त पेयजल आपूर्ति संबंधी तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 86.9 प्रतिशत महिला पार्षदों ने हां कहा है जबकि 13.1 प्रतिशत पार्षदों ने बताया है कि पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। नगरीय निकायों के आधार पर देखें तो रायपुर जिले 16.1 प्रतिशत की तुलना में दुर्ग जिले 10.0 प्रतिशत में पेजयल की आपूर्ति कम हुई है। दुर्ग की तुलना में रायपुर में पेयजल की आपूर्ति वर्षभर नहीं हो पाने का मुख्य कारण जनसंख्या का दबाव, पेयजल आपूर्ति के स्त्रोतों की कमी मुख्य कारण है।

योजना का प्रस्ताव व क्रियान्वयन में लगने वाला समय :-

योजना निर्माण व क्रियान्वयन दोनों ही निम्न भिन्न बातें है क्योंकि व्यवहार में यह देखा गया है कि हम उत्साहपूर्वक ढंग से शीघ्रतापूर्वक योजना का प्रस्ताव तैयार कर लेते है पर उस प्रस्ताव की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन में अनेक बाधाएं होती है और यह बाधाएं तकनीकि होती है। यह कारण है कि वार्ड पार्षद के द्वारा वार्ड की समस्याओं से संबंधित प्रस्ताव नगर निगम प्रशासन को भेज तो दिया जाता है लेकिन उस प्रस्ताव के स्वीकृति एवं क्रियान्वयन में समय लग जाता है। इस विषय में अध्ययन क्षेत्र के वार्ड पार्षदों की स्थिति क्या है इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक – 4.7

किसी योजना के प्रस्ताव तैयार करने के पश्चात् सामान्य योजना के क्रियान्वयन की अवधि

क्रं.	जिले का नाम	योजना का क्रियान्वयन							
		2 माह से कम		2-4 माह		4-6 माह		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	3	4.8	46	74.2	13	21.0	62	100
2.	रायपुर	4	6.7	47	78.3	9	15.0	60	100
योग		7	5.7	93	76.2	22	18.0	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 76.2 प्रतिशत पार्षदों का मानना है कि योजना तैयार होने पर 2-4 माह में क्रियान्वयन होता है जबकि 18.0 प्रतिशत पार्षदों ने कहा 4-6 माह का समय लगता है। तथा सबसे कम 5.7 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि 2 माह से भी कम समय लगता है। नगरीय निकाय के आधार पर देखें तो दुर्ग एवं रायपुर दोनों ही जिलों में 2-4 माह के अंतर्गत अधिकांश योजना का क्रियान्वयन हो जाता है।

प्राप्त तथ्यों का एक अन्य पहलू यह भी है कि जो पार्षद सक्रिय होते हैं वे योजना का क्रियान्वयन शीघ्र करा लेते है जबकि निष्क्रिय पार्षदों को समय लगता है।

योजनाओं के क्रियान्वयन में लोगों का सहयोग :-

किसी भी योजना का क्रियान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उस योजना में आम लोगों का सहयोग होता है। देश के प्रथम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफलता का मूल्यांकन करते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुबे एस.सी. (1958)[5] ने कहा था कि "जनता में व्याप्त असहयोग और जागरूकता की कमी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफलता का मुख्य कारण है"। प्रस्तुत अध्ययन में यह ज्ञात किया गया है कि उन्ही योजना के क्रियान्वयन में जन सहयोग मिलता है अथवा नहीं इसे निम्न तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 4.8

योजनाओं के क्रियान्वयन करने में वार्ड के सदस्यों का सहयोग मिलना

क्रं.	जिले का नाम	वार्ड के सदस्यों का सहयोग					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	60	96.8	2	3.2	62	100
2.	रायपुर	55	91.7	5	8.3	60	100
योग		115	94.3	7	5.7	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 94.3 प्रतिशत वार्ड पार्षदों ने कहा है कि उनके वार्डवासी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी सहायता करते हैं जबकि 5.7 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि उनके वार्ड में निवासरत सदस्य योजना के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान नहीं करते। जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग की तुलना में रायपुर में वार्डवासी अपने पार्षदों को योजना क्रियान्वयन में सहायता प्रदान नहीं करते।

सफाई और स्वास्थ्य से संबंधित योजना चलाया जाना :-

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्ष 2015 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरूवात की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता में अपने कार्यस्थल समुदाय की स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना तथा स्वयं के साथ-साथ पर्यावरण को स्वस्थ बनाना है। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका निगम के द्वारा स्वच्छता बनाये रखने हेतु सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है जो कि वार्ड को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग देते है इसके अतिरिक्त क्या किसी प्रकार की योजना नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है अथवा नहीं यह भी अध्ययन का मुख्य बिन्दु था जिसके विषय में उत्तरदाताओं से जानकारी ली गई है इसे निम्न तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 4.9

सफाई और स्वास्थ्य को लेकर अपने वार्ड में योजना चलाया जाना

क्रं.	जिले का नाम	सफाई और स्वास्थ्य संबंधी योजना					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	51	82.3	11	17.7	62	100
2.	रायपुर	52	86.7	8	13.3	60	100
योग		103	84.4	19	15.6	122	100

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि, सर्वाधिक 84.4 प्रतिशत महिला पार्षदों ने कहा है कि अपने वार्ड में सफाई और स्वास्थ्य संबंधी योजना का क्रियान्वयन किया है जबकि 15.6 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि उन्होंने इस योजना का क्रियान्वयन नहीं किया है। रायपुर जिले की तुलना में दुर्ग जिले के पार्षदों द्वारा सफाई और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन अपेक्षाकृत कम किया गया है। इसका प्रमुख कारण है कि रायपुर जिला राजधानी होने के कारण जनसंख्या का दबाव अधिक हुआ है जिससे झोपड़पट्टी व गंदी बस्तियां भी बढ़ी है परिणामस्वरूप यहां के पार्षदों ने सफाई और स्वास्थ्य को लेकर अधिक योजनाएं चलाई है।

आरेख

सफाई और स्वास्थ्य को लेकर अपने वार्ड में योजना चलाया जाना

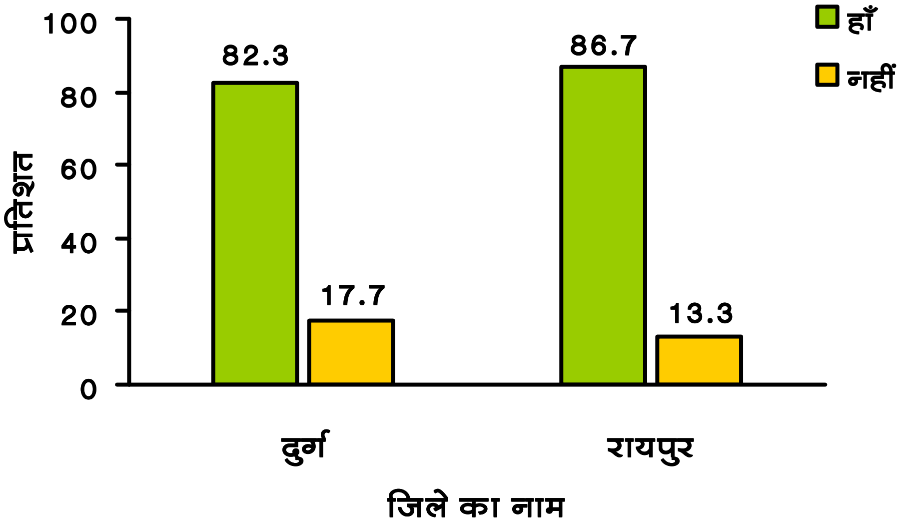

सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ी योजना का स्वरूप :-

जिन 84.4 प्रतिशत महिला पार्षदों ने कहा है कि अपने वार्ड में सफाई और स्वास्थ्य संबंधी योजना का क्रियान्वयन किया गया है जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक – 4.10

सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ी योजना का स्वरूप

क्रं.	जिले का नाम	स्वास्थ्य अभियान		स्वच्छता		अन्य		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	43	38.7	41	36.9	27	24.3	111	100
2.	रायपुर	45	40.5	39	35.1	27	24.3	111	100
योग		88	39.6	80	36.0	54	24.3	222	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वार्ड पार्षदों ने कहा है कि उन्होंने अपने वार्ड में सर्वाधिक 39.6 प्रतिशत स्वास्थ्य अभियान तत्पश्चात् 36.0 प्रतिशत स्वच्छता व सबसे कम 24.3 प्रतिशत अन्य कार्यों का क्रियान्वयन किया है अन्य कार्यो मे जननी सुरक्षा योजना, रोजगार गारंटी योजना, पेंशन योजना, सड़क निर्माण योजना इत्यादि कार्य सम्मिलित है। दुर्ग एवं रायपुर जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग जिले की तुलना में रायपुर जिलें में स्वास्थ्य अभियान अधिक चलाया गया है जबकि दुर्ग जिले में स्वच्छता संबंधी योजना का क्रियान्वयन अधिक किया गया है एवं 24.3 प्रतिशत अन्य कार्यों का क्रियान्वयन दोनों ही जिलों में समान रूप से किया गया है।

अपने वार्ड में सड़क निर्माण कराना :-

नगरीय क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पानी मुलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। वार्ड के लोग भी इन आवश्यकताओं को बेहतर होने की उम्मीद अपने जन प्रतिनिधि से करते है। अनेक अवसरों पर यह भी देखा गया है कि इन सुविधाओं के अभाव के कारण धरने एवं प्रदर्शन की भी स्थिति निर्मित हो जाती है। अध्ययनगत क्षेत्र में वार्ड पार्षदों के द्वारा सड़क निर्माण कराये जाने के विषय में सूचना एकत्रित की गई है जो कि निम्न तालिका में स्पष्ट है:-

तालिका क्रमांक - 4.11

अपने वार्ड में सड़क निर्माण कराया जाना

क्रं.	जिले का नाम	अपने वार्ड में सड़क निर्माण कराया जाना					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	58	93.5	4	6.5	62	100
2.	रायपुर	59	98.3	1	1.7	60	100
योग		117	95.9	5	4.1	122	100

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि, सर्वाधिक 95.9 प्रतिशत पार्षदों ने बतलाया है कि उन्होंने अपने वार्ड में सड़क निर्माण का कार्य करवाया है। जबकि 4.1 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि अपने वार्ड में इस योजना का क्रियान्वयन नहीं कराया है। जिसका प्रमुख कारण है कि पहले से ही वार्ड में सड़कों का निर्माण होना है। जिले के अनुसार देखें तो रायपुर की तुलना में दुर्ग के पार्षदों द्वारा अपने वार्ड में सड़क निर्माण योजना का कार्य कम कराया गया है।

निर्मित सड़क का प्रकार :-

जिन उत्तरदाताओं का सड़क का निर्माण कराये जानकारी दिया है उनसे सड़क के प्रकार को भी स्पष्ट किया गया है जिसका विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है:-

तालिका क्रमांक - 4.12

निर्मित सड़क का प्रकार

(N = 117)

क्रं.	जिले का नाम	निर्मित सड़क का प्रकार					
		सीमेंटीकरण		डामरीकरण		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	30	48.4	28	48.3	58	100
2.	रायपुर	31	51.7	28	47.5	59	100
योग		61	50.0	56	50.0	117	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वार्ड पार्षदों द्वारा सीमेंटीकरण एवं डामरीकृत सड़कों का निर्माण किया गया है जिले के आधार पर देखा जाए तो दोनों ही जिलों में रायपुर जिले में सीमेंटीकरण एवं डामरीकरण का कार्य कराया गया है।

नाली के निर्माण के लिए नगर निगम में अपील करना :-

नगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ाने में नालियों का अभाव होना एक मुख्य कारण होता है जिसके कारण घरों से निकलने वाला गंदा पानी, होटल व अन्य व्यावसायिक संस्थानों से निकलने वाला गंदा पानी बेतरतीब ढंग से सड़कों में बहते हुए देखा जा सकता है। यही वजह है कि वार्ड के लोग पक्के नाली निर्माण के लिए अपने जनप्रतिनिधि से मांग करते है। अध्ययन क्षेत्र के वार्ड पार्षदों के द्वारा इस विषय को लेकर नगर निगम प्रशासन क्या किसी भी प्रकार की मांग की गई है अथवा नहीं इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 4.13

नाली के निर्माण के लिए नगर निगम में अपील करना

क्रं.	जिले का नाम	नगर निगम में अपील करना					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	52	83.9	10	16.1	62	100
2.	रायपुर	49	81.7	11	18.3	60	100
योग		101	82.8	21	17.2	122	100

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नाली के निर्माण के लिए 82.8 प्रतिशत पार्षदों ने नगर निगम से अपील की है जबकि 17.2 प्रतिशत पार्षद ऐसे है जिन्होंने नाली निर्माण के लिए कोई अपील नहीं की है। यदि जिलों के आधार पर देखें तो दुर्ग जिले के 83.9 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा नाली निर्माण के लिए नगर निगम से अपील की है जबकि रायपुर जिले के 81.7 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने अपील की है जो दुर्ग जिले से कम है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, जिन उत्तरदाताओं ने इस हेतु अपील नहीं किया है उनमें ऐसे पार्षद है जिनके वार्ड में पहले से नालियां बनी हुई है तथा कुछ पार्षद ऐसे है जो इस विषय पर उदासीन लगे।

आरेख

नाली के निर्माण के लिए नगर निगम में अपील करना

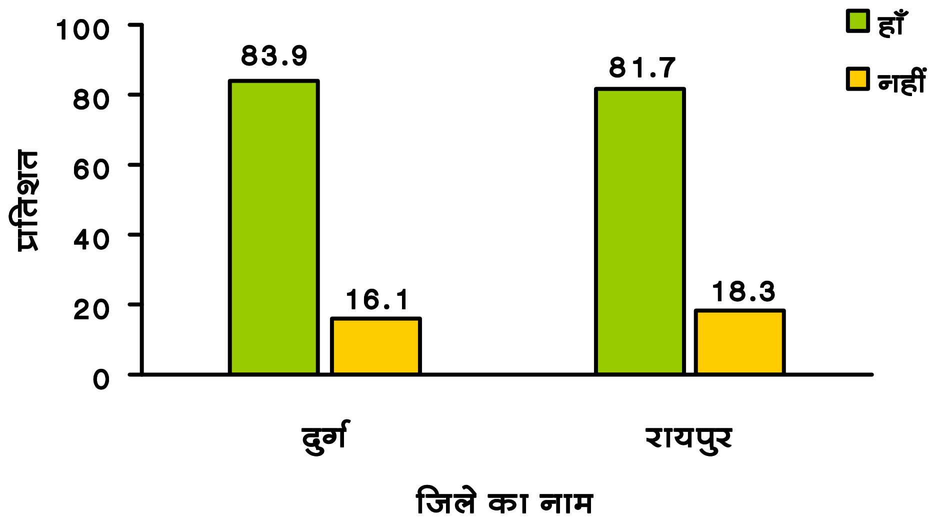

संदर्भ

1. योजना (2016); भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हिन्दी मासिक पत्रिका, जनवरी, पृ.
2. Pandhy Kishor Chand (1986); Rural Development in Modern India, B.R. Publishing Corporation, New Delhi, p. 252.
3. Wimkok (2000); Prime Minister of Netherlands in the inauguration of 2nd World Water Forum held in Netherlands during 17-22, March, p.1.
4. प्रशासकीय प्रतिवेदन (2014-15); नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन, पेज नं. 30.
5. Dubey, S.C., (1958); India's changing villages human factors in community development. Routledge and Kegan Paul Ltd., London, p. 26.

अध्याय - पंचम

शासकीय योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयां

अध्याय – पंचम

शासकीय योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयां

पंचायती राज व्यस्था तथा विभिन्न स्तरों की स्वशासन संस्थाओं की तरह शहरी क्षेत्रों में भी विभिन्न स्वशासन संस्थाएं होती है। बड़े शहरों में या नगरीय क्षेत्र के लिए नगर महापालिका या नगर निगम, उससे छोटे नगर के लिए नगर पालिका तथा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के बीच वाले क्षेत्र जो नगर से छोटा है नगर पंचायत व्यवस्था है इन सभी के द्वारा स्थानीय समस्याओं का निराकरण किया जाता है। वर्तमान में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है जैसे पंचधारा योजना जिसके अंतर्गत वात्सल्य योजना, ग्राम्य योजना, आयुष्मती योजना, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजना, इसके अतिरिक्त अपनी बेटी अपना धन योजना आदि। "नगरीय निकायों में इन योजनाओं को लागू करने के समय अनेक कठिनाईयाँ उत्पन्न होती है। जैसे –

(1) **दल बन्दीः-** पंचायती राज व्यवस्था की चुनाव प्रणाली ने लोगों को दलों में बाँट दिया है। ये दल अपनी शक्ति के प्रदर्शन में लगे रहते है। जिससे अपने निर्धारित कार्यक्रमों का सम्पादन नहीं कर पाते।

(2) **भ्रष्टाचार :-** पंचायती राज के प्रभावों से भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। पंचायत के नेताओं तथा उनके निकट समर्थकों व सम्बन्धियों का सम्पर्क सत्ता के बड़े केन्द्रों से होता है। जो अपनी निजी तथा जाति बिरादरी के सदस्यों के स्वार्थो की पूर्ति के लिए सत्ता का दुरूपयोग करते है।

(3) **तनाव व संघर्षः-** पंचायती राज के पीछे यह धारणा बदलती रही है कि एक नये नेतृत्व का विकास होगा जो जाति, धर्म व वर्ग के हितों से अलग होगा, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। आज बहुसंख्यक जाति समूह के नेता ही प्रधान हो जाते है। इसके फलस्वरूप नगरों एवं गाँवों में सामाजिक तनाव बढ़ा है।

(4) **सहयोग का अभाव :-** योजना की मूल धारणा यह रही है कि, जब भी किसी प्रकार की योजना लागू की जाये तो समुदाय के लोगों की सहभागिता हो लेकिन ऐसा हीं हुआ योजना एक सरकारी कार्यक्रम बन कर रह गई। इससे न तो लोगों ने श्रम से और न ही पूंजी से सहयोग दिया। यह योजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी कठिनाई है।

(5) **शिक्षा का अभावः-** योजनाओं के कार्यक्रम जो पंचायती राज व्यवस्था में लागू किए जाने है उसके बारें में शिक्षा के अभाव के कारण जानकारी अप्राप्त होती है और यदि किसी तरह से जानकारी हो भी जाती है तो उसके संचालन की प्रक्रिया मालूम नहीं होती।

(6) **प्रशासनिक प्रक्रिया :-** योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक कार्य समय पर पूर्ण न होने के कारण कठिनाईयाँ होती है।

(7) **दल-बदलः-** नेताओं के दल-बदल की प्रवृत्ति के कारण भी योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाईयाँ आती है।

(8) **संचार एवं सूचनाओं का भी अभावः-** संचार साधानों द्वारा योजना सम्बन्धी सूचनाओं का प्रसारण नहीं हुआ। जिन माध्यमों द्वारा कार्यक्रमों का प्रचार किया गया, वह सही साबित नहीं हुआ।

(9) **प्रशिक्षित नेतृत्व का अभावः-** विकास योजना की कठिनाई का एक प्रमुख कारण प्रशिक्षित नेतृत्व का न होना कहा जा सकता है। जो नेता नियुक्त हुए वे योजनाओं से अनभिज्ञ रहे।

योजनाओं के क्रियान्वयन में बजट का सही समय पर प्राप्त न होना भी कठिनाईयों को उत्पन्न करता है। बलवन्त राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को जिस रूप में संगठित कर कार्य की योजना बनाई उनमें उद्योग, मातृत्व व बाल-कल्याण, स्वच्छता व सफाई, परिवहन व संचार तथा आर्थिक विकास के संदर्भ में प्रयत्न करना है।

देसाई ए.आर. (1961)[1] का कहना है कि, "समुदाय के संरचनात्मक भेद व असमानता को योजनाकारों ने नजरअन्दाज किया जिसका परिणाम योजना की विफलता है।"

योजना के क्रियान्वयन करने के लिए योजना के चुनाव का स्वरूप :-

नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद की भूमिका योजना के चुनाव तथा क्रियान्वयन में अपने वार्ड तक ही सीमित होता है इस अर्थ में वार्ड पार्षद की भूमिका बेहद सीमित होती है। प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययनगत महिला पार्षदों से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है अपने वार्ड में योजना का चुनाव किस प्रकार से करते है। प्राप्त तथ्यों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका क्रमांक - 5.1

योजना के क्रियान्वयन करने के लिये योजना के चुनाव का स्वरूप

क्रं.	जिले का नाम	जनहित के आधार पर		आवश्यकताओं के आधार पर		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	55	88.7	7	11.3	62	100
2.	रायपुर	56	93.3	4	6.7	60	100
योग		111	91.0	11	9.0	122	100

योजना के क्रियान्वयन संबंधी योजना के चुनाव के विवरण से स्पष्ट है कि 91.0 प्रतिशत जनहित के आधार पर व 9.0 प्रतिशत योजना के आवश्यकता के आधार पर चुनाव करते है।

निष्कर्ष के रूप में तुलनात्मक रूप से जनहित के आधार पर रायपुर के पार्षद अधिक संवेदनशील है। वहीं दूसरी ओर दुर्ग नगर निगम के पार्षद योजना का क्रियान्वयन आवश्यकताओं के आधार पर करते है।

योजना प्रस्ताव को भेजे जाने वाले विभाग :-

वार्ड पार्षद के द्वारा अपने वार्ड में आवश्यकता की दृष्टि से बनाये गये योजना का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए सर्वप्रथम कहां भेजा जाता है इस विषय में वार्ड पार्षदों में जागरूकता की स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 5.2

योजना प्रस्ताव को भेजे जाने वाले विभाग

क्रं.	जिले का नाम	विभाग					
		निगम प्रशासन		संबंधित विभाग		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	50	80.6	12	19.4	62	100
2.	रायपुर	57	95.0	3	5.0	60	100
योग		107	87.8	15	12.2	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजना का चुनाव करने के पश्चात स्वीकृति हेतु पार्षद सर्वाधिक 87.8 प्रतिशत निगम प्रशासन को व 12.2 प्रतिशत संबंधित विभाग को भेजते है रायपुर जिले के सर्वाधिक 95.0 प्रतिशत पार्षद निगम प्रशासन को व दुर्ग जिले के 19.4 प्रतिशत पार्षद अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु संबंधित विभाग को स्वीकृति हेतु भेजते है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि वार्ड पार्षदों को अपने वार्ड की योजना को स्वीकृति हेतु निगम प्रशासन को भेजना होता है तत्पश्चात उसकी प्रशासनिक स्वीकृति पर कार्य लागू होता है कुछ विशेष मामलों में प्रकरण संबंधित विभाग को भेजा जाता है जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा पेयजल, स्वच्छता, बाजार विभाग जो प्रत्येक नगर निगम/पंचायत के अंतर्गत गठित होता है पर अंतिम स्वीकृति निगम प्रशासन ही देता है।

योजना स्वीकृत कराने में समस्या आना :-

यद्यपि कोई भी योजना पार्षद से नगर निगम प्रशासन को भेजी जाती है जिसे स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजा जाता है। योजना को स्वीकृत कराने में अनेक प्रकार की प्रशासनिक दिक्कते आती है इन दिक्कतों में कौन-कौन सी बात मुख्य होती है इसे निम्न तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है:-

तालिका क्रमांक - 5.3

योजना स्वीकृत कराने में समस्या आना

क्रं.	जिले का नाम	समस्या आना					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	7	11.3	55	88.7	62	100
2.	रायपुर	9	15.0	51	85.0	60	100
योग		16	13.1	106	86.9	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 86.9 प्रतिशत पार्षदों ने बताया है कि उन्हे अपनी योजना को शासन से स्वीकृत कराने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। जबकि 13.1 प्रतिशत पार्षदों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दुर्ग जिले की तुलना में रायपुर जिले (15 प्रतिशत) के पार्षदों को शासन द्वारा अपनी योजना को स्वीकृत करने में समस्याओं का सामना अधिक करना पड़ता है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अधिकांश महिला पार्षदों को योजना की स्वीकृति हेतु बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना नहीं होता है जिन महिला पार्षदों ने समस्या आने की जानकारी दिया है उनमें ऐसे पार्षद शामिल है जिन्हे ज्यादा प्रशासनिक अनुभव नहीं है तथा वे ऐसे सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से जो उन्हे सीमित दायरे में रहने को प्रेरित करती है।

आरेख

योजना स्वीकृत कराने में समस्या आना

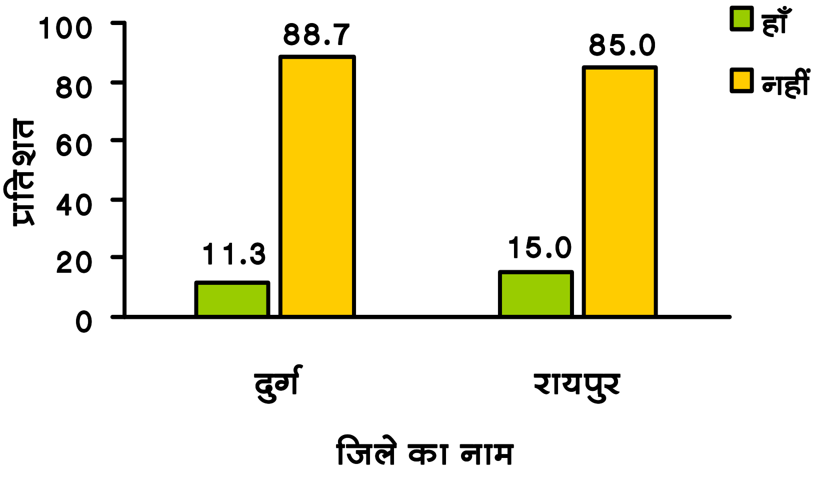

समस्या का स्वरूप :-

जिन 16 वार्ड पार्षदों ने योजना को स्वीकृत कराने में किसी न किसी प्रकार की समस्या आने की बात कही उनसे यह भी ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि उन समस्याओं का स्वरूप किस प्रकार का होता जो कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 5.3.1

समस्या का स्वरूप

(N = 16)

क्रं.	जिले का नाम	समस्या का स्वरूप					
		बजट की राशि का स्वीकृत न होना		अनुदान न मिलना		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	3	42.9	4	57.1	7	100
2.	रायपुर	4	44.4	5	55.6	9	100
योग		7	43.7	9	56.3	16	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शासन से योजना को स्वीकृत कराने में वार्ड पार्षदों को अधिकतर समस्याएं 56.3 प्रतिशत बजट की राशि का स्वीकृत न होना है जबकि समय पर अनुदान नहीं मिलने से 43.7 प्रतिशत समस्याएं आती है वही जिले के आधार पर देखा जाए तो रायपुर 55.6 प्रतिशत एवं दुर्ग 57.1 प्रतिशत दोनों जिलों में बजट की राशि का स्वीकृत न होना अधिक पाया गया है इसका प्रमुख कारण है कि उच्च अधिकारी लोग वार्ड के विकास के लिए

योजानाएं बनाते है किंतु जब क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करते है तो उदासीन रहते है। दूसरी ओर कुछ पार्षदों का मानना है कि प्रशासनिक अधिकारी उन कार्यो में अधिक रूचि दिखाते है जिनसे उन्हे व्यक्तिगत तौर पर फायदा हो।

बजट की समस्या का सामना करना :-

योजना प्रस्ताव भेजे जाने के पश्चात उसके स्वीकृति में होने वाले विलम्ब के साथ ही योजना को बजट राशि भी बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में यदि बजट की स्वीकृति प्रस्ताव में दिये गये राशि के आधार पर किया जाता है तो उससे योजना के क्रियान्वयन के दौरान में बजट में कमी आना स्वाभाविक हो जाता है इस विषय में अध्ययनगत वार्ड पार्षदों की स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक - 5.4

बजट की समस्या का सामना करना

क्रं.	जिले का नाम	बजट की समस्या आना					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	11	17.7	51	82.3	62	100
2.	रायपुर	15	25.0	45	75.0	60	100
योग		26	21.3	96	78.7	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजना क्रियान्वयन के दौरान नगरीय निकाय के वार्ड पार्षदों को योजनान्तर्गत बजट की कमी जैसी समस्याओं का सामना 21.3 प्रतिशत करना पड़ा जबकि 78.7 प्रतिशत वार्ड पार्षदों को इस संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई है जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग जिले की तुलना में रायपुर जिले के 25 प्रतिशत वार्ड पार्षदों को बजट की कमी का सामना करना पड़ा जिसे विपरित दुर्ग के 82.3 प्रतिशत वार्ड पार्षदों को इस संबंध में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा।

निष्कर्षतः प्राप्त तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि लगभग 21.3 प्रतिशत पार्षदों को योजनान्तर्गत बजट की समस्या का सामना करना पड़ा है, जिससे योजना का रूक-रूक कर चलना, बजट अवधि से अधिक समय लगना, कार्य का बजट से ज्यादा होना मुख्य रूप से रहा है।

आरेख

बजट की समस्या का सामना करना

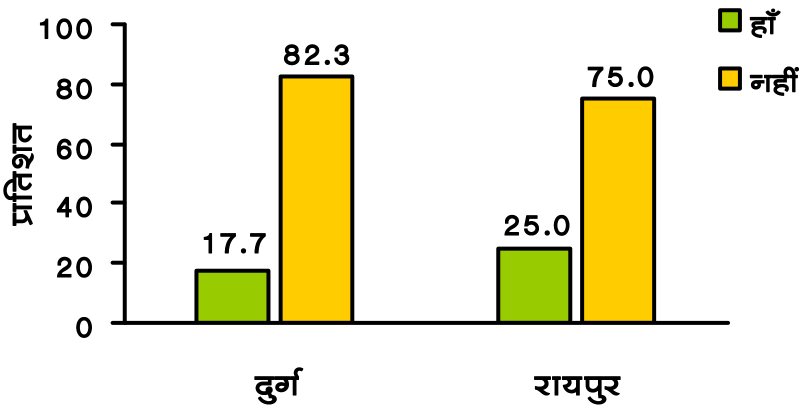

बजट संबंधी समस्या के समाधान का स्वरूप :-

जिन 26 महिला पार्षदों ने योजना के क्रियान्वयन के दौरान बजट संबंधी समस्या आने की जानकारी है उनसे इनके समाधान के विषय में किये जाने वाले प्रयासों को भी ज्ञात किया गया है इस विषय में उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक - 5.4.1

बजट संबंधी समस्याओं के समाधान का स्वरूप

(N = 26)

क्रं.	जिले का नाम	समाधान का स्वरूप					
		स्वयं के पैसे खर्च कर		शासन के द्वारा पुनः अनुरोध करके		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	5	45.5	6	54.5	11	100
2.	रायपुर	7	46.7	8	53.8	15	100
योग		12	46.2	13	52.0	26	100

बजट संबंधी उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 52 प्रतिशत पार्षदों ने शासन के द्वारा वित्तिय सहायता प्राप्त की जबकि 46.2 प्रतिशत वार्ड पार्षदों ने वार्ड के विकास हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन व समस्याओं के निराकरण के लिए स्वयं के पैसे खर्च किए है। जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग 45.5 प्रतिशत की तुलना में रायपुर के 46.7 प्रतिशत वार्ड पार्षदों ने स्वयं के पैसे खर्च अधिक किए है जबकि, रायपुर 53.8 प्रतिशत की तुलना में दुर्ग के 54.5 प्रतिशत वार्ड पार्षदों ने शासन के द्वारा सहायता अधिक प्राप्त किए है।

प्राप्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि लगभग 46.2 प्रतिशत पार्षदों को वार्ड के योजनाओं में स्वयं का पैसा खर्च करना पड़ता है, पर वास्तव में यह आंशिक सत्य है क्योकि विकास योजना का बजट लाखों में होता है और एक वार्ड पार्षद की आय इतनी नहीं होती कि वह स्वयं के पैसे से वार्ड में कार्य कराये।

योजना के क्रियान्वयन में लगने वाली अवधि :-

न केवल नगरीय निकायों में वरन प्रत्येक शासकीय संस्थानों में योजना का प्रस्ताव सामान्य तौर पर बजट सत्र के पूर्व प्रेषित किया जाता है, जिससे कि योजना वित्तिय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व स्वीकृत हो जाये। अनेक अवसरों पर समय पर ऐसा नहीं हो पाने की स्थिति में योजना को स्वीकृत होने में काफी वक्त लग जाता है। इस विषय में अध्ययनगत समूह के उत्तरदाताओं की स्थिति का निम्न तालिका के माध्यम से दर्शाया गया हैः-

तालिका - क्रमांक 5.5

योजना के क्रियान्वयन में लगने वाली अवधि

क्रं.	जिले का नाम	लगने वाली अवधि							
		2-3 माह		3-6 माह		6 माह से अधिक		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	4	6.5	8	12.9	50	80.6	62	100
2.	रायपुर	6	10.0	8	13.3	46	76.7	60	100
योग		10	8.2	16	13.1	96	78.7	122	100

तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 78.7 प्रतिशत वार्ड पार्षदों का कहना है कि योजना तैयार करने के पश्चात् उसे क्रियान्वयन करने में 6 से अधिक महीने का समय लगता है जबकि न्यूनतम 8.2 प्रतिशत पार्षदों ने बताया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में 2 से 3 माह का समय लगता है। तथा 13.1 प्रतिशत पार्षदों का मानना है कि किसी भी योजना का प्रस्ताव तैयार करने एवं उसके क्रियान्वयन में 3 से 6 माह का समय लगता है। उल्लेखनीय है कि रायपुर एवं दुर्ग दोनों ही नगरीय निकायों के पार्षदों ने माना है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में 3 से 6 माह का समय लगता है। जबकि रायपुर 76.7 प्रतिशत की तुलना में दुर्ग के 80.6 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि योजनाओं को क्रियान्वित करने में 6 माह से अधिक समय लगता है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बहुसंख्यक उत्तरदाताओं को योजना के क्रियान्वयन में 6 माह से भी अधिक समय लगता है।

निगम की बैठक में जाने हेतु परिवार से अनुमति लेना :-

भारतीय संदर्भ में महिलाओं का कार्यक्षेत्र परिवार के कार्यों तक ही मुख्य रूप से रहा है। विभिन्न कानुनी प्रावधानों के बाद उनके कार्य का दायरा बढ़ा है अब वे घर व संस्था के कार्यों को भी बखुबी कर रही है। सिसोदिया यतीन्द्र सिंह (2000)[2] ने अनुसूचित जाति के महिला नेतृत्वकृतियों का अध्ययन किया और यह तथ्य सामने आया कि "पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में महिलाओं में राजनीतिक अभिरूचि एवं अपने दायित्वों के प्रति सजगता बढ़ी है।"

इस विषय में अध्ययनगत महिला पार्षदों की क्या स्थिति है? इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 5.6

निगम की बैठकों में जाने के लिये परिवार से अनुमति लेना

क्रं.	जिले का नाम	परिवार से अनुमति लेना					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	15	24.2	48	77.4	62	100
2.	रायपुर	15	25.4	44	74.6	60	100
योग		30	24.6	92	75.4	122	100

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 75.4 प्रतिशत महिला वार्ड पार्षदों ने कहा है कि उन्हे निगम के बैठकों में जाने के लिए परिवार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती जबकि 24.6 प्रतिशत महिला पार्षदों को परिवार की अनुमति लेनी पड़ती है। दुर्ग की 77.4 प्रतिशत महिला पार्षदों ने बताया है कि उन्हे परिवार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है जबकि 24.2 प्रतिशत पार्षदों को अनुमति लेनी पड़ती है। इसी प्रकार रायपुर जिलें में भी 74.6 प्रतिशत महिला पार्षदों को परिवार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती इसका प्रमुख कारण है महिलाएं भी अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से सजग है एवं परिवार के सदस्य भी उनके समाज विकास कार्य करने में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करते है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, अधिकांश महिला पार्षदों को निगम की बैठक में जाने के लिए परिवार से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है इसे हम एक प्रकार से महिला सशक्तीकरण से भी जोड़कर देख सकते हैं।

अनुमति देने वाले पारिवारिक सदस्य :-

जिन 30 पार्षदों ने बैठकों में जाने के लिए परिवार के सदस्यों से अनुमति लेने की जानकारी दी है उनसे अनुमति देने वाले सदस्यों के विषय में जानकारी ली गयी। इस विषय में अधिकांश उत्तरदाताओं ने अपने पति से ही अनुमति लेना बतलाया है जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक - 5.6.1

अनुमति देने वाले सदस्य

(N = 30)

क्रं.	जिले का नाम	अनुमति देने वाले सदस्य							
		पति से		सास-ससुर से		परिवार के बुजुर्ग से		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	12	80.0	1	6.7	2	13.3	15	100
2.	रायपुर	12	80.0	2	13.3	1	6.7	15	100
योग		24	80.0	2	10.0	3	10.0	30	100

निगम के बैठकों में जाने के लिए परिवार के अनुमति संबंधी तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 80 प्रतिशत पार्षदों को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती है जबकि 10 प्रतिशत पार्षदों को परिवार के बुजुर्ग से तथा 10 प्रतिशत पार्षदों को सास-ससुर से अनुमति लेनी पड़ती है स्पष्ट है कि दुर्ग एवं रायपुर दोनों जिलों में महिला पार्षदों को पति से ही सर्वाधिक अनुमति लेनी पड़ती है। वही उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले के 13.3 प्रतिशत पार्षदों के सास-ससुर व 6.7 प्रतिशत परिवार के बुजुर्ग से अनुमति लेनी पड़ती है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक पार्षदों को अपने पति से ही अनुमति लेनी पड़ती है जिसका प्रमुख कारण एकाकी परिवार का होना है, जिसका मुखिया पति ही होता है जबकि संयुक्त परिवार में रहने वाली महिला पार्षदों की संख्या कम है, जिसके कारण सास-ससुर व बुजुर्गों से अनुमति कम लेनी पड़ती है।

बैठकों में साथ जाने वाले पारिवारिक सदस्य :-

निगम की बैठकों में साथ जाने वाले सदस्यों के विषय में उत्तरदाताओं से जानकारी ली गयी बहुसंख्यक उत्तरदाताओं के साथ कोई भी पारिवारिक सदस्य साथ नहीं जाता है बल्कि वे अकेली ही जाती है। यह तथ्य दर्शाता है कि महिलाओं में राजनीतिक नेतृत्व के साथ-साथ गतिशीलता व

आत्म-विश्वास भी बढ़ा है। मंडल अमल (2003)[3] के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि "40 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि नियमित रूप से पंचायतों की बैठकों में हिस्सा लेती है।"

निगम की बैठकों में साथ जाने वाले सदस्यों की जानकारी निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 5.7

निगम की बैठकों में साथ जाने वाले पारिवारिक सदस्य

क्रं.	जिले का नाम	सदस्य					
		पति के		अकेले		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	11	17.7	51	82.3	62	100
2.	रायपुर	14	23.3	46	76.7	60	100
योग		25	20.5	97	79.5	122	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 79.5 प्रतिशत महिला पार्षद निगम की बैठकों में अकेले जाती है जबकि 20.5 प्रतिशत पति के साथ जाती है जिले के आधार पर देखे तो रायपुर व दुर्ग दोनों ही जिलों में निगम के बैठकों में सर्वाधिक पार्षद अकेले जाती है वहीं 23.3 प्रतिशत पार्षद रायपुर जिले में पति के साथ एवं दुर्ग जिले में 17.7 प्रतिशत जाती है। आज के समाज में महिलाएं शिक्षित, स्वतंत्र व पूर्ण रूप से सक्रिय है जिसके कारण वे अपने दायित्वों का निर्वहन स्वयं ही करने में सक्षम होती है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बहुसंख्यक महिला पार्षद निगम पंचायत की बैठकों में अकेली जाती है, जबकि 20.5 प्रतिशत महिलाएं पति या अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ जाती है।

नगर के बाहर के बैठकों में भाग लेने हेतु पारिवारिक अनुमति की आवश्यकता :-

नगर के बाहर बैठकों में जाने के लिये परिवार की अनुमति लेने संबंधी विवरण से यह स्पष्ट हुआ है कि बहुसंख्यक महिला पार्षद इस बात से सहमत है कि उन्हे बैठकों में जाने के लिए पारिवारिक सदस्यों से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है इसे निम्न तालिका में स्पष्ट किया गया है।

तालिका क्रमांक - 5.8

नगर के बाहर की बैठकों में जाने के लिए परिवार की अनुमति की आवश्यकता

क्रं.	जिले का नाम	अनुमति की आवश्यकता					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	18	29.0	44	71.0	62	100
2.	रायपुर	17	28.3	43	71.7	60	100
योग		35	28.7	87	71.3	122	100

नगर के बाहर बैठकों में जाने संबंधी तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 71.3 प्रतिशत महिला पार्षदों को कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती है जबकि 28.7 प्रतिशत पार्षदों को अनमति लेनी पड़ती है। जिले के आधार पर देखें तो रायपुर 28.3 प्रतिशत की तुलना में दुर्ग 29.0 प्रतिशत जिले के महिला पार्षदों को अनुमति अधिक लेनी पड़ती है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक महिला पार्षदों को नगर से बाहर बैठकों में जाने के लिए परिवार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि अधिकांश महिला पार्षदों की एकाकी परिवार होने के कारण सास-ससुर व बुजुर्ग का दबाव नहीं रहता तथा पति भी उनके कार्य में सहयोग प्रदान करते है एवं किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं करते है इसका दूसरा पहलू नगरीय संस्कृति व आधुनिकीकरण का प्रभाव भी कहा जा सकता है।

आरेख

नगर के बाहर की बैठकों में जाने के लिए परिवार की अनुमति की आवश्यकता

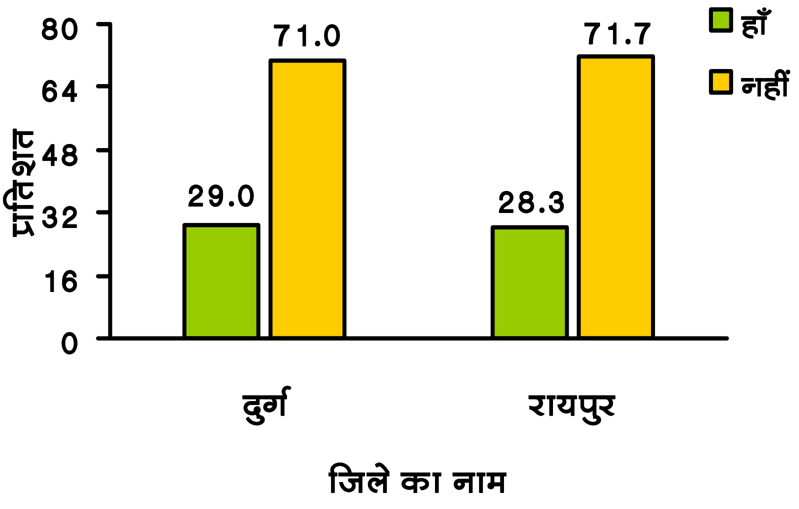

अनुमति देने वाले सदस्य :-

जिन 35 उत्तरदाताओं ने बैठकों में भाग लेने के लिए पारिवारिक सदस्यों से अनुमति लिए जाने की जानकारी दी है उनसे अनुमति देने वाले सदस्यों के विषय में भी सूचना ली गयी है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 5.8.1

अनुमति देने वाले सदस्य

(N = 35)

क्रं.	जिले का नाम	अनुमति देने वाले सदस्य							
		पति से		सास-ससुर से		त्तरिवार के बुजुर्ग से		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	15	83.3	2	11.1	1	5.6	18	100
2.	रायपुर	14	82.4	2	11.8	1	5.8	17	100
योग		29	82.8	4	11.4	2	5.7	35	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 82.8 प्रतिशत महिला पार्षदों ने कहा है कि नगर से बाहर बैठकों में जाने के लिए पति से अनुमति लेनी पड़ती है जबकि न्यूनतम 5.7 प्रतिशत परिवार के बुजुर्गों से व 11.4 प्रतिशत सास-ससुर से अनुमति लेनी पड़ती है। जिले के आधार पर तुलना करें तो रायपुर की अपेक्षा दुर्ग के महिला पार्षदों को अनुमति अधिक लेनी पड़ती है वहीं पति की अपेक्षा सास-ससुर व परिवार के बुजुर्ग से अनुमति कम लेनी पड़ती है।

स्पष्ट है कि बहुसंख्यक उत्तरदाताओं को नगर के बाहर आयोजित होने वाले बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती है। अध्ययन से ज्ञात तथ्य यह भी दर्शाता है कि नगरीय क्षेत्रों में परिवार एकाकी होने पर पति तथा संयुक्त होने की स्थिति में भी पति ही महिला पार्षद को अनुमति प्रदान करता है। यह तथ्य परिवार के वृद्ध सदस्यों की घटती भूमिका को दर्शाता है।

घरेलु कार्यों में पारिवारिक सदस्यों का योगदान :-

विभिन्न शोध अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि न केवल आर्थिक कार्यो बल्कि किसी भी पद पर रहते हुए कार्य करने वाली महिलाओं को उनके पारिवारिक सदस्यों का पर्याप्त सहयोग प्राप्त होता है। महिला पार्षदों को भी क्या उनके पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होता है अथवा नहीं इस विषय में जानकारी ली गई जो निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 5.9

घरेलू कार्यों में परिवार के सदस्यों का योगदान

क्रं.	जिले का नाम	घरेलु कार्यों में परिवार के सदस्यों का योगदान					
		पूर्णतः		आंशिक		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	59	95.2	3	4.8	62	100
2.	रायपुर	57	95.0	3	5.0	60	100
योग		116	95.1	6	4.9	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि घरेलु कार्यो में 95.1 प्रतिशत महिला पार्षदों को परिवार के सदस्यों का पूर्णतः सहयोग मिलता है जबकि 4.9 प्रतिशत पार्षदों को आंशिक रूप से ही सहयोग मिलता है। जिले के आधार पर देखें तो रायपुर 95.0 प्रतिशत की तुलना में दुर्ग जिले के 95.2 प्रतिशत महिला पार्षदों को परिवार के सदस्यों का पूर्णतः सहयोग प्राप्त हुआ है इससे स्पष्ट है कि महिला पार्षदों को परिवार के सदस्यों द्वारा किसी न किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त हुआ है। यह महिलाओं की क्रमशः बढ़ती हुई सामाजिक स्थिति को दर्शाता है कि, वर्तमान समय में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरूषों के समकक्ष कार्य कर रही है जिसका मुख्य कारण परिवार एवं पति का सहयोग ही है।

पार्षद पद का दायित्व और परिवार के कार्यों में सामंजस्य का स्वरूप :-

कार्यशील महिलाओं पर किये गये शोध अध्ययन कपूर प्रमिला (1976)[4] व चन्द्रा सुभाष (2003)[5] से यह ज्ञात हुआ है कि कार्यशील महिला को परिवार तथा संस्था के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने में अनेक व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना होता है। इस संबंध में उत्तरदाताओं से जानकारी ली गई जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 5.10

पार्षद पद का दायित्व और परिवार के कार्यों में सामंजस्य का स्वरूप

क्रं.	जिले का नाम	सामंजस्य का स्वरूप							
		घरेलु कार्यो के लिए नौकर रखकर		पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से		पति के सहयोग से		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	2	3.2	20	32.3	40	64.5	62	100
2.	रायपुर	1	1.7	19	31.7	40	66.6	60	100
योग		3	2.4	39	32.0	80	65.6	122	100

उपरोक्त तालिका में महिला पार्षदों द्वारा अपने पद व पारिवारिक कार्यो में सामंजस्य सर्वाधिक 65.6 प्रतिशत पति के सहयोग से कर लेते है जबकि 32.0 प्रतिशत पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से व 2.4 प्रतिशत घरेलू कार्यों के लिए नौकर रखकर करते है। उपरोक्त नगरीय निकायों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि रायपुर की तुलना में दुर्ग के महिला पार्षदों द्वारा अपने पद और परिवार के कार्यों में सामंजस्य अधिक देखने को मिलता है।

जो उत्तरदाता पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन स्वयं एवं पति के साथ मिलकर कर पाती है उनमें अधिकांश एकाकी परिवार की सदस्य है जबकि कुछ को परिवार में कार्य का सीमित उत्तरदायित्व मिला होने के कारण वे उन कार्यों को आसानी से कर पाती है। प्राप्त तथ्य यह दर्शाता है कि आज महिलाएं अपने सेवा/संस्था से जुड़े कार्यों के साथ-साथ अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को भी बेहतर ढंग से कर पाने में सफल रही है।

आरेख

पार्षद पद का दायित्व और परिवार के कार्यों में सामंजस्य का स्वरूप

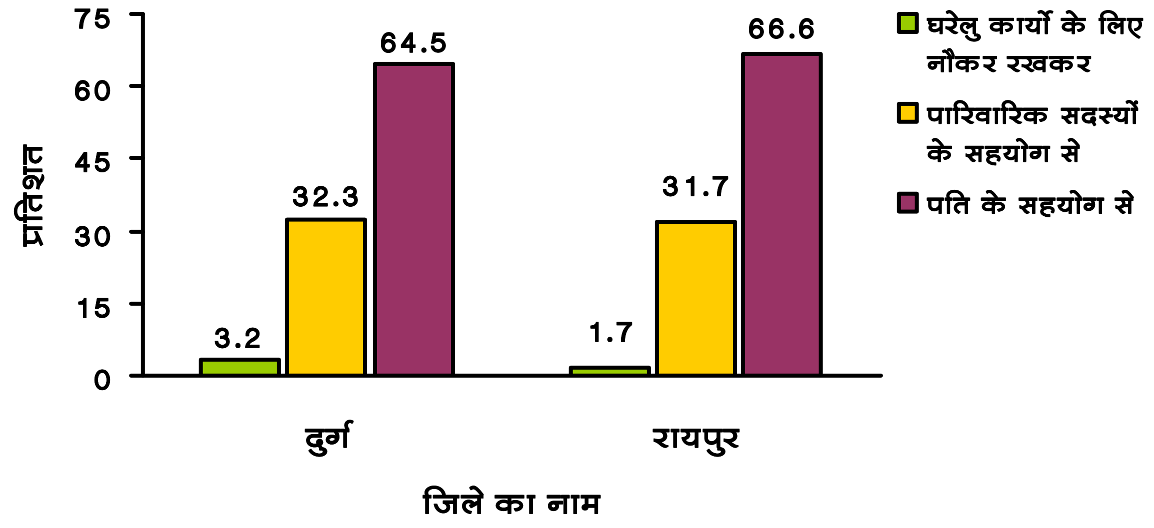

जिम्मेदारी को लेकर विवाद/तनाव की स्थिति :-

भूमिका सघर्ष की स्थिति में महिलाओं को अनेक शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं से जुझना होता है। इन समस्याओं में अवसादग्रस्त होना, पारिवारिक तनाव की स्थिति निर्मित होना, शारीरिक परेशानियों एवं पारिवारिक सदस्यों से मतभेद होना सामान्य बातें है।

वार्ड पार्षद के रूप में कार्य करते हुए महिला पार्षदों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 5.11

जिम्मेदारी को लेकर कभी परिवार में विवाद/तनाव की स्थिति आना

क्रं.	जिले का नाम	विवाद/तनाव की स्थिति					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	0	-	62	100	62	100
2.	रायपुर	1	1.7	59	98.3	60	100
योग		1	0.8	121	99.2	122	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सबसे अधिक 99.2 प्रतिशत महिला पार्षदों ने कहा है कि घरेलु कार्य और पार्षद पद की जिम्मेदारी को लेकर कभी परिवार में विवाद व तनाव की स्थिति नहीं आई है। जबकि 0.8 प्रतिशत महिला पार्षदों ने कहा है कि पद की जिम्मेदारी को लेकर विवाद व तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है।

प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि, सर्वाधिक पार्षदों को पद की जिम्मेदारियों को लेकर परिवार में विवाद व तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि घरेलु कार्यों के लिए परिवार के बुजुर्ग एवं पति का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है।

बच्चों के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन कर पाना :-

कामकाजी महिलाओं के अध्ययन में उर्मिला जेठानी (1994)[6] ने यह बतलाया है कि कार्यशील होने के कारण महिलाएं अपने परिवार तथा बच्चों को पर्याप्त समय नही दे पाती है। इस विषय में उत्तरदाताओं की स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 5.12

कार्यो की व्यस्तता के कारण अपने बच्चों के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन

क्रं.	जिला का नाम	कर्तव्यों का निर्वहन कर पाना									
		स्वयं		पति के द्वारा		परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा		नौकरों के द्वारा		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	30	48.4	19	30.6	12	19.4	1	1.6	62	100
2.	रायपुर	32	53.3	16	26.7	11	18.3	1	1.7	60	100
योग		62	50.8	35	28.7	23	18.9	2	1.6	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 50.8 प्रतिशत महिला पार्षद अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वाहन स्वयं करती है व न्यूनतम 1.6 प्रतिशत नौकरों के द्वारा, 18.9 प्रतिशत परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा एवं पति के द्वारा 28.7 प्रतिशत सहयोग प्राप्त करती है। जिले के आधार पर देखा जाए तो रायपुर जिले में सर्वाधिक 53.3 प्रतिशत पार्षदों द्वारा स्वयं अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है इस प्रकार दुर्ग में पति के द्वारा व परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा सर्वाधिक सहयोग लिया जाता है जबकि सबसे कम नौकरों द्वारा दोनों ही जिलों में 1.6 व 1.7 प्रतिशत सहयोग प्राप्त करते है।

स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि अधिकांश महिला पार्षद बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन स्वयं कर लेती है जबकि कुछ पार्षदों को पति व अन्य पारिवारिक सदस्य इस कार्य में मदद करते है जिसका कारण कार्य की अधिकता होना माना है।

वार्ड के लोगों का सहयोग मिलना :-

विकास कार्यों में जनसहयोग एक महत्वपूर्ण बिन्दु होता है क्योंकि जनसहयोग के अभाव में कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। इकबाल नारायन (1987)[7] ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि "विकास कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन जनता की सहभागिता अर्थात उनके द्वारा किए जाने वाले सहयोग पर निर्भर करता है।" मिश्रा यतीश (1994)[8] के अनुसार "योजनाओं के अनुकूलतम परिणाम तभी प्राप्त होते है जब लोगों की सहभागिता एवं योजनाओं के प्रति समर्पित भावना होती है।" इस विषय में अध्ययन क्षेत्र के महिला पार्षदों के सहयोग की स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 5.13

वार्ड के लोगों का सहयोग मिलना

क्रं.	जिले का नाम	लोगों का सहयोग मिलना					
		हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	52	83.9	10	16.1	62	100
2.	रायपुर	49	81.7	11	18.3	60	100
योग		101	82.8	21	17.2	122	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि रायपुर जिले के 81.7 प्रतिशत की तुलना में दुर्ग जिले के 83.9 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि उन्हे अपने वार्ड विकास कार्यों में वहां के निवासियों का पूर्ण सहयोग मिलता है जबकि रायपुर जिले के 18.3 प्रतिशत पार्षदों ने बताया है कि उन्हे वार्डवासियों द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं होता है दोनों ही नगरीय निकायों के विवरण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 82.8 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि उन्हे अपने वार्डवासियों का सहयोग प्राप्त होता है जबकि 17.2 प्रतिशत पार्षदों को वार्डवासियों का सहयोग नहीं मिलता है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बहुसंख्यक महिला पार्षदों को वार्ड के लोगों का सहयोग प्राप्त होता है।

वार्ड के लोगों के सहयोग का स्वरूप :-

नगरीय क्षेत्रों में जनसहयोग प्राप्त करना दुर्गम होता है क्योंकि लोगों के पास समय का अभाव होता है या वे स्वयं भी रूचि नहीं दिखवाते है। अध्ययनगत समूह के जिन 101 उत्तरदाताओं ने स्थानीय लोगों के सहयोग मिलने की जानकारी दी है उनसे इसके स्वरूप को ज्ञात किया गया है जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 5.13.1

वार्ड के लोगों के सहयोग का स्वरूप

(N = 101)

क्रं.	जिले का नाम	सहयोग का स्वरूप					
		अपना बहुमूल्य समय देकर		वार्ड के विकास कार्यों में सहयोग करके		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	18	34.6	34	65.4	52	100
2.	रायपुर	15	30.6	34	69.4	49	100
योग		33	32.7	68	67.3	101	100

उपरोक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि वार्ड के विकास कार्यो में 34.6 प्रतिशत दुर्ग जिले के निवासी अपना बहुमूल्य समय देकर सहयोग प्रदान करते है। किन्तु रायपुर जिले के 69.4 प्रतिशत निवासी अपना बहुमूल्य समय नहीं देते तो वे वार्ड के विकास कार्यो में बाधा भी नहीं पहुंचाते है। नगरीय निकाय के आधार पर देखे तो 32.7 प्रतिशत वार्डवासी अपना बहुमूल्य समय प्रदान करते है जबकि अधिकांश 67.3 प्रतिशत वार्डवासी विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं पहुंचाते है। बहुत कम महिला पार्षद अपने वार्ड के विकास कार्य के लिए समय निकाल पाते है।

वार्ड के लोगों के सहयोग की पर्याप्ता :-

जिन 101 पार्षदों ने वार्ड के लोगों से सहयोग प्राप्त होने की जानकारी दिया है उनसे सहयोग के स्वरूप को भी ज्ञात किया गया है। इस विषय में बहुसंख्यक महिलाओं से सहयोग को पूर्णतः बतलाया है जो कि निम्न तालिका में दर्शित हैः-

तालिका क्रमांक - 5.14

वार्ड के लोगों के सहयोग की पर्याप्ता

(N = 101)

क्रं.	जिले का नाम	सहयोग की पर्याप्ता							
		पूर्णतः		आंशिक		नहीं के बराबर		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	40	76.9	10	19.2	2	3.8	52	100
2.	रायपुर	35	71.5	11	22.4	3	6.1	49	100
योग		75	74.3	21	20.7	5	5.0	101	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 74.3 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि उन्हे वार्डवासियों का सहयोग मिलता है जबकि 20.7 प्रतिशत पार्षदों को आंशिक व 5 प्रतिशत पार्षदों को नहीं के बराबर सहयोग प्राप्त होता है।

यदि हम प्राप्त तथ्यों को क्षेत्र कार्य के अनुभव के आधार पर व्याख्या करें तो यह स्पष्ट है कि लगभग 30 प्रतिशत पार्षदों को स्थानीय लोगों के असहयोग का सामना करना पड़ता है क्योंकि जिसे उत्तरदाताओं ने आंशिक सहयोग माना है। वह वास्तव में नहीं के बराबर है। ऐसा तथ्य संकलन के दौरान महिला पार्षदों का मत था।

वार्ड के लोगों के द्वारा कार्य करने हेतु दबाव:-

नगरीय क्षेत्रों में पेयजल, सेनीटेशन, नाली की साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन मुरव्य समस्या होती है। संचार माध्यमों में भी इन्ही मुद्दों से संबंधित समाचार बहुतायत में देरवने को मिलता है। अध्ययन क्षेत्र से संबंधित मुरव्य समस्याओं का विवरण निम्न हैः -

तालिका क्रमांक - 5.15

वार्ड के लोगों के द्वारा कार्य करने हेतु दबाव

क्रं.	कार्य करने हेतु दबाव	दुर्ग				रायपुर				योग			
		हां		नहीं		हां		नहीं		हां		नहीं	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	नाली की साफ-सफाई	24	38.7	38	61.3	22	36.7	38	63.3	46	37.7	76	62.3
2.	पेयजल	16	25.8	46	74.2	17	28.3	43	71.1	33	27.0	89	73.0
3.	कचरा उठाने को लेकर	14	22.6	48	77.4	12	20.0	48	80.0	26	21.3	96	78.7
4.	विद्युत व्यवस्था	1	1.6	61	98.4	2	3.3	58	96.7	3	2.5	119	97.5
योग		55	22.2	193	77.8	53	22.1	187	77.9	108	22.1	380	77.9

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अधिकतर 37.7 प्रतिशत पार्षदों पर नाली की साफ-सफाई को लेकर दबाव बनाया जाता है। तत्पश्चात् पेयजल 27.0 प्रतिशत, कचरा उठाने को लेकर 21.3 प्रतिशत व सबसे कम विद्युत व्यवस्था के लिये 2.5 प्रतिशत पार्षदों को वार्डवासियों के द्वारा दबाव डाला जाता है। जिले के आधार पर देखे तो भी स्पष्ट है कि सर्वाधिक दबाव नाली की साफ-सफाई को लेकर व न्यूनतम विद्युत व्यवस्था के लिए डाला जाता है इसका प्रमुख कारण है कि सभी घरों में अशुध्द जल के साथ कुड़ा-करकटों को भी नालियों में प्रवाहित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप अनेक बिमारीयां एवं स्वच्छता की समस्या उत्पन्न होती है जिससे पार्षदों पर सफाई के लिए दबाव डाला जाता है जबकि छत्तीसगढ़ विद्युत कटौती मुक्त राज्य होने के कारण बिजली की समस्या कम उत्पन्न होती है जिसके फलस्वरूप इस पर दबाव कम डाला जाता है।

वार्ड के लोगों की शिकायतों के प्रति अभिमत :-

वार्ड पार्षदों की मुख्य भूमिका वार्ड में आने वाली समस्याओं का निराकरण में होती है यदि पार्षदों द्वारा इन समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तो वार्डवासीयों के द्वारा शिकायत की जाती है। लोगों द्वारा की गई शिकायते मुख्यतः नालियों की साफ-सफाई, पेयजल तथा कचरा उठाने को लेकर होती है जिसे पार्षद सहज रूप में, गंभीरतापूर्वक तथा चुनौतीपूर्ण ढंग से लेते है। अध्ययन क्षेत्र से निम्न संबंधी जानकारी तालिका में दर्शायी गयी है:-

तालिका क्रमांक – 5.16

वार्ड के लोगों की शिकायतों के प्रति अभिमत

क्रं.	जिले का नाम	शिकायत का स्वरूप							
		सहज रूप में		चुनौतीपूर्ण		गंभीरतापूर्वक		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	39	62.9	7	11.3	16	25.8	62	100
2.	रायपुर	38	63.3	6	10.0	16	26.7	60	100
योग		77	63.1	13	10.7	32	26.2	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि नाली की साफ-सफाई, पेयजल कचरा उठाने को लेकर एवं विद्युत व्यवस्था से संबंधित शिकायतों को सर्वाधिक 63.1 प्रतिशत पार्षद सहज रूप में लेते है तत्पश्चात 26.2 प्रतिशत गंभीरतापूर्वक व सबसे कम 10.7 प्रतिशत पार्षद चुनौतीपूर्ण लेते है। जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग जिले की तुलना में रायपुर जिले के पार्षद वार्डवासियों के शिकायतों को सहजरूप में एवं गंभीरतापूर्वक अधिक लेते है जबकि दुर्ग जिले 11.3 के प्रतिशत पार्षद रायपुर जिले के पार्षदों की तुलना में वार्डवासियों के शिकायतों को चुनौतीपूर्ण रूप में अधिक लेते है। बहुसंख्यक महिला पार्षद वार्ड के लोगों के शिकायत को सहज रूप से लेते है यह तथ्य दर्शाता है कि वार्ड पार्षद उन शिकायतों के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया देते है न कि गंभीर इस तथ्य के भी दो पहलू है एक यह कि वे यह मानकर चलते है कि अच्छा काम करने पर भी लोग शिकायत लेकर आएंगे ही और दूसरा यह कि वे इनके प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं होते अर्थात उस पर कार्यवाही हो इसकी संभावना कम होती है।

आरेख

वार्ड के लोगों की शिकायतों के प्रति अभिमत

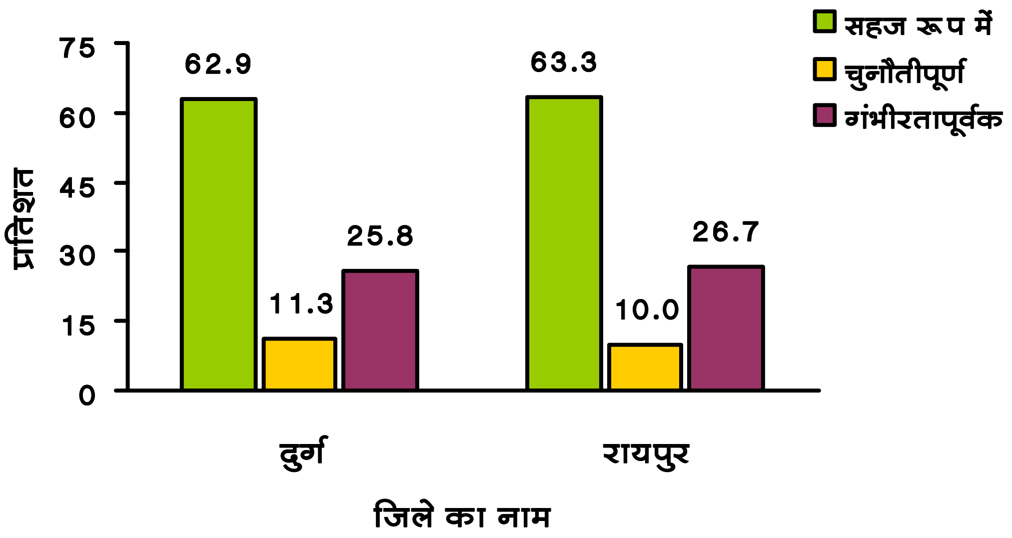

वार्ड के लोगों से हुए वाद-विवाद की घटनाएं :-

नगरीय क्षेत्रों में महिला पार्षदों के कार्यकाल के दौरान वार्ड के लोगों की समस्याओं का समाधान करते समय वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। अधिकत्तर चौड़ीकरण को लेकर झुग्गी-झोपड़ी हटाने से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के घटनाओं से संबंधित वाद-विवाद की घटानाएं नगरीय क्षेत्रों में आम बात होती है। इस विषय में प्राप्त तथ्य निम्न तालिका से स्पष्ट है:-

तालिका क्रमांक - 5.17

कार्यकाल के दौरान वार्ड के लोगों से हुए वाद-विवाद की मुख्य घटनाएं

क्रं.	जिले का नाम	वाद-विवाद की घटनाएं											
		कोई घटना नहीं		बाजार विवाद		विरोधी दल द्वारा बाधा		सड़क चौड़ीकरण को लेकर विवाद		झुग्गी झोपड़ी हटाना		योग	
		आ.	प्रतिशत	आ.	प्रतिशत	आ.	प्रतिशत	आ.	प्रतिशत	आ.	प्रतिशत	आ.	प्रतिशत
1.	दुर्ग	56	90.3	3	4.8	1	1.6	1	1.6	1	1.6	62	100
2.	रायपुर	50	83.4	6	10	2	3.3	2	3.3	0	-	60	100
योग		106	86.9	9	7.3	3	2.5	3	2.5	1	0.8	122	100

कार्यकाल के दौरान वार्ड के लोगों से हुए वाद-विवाद समस्या से संबंधित घटनाओं को लेकर अधिकतर 86.9 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई जबकि 7.3 प्रतिशत बाजार विवाद, 2.5 प्रतिशत विरोधी दल द्वारा बाधा व सड़क चौड़ीकरण को लेकर विवाद तथा 0.8 प्रतिशत झुग्गी झोपड़ी हटाने से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई है। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग की तुलना में रायपुर जिले के पार्षदों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बहुसंख्यक महिला पार्षदों के कार्यकाल में कोई गंभीर विवाद या समस्या वार्ड में नहीं आई है जिसका कारण वार्ड पार्षद का वार्ड के लोगों के साथ मिल जुलकर कार्य करना तथा मृदुभाषी होना है।

पुरूष सत्तावादी होने से महिलाओं के द्वारा संघर्ष किया जाना :-

भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज है भारत में परम्परागत रूप से पितृसतात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था पायी जाती रही है जिसमें परिवार के पुरूष सदस्यों को तो अनेक अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त है, किन्तु स्त्रियों को उनसे वंचित किया जाता रहा है। भारत में स्त्रियों में कभी राजनीतिक चेतना नहीं रही और वे राजकाज में कम भागीदार हुई स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के

लिए कुछ सुधार आन्दोलनों के द्वारा नारी को परिवार में ही नई स्थिति दिलाता रहा है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में महिला संगठनों की स्थापना हुई जिन्होंने राजनीतिक अधिकारों की मांग की 1917 में सरोजनी नायडू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्त्रियों को भी पुरूषों के समान मताधिकार की मांग की एवं 1921 में सम्पन्न एवं शिक्षित महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया गया। गांधीजी ने भी स्त्रियों के राजनीतिक अधिकारों पर बल दिया और स्वतंत्रता आन्दोलन में उनसे प्रेरित होकर कई महिलाओं ने भाग लिया इससे स्पष्ट है कि उनमें राजनीतिक चेतना बढ़ी है फिर भी पुरुषों की तुलना में वे अब भी पिछड़ी हुई है। कौशिक सुशीला (1993)[9] ने "महिला एवं पंचायती राज पर एक अध्ययन प्रस्तुत किया है जिसमें महिलाओं को स्वशासन के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण के महत्व को बल दिया है"। साथी के. (1998)[10] ने "महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक पुस्तक का सम्पादन किया। उनका यह अध्ययन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाना है"। 21वीं सदी के भारत में महिला पार्षदों की क्या स्थति है? इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 5.18

भारतीय समाज के पुरूष सत्तावादी प्रवृत्ति के कारण महिलाओं के द्वारा संघर्ष किया जाना

क्रं.	जिले का नाम	पूर्णतः		आंशिक		नहीं के बराबर		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	8	12.9	43	69.4	11	17.7	62	100
2.	रायपुर	9	15.0	44	73.3	7	11.7	60	100
योग		17	13.9	87	71.3	18	14.8	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय समाज के पुरूष सत्तावादी प्रवृत्ति के कारण अधिकतर 71.3 प्रतिशत महिला पार्षदों को आंशिक संघर्ष करना पड़ता है। दोनों नगरीय निकायों की तुलना करें तो स्पष्ट है कि रायपुर एवं रायपुर दोनों ही जिले के पार्षदों को आंशिक संघर्ष अधिक करना पड़ता है। बहुसंख्यक महिला पार्षदों का मत है कि उन्हे आंशिक रूप से संघर्ष करना पड़ता है, जिसके प्रति उनकी प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक रही है।

विकास कार्यों के लिए आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना :-

पूर्व में हम इस विषय में चर्चा कर चुके हैं कि वार्ड पार्षद के पास वार्ड के विकास हेतु बेहद सीमित आर्थिक कोष उपलब्ध होता है ऐसे में वह स्वतंत्रतापूर्वक बहुत अधिक विकास कार्यों को करा पाने में सक्षम नहीं होती। ऐसी स्थिति में उन्हें अनेक आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस विषय में उत्तरदाताओं से ज्ञात तथ्यों को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 5.19

वार्ड के विकास कार्य के लिए आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	7	11.3	55	88.7	62	100
2.	रायपुर	10	16.7	50	83.3	60	100
योग		17	13.9	105	86.1	122	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वार्ड के विकास के लिए सबसे अधिक 86.1 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि उन्हे आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जबकि 13.9 प्रतिशत पार्षदों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोनों नगरीय निकायों से स्पष्ट है कि दुर्ग जिले की तुलना में रायपुर जिले के पार्षदों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना अधिक करना पड़ता है क्योंकि इस जिले में समस्याएं अधिक है जिसके निराकरण हेतु अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति के लिये कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

आरेख

वार्ड के विकास कार्य के लिए आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना

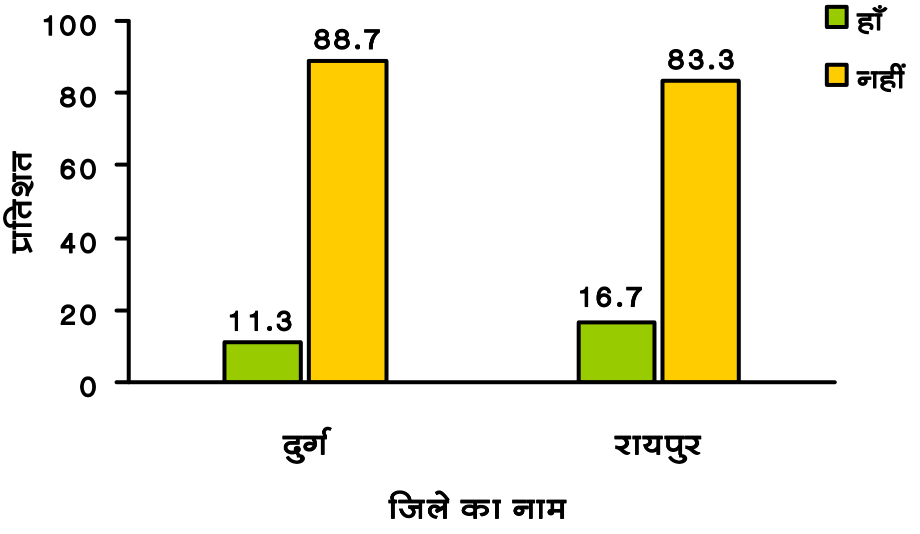

विकास कार्यों हेतु समय पर राशि का भुगतान होना :-

विकास कार्यों के लिए समय पर राशि का भुगतान न होना पाना नगरीय क्षेत्रों में आम समस्या रही है। ज्यादातर पार्षदों को इस समस्या से गुजरना होता है। इस विषय में ज्ञात तथ्यों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका क्रमांक - 5.20

विकास कार्य के लिए समय पर निर्धारित राशि का भुगतान होना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	48	77.4	14	22.6	62	100
2.	रायपुर	44	73.3	16	26.7	60	100
योग		92	75.4	30	24.6	122	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 75.4 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि, उन्हे निर्धारित समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है जबकि दुर्ग के 22.6 प्रतिशत व रायपुर के 26.7 प्रतिशत ने बताया है कि उन्हे समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है जिसके कारण वार्ड के विकास के लिए नाली की साफ-सफाई, तालाबों का सौन्दर्यीकरण, सड़कों का निर्माण, पेय जल की व्यवस्था संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि, बहुत कम महिला पार्षदों को विकास कार्य हेतु समय पर राशि का भुगतान नहीं हो पाता है। ऐसे पार्षदों में विपक्ष के पार्षदों की संख्या अधिक है।

विकास कार्य हेतु राशि भुगतान का माध्यम :-

सामान्य तौर पर सभी शासकीय संस्थाओं में किए गये कार्यो का भुगतान चेक के माध्यम से ही होता है पर चेक का भुगतान भी समय हो जाए, ऐसा कम देखने को मिलता है। अध्ययन से ज्ञात तथ्यों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका क्रमांक - 5.20.1

भुगतान का माध्यम

(N = 92)

क्रं.	जिले का नाम	निगम आयुक्त से चेक के माध्यम से		नगद भुगतान		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	31	64.6	17	35.4	48	100
2.	रायपुर	30	68.2	14	31.8	44	100
योग		61	66.3	29	31.5	92	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 66.3 प्रतिशत पार्षदों ने निगम आयुक्त से चेक के माध्यम से राशि प्राप्त करते है जबकि 31.5 प्रतिशत पार्षद नगद भुगतान प्राप्त करते है। जिले के आधार पर देखा जाए तो रायपुर जिले में 68.2 प्रतिशत पार्षदों को निगम आयुक्त के द्वारा चेक

के माध्यम से अधिक राशि की प्राप्ति होती है स्पष्ट है कि बहुसंख्यक महिला पार्षदों को वार्ड के विकास कार्यों का भुगतान निगम आयुक्त के माध्यम से चेक के द्वारा किया जाता है। अध्ययन के दौरान इस विषय पर 31.5 प्रतिशत पार्षदों में अनभिज्ञता देखी गयी है, वे सही तरीके से इस विषय में सूचना दे पाने में असफल रहे और उन्होंने अन्य माध्यमों से भुगतान होना बताया है यह तथ्य दर्शाता है कि 31.5 प्रतिशत महिला पार्षद राशि भुगतान की प्रक्रिया से ही अवगत नहीं हैं। ऐसे पार्षदों में घरेलु महिलाओं की संख्या अधिक है।

स्वीकृत राशि का उपयोग पूर्ण रूप से कर पाना :-

यह सर्वविदित है कि विभिन्न शासकीय संस्थानों के द्वारा स्वीकृत राशि का अधिकांश भाग व्यय कर पाने में सफल हीं होते हैं। इस विषय में छत्तीसगढ़ राज्य के नगरपालिका/नगर परिषद की स्थिति का विश्लेषण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 5.21

स्वीकृत राशि का उपयोग पूर्ण रूप से कर पाना

क्रं.	जिले का नाम	हां		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	59	95.2	3	4.8	62	100
2.	रायपुर	56	93.3	4	6.7	60	100
योग		115	94.3	7	5.7	122	100

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 94.3 प्रतिशत पार्षदो ने बताया है कि उन्हे वार्ड के विकास कार्यों के लिए जो राशि स्वीकृत होती है उसका उपयोग पूर्ण रूप से करते है जबकि 5.7 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि वार्ड के विकास कार्यो के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता से बचत राशि का उपयोग अन्य नगरीय विकास कार्यो के लिये किया जाता है। उपरोक्त जिलों से स्पष्ट है कि रायपुर जिले के 93.3 प्रतिशत की तुलना में दुर्ग जिले के 95.2 प्रतिशत पार्षदों द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग अधिक किया जाता है। राशि का भुगतान नहीं कर पाने वाले पार्षदों की संख्या बेहद कम है जो कि यह स्पष्ट करता है कि आज महिला पार्षद अपने वार्ड में विकास कार्यों को लेकर बेहद सजग है।

आर्थिक कारकों की वजह से विकास से कार्यों में रूकावट आना :-

विकास कार्य केवल आर्थिक अनुदान पर निर्भर होता है अनेक अवसरों पर अनुदान के अभाव में विकास कार्य में बाधा आती है। अध्ययनगत समूह के महिला पार्षदों की स्थिति क्या है? इसे अध्ययन के माध्यम से ज्ञात करने का प्रयास किया गया है जो कि निम्नानुसार हैः-

तालिका क्रमांक - 5.22

आर्थिक कारको की वजह से विकास कार्यो में रूकावटें आना

क्रं.	जिले का नाम	हां		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	12	19.4	50	80.6	62	100
2.	रायपुर	14	23.3	46	76.7	60	100
योग		26	21.3	96	78.7	122	100

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अधिकतर 78.7 प्रतिशत महिला पार्षदों ने बताया है कि वार्ड के विकास कार्यो में कभी भी आर्थिक कारणों से कोई रूकावटे नहीं आई है जबकि 21.3 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि उन्हे वित्तीय सहायता समय पर प्राप्त नहीं होने से विकास कार्यो में देरी हुई है दुर्ग जिले के19.4 प्रतिशत की तुलना में रायपुर जिले के 23.3 प्रतिशत पार्षदों को वार्ड के विकास में वित्तीय सहायता समय पर प्राप्त नहीं होने से समस्याएं अधिक हुई है।

आरेख

आर्थिक कारणों की वजह से विकास कार्यो में रूकावटें आना

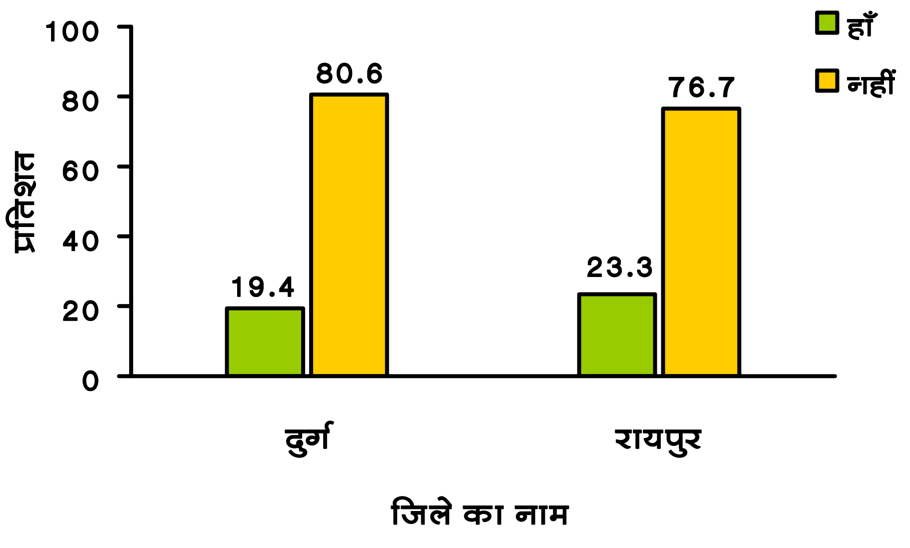

विकास कार्यों में रूकावट का स्वरूप :-

अध्ययनगत समूह के वार्ड पार्षदों के द्वारा कराये गये विकास कार्यों में रूकावट के स्वरूप को ज्ञात किया गया है। इस विषय में अधिकांश वार्ड पार्षदों के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार, बहेतर पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण जैसे कार्यों में आर्थिक रूकावटों का सामना करना पड़ा जो कि निम्नानुसार हैः-

तालिका क्रमांक - 5.23

विकास कार्यों में रूकावट के स्वरूप

क्रं.	जिला का नाम	विकास कार्यों में रूकावट के स्वरूप									
		चिकित्सा संबंधी		पेय जल आपूर्ति		सड़क निर्माण		स्वच्छता संबंधी		योग	
		आ.	प्रतिशत	आ.	प्रतिशत	आ.	प्रतिशत	आ.	प्रतिशत	आ.	प्रतिशत
1.	दुर्ग	3	25	4	33.3	3	25	2	16.7	12	100
2.	रायपुर	3	21.4	4	28.6	5	35.7	2	14.3	14	100
योग		6	23.0	8	30.8	8	30.8	4	15.4	26	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वित्तीय सहायता समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण सर्वाधिक 30.8 प्रतिशत पार्षदों को पेय जल आपूर्ति व सड़क निर्माण संबंधी समस्याएं आई है, तत्पश्चात् 23.0 प्रतिशत चिकित्सा संबंधी व न्यूनतम 15.4 प्रतिशत स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए पार्षदों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। स्वच्छता संबंधी कार्य के अन्तर्गत नाली निर्माण, सड़कों की सफाई, तालाब सौन्दर्यीकरण, मच्छरों से बचाव के लिए समय-समय पर दवाईयों का छिड़काव एवं वृक्षारोपण का कार्य सम्मिलित है।

स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होने पर व्यवस्था :-

प्रत्येक वार्ड में विकास कार्य के लिए एक निश्चित राशि दी जाती है कभी-कभी विकास कार्य में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होता है जिसकी व्यवस्था पार्षद द्वारा की जाती है कभी-कभी पार्षद अदिक व्यय होने पर जनता से सहयोग प्राप्त कर और विधायक निधि से भी राशि का भुगतान करते है। उत्तरदाताओं से इस संदर्भ में जानकारी ली गई जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 5.24

विकास कार्य हेतु स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होने पर व्यय व्यवस्था

क्रं.	जिले का नाम	स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होने पर व्यय व्यवस्था							
		विधायक निधि से		स्वयं के द्वारा		जनता का सहयोग लेकर		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	19	30.6	2	3.2	41	66.1	62	100
2.	रायपुर	18	30	5	8.3	37	61.7	60	100
योग		37	30.3	7	5.8	78	63.9	122	100

पेयजल, स्नानघर, शौचालय, विद्युत, सड़क, आदि के विकास में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होने संबंधी विवरण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 63.9 प्रतिशत पार्षदों ने बतलाया है कि जनता का सहयोग लेकर राशि की व्यवस्था करते है जबकि मात्र 5.8 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि राशि की कमी होने पर स्वयं के द्वारा राशि की व्यवस्था करते है इसी प्रकार 30.3 प्रतिशत पार्षद ऐसे है जो विधायक निधि से राशि की व्यवस्था करते है।

निष्कर्षतः यह माना जा सकता है कि बहुसंख्यक पार्षदों ने स्वीकृत निधि के भीतर ही विकास कार्य किया है जिससे उन्हे अतिरिक्त व्यय के समायोजन/व्यवस्थापन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा।

बैठकों में पार्षदों की राय को महत्व दिया जाना :-

हमारे देश को आजादी मिले 68 वर्ष बीतने के बाद भी आधी आबादी कहलाने वाली महिलाओं की हालत को अब भी "अच्छा" नहीं कहा जा सकता। थामसन रायटर्स फाऊन्डेशन के कुछ महीने पहले आए सर्वेक्षण[11] में जी-20 देशों में महिलाओं की स्थिति की पड़ताल की गई थी और भारत में महिलाएं सबसे बुरी स्थिति में पाई गई। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने इस समस्या को दूर करने के लिए अपने स्तर पर विभिन्न योजनाएं चलाई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आरंभ की गई "बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं" योजना लड़कियों की प्रगति में मील का पत्थर साबित हो सकती है और महिलाओं का सशक्तीकरण कर सकती है। योजना के क्रियान्वयन में होने वाली बैठकों में जिन उत्तरदाताओं की राय ली जाती है उसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 5.25

पार्षदों की राय को महत्व दिया जाना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	54	87.1	8	12.9	62	100
2.	रायपुर	54	90.0	6	10.0	60	100
योग		108	88.5	14	11.5	122	100

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दोनों ही नगरीय निकायों में महिला पार्षदों की राय को योजना क्रियान्वयन के संदर्भ में महत्व दिया जाता है। यह स्थिति दोनों ही जिले में समान रूप से देखी गयी है।

आरेख

पार्षदों की राय को महत्व दिया जाना

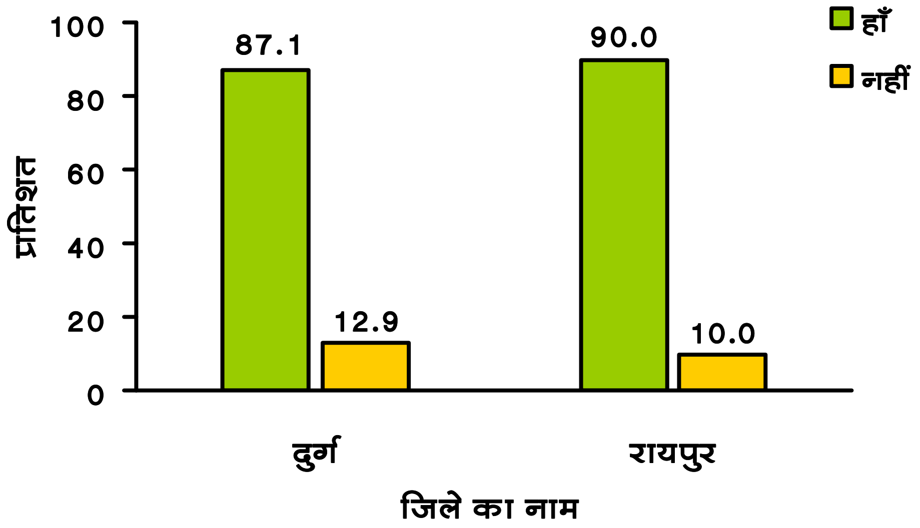

बैठकों में राय को महत्व की सीमा :-

जिन 108 उत्तरदाताओं ने योजना के क्रियान्वयन से संबंधित में राय को महत्व दिए जाने की जानकारी दिया है उनसे महत्व के स्वरूप को ज्ञात किया गया है जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक – 5.25.1

राय के महत्व की सीमा

क्रं.	जिले का नाम	अत्यधिक		कम		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	50	92.6	4	7.4	54	100
2.	रायपुर	50	92.6	4	7.4	54	100
योग		100	92.6	8	7.4	108	100

प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 100 उत्तरदाताओं के राय को अत्यधिक महत्व दिया जाता है जबकि 8 उत्तरदाताओं के राय को कम महत्व दिया जाता है।

निष्कर्षतः हम यह कह सकते है कि वार्ड में योजना के क्रियान्वयन में महिला पार्षदों की राय को पूर्ण रूप से महत्व दिया जाता है।

समस्याओं के निराकरण में विरोधी दल की भूमिका :-

नगरीय क्षेत्रों में वार्ड में होने वाले विकास कार्यों में विरोधी दल की भूमिका बाधकही देखी जाती है क्योंकि यदि वे समर्थन करेंगे तो उनका स्वयं का वजूद खतरें में पड़ सकता है ऐसे में अच्छा कार्य होने पर भी विरोधी दलों की भूमिका बहुत कम साधक होती है। इस विषय में अध्ययन से ज्ञात तथ्यों का विवरण निम्नानुसार हैः-

तालिका क्रमांक - 5.26

समस्याओं के निराकरण में विरोधी दल की भूमिका

क्रं.	जिले का नाम	सार्थक		बाधक		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	50	80.6	12	19.4	62	100
2.	रायपुर	48	80.0	12	20.0	60	100
योग		98	80.3	24	19.7	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि समस्याओं के निराकरण में सर्वाधिक 80.3 प्रतिशत विरोधी दल सार्थक भूमिका का निर्वहन करते है 19.7 प्रतिशत विरोधी दल की भूमिका समस्याओं के निराकरण में बाधक होती है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, दोनों ही जिले महिला पार्षदों को समस्याओं के निराकरण में विरोधी दल के अधिकांश नेता सार्थक भूमिका निभाते है।

आरेख

समस्याओं के निराकरण में विरोधी दल की भूमिका

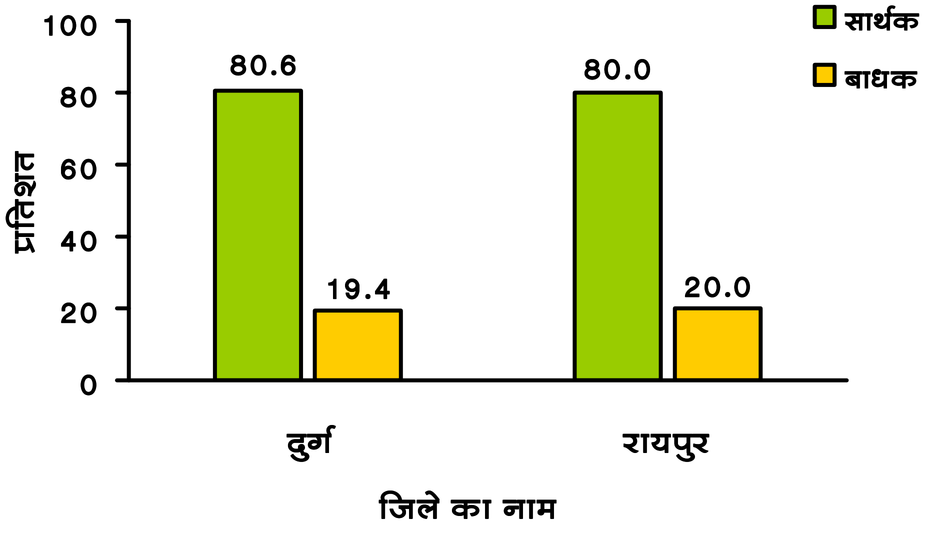

संदर्भ

1. Desai, A.R. (1961); Rural Sociology in India, Bombay, Indian Society of Agricultural Economic, p. 28-41.
2. **सिसोदिया यतीन्द्र (2000); अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व एवं पंचायती राज, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृष्ठ 88.**
3. Mandal, Amal (2003); Women in Panchati Raj Institution, Kniska Publishers Distributors, New Delhi, p. 135.
4. Kapur, Pramil (1976); The changing role and status of women. Sterling Publication, New Delhi, p. 6.
5. Chandra, Subhash (2003); The political system and institution building under Jawaharlal Nehru, Delhi.
6. Jethani, Urmila (1994); Single women, Rawat Publication, p. 197.
7. Narian, Iqbal (1987); Revival of Panchayati Raj. ICSSR, New Letter, Vol, XVIII(2), New Delhi.
8. Mishra, Yatish (1994); People's Participation in Production Process under Watershed. Kurukshetra, vol. 42, no. 11.
9. **कौशिक, सुशीला (2000); वुमन्स एंड पंचायती राज, हर आनंद पब्लिकशन, नई दिल्ली, पेज 4-8.**
10. Sathi, K. (1998); Empowerment of women. Amol Publication Pvt. Ltd., New Delhi, p. 134.
11. Kurukshetra, (2016); Vol. III. P. 33. Website publicationsdivision. nic.in, p. 15-16.

<u>अध्याय –षष्ठम्</u>

नगरीय विकास में
महिला पार्षदों की भूमिका

अध्याय – षष्ठम्
नगरीय विकास में महिला पार्षदों की भूमिका

नगरीय विकास मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इन्ही के द्वारा मनुष्य की नैतिक और भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए शासन ने एक स्पष्ट नगरीय विकास नीति अपनायी है। छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी स्थानीय निकाय के तीन स्तर हैः-

1. नगर निगम वृहद शहरी क्षेत्रों के लिए,
2. नगर पालिक छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए,
3. नगर पंचायत परिवर्तित क्षेत्रों के लिए।

नगर निगम के द्वारा मनुष्यों की आवश्यकता पूर्ति की जाती है। पार्षद निगम के अधिकारी और कर्मचारी का नगर से घनिष्ठ सम्पर्क होता है। पार्षद का जन्म उसी नगर में होता है जहाँ अधिकारी, कर्मचारी भी निवास करते है। अतः ये सभीअपने नगर के विकास तथा अनेक प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए जुट जाते है।

स्थानीय तौर पर सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, बाजार, दुकान, पेयजल, नालियाँ और आवास जैसी समस्या का निदान इन्ही के द्वारा किया जाता है।

पार्षद अपने वार्ड का नेता होता है जिसमें नेतृत्व करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। पार्षद के लिए अधिक पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक नहीं होता उसके लिए जिन योग्यताओं की आवश्यकता है वे वार्ड के लोगों से परिचित होना तथा उनकी आर्थिक-सामाजिक सभी प्रकार की समस्याओं से अवगत होना है। वे वार्ड के सभी प्रकार की समस्याओं को बारिकी से अध्ययन कर आवेदनों-प्रतिवेदनों के माध्यम से निगम से संबंधित विभाग को प्रेषित करे उन समस्याओं को सामान्य सभा और समितियों में पेश करके उनके लिए लड़ता रहे समस्याओं को पेश करने का ढंग उसका निराकरण करने में उसकी संघर्षशीलता, उसका जुझारू व्यक्तित्व सब उसको एक सफल पार्षद का रूप प्रदान करते है।

पार्षद को सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का गहराई से अध्ययन करना पड़ता है और इन्हें अपने वार्ड में पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्नशील रहना पड़ता है। पार्षद के पास विभिन्न प्रकार के कार्य के लिए जैसे नक्शा पास करवाना, लाईसेंस, नागरिक नौकरी प्रमाण पत्र आदि के लिए भी आते है। कुछ कार्यों को पार्षद अपने व्यक्तित्व सम्पूर्ण बनाने के लिए करते है जैसे

वार्ड के सांस्कृतिक कार्यक्रमों गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, खेलकूद, होली, दिवाली में भाग लेना ही नहीं वरन इन समारोहों में भाषण देना पुरूस्कार वितरण करना, शादी-विवाह में सम्मिलित होना तथा किसी परिवार में मृत्यु हो तो वहां संवेदना प्रकट करना भी उनके कार्यों में सम्मिलित है।

सामान्यतः यह देखा गया है कि नेतृत्व के क्षेत्र में आगे आने वाली महिलाओं की कोई न कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि अवश्य होती है। वर्तमान में जितने भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उनकी महिला नेत्री किसी न किसी रूप में राजनीतिक परिवार से संबंधित है। सोनिया गांधी (गांधी परिवार), डिंपल यादव (मुलायम सिंह) ये सभी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए है। पी.सी. माथुर (2000)[1] ने "पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक दलों की भूमिका का एक अध्ययन किया और यह पाया कि पंचायती राज के चुनाव में स्त्रियों, पिछड़े वर्ग व पिछड़ी जाति के लोगों को राजनीतिकरण एवं सामाजिक जिम्मेदारीयाँ प्रदान किया है"।अध्ययनगत उत्तरदाताओं का विभिन्न दलों से संबंध होता है जिसकी जानकारी निम्न तालिका में स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 6.1

किसी राजनीतिक दल से संबंधित होना

क्रं.	जिले का नाम	भाजपा		कांग्रेस		अन्य		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	31	50.0	24	38.7	7	11.3	62	100
2.	रायपुर	28	46.7	26	43.3	6	10	60	100
योग		59	48.4	50	41.0	13	10.6	122	100

उत्तरदाताओं के दल संबंधित विवरण से स्पष्ट है कि अधिकतर 48.4 प्रतिशत महिला पार्षद भाजपा दल के है, 41.0 प्रतिशत महिला पार्षद कांग्रेस दल से है, तथा 10.6 प्रतिशत महिला पार्षद अन्य दल से है। जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग एवं रायपुर जिले में भाजपा दल के महिला पार्षदों की संख्या कांग्रेस दल से अधिक है उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि, भाजपा दल के महिला पार्षद को लोगों के द्वारा अधिकाधिक मत प्राप्त हुए है।

नगर में निवास की अवधि :-

महिला पार्षद जितनी लम्बी अवधि से वहां निवास कर रहे है वें वहां की मुलभूत समस्याओं से भली-भांति परिचित है तथा उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सहयोग भी बना रहता है और वे उस वार्ड की समस्याओं का निराकरण करने तथा विकास संबंधी कार्य करने में तत्पर रहते है। वे उस वार्ड के लोगों से ज्यादा आत्मीयता रखते है लोगों की समस्याएं उन्हे अपनी समस्याएं लगती

है। नाथन ए.जे. (1977)[2], गंगरोड (1974)[3] एवं शर्मा (1979)[4] के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि "विकासकारी योजनाओं में आवास व्यवस्था, स्कूल भवन विद्युत, सड़क, पेजजल आदि विकास कार्य करते हैं"। निवास की अवधि एवं विकास के बीच सकारात्मक संबंध को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 6.2

नगर में निवास की अवधि

क्रं.	जिले का नाम	5 वर्ष		10 वर्ष		15 वर्ष से अधिक		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	1	1.6	20	32.3	41	66.1	62	100
2.	रायपुर	1	1.7	17	28.3	42	70.0	60	100
योग		2	1.6	37	30.3	83	68.0	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, अधिकांश महिला पार्षद 68.0 प्रतिशत 15 वर्ष से ज्यादा उस मोहल्ले में निवास कर रहे हैं सबसे कम 1.6 प्रतिशत महिला पार्षदों की अवधि 5 वर्ष की है जिले के आधार पर देखें तो रायपुर जिले की 70.0 प्रतिशत महिला पार्षद दुर्ग जिले के महिला पार्षद 66.1 प्रतिशत से अधिक है।

निष्कर्ष के रूप में यहां कहा जा सकता है कि, रायपुर जिले के महिला पार्षद बहुत समय से अपने वार्ड में निवास कर रहे है इसलिये वे अपनी वार्ड की मुलभूत समस्याओं से चिर-परिचित है।

वार्ड के विकास के लिए किए गये कार्य :-

पंचायतीराज संस्थाओं में परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 60 लाख महिलाओं के प्रतिनिधित्व ने सामाजिक लामबन्दी की प्रक्रिया को तेजी दी है और महिलाएँ निजी और सार्वजनिक स्थानों में अपनी भूमिका को नए तरीके से गढ़ रही है। महिलाओं को आरक्षण देने के प्रयोग से अच्छे नतीजे रहे है क्योंकि महिलाओं ने सिर्फ राजनीतिक कौशल हासिल किया है, वरन वे अपने समाज एवं वार्ड के लिए विकास संबंधी कार्य करने में अग्रसर रही है शर्मा आदर्श (2000)[5] पंचायतीराज एवं महिला आरक्षण औचित्य एवं संभावनाओं पर कहा है कि महिलाओं में आन्तरिक शक्ति एवं योग्यता निहित है। जिसका उपयोग वे समाज के विकास एवं आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक समझते है और इस संदर्भ में महिला एवं पुरूष के दोहरे मापदण्ड को त्यागने का सुझाव दिया है। वार्ड के विकास के लिए किये गये कार्यों को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 6.3

वार्ड के विकास के लिए किए गये कार्य

क्रं.	वार्ड के विकास के लिए किए गये कार्य	जिले का नाम								योग			
		दुर्ग				रायपुर							
		हां		नहीं		हां		नहीं		हां		नहीं	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	नाली निर्माण	52	83.9	10	16.1	50	83.3	10	16.7	102	83.6	20	16.4
2.	सड़क निर्माण	58	93.5	4	6.5	57	95.0	3	5.0	115	94.3	7	5.7
3.	पेयजल समस्या	31	50.0	31	50.0	30	50.0	30	50.0	61	50.0	61	50.0
4.	विद्युत सुधार	9	14.5	53	85.5	10	16.7	50	83.3	19	15.6	103	84.4
5.	औषधालय निर्माण	40	64.5	22	35.5	37	61.7	23	38.3	77	63.1	45	36.9
योग		190	61.3	120	38.7	184	61.3	116	38.7	374	61.3	236	38.7

उपरोक्त तालिका में महिला पार्षदों के विकास संबंधी कार्य से स्पष्ट है कि, अधिकतर 94.3 प्रतिशत पार्षद ने सड़क निर्माण कराया है तत्पश्चात 83.6 प्रतिशत नाली निर्माण, 63.1 प्रतिशत औषधालय निर्माण, 50.0 प्रतिशत पेयजल एवं सबसे कम 15.6 विद्युत सुधार संबंधी विकास कार्य किया है। नगरीय निकाय के आधार पर देखे तो दोनों जिले में विकास संबंधी कार्य सबसे अधिक एवं सबसे कम विद्युत संबंधी कार्य हुए है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, नगरीय निकाय में रहने वाले लोगों को सबसे अधिक समस्या नाली, पानी एवं सड़क की है इसलिए उन समस्या पर महिला पार्षदों का ध्यान ज्यादा रहा और उससे संबंधित विकास हुआ।

पार्षदो द्वारा वार्ड का नियमित निरिक्षण किया जाना :-

महिला पार्षदों द्वारा अपने वार्ड की समस्याओं का निराकरण करने के लिए निरिक्षण करना आवश्य है। नियमित या कभी-कभी वे अपने वार्ड के लोगों के साथ वार्ड की समस्याओं के निराकरण के लिए निरिक्षण करती है, लोगों से बातचीत कर उनकी गंभीर समस्याओं को प्राथमिकता प्रदान करते हुए उसे दूर करने का प्रयास करती है। भनोट बेला (2000)[7] के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि "महिला जनप्रतिनिधि पंचायत के कार्य के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी करती है"। इस संबंध में उत्तरदाताओं से ली जानकारी को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक - 6.4

पार्षदों द्वारा वार्ड का नियमित निरीक्षण किया जाना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	12	19.4	50	80.6	62	100
2.	रायपुर	13	21.7	47	78.3	60	100
योग		25	20.5	97	79.5	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, वार्ड के निरिक्षण से संबंधित अधिकांश 79.5 प्रतिशत महिला पार्षद अपने वार्ड का नियमित निरिक्षण नहीं करते है 20.5 प्रतिशत महिला पार्षद अपने वार्ड का निरिक्षण रोज करते है। दुर्ग एवं रायपुर जिले के आधार पर देखें तो रायपुर में 21.7 प्रतिशत महिला पार्षद रोज निरिक्षण करते हैं एवं दुर्ग के 19.4 प्रतिशत महिला पार्षद रोज निरिक्षण करते है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, महिला पार्षदों को अपने वार्ड की समस्याओं को जानने के लिए वार्ड का रोज निरिक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है वे कभी-कभी निरिक्षण कर उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते है।

आरेख

पार्षदों द्वारा वार्ड का नियमित निरीक्षण किया जाना

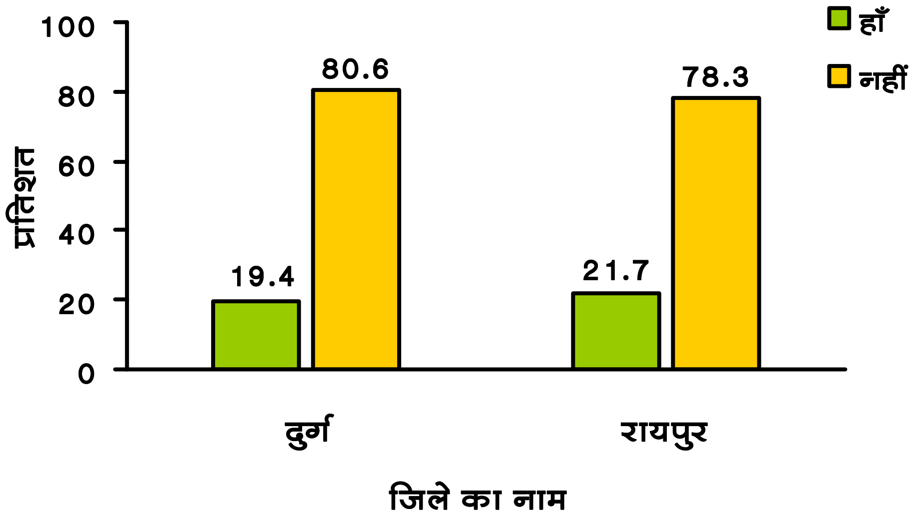

वार्ड के निवासियों द्वारा किए जाने वाले शिकायत का स्वरूप :-

महिला पार्षदों द्वारा अपने वार्ड का निरिक्षण करते समय लोगों द्वारा समस्याओं को लेकर शिकायत करते है।. ये शिकायत मुख्यतः उनके दैनिक जीवन से संबंधित होती है जैसे पेयजल,

साफ-सफाई, विद्युत संबंधी और बी.पी.एल. कार्ड तथा अन्य प्रकार की समस्याओं जिसका निदान वे अतिशीघ्र चाहते है। महिला पार्षद उनकी इन समस्याओं को सुनकर उस पर शीघ्र कार्यवाही करती है। जैन राजकुमारी (2000)[8] ने पंचायती राज में महिला का अध्ययन किया और यह पाया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बाल विकास, पर्यावरण आदि में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हैं। समस्याओं से संबंधित शिकायतों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 6.5

वार्ड के निवासियों द्वारा किए जाने वाले शिकायत का स्वरूप

क्रं.	निवासियों द्वारा किये जाने वाले शिकायत का स्वरूप	जिले का नाम								योग			
		दुर्ग				रायपुर							
		हां		नहीं		हां		नहीं		हां		नहीं	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	पेयजल	26	41.9	36	58.1	27	45.0	33	55.0	53	43.4	69	56.6
2.	साफ-सफाई	30	48.4	32	51.6	30	50.0	30	50.0	60	49.2	62	50.8
3.	विद्युत	3	4.8	59	95.2	3	5.0	57	95.0	6	4.9	56	45.9
4.	बी.पी.एल. कार्ड	19	30.6	43	69.4	22	36.7	38	63.3	41	33.6	81	66.4
5.	नहीं	7	11.3	55	88.7	7	11.7	53	88.3	14	11.5	108	88.5
योग		85	27.4	225	72.6	89	29.7	211	70.3	174	28.5	376	61.5

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि, अधिकतर 49.2 प्रतिशत साफ-सफाई के लिए शिकायत करते है तत्पश्चात् 43.4 प्रतिशत पेयजल, 36.6 प्रतिशत बी.पी.एल. कार्ड के लिये, और सबसे कम 4.9 प्रतिशत विद्युत संबंधी शिकायत करते है जिले के आधार पर देखा जाए तो दुर्ग के अधिकांश 48.4 प्रतिशत उत्तरदाता साफ-सफाई के लिये शिकायत करते है और सबसे कम 4.8 प्रतिशत विद्युत संबंधी शिकायत करते है। रायपुर के 50 प्रतिशत उत्तरदाता भी साफ-सफाई के लिए शिकायत अधिक करते है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है। जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग एवं रायपुर जिले में लोगों की शिकायत अधिकत्तर साफ-सफाई से संबंधित होती है कुछ लोग वार्ड में ऐसे भी है जो किसी भी विषय पर ज्यादा शिकायत नहीं करते है।

शिकायत का समाधान :-

सभी वार्ड के पार्षदों को अपने वार्ड के लोगों का सहयोग मिलता रहता है और उनकी अपेक्षा भी होती है कि, जो भी समस्याएं है उनका निराकरण वे मिल-जुल कर करें। शिकायतों को ध्यान में

रखकर वे समस्याओं का प्रस्ताव निगम को सौंपकर और स्वयं क्षेत्र में जाकर अपने स्तर पर उस विभाग से संबंधी लोगों से बात कर समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। लोगों से शिकायत का समाधान संबंधी विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 6.6

शिकायत का समाधान

क्रं.	जिले का नाम	समस्या संबंधी प्रस्ताव निगम को सौंपकर		स्वयं के क्षेत्र में जाकर अपने स्तर पर बात करके		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	58	93.5	4	6.5	62	100
2.	रायपुर	59	98.3	1	1.7	60	100
योग		117	95.9	5	4.1	122	100

वार्ड के महिला पार्षदों को जनसामान्य द्वारा की गई शिकायतों का समाधान करने के संदर्भ में अधिकांश 95.9 प्रतिशत समस्या संबंधी प्रस्ताव निगम को सौंपकर समाधान करते हैं बहुत कम 4.1 प्रतिशत महिला पार्षद स्वयं के क्षेत्र में जाकर अपने स्तर पर बात कर समाधान करने का प्रयास करते है रायपुर में महिला पार्षदों में 98.3 प्रतिशत समस्या संबंधी प्रस्ताव निगम को सौंपकर जबकि दुर्ग में 93. 5 प्रतिशत निगम को सौंपकर समस्याओं का निराकरण करते है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, बहुत कम महिला पार्षद स्वयं क्षेत्र का निरिक्षण कर अपने स्तर पर समस्याओं का निराकरण करते है।

वार्ड में नगर निगम द्वारा संचालित योजनाएं :-

सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई है जिससे महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाया जा सके, इसके अतिरिक्त महिला समस्या की दिशा में सार्थक कदम उठाए जा रहे है। वार्ड में नगर निगम द्वारा संचालित योजनाओं में प्रमुख पेंशन योजना, बेरोजगारी लोन, रोजगार प्रशिक्षण, स्वसहायता समूह, स्वास्थ्य सेवा इसके अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला समृद्धि योजना, अपनी बेटी अपना धन योजना एवं युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि संचालित है। इस संबध में महिला पार्षदों द्वारा दी गई जानकारी को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 6.7

वार्ड में नगर निगम द्वारा संचालित योजनाएं

क्रं.	संचालित योजनाएं	जिले का नाम								योग			
		दुर्ग				रायपुर							
		हां		नहीं		हां		नहीं		हां		नहीं	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	पेंशन योजना	30	48.4	32	51.6	26	43.3	34	56.7	56	45.9	66	54.1
2.	बेरोजगारी लोन	51	82.3	11	17.7	49	81.7	11	18.3	100	82.0	22	18.0
3.	रोजगार प्रशिक्षण	48	77.4	14	22.6	49	81.7	11	18.3	97	79.5	25	20.5
4.	महिला समूह	7	11.3	55	88.7	7	11.7	53	88.3	14	11.5	108	88.5
5.	स्वास्थ्य सेवा	5	8.1	57	91.9	4	6.7	56	93.3	9	7.4	113	92.6
योग		141	45.5	169	54.5	135	45.0	165	55.0	276	45.2	334	54.8

नगर निगम द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, सर्वाधिक 82.0 प्रतिशत बेरोजगारी लोन तथा सबसे कम स्वास्थ्य सेवा 7.4 प्रतिशत योजना संचालित है इसके अतिरिक्त रोजगार प्रशिक्षण 79.5 प्रतिशत, पेंशन योजना 45.9 प्रतिशत, तथा महिला समूह 11.5 प्रतिशत है दोनों जिले अर्थात रायपुर एवं दुर्ग में देखें तो नगर निगम द्वारा संचालित योजनाएं दोनों ही जिलों में लगभग समान रूप से संचालित है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, दुर्ग एवं रायपुर की महिला पार्षद अपने वार्ड में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए अधिक योजनाओं को संचालित करवाई।

वार्ड में लागू योजनाएँ :-

प्रत्येक वार्ड और व्यक्ति की भिन्न प्रकार की आवश्यकताएँ और समस्याएं होती है। प्रत्येक वार्ड के महिला पार्षद समस्याओं का गहराई से अध्ययन करता है। जिस वार्ड में लोगों को समस्याएं अधिक है वहां उन योजनाओं को लागू कर उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करता है। "डायरेक्ट्री ऑफ मेयर स्कीम एंड प्रोग्राम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन" के अनुसार महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए लगभग 100 योजानाएं मंत्रालयों एवं विभागो द्वारा संचालित की जा रही है और इन योजनाओं से महिलाओं की आवज सशक्त हो रही है। योजनाओं के वार्ड में लागू किए जाने वाले संबंधी जानकारी प्राप्त की जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 6.8

वार्ड में लागू योजनाएं

(N = 363)

क्रं.	जिले का नाम	पेंशन योजना		बेरोजगारी लोन		रोजगार प्रशिक्षण		स्वसहायता महिला समूह		स्वास्थ्य सेवा		अन्य		योग	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	दुर्ग	29	15.8	49	26.8	53	29.0	5	2.7	5	2.7	42	23	183	100
2.	रायपुर	27	15.0	48	26.7	52	28.9	6	3.3	3	1.7	44	24.4	180	100
योग		56	15.4	97	26.7	105	29.0	11	3.0	8	2.2	86	23.7	363	100

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि, महिला पार्षदों द्वारा अपने वार्ड में सबसे अधिक 29.0 प्रतिशत रोजगार प्रशिक्षण योजानएं पूर्ण कराई गई है और सबसे कम 2.2 प्रतिशत स्वास्थ्य से संबंधित योजना पूर्ण कराई। इसके अतिरिक्त बेराजगारी लोन 26.7 प्रतिशत, पेंशन योजना 15.4 प्रतिशत, स्वसहायता महिला समूह 3.0 प्रतिशत योजनाएं पूर्ण कराई गई है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, वार्ड के अधिकतर लोगों को रोजगार प्रशिक्षण आवश्यकता अधिक है। जिसके द्वारा वह स्वालम्बी व आत्म-निर्भर बन सके।

योजानाओं के क्रियान्वयन में नेता प्रमुख का सहयोग :-

नगर निगम द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन नेता प्रमुख के सहयोग के द्वारा ही हो पाता है। राज्य शासन द्वारा निर्वाचित परिषदों में जनता द्वारा सीधे निर्वाचित महापौर तथा अध्यक्षों के पद तथा गरिमा को ध्यान में रखते हुए निकायों के सामान्य कामकाज के संचालन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के णंतर्गत नगर पालिक निगमों में मेयर-इन-काउन्सिल तथा छ.ग. नगर पालिक अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन प्रेसीडेन्ट-इन-काऊन्सिल के गठन की व्यवस्था की गई है। संबंधित महापौर/अध्यक्ष अपने विवेक के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग देते है। जो निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 6.9

योजनाओं के क्रियान्वयन में नेता प्रमुख का सहयोग मिलना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	55	88.7	7	11.3	62	100
2.	रायपुर	52	86.7	8	13.3	60	100
योग		107	87.7	15	12.3	122	100

योजनाओं के क्रियान्वयन में नेता प्रमुख का सहयोग मिलने से संबंधित उत्तरदाताओं के द्वारा दी गई जानकारी से स्पष्ट है कि, 87.7 प्रतिशत महिला पार्षदों को अपने नेता प्रमुख से सहयोग प्राप्त होता है एवं 12.3 प्रतिशत महिला पार्षदों को अपने नेता प्रमुख का सहयोग प्राप्त नहीं होता दुर्ग जिले में 88.7 प्रतिशत लोगों को नेता प्रमुख का सहयोग प्राप्त होता है एवं 11.3 प्रतिशत लोगों को सहयोग प्राप्त नहीं होता ह। रायपुर में 86.7 प्रतिशत नेता प्रमुख का सहयोग मिलता है और सबसे कम 13.3 प्रतिशत महिला पार्षदों को सहयोग प्राप्त नहीं होता है।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, अधिकांश महिला पार्षद नेता प्रमुख दल से संबंधित है तो उन्हे उनका सहयोग प्राप्त होता है लेकिन कुछ महिला पार्षद अन्य दल से संबंधित है या निर्दलीय है इसलिए उन्हें उनका सहयोग प्राप्त नहीं होता है।

आरेख

योजनाओं के क्रियान्वयन में नेता प्रमुख का सहयोग मिलना

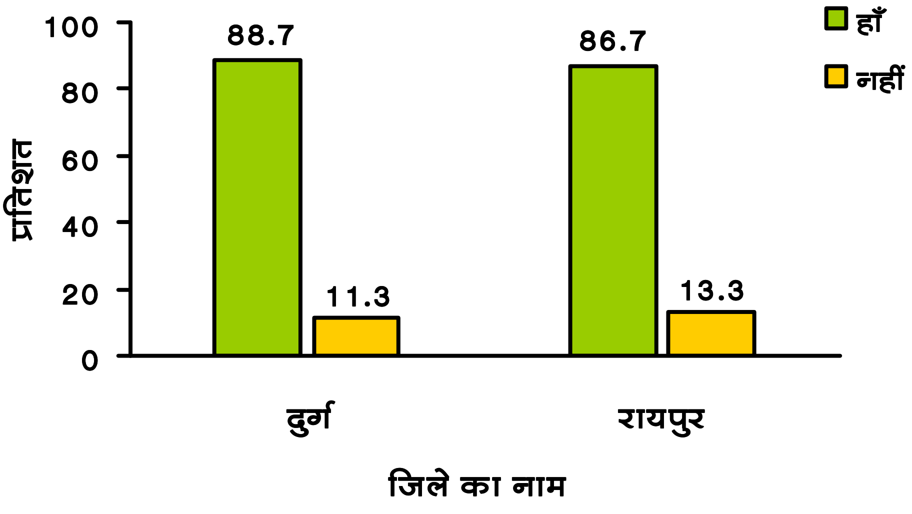

नेता प्रमुख के सहयोग का प्रकार :-

योजनाओं के क्रियान्वयन में नेता प्रमुख सहभागी बनकर, आर्थिक व सामाजिक सहयोग तथा वार्ड में होने वाले विकास कार्यों का अवलोकन कर प्रोत्साहन प्रदान करते हुए सहयोग देते है। समाज के सर्वांगीण उत्थान के लिए नेता प्रमुख का सहयोग आवश्यक है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम एवं योजनाओं को भी चलाया गया है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकार के प्रमुख नेता योजना के क्रियान्वयन में सहभागी बनकर, आर्थिक व सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यो का अवलोकन कर प्रोत्साहित कर सहयोग प्रदान करते है । इस संबंध में दी जानकारी निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 6.10

नेता प्रमुख के सहयोग का प्रकार

क्रं.	जिले का नाम	योजना के क्रियान्वयन में सहभागी बनकर		आर्थिक व सामाजिक सहयोग		विकास कार्यों का अवलोकन कर प्रोत्साहित कर		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	32	51.6	24	38.7	6	9.7	62	100
2.	रायपुर	28	46.7	25	41.7	7	11.7	60	100
योग		60	49.2	49	40.2	13	10.6	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, सर्वाधिक 49.2 प्रतिशत महिला पार्षदों को नेता प्रमुख का सहयोग योजनाओं के क्रियान्वयन में सहभागी बनकर प्राप्त होता है इसके अतिरिक्त आर्थिक व सामाजिक सहयोग 40.2 प्रतिशत, विकास कार्य का अवलोकन कर प्रोत्साहित करना 10.6 प्रतिशत के रूप में प्राप्त होता है जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग जिले में महिला पार्षदों को नेता प्रमुख का सहयोग 51.6 प्रतिशत प्राप्त होता है जो रायपुर जिले के तुलना में 46.7 प्रतिशत से अधिक है।

निष्कर्ष के आधार पर देखें तो कहा जा सकता है कि, अपने दल से संबंधित होने पर ही उसे सहयोग प्राप्त होता है।

महिलाओं पर केन्द्रित विकास कार्यक्रम :-

राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2003 से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में बेरोजगार नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबुतरा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना के अंग के रूप में प्रदेश की शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को सस्ता सुरक्षित एवं मुलभूत सुविधायुक्त बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल, श्रम द्वारा तैयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से महिला समृद्धि बाजार योजना लागू की गई है। इसी तरह गरीब महिलाओं को अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र की पहल से जहाँ समिति व सी.डी.एस. की महिलाएं विभिन्न उद्यम स्थापित करके आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी, वही सेवा केन्द्रो में उनकी बैठकों के लिए एक स्थान भी निर्धारित रहेगा। इस संबंध में दी जानकारी को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 6.11

महिलाओं पर केन्द्रित विकास कार्यक्रमों में वार्ड पर लागू कार्यक्रम

(N = 264)

क्रं.	जिले का नाम	महिला समूह का गठन		रोजगार प्रशिक्षण		स्वसहायता समूह		अन्य		नहीं		योग	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	दुर्ग	18	13.6	38	28.8	36	27.3	34	25.8	6	4.5	132	100
2.	रायपुर	19	14.4	36	27.3	38	28.8	32	24.2	7	5.3	132	100
योग		37	14.0	74	28.0	74	28.0	66	25.0	13	5.0	264	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, महिलाओं पर केन्द्रित विकास कार्यक्रमों जो वार्ड में लागू किए गए जिसमें अधिकांश 28.0 प्रतिशत स्वसहायता समूह व सबसे कम 14.0 प्रतिशत महिला समूह का गठन से संबंधित कार्यक्रम लागू किए गए इसके अतिरिक्त 28. प्रतिशत रोजगार प्रशिक्षण एवं 25.0 प्रतिशत अन्य कार्यक्रम जो वार्ड के विकास के लिए आवश्यक है, लागू किए गए। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग जिले में 28.8 प्रतिशत रोजगार प्रशिक्षण संबंधित कार्यक्रम चलाए गए। जबकि रायपुर जिले में 28.8 प्रतिशत अधिकांश केन्द्रिय विकास कार्यक्रम स्वसहायता समूह से संबंधित है।

निष्कर्ष के रूप में यहां कहा जा सकता है कि, दुर्ग जिले के विकास कार्यक्रमों में रोजगार प्रशिक्षण सर्वाधिक है और रायपुर जिले में 28.8 प्रतिशत स्वसहायता समूह का प्रतिशत अधिक है।

साक्षरता अभियान में महिलाओं की भागीदारी :-

यह सार्वभौमिक तथ्य है कि, शिक्षा स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण साधन है शिक्षा और विकास के बीच घनिष्ठ संबंध है स्त्रियों का शिक्षा एवं अधिकार दिए बिना कोई समाज खुशहाल नहीं हो सकता। व्यक्ति, परिवार, समुदाय और राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में स्त्रियों की शिक्षा एवं साक्षरता का महत्व स्वीकार किया गया है अशिक्षित व्यक्ति प्रायः परिवर्तनों के प्रति उदासीन रहता है वह अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति विश्वस्त रहता है। सामाजिक और आर्थिक प्रगति तथा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शत-प्रतिशत साक्षरता आवश्यक है। आधुनिक जीवन शैली, कर्तव्य दायित्व, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों का संरक्षण इत्यादि सभी के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। भारत में साक्षरता वृद्धि 2011 में 65.46 प्रतिशत रहा है। कौशिक सुशीला (1993)[9] ने इस तथ्य पर बल दिया है कि स्थानीय स्वशासन हेतु महिलाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाये जिससे वे अपने दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम हो सके। साक्षरता में महिलाओं की भागीदारी को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 6.12

साक्षरता अभियान में महिलाओं की भागीदारी

क्रं.	जिले का नाम	35 प्रतिशत		35-65 प्रतिशत		65 से अधिक		पूर्णतः शिक्षित		नहीं		योग	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	दुर्ग	2	3.2	3	4.8	1	1.6	17	27.5	39	62.9	62	100
2.	रायपुर	1	1.7	5	8.3	1	1.7	19	31.7	34	56.6	60	100
योग		3	2.5	8	6.6	2	1.6	36	29.5	73	59.8	122	100

साक्षरता अभियान में महिलाओं की भागीदारी का विवरण उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है।

आरेख

साक्षरता अभियान में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत

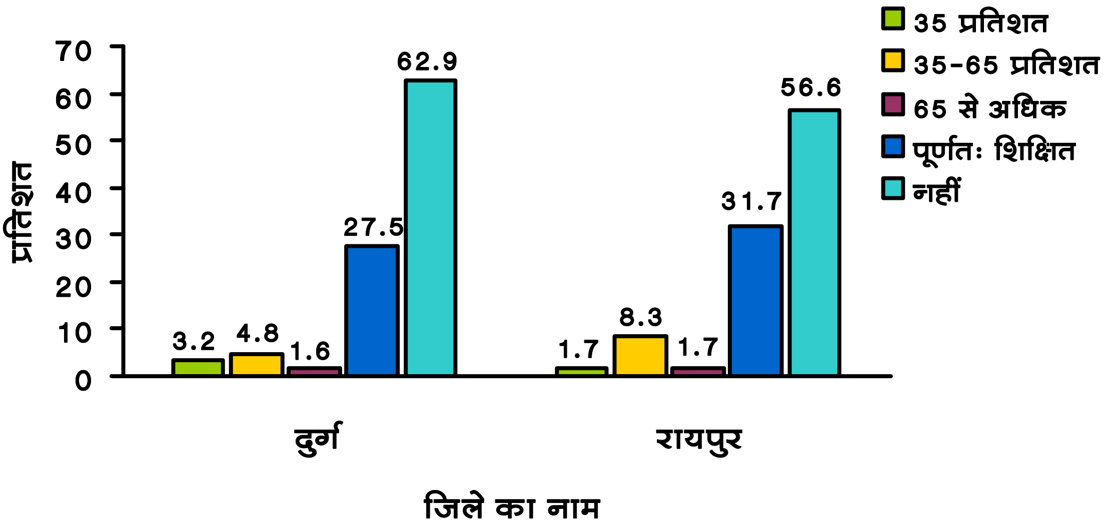

महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना :-

महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना राज्य में संचालित है। योजना के अंतर्गत महिलाओं को सामुदायिक विकास समिति के माध्यम से आर्थिक क्षेत्र में सीधे सहभागिता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा के परिवारों की महिलाओ के समूह को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने एवं स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापित करने के लिए विभिन्न बैंकों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना है। महिलाओं के समूह जिसमें कम से कम 5 सदस्य हो, इस हेतु अधिकतम राशि रू. 10 लाख तक के प्रकरण स्वीकृत किये जाते है। इसी प्रकार अन्य समिति का संचालन किया जाता है जिसे निम्न तालिका मे ंदर्शाया गया है :-

तालिका क्रमांक - 6.13

महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए योजना

क्रं.	जिले का नाम	स्वसहायता समूह		समिति संचालन के माध्यम से		योजना लागू नहीं की गई		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	22	35.5	25	40.3	15	24.2	62	100
2.	रायपुर	22	36.7	26	43.3	12	20.0	60	100
योग		44	36.1	51	41.8	27	22.1	122	100

महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के संबंध में उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गई जो यह स्पष्ट करती है कि, अधिकांश योजनाएं 41.8 प्रतिशत समिति संचालन के माध्यम से और सबसे कम 36.1 प्रतिशत स्वसहायता समूह की योजना लागू की गई है इसके अतिरिक्त 22.1 प्रतिशत ऐसे वार्ड है जहां पर इस प्रकार की योजना लागू नहीं की गई है। दोनों जिले के आधार पर देखें तो रायपुर जिले में समिति संचालन 43.3 प्रतिशत, दुर्ग जिले के 40.3 प्रतिशत से अधिक है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, विभिन्न प्रकार की समितियों के माध्यम से महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने की योजना लागू की जाती है।

योजना का लाभ सभी महिलाओं को मिलना :-

नगरीय निकाय में महिलाओं को योजना के द्वारा आत्म-निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए है। राज्य एवं केन्द्र सरकार महिलाओं का आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की पहल करता रहा है। शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क गरीबी उपशमन तथा आजीविका विकास के लिए सामुदायिक विकास समिति, स्वयंसहायता समूहों तथा अन्य सामाजिक संगठन का लाभ महिलाओं को प्राप्त होता है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी निम्न तालिका के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैः-

तालिका क्रमांक - 6.13.1

योजना का लाभ सभी महिलाओं को मिलना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	43	69.4	19	30.6	62	100
2.	रायपुर	45	75.0	15	25.0	60	100
योग		88	72.1	34	27.9	122	100

उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी यह स्पष्ट करती है कि, वार्ड में लागू की गई योजनाओं का लाभ अधिकांश 72.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं को प्राप्त हुआ है जबकि 27.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ दोनों जिले के आधार पर देखे तो रायपुर जिले के उत्तरदाताओं को 75

प्रतिशत अर्थात दुर्ग जिले के 69.4 प्रतिशत से अधिक रूप से प्राप्त हुआ है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है, योजनाओं का क्रियान्वयन वार्ड में किया जाता है। पर सभी उत्तरदाताओं को इस संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं होती और यदि होती भी है तो देर से होती है।

योजनाओं का लाभ न मिलने का कारण :-

राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के द्वारा नगरीय निकाय में 1 जुलाई 2003 से बेरोजगार नवयुवकों एवं नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु योजान लागू की गई है। भारत सरकार द्वारा झुग्गी मुक्त भारत के उद्देश्य की पूर्ति हेतु "राजीव आवास योजना" प्रारंभ की गयी है। गरीबी रेखा के परिवारों की महिलाओं के समूह आर्थिक रूप से सक्षम बनाने एवं उद्यम स्तापित करने के लिए बैंको के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार लाभप्रद योजनाओं का लाभ सभी वार्ड एवं सभी महिलाओं को प्राप्त नहीं हो पाता। इसका कारण अधिकांश लोगों को इस योजनाओं की जानकारी नहीं होती एवं गरीबी से निचे वालों को ही प्राथमिकता दी जाती है। इस तथ्य को निम्न तालिका से स्पष्ट किया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 6.13.2

यदि नहीं तो क्यों

(N = 34)

क्रं.	जिले का नाम	गरीबी रेखा से नीचे वालों को प्राथमिकता		जानकारी अप्राप्त		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	3	15.8	16	84.2	19	100
2.	रायपुर	3	20.0	12	80.0	15	100
योग		6	17.6	28	82.4	34	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि, जिन 27.9 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं को योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हुआ उनमें 82.4 प्रतिशत को योजनाओं की जानकारी अप्राप्त थी तथा 17.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं को गरीबी रेखा से नीचे वालों को प्राथमिकता प्रदान करने के कारण लाभ प्राप्त नहीं हुआ दुर्ग जिले में अधिकांश 84.2 प्रतिशत महिला पार्षदों को योजनाओं की जानकारी अप्राप्त थी एवं रायपुर जिले में 80.0 प्रतिशत महिला पार्षदों को जानकारी अप्राप्त है। दोनों की तुलना में रायपुर जिले का प्रतिशत अधिक है।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, वार्ड में चलाई गई योजनाएं का लाभ सभी महिला उत्तरदाताओं को प्राप्त नहीं होता।

आरेख

योजनाओं का लाभ नहीं मिलने का कारण

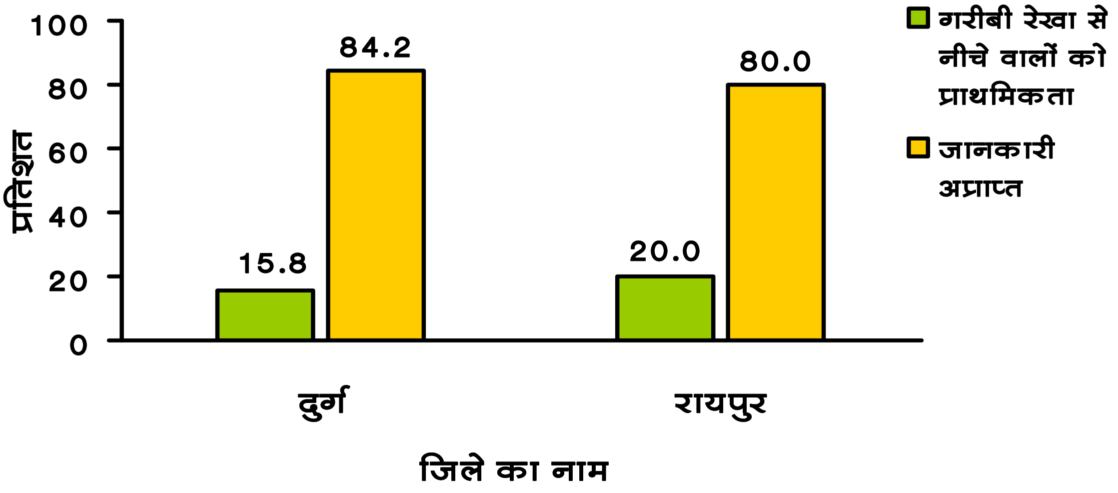

सामाजिक बुराईयों के प्रति लोगों में जागरूता लाने हेतु किये गये प्रयास :-

समाज में बहुत सी सामाजिक बुराईयां व्याप्त है जिसमें दहेज, भ्रुण हत्या, नशाखोरी, तलाक, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न आदि जो प्रमुख है। किसी भी समाज में इन बुराईयों के व्याप्त रहने पर विकास असंभव है इन बुराईयों को दूर करने के लिए समाज को जागरूक करना आवश्य है। समाज के प्रमुख एवं सरकार के द्वारा इन बुराईयों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है। जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 6.14

सामाजिक बुराईयों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने हेतु किए गये प्रयास

क्रं.	जिले का नाम	जनचेतना अभियान		परस्पर संवाद		कानूनी सलाह		प्रयास नहीं किया गया		योग	
		आवृत्ति	प्रति-शत	आवृत्ति	प्रति-शत	आवृत्ति	प्रति-शत	आवृत्ति	प्रति-शत	आवृत्ति	प्रति-शत
1.	दुर्ग	23	37.0	12	19.4	15	24.2	12	19.4	62	100
2.	रायपुर	17	28.3	16	26.7	16	26.7	11	18.3	60	100
योग		40	32.8	28	23.0	31	25.4	23	18.8	122	100

सामाजिक बुराईयों के प्रति जागरूकता लाने के संबंध में दिए गए उत्तरदाताओं से यह स्पष्ट होता है कि, अधिकांश 32.8 प्रतिशत उत्तरदाता जनचेतना अभियान द्वारा एवं सबसे कम 23.0 प्रतिशत परस्पर संवाद द्वारा इसके अतिरिक्त 25.4 प्रतिशत कानूनी सलाह के द्वारा सामाजिक बुराईयों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने हेतु प्रयास किया गया 18.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सामाजिक बुराईयों के प्रति जागरूकता लाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, परम्पराओं से संबंधित जैसे दहेज, अंधविश्वास आदि सामाजिक बुराईयों के प्रति लोगों को जागरूक करना।

नशा मुक्ति के लिए महिलाओं द्वारा वार्ड में आंदोलन किया जाना :-

महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए हर जगह और हर स्तर पर प्रयास किए जा रहें है। पंचायती राज संस्थाओं में 60 लाख महिलाओं के प्रतिनिधित्व ने सामाजिक लामबन्दी प्रक्रिया को तेजी दी है। महिलाओं को आरक्षण देने के प्रयोग के अच्छे नतीजे रहे है। उत्तरांचल में "पूर्ण नशाबंदी"की घोषणा महिलाओं का प्रयास रहा है। जून 1992 को आंध्र प्रदेश के एक गाँव में अकरक की दुकान को बन्द करा डाला जिसमें "अय्यावारी पल्ली" की महिलाओं का प्रयास रहा। इस प्रकार वार्ड में नशामुक्ति के लिए महिलाओं द्वारा किए गये प्रयासों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक - 6.15

नशा मुक्ति के लिए महिलाओं द्वारा वार्ड में आंदोलन किया जाना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	22	35.5	40	64.5	62	100
2.	रायपुर	23	38.3	37	61.7	60	100
योग		45	36.9	77	63.1	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, अधिकांश 63.1 प्रतिशत महिला पार्षद नशामुक्ति आंदोलन नहीं चलाया जबकि बहुत कम 36.9 प्रतिशत महिलाओं द्वारा नशामुक्ति के लिए वार्ड में आंदोलन किया दोनों जिले के आधार पर देखें तो रायपुर जिले के अधिकांश 38.3 प्रतिशत महिलाओं द्वारा एवं दुर्ग जिले के 35.5 प्रतिशत महिलाओं द्वारा वार्ड में आंदोलन किया गया।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता लोगों में नहीं है यदि है भी तो वो आंदोलन के लिए आगे नहीं आना चाहती है।

आंदोलन में सहभागिता का स्वरूप :-

जिन 45 उत्तरदाताओं ने नशामुक्ति के लिए अपने वार्ड में आंदोलन में सहभागिता निभाई है उसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका क्रमांक – 6.15.1

आंदोलन में सहभागिता का स्वरूप

(N = 45)

क्रं.	जिले का नाम	आंदोलन में केवल सहभागिता		नेता के रूप में		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	20	90.9	2	9.1	22	100
2.	रायपुर	21	91.3	2	8.7	23	100
योग		41	91.1	4	8.9	45	100

आंदोलन में सहभागिता के स्वरूप के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि, अधिकांश 91.1 प्रतिशत महिला पार्षदों की आंदोलन में सहभागिता सामान्य रूप में है बहुत कम 8.9 प्रतिशत महिला पार्षद ने नेता एवं नेतृत्व के रूप में आंदोलन किया। जिले के आधार पर देखें तो रायपुर के अधिकांश 91.3 प्रतिशत महिला पार्षद केवल जनसहभागिता के रूप में आंदोलन में भाग लिया। बहुत कम 8.7 प्रतिशत नेता के रूप में आंदोलन किया। दुर्ग जिले में 90.9 प्रतिशत महिला पार्षद जन सहभागिता के रूप में भाग लिए 9.1 प्रतिशत महिला पार्षद नेतृत्व कर आंदोलन में भाग लिए। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, आंदोलन में महिलाओं के नेतृत्व की कमी है।

आरेख

आंदोलन में सहभागिता का स्वरूप

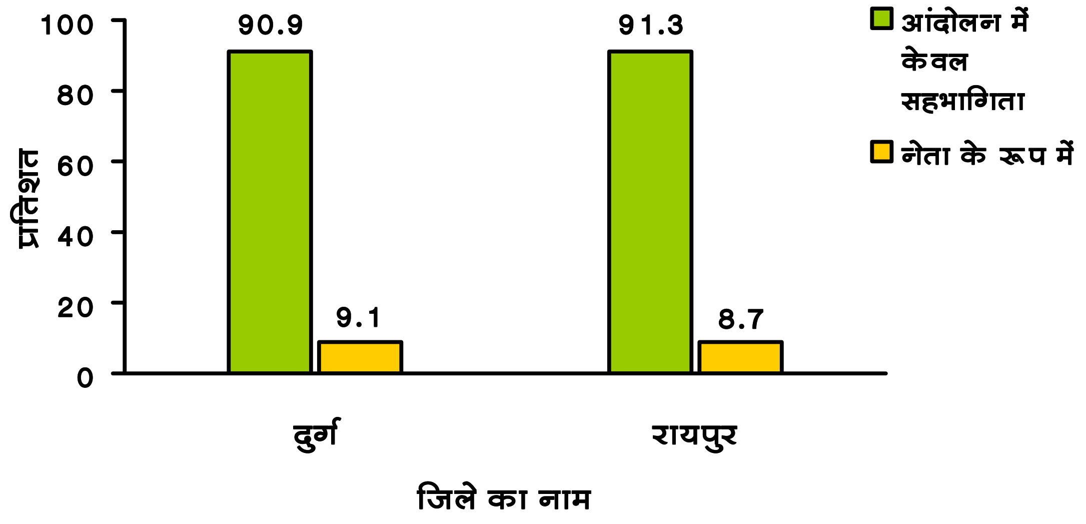

पार्षद बनने के पश्चात में वार्ड में बाल विवाह होना :-

भारतीय समाज में बाल विवाह एक प्रथा के रूप में प्रचलन में थी लेकिन कानूनी संशोधन के पश्चात इस प्रथा में कमी आई है। जो निम्न तालिका से स्पष्ट है:-

तालिका क्रमांक - 6.16

पार्षद बनने के पश्चात् वार्ड में बाल विवाह होना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	3	4.8	59	95.2	62	100
2.	रायपुर	0	0	60	100	60	100
योग		3	2.5	119	97.5	122	100

उत्तरदाताओं से ली जानकारी स्पष्ट करती है कि, उनके वार्ड में पार्षद बनने के पश्चात् अधिकांश 97.5 प्रतिशत बाल विवाह नहीं हुआ है जबकि बहुत कम 2.5 प्रतिशत बाल विवाह हुआ है । दोनों जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग जिले में 4.8 प्रतिशत बाल विवाह हुआ है जबकि रायपुर जिले में बाल विवाह नहीं हुआ है।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, अभी भी दुर्ग जिले में कुछ लोगों में बाल विवाह को एक प्रथा के रूप में स्वीकार करते आ रहे है जबकि बाल विवाह आधुनिक समाज में एक कुप्रथा के रूप में प्रचलित है।

विधवा पुर्नविवाह को प्रोत्साहन :-

किसी भी परिवार का गठन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधों के पश्चात ही होता है चूंकि हिन्दू संस्कृति में विवाह बंधन स्थायी होती है। भारतीय महिलाओं की स्थिति वैवाहिक संबंधों के स्थायित्व के मामले में दोयम दर्जे की रही है। हिन्दू धर्म में विवाह को जन्म जन्मान्तर का बंधन माना जाता है। भारतीय महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि, वे अपने जीवन भर पतिव्रत बनी रहे लेकिन ये पुरानी मान्यताएँ शिथिल हो गई है। अब पुरूषों के समान महिलाएँ भी पुर्नविवाह कर सकती है और समाज में विधवा पुर्नविवाह को प्राथमिकता दी जा रही है। इस संदर्भ में ली जानकारी को निम्न तालिका में स्पष्ट किया गया है:-

तालिका क्रमांक - 6.17

विधवा पुर्नविवाह को प्रोत्साहन

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	35	56.5	27	43.5	62	100
2.	रायपुर	37	61.7	23	38.3	60	100
योग		72	59.0	50	41.0	122	100

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, अधिकांश 59.0 प्रतिशत महिला पार्षदों ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया है बहुत कम 41.0 प्रतिशत महिला पार्षदों ने प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया। जिले के आधार पर दुर्ग में 43.5 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा विधवा विवाह को प्रोत्साहन प्रदान नही किया जबकि रायपुर में 38.3 प्रतिशत महिला पार्षदों ने प्रोत्साहन प्रदान नही किया। निष्कर्ष के रूप में यहां कहा जा सकता है कि, समाज के लोगों के विचारों में परिवर्तन हो रहा है और वे पुरानी परम्पराओं को तोड़कर एक स्वस्थ परम्पराओं को प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

विधवा का पुर्नविवाह कराना :-

नगरीय निकाय में महिलाओं की स्थिति में कई परिवर्तन होते रहे है। इसी आधार पर लोग 21वीं सदी को "महिलाओं की सदी" से विभूषित करने लगे है महिलाएं पुरूष प्रधान समाज में अपने अस्तित्व का एहसास दिलाने का सफल प्रयास कर रही है। हिन्दू धर्म में विवाह को जन्मों का बंधन माना जाता रहा है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में पुरूषों के समान महिलाओं को भी यह अधिकार प्राप्त है कि, वह पुर्नविवाह कर सकती है। जिले में वार्ड पार्षदों द्वारा कुछ विधवाओं का पुर्नविवाह कराया है। जो निम्न तालिका से स्पष्ट है:-

तालिका क्रमांक - 6.18

विधवा का पुर्नविवाह कराना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	19	30.6	43	69.4	62	100
2.	रायपुर	16	26.7	44	73.3	60	100
योग		35	28.7	87	71.3	122	100

विधवा पुर्नविवाह संबंधी तालिका से स्पष्ट होता है कि, सर्वाधिक 71.3 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि, उन्होंने अपने वार्ड में विधवा पुर्नविवाह नहीं कराया है जबकि सबसे कम 28.7 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि कि उन्होंने विधवा पुर्नविवाह कराया। दोनों जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग जिले में 30.6 प्रतिशत विधवा पुर्नविवाह कराया है जबकि रायपुर जिले में 26.7 प्रतिशत विधवा पुर्नविवाह कराया है जो दुर्ग जिले की तुलना में कम है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, रायपुर की अपेक्षा दुर्ग जिले के महिला पार्षद की सक्रिय भूमिका वार्ड की विधवाओं को एक नया जीवन प्रदान कर निभाई है।

आरेख

विधवा का पुर्नविवाह कराना

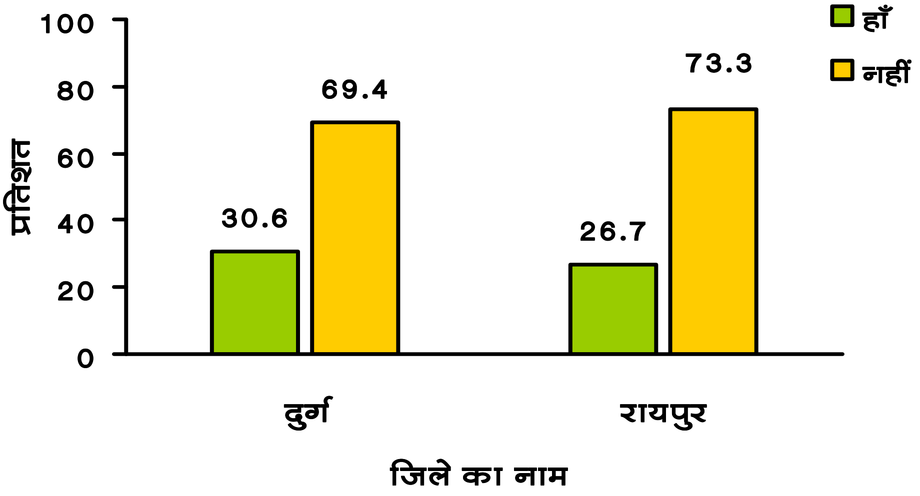

वार्ड में आदर्श सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करना :-

राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष गरीब युवक एवं युवतियों के लिए आदर्श सामूहिक विवाह की व्यवस्था की जाती है। जिसमें मुख्यमंत्री समेत अनेक नेताओं का सहयोग प्राप्त होता है। वार्ड के प्रमुख अपने वार्ड के युवक-युवतियों को आदर्श सामूहिक विवाह के लिए प्रोत्साहित करते है। इस तथ्य को निम्न तालिका से स्पष्ट किया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 6.19

वार्ड में आदर्श सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	53	85.5	9	14.5	62	100
2.	रायपुर	44	73.3	16	26.7	60	100
योग		97	79.5	25	20.5	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, वार्ड में उत्तरदाताओं से आदर्श सामूहिक विवाह संबंधी ली जानकारी के अंतर्गत आदर्श विवाह को अधिकांश 79.5 प्रतिशत महिला पार्षदों ने प्रोत्साहित किया है। जबकि सबसे कम 20.5 प्रतिशत ने आदर्श विवाह को प्रोत्साहित नहीं किया दोनों जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग के 85.5 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा आदर्श विवाह को प्रोत्साहित किया गया और रायपुर जिले में 73.3 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा प्रोत्साहित किया गया जो दुर्ग की तुलना में कम है।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, रायपुर की तुलना में दुर्ग में आदर्श सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन अधिक मिला है।

महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्त कराना :-

पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को धार्मिक व वैधानिक तौर पर पैतृक सम्पत्ति से वंचित कर दिया गया और सम्पत्ति का एकाधिकार पुरूषों के हाथों में केन्द्रित हो जाने के कारण परिस्थितियाँ इस सीमा तक बदली कि, समाज में नारी को पूर्णतः पुरूष की व्यक्तिगत सम्पत्ति में बदल दिया। वह पत्नी के साथ वैसा व्यवहार प्रारंभ हुआ जैसा वह अपनी सम्पत्ति के साथ करता था, लेकिन बीसवीं शताब्दी में पहुंचते ही सामाजिक कुरीतियों, राजनीतिक हलचल, वैयक्तिक अभिरूची, बदलते आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण के फलस्वरूप नारी-मुक्ति आंदोलन के रूप में "वीमैन्स लिब" का जोर पकड़ता गया। समाज में अब आधी शक्ति नारी की है और जिस भी पुरूष के द्वारा नारी उत्पीड़न किया जाता है उसे मुक्त कराने के लिए महिलाएं शक्ति का रूप धारण करती है। पार्षदों द्वारा मिहलाओं को उत्पीड़न से मुक्त कराने का विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 6.20

महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्त कराना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	17	27.4	45	72.6	62	100
2.	रायपुर	19	31.7	41	68.3	60	100
योग		36	29.5	86	70.5	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, दुर्ग जिले में 27.4 प्रतिशत महिलाओं को उनके उत्पीड़न से मुक्त कराया गया है जबकि रायपुर में 31.7 प्रतिशत महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्त कराया गया है जो दुर्ग की तुलना में अधिक है।

आरेख

महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्त कराना

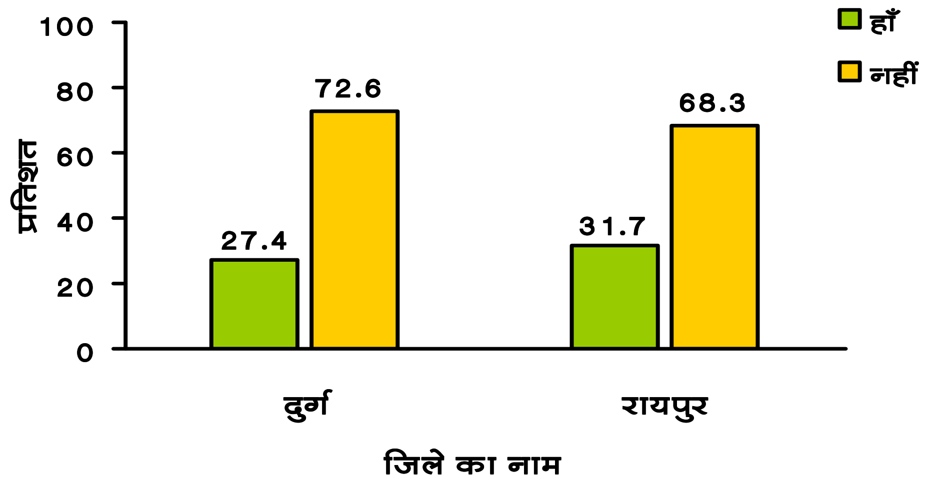

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, दुर्ग की तुलना में रायपुर की महिला पार्षदों को महिला उत्पीड़न जैसे दहेज को लेकर दी जाने वाली प्रताड़ना या बेटी के पैदा होने पर दी जाने वाली प्रताड़ना से लोगों को मुक्त कराने का सफल प्रयास किया है।

गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य किया जाना :-

भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा महिला समूहों का संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के अंतर्गत बेघर नागरियों को आश्रय तथा आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस मिशन में छत्तीसगढ़ के कुल 28 निकाय सम्मिलित है। योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2014 से की गई है। इस संदर्भ में दी जानकारी निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 6.21

गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य किया जाना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	26	41.9	36	58.1	62	100
2.	रायपुर	23	38.3	37	61.7	60	100
योग		49	40.2	73	59.8	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, गरीबी उन्मूलन हेतु वार्ड के महिला पार्षदों द्वारा 40.2 प्रतिशत गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य किया है एवं 59.8 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग के 41.9 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य किया। रायपुर जिले में 38.33 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य किया जो दुर्ग की तुलना में कम है।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, गरीबी उन्मूलन समाज के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना जिससे वे अपने और अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें।

रोजगार विकास एवं विस्तार का कार्य :-

राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2003[10] से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कारने हेतु दुकान/चबुतरा उपलब्ध कारने की

योजना लागू की गई है। दुकान एवं चबुतरों का निर्माण हेतु नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त रोजगार विकास एवं विस्तार हेतु राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना के अंग के रूप में प्रदेश की शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को सस्ता सुरक्षित एवं मुलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल, श्रम द्वारा तैयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से महिला समृद्धि बाजार योजना लागू की गई है। इस संबंध में ली जानकारी निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 6.22

रोजगार विकास एवं विस्तार का कार्य किया जाना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	47	75.8	15	24.2	62	100
2.	रायपुर	43	71. 7	17	28.3	60	100
योग		90	73.8	32	26.2	122	100

रोजगार विकास एवं विस्तार संबंधी विवरण से यह स्पष्ट है कि, वार्ड के महिला पार्षदों द्वारा 73.8 प्रतिशत रोजगार विकास एवं विस्तार का कार्य किया जबकि 26.2 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा किसी भी प्रकार रोजगार विकास संबंधी कार्य नहीं किया। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग के 75.8 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा रोजगार विकास एवं विस्तार संबंधी कार्य किया जबकि रायपुर जिले के महिला पार्षदों द्वारा 71.7 प्रतिशत रोजगार विकास का कार्य किया, जो दुर्ग की तुलना में कम है।

आरेख

रोजगार विकास एवं विस्तार का कार्य किया जाना

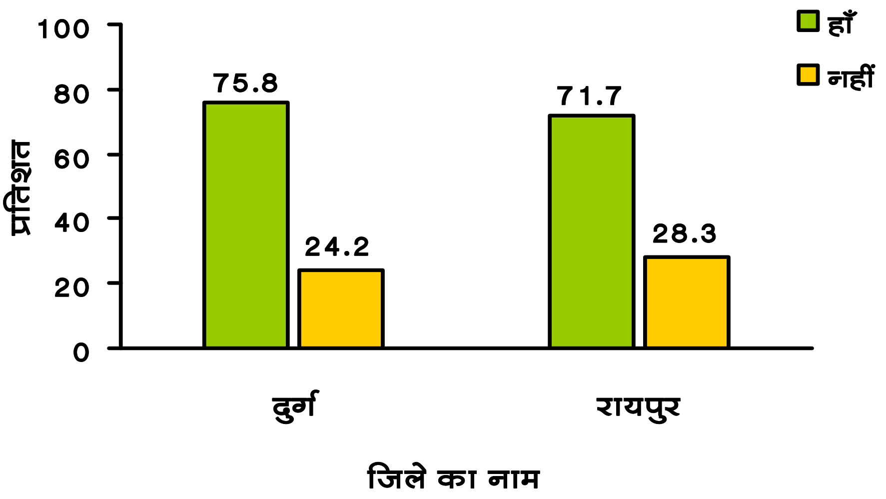

निष्कर्ष के रूप यह कहा जा सकता है कि, दुर्ग की महिला पार्षदों द्वारा वहां के लोगों को रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वार्ड में किए गये कार्य :-

जिन उत्तरदाताओं ने शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को सस्ता सुरक्षित रोजगार एवं समिति संचालन के लिए हाँ कहा है उसे निम्न तालिका में स्पष्ट किया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 6.22.1

किये गये कार्य

(N = 90)

क्रं.	जिले का नाम	बेरोजगारी		व्यवसाय का प्रशिक्षण		समिति संचालन		अन्य		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	15	31.9	18	38.3	3	6.4	11	23.4	47	100
2.	रायपुर	14	32.6	14	32.6	2	4.7	13	30.1	43	100
योग		29	32.2	32	35.5	5	5.6	24	26.7	90	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि, रोजगार विकास एवं विस्तार से संबंधित लोगों को जागृत करने के लिए वार्ड में महिला पार्षदों ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जिसमें बेरोजगारी से संबंधित 32.2 प्रतिशत, व्यवसाय का प्रशिक्षण 35.5 प्रतिशत, समिति संचालन 5.6 प्रतिशत एवं अन्य 26.7 प्रतिशत रोजगार विकास एवं विस्तार संबंधी कार्य किया। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग में सर्वाधिक 38.3 प्रतिशत व्यवसाय का प्रशिक्षण संबंधी एवं सबसे कम 6.4 प्रतिशत समिति संचालन संबंधी कार्य का विस्तार किया। रायपुर जिले में सर्वाधिक 32.6 प्रतिशत बेरोजगारी व व्यवसाय का प्रशिक्षण एवं सबसे कम 4.7 प्रतिशत समिति संचालन से संबंधित है।

महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाना :-

महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन द्वारा महिला समृद्धि बाजार योजना जो प्रदेश की शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को सस्ता सुरक्षित एवं मुलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध कराने एवं उनके कौशल श्रम द्वारा तैयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से लागू की गई है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के समूहों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने एवं स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस संबंध में ली जानकारी निम्न तालिका में स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 6.23

महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	39	62.9	23	37.1	62	100
2.	रायपुर	35	58.3	25	41.7	60	100
योग		74	60.7	48	39.3	122	100

महिला उद्यमिता प्रोत्साहन से संबंधित तालिका से स्पष्ट है कि, 60.7 प्रतिशत महिला पार्षदों ने अपने वार्ड के लोगों को महिला उद्यमिता संबंधित जानकारी प्रदान की जबकि 39.3 प्रतिशत महिला पार्षदों ने प्रोत्साहित नहीं किया दोनों जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग जिले में अधिकांश 62.9 प्रतिशत महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया एवं रायपुर जिले के महिला पार्षद ने 58.3 प्रतिशत महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर उन्हे स्वालम्बी बनाया।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, महिला उद्यमिता से महिलाओं को घरेलु उद्योग संबंधी जानकारी देकर प्रोत्साहित किया।

किए गये कार्य :-

जिन उत्तरदाताओं द्वारा महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया कहा गया है। उनमें उत्तरदाताओं ने समिति संचालन एवं महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सिलाई प्रशिक्षण एवं उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता में मदद की है। जिसे निम्न तालिका में स्पष्ट किया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 6.23.1

किए गये कार्य

(N = 74)

क्रं.	जिले का नाम	समिति संचालन		सिलाई प्रशिक्षण		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	12	30.8	27	69.2	39	100
2.	रायपुर	15	42.9	20	57.1	35	100
योग		27	36.5	47	63.5	74	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि, महिलाओं को स्वालम्बी बनाने के लिए सर्वाधिक 63.5 प्रतिशत सिलाई प्रशिक्षण, 36.5 प्रतिशत समिति संचालन की गतिविधियों के रूप में कार्य किया जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग में 30.8 प्रतिशत समिति संचालन एवं रायपुर में 42.9

प्रतिशत समिति संचालन संबंधी कार्य किये गए। दोनों जिले में रायपुर की अपेक्षा दुर्ग में सिलाई प्रशिक्षण का प्रतिशत अधिक रहा है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, महिला पार्षदों ने सिलाई प्रशिक्षण अपने वार्ड में अधिकाधिक दिये जिससे महिलाएं अपने घरों का कार्य करते हुए आर्थिक रूप से भी मजबूत बनें।

स्वच्छता संबंधी कार्य :-

नगरीय निकाय में महिला पार्षदों ने स्वच्छता संबंधी कार्य अपने वार्ड में कराए जिसमें भारत सरकार द्वारा "स्वच्छ भारत मिशन" के तहत पूर्ण स्वच्छता एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने, सॉलिड वेस्ट का वैज्ञानिक रीति से निष्पादन के उद्देश्य से शहरी क्षेत्र में हर घर नल – हर घर शौचालय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। प्रत्येक वार्ड में नल की व्यवस्था, शौचालय निर्माण एवं कूड़ेदान की पर्याप्त व्यवस्था की गई है जिससे स्वच्छता बनी रहे। इस संबंध में ली जानकारी निम्न तालिका में स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 6.24

स्वच्छता संबंधी किये गये कार्य

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	50	80.6	12	19.4	62	100
2.	रायपुर	45	75.0	15	25.0	60	100
योग		95	77.9	27	22.1	122	100

स्वच्छता संबंधी जानकारी प्राप्त की गई जिसका विवरण उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, अधिकांश 77.9 प्रतिशत महिला पार्षदों ने अपने वार्ड में स्वच्छता संबंधी कार्य किया, 22.1 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा स्वच्छता संबंधी कार्य नहीं किया जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग जिले की 80.6 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जबकि रायपुर में 75 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा स्वच्छता संबंधी कार्य किया जो दुर्ग की तुलना में कम है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, दुर्ग की महिला पार्षदों का ध्यान स्वच्छता की ओर अधिक है।

स्वच्छता संबंधी कार्य का स्वरूप :-

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साफ-सफाई को लेकर "स्वच्छ भारत अभियान" पर काफी जोर देते रहे है। गांधी जी को एक प्रेरणा के रूप में रखते हुए गत वर्ष 2 अक्टुबर को "स्वच्छ भारत अभियान" शुरू किया गया जिसमें महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना, स्वास्थ्य के अपने बुनियादी

अधिकारों के प्रति सजग करना है 2019 तक बालिकाओं के विद्यालयों में शौचालय बनाने के साथ 1.04 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बैतूल जिले की अनिता ब्रांड एम्बेस्डर के रूप में समाज को इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि, शौचालय बनावाएं एवं मर्यादापूर्ण स्वस्थ तरीके से जिए। निम्न तालिका से स्पष्ट है कि, स्वच्छता संबंधी कार्य के क्या स्वरूप हैः-

तालिका क्रमांक - 6.25

स्वच्छता संबंधी कार्य का स्वरूप

क्रं.	जिले का नाम	स्वच्छता अभियान		शौचालय निर्माण		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	27	43.5	35	56.5	62	100
2.	रायपुर	29	48.3	31	51.7	60	100
योग		56	45.9	66	54.1	122	100

नगरीय निकाय में महिला पार्षदों द्वारा अपने वार्ड के लिए किए गये कार्य मुख्य रूप से साफ- स्वच्छता से संबंधित है जिसका विवरण उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है। वार्ड में किए गये कार्य में अधिकांश 54.1 प्रतिशत शौचालय निर्माण संबंधित कार्य हुए, 45.9 प्रतिशत स्वच्छता से संबंधित अभियान । जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग जिले में 56.5 प्रतिशत शौचालय निर्माण, 43.5 प्रतिशत स्वच्छता अभियान कार्य किए। रायपुर में दुर्ग की अपेक्षा कम कार्य किया गया।

आरेख

कार्य का स्वरूप

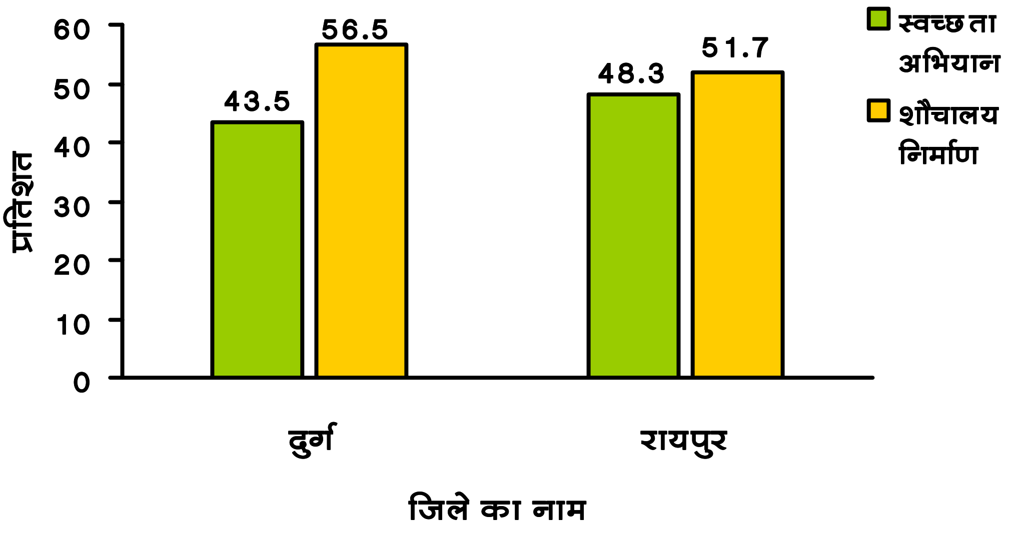

नगर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान :-

नगरीय निकाय के योजनाबद्ध विकास हेतु छत्तीसगढ़ नगर निकाय अधिनियम बनाया गया है। जिनमें सड़कों से संबंधित कार्य उनके मरम्मत कार्य, पेयजल योजना, विद्युत विकास संबंधी कार्य, कूड़ा-कचरा अपशिष्ठ प्रबंधन, स्थानीय निकायों में मुलभूत सुविधाओं का विकास आदि। उत्तरदाताओं से नगर विकास संबंधी जानकारी निम्न तालिका में प्रदर्शित हैः-

तालिका क्रमांक - 6.26

नगर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान

(N = 145)

क्रं.	जिले का नाम	सड़क निर्माण		पेयजल		विद्युत		उद्यान निर्माण		नहीं		योग	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	दुर्ग	11	15.3	11	15.3	2	2.8	34	47.2	14	19.4	72	100
2.	रायपुर	11	15.1	11	15.1	3	4.1	28	38.4	20	27.3	73	100
योग		22	15.2	22	15.2	5	3.4	62	42.8	34	23.4	145	100

महिला पार्षदों द्वारा नगर के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया गया जो उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है अधिकांश 42.8 प्रतिशत उद्यान का निर्माण कार्य किया गया है इसके अतिरिक्त 15.2 प्रतिशत पेयजल एवं सड़क निर्माण, सबसे कम 3.4 प्रतिशत विद्युत संबंधित कार्य, तथा 23.4 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। दोनों जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग 47.2 प्रतिशत उद्यान का निर्माण से संबंधित कार्य हुए है जबकि रायपुर जिले में 38.4 प्रतिशत उद्यान का निर्माण के कार्य हुए है।

पर्यावरण विकास संबंधी कार्य किया जाना :-

किसी भी समाज का निर्माण उसके आस-पास के पर्यावरण पर निर्भर करता है। पर्यावरण एक ऐसी संरचना है जिमें भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अन्तःक्रियाये चलती रहती है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त यौगिकों का प्रभाव जीव समूह के विकास एवं उसके जीवन पर पड़ता है। जीव समूह के अंतर्गत समाज में रहने वाले व्यक्ति भी शामिल है।

औद्योगीकरण एवं नगरीकरण की प्रवृत्तियों के कारण समाज में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है। प्रदूषण को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार का पर्यावरण विकास कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में उत्तरदाताओं से ली जानकारी निम्न तालिका में स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 6.27

पर्यावरण विकास संबंधी कार्य किया जाना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	34	54.8	28	45.2	62	100
2.	रायपुर	29	48.3	31	51.7	60	100
योग		63	51.6	59	49.2	122	100

पर्यावरण विकास संबंधी कार्य का विवरण उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, महिला पार्षदों में अधिकांश 51.6 प्रतिशत महिलाओं ने पर्यावरण को स्वच्छ तथा प्रदूषण मुक्त करने के लिए अपने वार्ड में वृक्षारोपण का कार्य किया जबकि कम 49.2 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा इस प्रकार का कार्य नहीं किया। जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग जिले में 54.8 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा वृक्षारोपण तथा स्वच्छता संबंधी कार्य किया जबिक रायपुर जिले में 48.3 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा पर्यावरण विकास संबंधी कार्य किया।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, वार्ड में महिला पार्षदों द्वारा वृक्षारोपण, मच्छरों के लिए दवाईयों का छिड़काव और नालियों की साफ-सफाई निरंतर करना।

आरेख

पर्यावरण विकास संबंधी कार्य किया जाना

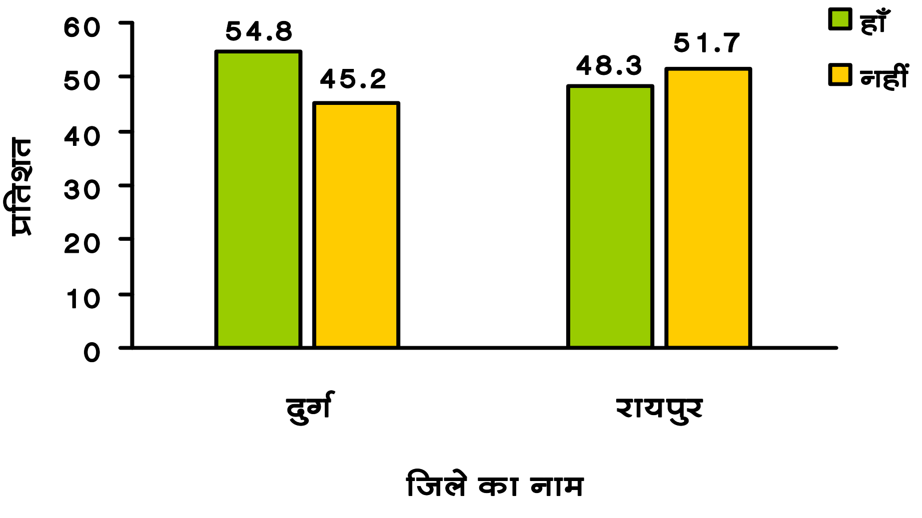

पर्यावरण विकास के किए गए कार्य का स्वरूप :-

नगरीय निकाय में जिन 63 उत्तरदाताओं ने पर्यावरण विकास संबंधित कार्य किया है उनके स्वरूप को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 6.27.1

पर्यावरण विकास के किए गये कार्य का स्वरूप

(N = 63)

क्रं.	जिले का नाम	वृक्षारोपण		कूड़ा -कचरा अपशिष्ट प्रबंधन		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	28	82.4	6	17.6	34	100
2.	रायपुर	22	75.9	7	24.1	29	100
योग		50	79.4	13	20.6	63	100

जिन 51.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पर्यावरण विकास संबंधी कार्य किया, उसमें किस-किस प्रकार का कार्य किया उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है। अधिकांश 79.4 प्रतिशत महिला पार्षदों ने वृक्षारोपण का, 20.6 प्रतिशत महिला पार्षदों ने कूड़ा-कचरा अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्य किया। दोनों जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग में महिला पार्षदों ने 82.4 प्रतिशत वृक्षारोपण का कार्य किया, 17.6 प्रतिशत कूड़ा-कचरा अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्य किया जबकि रायपुर के महिला पार्षदों ने 75.9 प्रतिशत वृक्षारोपण का कार्य किया जो दुर्ग की तुलना में कम है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, पर्यावरण के विकास में वृक्षारोपण का कार्य अधिकांश महिला पार्षदों द्वारा किया गया।

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गये कार्य :-

पिछले कुछ वर्षो में सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न विकासात्मक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभाव से महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशा में उल्लेखनीय सुधार आया। देश में त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी के लिए की गई व्यवस्था एक क्रांतिकारी कदम है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा तमाम योजनाएं महिलाओं को मद्देनजर रखकर बनाई जाने लगी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में कम से कम 50 प्रतिशत कामगार समूह विशेष तौर पर महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गये। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु अनेक प्रकार के कार्य किए गये जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 6.28

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गये कार्य

क्रं.	किए गये कार्य	जिले का नाम								योग			
		दुर्ग				रायपुर							
		हां		नहीं		हां		नहीं		हां		नहीं	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	समिति संचालन	37	59.7	25	40.3	35	58.3	25	41.7	72	59.0	50	41.0
2.	रोजगार प्रशिक्षण	40	64.5	22	35.5	38	63.3	22	36.7	78	63.9	44	36.1
3.	पेंशन	19	30.6	43	69.4	19	31.7	41	68.3	38	31.1	84	68.9
4.	सुखद सहारा का लाभ	27	43.5	35	56.5	28	46.7	32	53.3	55	45.1	67	54.9
5.	ऋण सुविधा	26	41.9	36	58.1	25	41.7	35	58.3	51	41.8	71	58.2
योग		149	48.1	161	51.9	145	48.3	155	51.7	294	48.2	316	51.8

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, अधिकांश 63.9 प्रतिशत महिला पार्षदों ने अपने वार्ड में रोजगार प्रशिक्षण का कार्य किया, 59.0 प्रतिशत समिति का संचालन, 45.1 प्रतिशत सुखद सहारा का लाभ, 41.8 प्रतिशत ऋण सुविधा, व 13 प्रतिशत पेंशन योजना प्रतिशत महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कार्य किये गये । जिले के आधार पर देखें तो करीब दोनों ही जिले में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक समान कार्य किए गये।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, वार्ड में यदि महिला पार्षद के रूप में कार्यरत है तो वे आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवारों को महिलाओं को आत्म-निर्भर और उनकी परिवार में स्थिति (पद) बनाने के लिए रोजगार प्रशिक्षण, ऋण सुविधा, पेंशन, सुःखद सहारा का लाभ आदि कार्य किए गये।

पार्षदों के द्वारा नगर विकास के लिए किए जाने वाले कार्य संबंधी अभिमत :-

नगरीय निकाय में अपने वार्ड के अंतर्गत विकास संबंधी कार्य जिनमें स्वास्थ्य जागरूकता, सफाई अभियान, शिक्षा अभियान आदि किए गए है। जिसके संबंध महिला पार्षदों के अभिमत जानने का प्रयास किया गया है जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक - 6.29

पार्षदों के द्वारा नगर विकास के लिए किये जाने वाले कार्य संबंधी अभिमत

क्रं.	कार्य संबंधी अभिमत	जिले का नाम								योग			
		दुर्ग				रायपुर							
		हां		नहीं		हां		नहीं		हां		नहीं	
		आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत	आ.	प्रति-शत
1.	स्वास्थ्य जागरूकता	52	83.9	10	16.1	50	83.3	10	16.7	102	83.6	20	16.4
2.	सफाई अभियान	48	77.4	14	22.6	46	76.7	14	23.3	94	77.0	28	23.0
3.	शिक्षा अभियान	23	37.1	39	62.9	24	40.0	36	60.0	47	38.5	75	61.5
4.	उद्यान विकास	50	80.6	12	19.4	50	83.3	10	16.7	100	82.0	22	18.0
योग		173	69.8	75	30.2	170	70.8	70	29.2	343	70.3	145	29.7

पार्षदों के द्वारा नगर विकास के लिए किये जाने वाले कार्य संबंधी अभिमत के संबंध में उत्तरदाताओं से ली जानकारी का विवरण उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है। अधिकतर 83.6 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता संबंधित कार्य, सबसे कम 38.5 प्रतिशत महिलाओं ने शिक्षा अभियान वाले कार्य एवं इसके अतिरिक्त 77.0 प्रतिशत सफाई अभियान वाले कार्य, 82.0 प्रतिशत उद्यान विकास संबंधित कार्य में अभिमत प्राप्त किये गये। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग एवं रायपुर जिले में सभी महिला पार्षदों का अभिमत लगभग समान है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, एक नगर का विकास संबंधी अभिमत में स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा एवं उद्यान विकास में।

दल के नेता का भागीदारी से संतुष्ट होना :-

महिला पार्षद के रूप में अपनी भागीदारी निभा रही महिला पार्षद से उनके दल के नेता प्रमुख संतुष्ट है या नहीं इसे निम्न तालिका में स्पष्ट किया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 6.30

दल के नेता का भागीदारी से संतुष्ट होना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	53	85.5	9	14.5	62	100
2.	रायपुर	50	83.3	10	16.7	60	100
योग		103	84.4	19	15.6	122	100

दल के नेता का भागीदारी से संतुष्ट होना महिला पार्षदों के विवरण उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है। अधिकांश 84.4 प्रतिशत महिला पार्षदों ने बताया कि, उनके दल के नेता उनकी वार्ड में भागीदारी से संतुष्ट है और 15.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि, उनके दल के नेता उनकी महिला पार्षदों की भागीदारी से संतुष्ट नहीं है। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग जिले के अधिकांश 85.5 प्रतिशत महिला पार्षदों की भूमिका से संतुष्ट है और सबसे कम 14.5 प्रतिशत असंतुष्ट है। रायपुर जिले के 83.3 प्रतिशत महिला पार्षदों की भूमिका से संतुष्ट है और सबसे कम 16.7 प्रतिशत असंतुष्ट है। निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि, दुर्ग के महिला पार्षदों की भूमिका से दल के नेता संतुष्ट है।

पार्षद के रूप में अपनी भूमिका से संतुष्ट होना :-

छत्तीसगढ़ के दोनों ही जिलों के महिला पार्षद अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे है। पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण से उनमें आत्म-विश्वास तथा जोश आया है। वार्ड में होने वाले रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। उनमें राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भाव विकसित हुआ है। शिक्षित महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे रहती है। क्योंकि वे आत्म-निर्भर एवं आत्म-विश्वास से भरी होती है। इसलिए वे अपनी भूमिका से संतुष्ट है या नहीं निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 6.31

पार्षद के रूप में अपनी भूमिका से संतुष्ट होना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	54	87.1	8	12.9	62	100
2.	रायपुर	51	85.0	9	15.0	60	100
योग		105	86.1	17	13.9	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, पार्षद के रूप में अपनी भूमिका से अधिकांश 86.1 महिला पार्षद संतुष्ट है और बहुत कम 13.9 प्रतिशत महिला पार्षद संतुष्ट नहीं है। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग के 87.1 प्रतिशत महिला पार्षद संतुष्ट है। जबकि रायपुर जिले के 85 प्रतिशत महिला पार्षद संतुष्ट हैं। दुर्ग जिले के 12.9 प्रतिशत पार्षद संतुष्ट नहीं है। जबकि रायपुर जिले के 15 प्रतिशत महिला पार्षद संतुष्ट नहीं है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, दुर्ग जिले के महिला पार्षद रायपुर की अपेक्षा अपनी भूमिका से अधिक संतुष्ट है।

आरेख

पार्षद के रूप में अपनी भूमिका से संतुष्ट होना

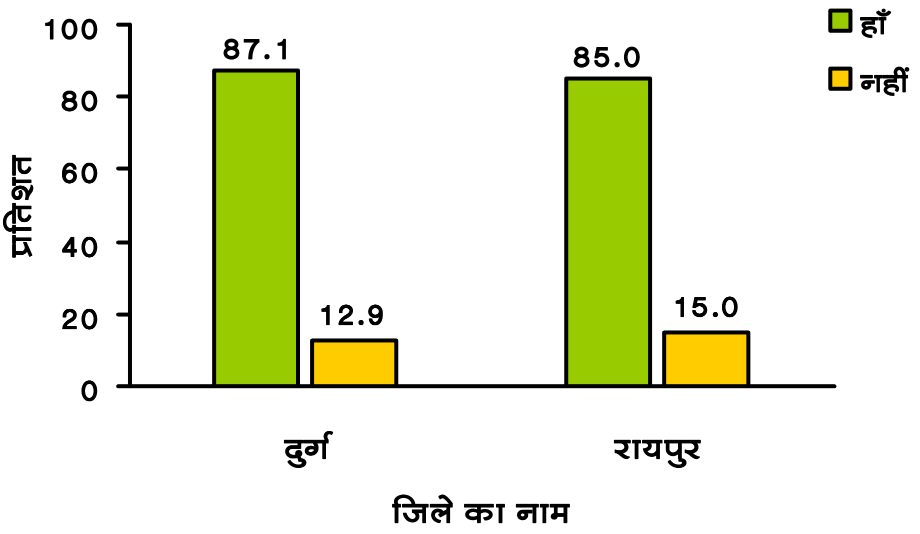

संतुष्टि का स्वरूप :-

महिला पार्षदों द्वारा अपने वार्ड की समस्याओं का निराकरण कर संतुष्ट होती है। भ्रष्टाचार उन्मूलन, समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए अनेक कार्य करती है। कार्य के अनेक स्वरूप से मिलने वाली संतुष्टि को निम्न तालिका में स्पष्ट किया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 6.31.1

संतुष्टि का स्वरूप

(N = 105)

क्रं.	जिले का नाम	भ्रष्टाचार उन्मूलन		समाज एवं राष्ट्र का विकास		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	18	33.3	36	66.7	54	100
2.	रायपुर	26	51.0	25	49.0	51	100
योग		44	41.9	61	58.1	105	100

संतुष्टि के स्वरूप को उपरोक्त तालिका में स्पष्ट किया गया है अधिकांश 58.1 प्रतिशत महिला पार्षद समाज एवं राष्ट्र के विकास संबंधी कार्य करते है। इसके अतिरिक्त 41.9 प्रतिशत महिला पार्षद भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंधी कार्य करते है जो संतुष्टि प्रदान करता है।

नगरीय निकाय में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने संबंधी विचार :-

73वें और 74वें संविधान के द्वारा देश की ग्रामीण एवं नगरीय दोनों पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में महिलाओं का आरक्षण 36.37 प्रतिशत तक पहुंच गया है। बिहार में महिलाओं को 50 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार भारत में पंचायती राज संस्थाओं को करीब 12 लाख से ज्यादा निर्वाचित महिलाओं को जनप्रतिनिधियों के रूप में विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व एवं अधिकार प्राप्त हुए है। जो दुनिया की कुल निर्वाचित महिलाओं से अधिक है। महिला प्रतिनिधियों में अपवादों को छोड़कर अपनी भूमिका सक्षमता से निभाते हुए सिद्ध कर दिया है कि, महिलाएं किसी तरह पुरूषों से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने संबंधी जानकारी निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-

तालिका क्रमांक - 6.32

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने संबंधी विचार

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	59	95.2	3	4.8	62	100
2.	रायपुर	54	90.0	6	10.0	60	100
योग		113	92.6	9	7.4	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने संबंधी विचार में अधिकांश 92.6 प्रतिशत महिला पार्षदों ने हाँ कहा है जबकि बहुत कम 7.4 प्रतिशत महिला पार्षदों ने नहीं कहा है। यदि दोनों जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग के महिला पार्षदों का 95.2 प्रतिशत महिला चाहती है कि, छत्तीसगढ़ में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए जबकि दुर्ग की तुलना में रायपुर के 90 प्रतिशत महिलाओं ने हाँ कहा है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, दुर्ग की महिला पार्षदों ने अपने वार्ड में अपनी महिला प्रतिनिधि की भूमिका अच्छे तरीके से निभाई है और वो चाहती है कि, हमारे समाज में महिलाओं का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व बढ़े।

महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने संबंधी स्वरूप :-

प्रत्येक वार्ड की महिला पार्षद यह चाहती है कि, महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिनिधितव करने का अवसर प्राप्त हो। शिक्षित महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे रहतीहै क्योंकि वे आत्म-निर्भर एवं आत्म-विश्वास से भरी

होती है। जिससे वह अपनी समस्याओं का स्वतः ही समाधान करने में समर्थ होती है। इस संबंध में ली जानकारी निम्न तालिका से स्पष्ट है:-

तालिका क्रमांक - 6.32.1

महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने संबंधी स्वरूप

(N = 113)

क्रं.	जिले का नाम	राजनीतिक		सामाजिक		आर्थिक		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	16	27.1	28	47.5	15	25.4	59	100
2.	रायपुर	17	31.5	20	37.0	17	31.5	54	100
योग		33	29.2	48	42.5	32	28.3	113	100

उपरोक्त तालिका के विवरण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 42.5 प्रतिशत महिला पार्षद चाहती है कि सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक रहे अर्थात समाज में जो सामाजिक समस्याएँ है उनका निराकरण करने के लिए वे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना प्रतिनिधित्व करती रहे और सबसे कम 28.3 पार्षद आर्थिक कार्यों में अपना प्रतिनित्व करती है।

आरेख

महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने संबंधी स्वरूप

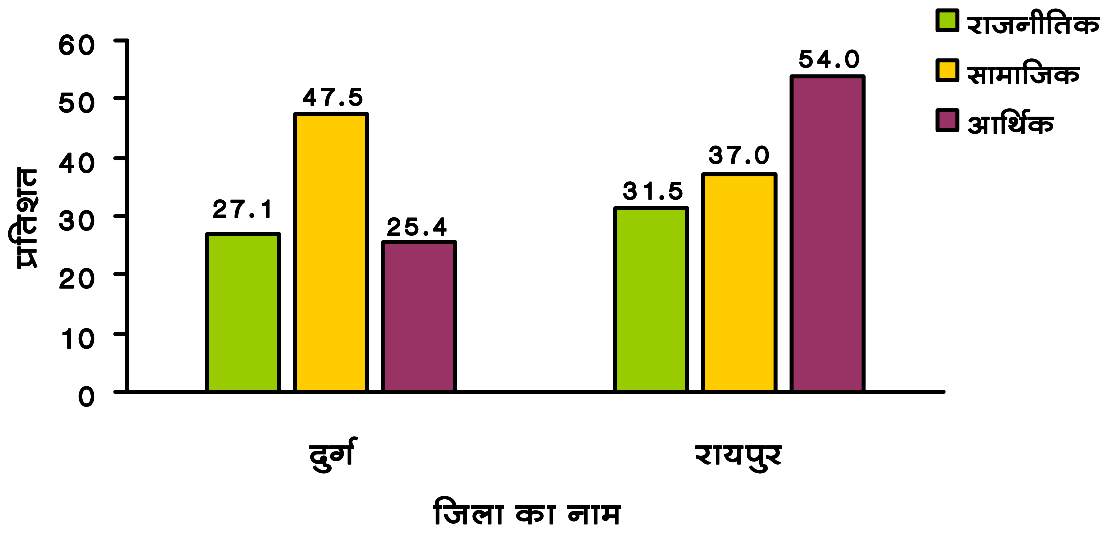

महिलाओं को आरक्षण दिये जाने का समर्थन करना :-

पंचायती चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद राजनीति में उनके लिए रास्ते खुल गये। उनमें राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भाव भी विकसित हुआ है। उत्तरप्रदेश के जिला पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 32 सीटें सुरक्षित थी। महिलाओं ने आरक्षित सीटों के

अलावा 20 दूसरी सीटों पर भी जीत हासिल कर ली। आरक्षण ने न केवल शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं में जोश जगाया है बल्कि बड़ी तादाद में दलित व पिछड़े तबके महिलाओं को भी ऊपर उठाया है। महिलाओं को आरक्षण दिये जाने का अधिकांश महिला पार्षदों का समर्थन प्राप्त है जिसे निम्न तालिका में स्पष्ट किया गया है:-

तालिका क्रमांक - 6.33

महिलाओं को आरक्षण दिये जाने का समर्थन करना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	44	71.0	18	29.0	62	100
2.	रायपुर	46	76.7	14	23.3	60	100
योग		90	73.8	32	26.2	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, 73.8 प्रतिशत महिला पार्षद यह चाहती है कि, महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हो। बहुत कम 26.2 प्रतिशत महिला पार्षद चाहती है कि, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। दोनों जिलों के आधार पर देखें तो रायपुर जिले के 76.7 प्रतिशत महिला पार्षद आरक्षण का समर्थन करती है। जबकि दुर्ग जिले के 71.0 प्रतिशत महिला पार्षद समर्थन करती है जो रायपुर जिले से कम है।

आरेख

महिलाओं को आरक्षण दिये जाने का समर्थन करना

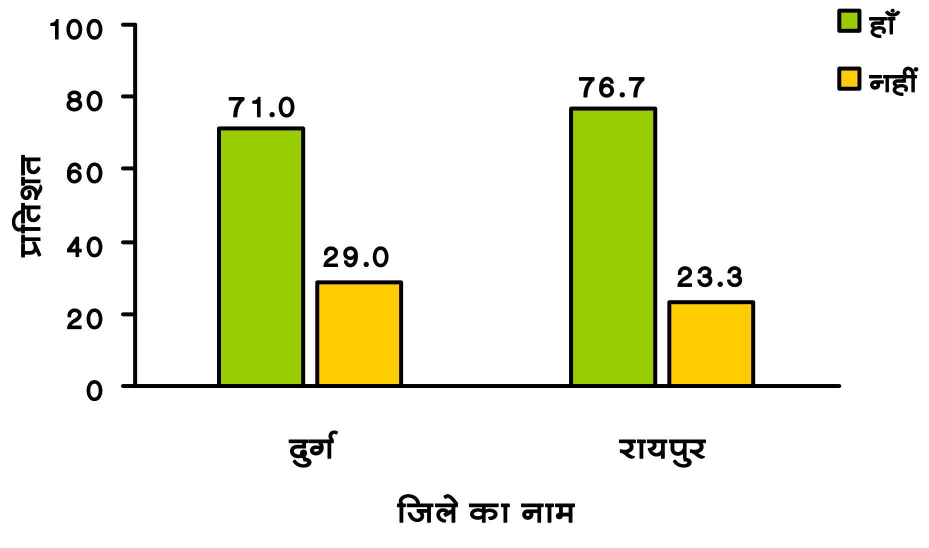

महिलाओं की प्रगति में महिलाएं ही अवरोध बनने संबंधी विचार :-

महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में आने पर समाज की अन्य महिलाओं के द्वारा विरोध जताया जाता है। परिवार के महिला सदस्य जैसे - सास, जेठानी, आदि उन्हे राजनैतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने पर अवरोध उत्पन्न करती है। पारम्परिक विचारधारा को अपनाते हुए वे बहू व बेटियों का नेतृत्व स्वीकार नहीं करती। भार्गव व विद्या (1992)[11] ने राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति पंचायतीराज व्यवस्था कर्नाटक के विशेष संदर्भ में अध्ययन किया और यह पाया कि महिला जन प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ते समय परिवार के महिला सदस्यों जैसे, सास, जेठानी, आदि के विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाओं के प्रगति में महिलाएं ही आगे बढ़ने से रोकती है। जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 6.34

महिलाओं की प्रगति में महिलाएं ही अवरोध बनने संबंधी विचार

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	18	29.0	44	71.0	62	100
2.	रायपुर	16	26.7	44	73.3	60	100
योग		34	27.9	88	72.1	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, अधिकांश 72.1 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं की प्रगति में महिलाएं अवरोध बनती है व इस संबंध में नहीं कहा है। जबकि 27.9 प्रतिशत महिला उत्तरदाता ये कहती है कि, महिलाओं की प्रगति में महिलाएं ही अवरोध बनती है। जिले के आधार पर देखें तो रायपुर एवं दुर्ग दोनों ही जिले में इस संबंध में महिला उत्तरदाताओं के विचार समान है।

पुरूषों की तुलना :-

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देकर उनको सहभागी बनाया तो गया है लेकिन परम्परागत पुरूष प्रधान समाज में वे अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है। पुरूष सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से महिला नेताओं पर कार्य के क्षेत्र में मानसिक दबाव डालते है। पुरूषों में ऐसी मानसिकता है कि महिलाएँ राजनैतिक कार्यक्रमों एवं समस्याओं का निराकरण कर पाने में सक्षम नहीं है। इसलिए महिला नेतृत्व करने करने अपने मानसिक दबाव के कारण सुरक्षित महसूस नहीं करती। जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

तालिका क्रमांक - 6.35

पुरूषों की तुलना में अपने आपको असुरक्षित महसूस करना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	20	32.3	42	67.7	62	100
2.	रायपुर	21	35.0	39	65.0	60	100
योग		41	33.6	81	66.4	122	100

उत्तरदाताओं द्वारा दी जानकारी उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होती है कि, पुरूषो की तुलना में नारी अपने आपको असुरक्षित महसूस करने वाले महिला पार्षदों की अधिकांश 66.4 प्रतिशत महिला ने नहीं कहा है जबकि बहुत कम 33.6 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा इस संदर्भ में हाँ कहा है। दोनों जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग की महिला पार्षदों की 67.7 प्रतिशत महिलाओं ने नहीं कहा है। जो रायपुर की 65.0 प्रतिशत महिला पार्षदों से अधिक है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, महिलाओं में पुरूषों की तुलना में असुरक्षा की भावना आज भी विद्यमान है। इसका कारण है लिंग-भेद, अशिक्षा तथा महिलाओं के प्रति सामाजिक मानसिकता।

नारी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता :-

महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने संबंधी पहला प्रस्ताव 1988 में राजीव गांधी के शासनकाल में देखने को मिलता है। और तब से लेकर अब तक 10 से भी अधिक बार लोकसभा में महिला आरक्षण बिल सदन की पटल पर रखा जा चुका है पर आज पर्यन्त वह बिल पास नहीं हो पाया। यह निश्चय ही चिन्तनीय प्रश्न है। यह प्रश्न ही बतलाता है कि आज राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व कितना आवश्यक है।

तालिका क्रमांक - 6.36

भारत जैसे विकासशील देश को आज नारी प्रतिनिधित्व की अत्यंत आवश्यकता होना

क्रं.	जिले का नाम	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	दुर्ग	62	100.0	0	-	62	100
2.	रायपुर	59	98.3	1	1.7	60	100
योग		121	99.2	1	0.8	122	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, अधिकांश 99.2 प्रतिशत महिला पार्षदों ने कहा भारत जैसे विकासशील देश को आज नारी प्रतिनिधित्व की अत्यंत आवश्यकता है। बहुत कम 0.8 प्रतिशत

महिला पार्षदों द्वारा नारी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को नहीं बताया। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग के 100 प्रतिशत महिला पार्षदों ने नारी प्रतिनिधित्व की अत्यंत आवश्यकता होना बताया है। जबकि रायपुर के 98.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नारी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता बताया है। जो दुर्ग जिले से थोड़ी कम है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, आज समाज में प्रत्येक क्षेत्र में नारी पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है तो राजनीति के क्षेत्र में क्यों नहीं । यदि उनका प्रतिनिधित्व होगा तो समाज में किसी भी नारी को उत्पीड़न सहना ही नहीं पड़ेगा।

संदर्भ

1. Mathur, P.C. (2000); Rural Local Self Government : Idiological Nuances fro Rippon to Jai Prakash Narayan – 1882 to 994 in occupational paper of Renewing Local self Government in India.
2. Nathan, A.J. (1977); A factionalism model for up politics. In Schimidt. S.W. et al. (ed.), friends, followers and factions, London: University of California Press. Pp. 382-400.
3. Gangrade, K.D. (1974); Emerging Patterns of Leadership. Rachna Publication, New Delhi, pp. 263.
4. Sharma, M. (1979); The Politics of Inequality. Hindustan Publishing Corporation, Delhi.
5. शर्मा, आदर्श (1999); पंचायतीराज में महिला आरक्षण; औचित्य एवं संभावनाएँ. राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृ. 306-309.
6. रमणराव, ए.बी. (1974); ग्राम पंचायत की संरचना एवं कार्य पद्धति, पेज 3, संदर्भित जी.आर. मदन ग्रंथ, पेज 252.
7. भनोट, बेला (2000); पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृ. 78-90.
8. जैन, राजकुमारी (2000); भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रिकरण और नवपंचायतीराज, राज पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, पृ. 306-309.
9. कौशिक, सुशीला (1993); वुमन्स एंड पंचायतीराज, हर आनंद पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पेज 4-8.
10. प्रशासकीय प्रतिवेदन 2015-2016, पृ. 8-9.
11. Bhargava & Vidya (1992); Panchayati Raj System and Political Party, Indian Park, p. 11(5).

<u>अध्याय - सप्तम</u>

निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय – सप्तम
निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन नगरीय विकास में महिला पार्षदों की भूमिका का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है जो कि रायपुर एवं दुर्ग जिले के नगरीय निकायों के महिला पार्षदों पर आधारित हैं।

अध्ययन हेतु रायपुर एवं दुर्ग जिले के नगर पालिक निगम, नगर पालिका निगम एवं नगर पंचायत के कुल 130 पार्षोदों के 94 प्रतिशत अर्थात 122 पार्षदों का चुनाव दैव-निर्दशन की लॉटरी पद्धति के द्वारा किया गया है।

अध्ययन हेतु जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था उनमें :-

1. अध्ययनगत महिला पार्षदों की सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि को ज्ञात करना।
2. महिला पार्षदों के राजनीतिक समाजीकरण की स्थिति का अध्ययन करना।
3. महिला पार्षदों के जनकल्याणकारी कार्यक्रमों में सक्रियताएवं योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को ज्ञात करना।
4. नगरीय विकास में महिला पार्षदों की भूमिका का अध्ययन करना मुख्य था।

तथ्यों के संकलन हेतु अध्ययन के उद्देश्य पर आधारित संचित साक्षात्कार-अनुसूची का निर्माण किया गया साथ ही अवलोकन प्रविधि के माध्यम से भी तथ्यों का संकलन किया गया है। सम्पूर्ण अध्ययन सात अध्यायों में विभक्त है, जिसमें प्रथम अध्याय प्रस्तावना से संबंधित है, द्वितीय अध्यय उत्तरदाताओं के सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित है, तृतीय अध्याय में उत्तरदाताओं की राजनीतिक समाजीकरण की स्थिति का उल्लेख किया गया है, चतुर्थ अध्याय में जनकल्याणकारी कार्यक्रम में महिला पार्षदों की सक्रियता, पंचम अध्याय में शासकीय योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयां, षष्ठम अध्याय में नगरीय विकास में पार्षदों की भूमिका का उल्लेख किया गया है जबकि अंतिम अध्याय सप्तम निष्कर्ष एवं सुझाव से संबंधित है। अध्ययन में संकलित तथ्यों के विश्लेषण की शुरूआत द्वितीय अध्याय से होना है। अध्ययन से ज्ञात प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार है :-

अध्याय द्वितीय में अध्ययनगत उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया है जिसमें उत्तरदाताओं की आयु संबंधी विवरण से स्पष्ट है कि अधिकतर 53.3 प्रतिशत महिला पार्षद 20 से 40 वर्ष वर्ग के व 40 से 60 आयु वर्ग के 41.8 प्रतिशत पार्षदों का द्वितीय स्थान है तथा सबसे कम 60 से अधिक आयु वर्ग के 4.9 प्रतिशत पार्षद कार्यरत् है। जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग जिले में 20 से 40 वर्ष आयु वर्ग के व रायपुर जिले में 40 से 60 एवं 60 से अधिक आयु वर्ग के महिला पार्षदों की संख्या सर्वाधिक है।

महिला पार्षदों के शैक्षणिक स्तर से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 37.7 प्रतिशत पार्षदों ने महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा ग्रहण किये है तत्पश्चात् 19.7 प्रतिशत माध्यमिक, 18.0 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक, हाई स्कुल 13.9 प्रतिशत एवं सबसे कम 10.6 प्रतिशत पार्षदों ने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है।

जाति संबंधी तालिका से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 61.5 प्रतिशत पार्षद अन्य पिछड़ा वर्ग के है एवं 19.7 प्रतिशत सामान्य वर्ग तथा सबसे कम 6.6 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति वर्ग के है। उल्लेखनीय है कि दुर्ग एवं रायपुर दोनों ही जिलों में सबसे कम 6.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के पार्षद है। तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि निम्न जाति वर्ग (अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति) के महिलाओं में राजनीतिक सक्रियता कम पाई गई है, जबकि इसके विपरित अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में राजनीतिक सक्रियता अधिक देखी गई है।

उत्तरदाताओं के धर्म संबंधी विवरण से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 94.3 प्रतिशत पार्षद हिन्दु धर्म के है। एवं सिक्ख धर्म के 3.3 प्रतिशत व सबसे कम मुस्लिम धर्म में 2.5 प्रतिशत है। नगरीय निकायों के आधार पर देखा जाए तो हिन्दु धर्म के पश्चात् रायपुर जिले में सिक्ख एवं दुर्ग जिले में महिला पार्षदों की संख्या अधिक है। वैवाहिक स्थिति संबंधी विवरण से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 91.0 प्रतिशत पार्षद विवाहित व 6.6 प्रतिशत विधवा तथा सबसे कम 2.5 प्रतिशत महिला पार्षद अविवाहित है । जिले के आधार पर देखा जाए तो रायपुर जिले में 8.3 प्रतिशत विधवा है एवं दुर्ग जिलें में 4.8 प्रतिशत उत्तरदाता विधवा है जबकि अविवाहित महिला पार्षदों की संख्या दुर्ग जिले के .6 प्रतिशत की तुलना में रायपुर जिले के 3.4 प्रतिशत में अधिक पाई गई है।

उत्तरदाताओं की वार्षिक आय संबंधी विवरण से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 84.4 प्रतिशत पार्षदों की वार्षिक आय 75,000 से 1,00,000 रूपये के मध्य है जबकि सबसे कम 7.4 प्रतिशत पार्षदों की आय 1,00,000 रूपये से अधिक है। नगरीय निकायों के आधार पर दोनों ही जिलों में

75,000 से कम वार्षिक आय प्राप्त करने वाले पार्षदों की संख्या 8.2 प्रतिशत है। उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि 75,000 से 1,00,000 के मध्य अधिकांश पार्षदों की वार्षिक आय है। अध्ययनगत महिला पार्षदों की वार्षिक आय से यह भी स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में से अधिकांश सामान्य प्रकृति के व्यवसाय में संलग्न है या गृहणी है।

उत्तरदाताओं के पारिवारिक सदस्यों की आयु में अधिकतर 40.6 प्रतिशत 20 वर्ष से कम, 20 से 40 आयु वर्ग के 28.9 प्रतिशत, 40 से 60 आयु वर्ग में 22.1 प्रतिशत एवं सबसे कम 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 8.4 प्रतिशत सदस्य है। जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग की तुलना में रायपुर जिलें में 20 वर्ष से कम तथा 40 से 60 आयु वर्ग के पारिवारिक सदस्यों की संख्या अधिक है जबकि दुर्ग जिले में 20 से 40 एवं 60 से अधिक आयु वर्ग के पारिवारिक सदस्य अधिक है।

उत्तरदाताओं के अधिकतर 86.1 प्रतिशत महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्य शिक्षित है जबकि 13.9 प्रतिशत ही अशिक्षित है। जिसके अंतर्गत 60 से अधिक आयु वर्ग के सदस्य सम्मिलित है। नगरीय निकायों को देखे तो रायपुर की तुलना में दुर्ग के महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्य अधिक शिक्षित है। जबकि रायपुर जिले के 16.6 प्रतिशत पारिवारिक सदस्य अशिक्षित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भी रायपुर की तुलना में दुर्ग जिले में शिक्षित सदस्यों की संख्या अधिक है। निष्कर्ष के रूप में यह माना जा सकता है कि पारिवारिक सदस्यों में शिक्षितों की संख्या सर्वाधिक है।

महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्यों के शिक्षा के स्तर संबंधी विवरण से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 23.4 प्रतिशत सदस्य महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा प्राप्त है, 22.9 प्रतिशत प्राथमिक, 20.6 प्रतिशत माध्यमिक एवं सबसे कम 15.5 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त किए है। जिले के आधार पर देखे तो रायपुर की तुलना में दुर्ग जिले में शिक्षा का स्तर अधिक पाया गया है। जहां सर्वाधिक महाविद्यालय स्तर के 23.5 प्रतिशत एवं सबसे कम 14.9 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्राप्त पारिवारिक सदस्य है। जबकि रायपुर जिले में भी महाविद्यालय स्तर के शिक्षा प्राप्त सर्वाधिक 23.3 प्रतिशत एवं सबसे कम 16.1 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक एवं हाई स्कुल के शिक्षा प्राप्त है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्य सबसे कम 15.5 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक एवं सबसे अधिक 23.4 प्रतिशत महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा प्राप्त है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्यों में 51.0 प्रतिशत विवाहित है जबकि 49.0 प्रतिशत सदस्य अविवाहित है। नगरीय निकायों के आधार पर देखे तो

रायपुर की अपेक्षा दुर्ग जिले के महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्य अधिक अविवाहित है। जबकि रायपुर जिले के 51.2 प्रतिशत सदस्य विवाहित है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अध्ययनगत समूह के महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्यों में अधिकांश सदस्य विवाहित है।

पारिवारिक सदस्यों के व्यवसाय संबंधी तालिका से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 43.8 प्रतिशत सदस्य कोई व्यवसाय नहीं करते है इसके अंतर्गत महिलाएं एवं बच्चे सम्मिलित है जो कि गृहणी एवं अध्यनरत् छात्र-छात्राएं है। जबकि सबसे कम 2.4 प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार है जो शिक्षा प्राप्त कर चुके है एवं व्यवसाय की तलाश में है। नगरीय निकाय के आधार पर देखे तो दुर्ग नगर में स्वयं का व्यवसाय 15.1 प्रतिशत, शासकीय सेवा 7.2 प्रतिशत, पार्षद 24.7 प्रतिशत का व्यवसाय करने वाले सदस्यों की संख्या रायपुर की तुलना में अधिक है जबकि रायपुर जिले में प्राईवेट (8.4 प्रतिशत) व्यवसाय करने वाले सदस्यों की संख्या अधिक है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अध्ययनगत महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्यों में अधिकांश शासकीय या निजी व्यवसाय में संलग्न है।

महिला पार्षदों के परिवार की मासिक आय में अधिकतर 84.4 अधिकतर परिवार की आय 75000-100000 से अधिक है जबकि 8.2 प्रतिशत की 75000 से कम एवं सबसे कम 7.4 प्रतिशत 100000 से अधिक मासिक आय वाले परिवार के सदस्य है। नगरीय निकाय के आधार पर देखे तो दुर्ग जिले के नगरीय निकायों के महिला पार्षदों के परिवार की 75000-100000 मासिक आय 83.9 प्रतिशत एवं रायपुर जिले के महिला पार्षदों की मासिक आय 85 प्रतिशत है। जबकि दुर्ग जिले में रायपुर की तुलना में 100000 से अधिक मासिक आय एवं रायपुर जिले में 75000 से कम मासिक आय वाले अधिक है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि रायपुर की तुलना में दुर्ग जिले के महिला पार्षदों के परिवार की मासिक आय अधिक है क्योंकि दुर्ग जिले के महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्य शासकीय सेवा एवं स्वयं का व्यवसाय अधिक करते है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर अधिकतर 73.8 प्रतिशत पार्षदों ने बताया है कि उनका स्वयं का मकान है जबकि 26.2 प्रतिशत पार्षदों के पास स्वयं का मकान नहीं है। नगरीय निकाय के अधार पर देखे तो रायपुर जिले के 76.7 प्रतिशत महिला पार्षदों के पास स्वयं का मकान अधिक है जबकि दुर्ग जिले के 29.0 प्रतिशत महिला पार्षदों के पास स्वयं का मकान नहीं है। इसके अन्तर्गत वे महिला पार्षद आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा एवं व्यवसाय के उद्देश्य से किराए के मकान में रहते है। जिनका स्वयं का मकान नहीं है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि महिला पार्षदों के 71.1 प्रतिशत मकान पक्का, 21.1 प्रतिशत अर्धपक्का एवं सबसे कम 7.8 प्रतिशत मकान कच्चा है। जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग की तुलना में रायपुर जिले के महिला पार्षदों का मकान 73.9 प्रतिशत अधिक पक्का है। जबकि दुर्ग जिले में अर्ध-पक्का 23.3 प्रतिशत व 9.1 प्रतिशत कच्चा मकान अधिक है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जिन महिला पार्षदों के मकान अर्धपक्का एवं कच्चा है। उनकी पारिवारिक आय कम है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 65.6 प्रतिशत महिला पार्षदों ने बताया कि उन्होंने अपने मकान का निर्माण स्वयं नहीं किया है जबकि 34.4 प्रतिशत ने कहा है कि उन्होंने अपने मकान का निर्माण स्वयं किया है। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग की तुलना में रायपुर जिले के महिला पार्षदों द्वारा अपने मकान का निर्माण स्वयं अधिक किया गया है। जबकि दुर्ग जिले के 65.9 प्रतिशत महिला पार्षदों ने अपने मकान के निर्माण के लिए रिश्तेदारों एवं बैंक से सहयोग प्राप्त किया है। दुर्ग की तुलना में रायपुर जिले के महिला पार्षदों द्वारा मकान निर्माण में 90 प्रतिशत रिश्तेदारों से सहयोगअधिक लिया गया है। जबकि दुर्ग जिलें में बैंक से 6.9 प्रतिशत सहयोग अधिक लिया गया है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकतर 89.8 प्रतिशत महिला पार्षद अपने मकान के निर्माण में रिश्तेदारों से सहयोग अधिक लेते है जबकि बैंक से 6.8 प्रतिशत एवं अन्य संस्था से 3.4 प्रतिशत ही सहयोग प्राप्त करते है।

महिला पार्षदों द्वारा अपने स्वयं के मकान निर्माण में रिश्तेदारों बैंक एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से तैयार आवास के रूप में 50 प्रतिशत एवं राशि के रूप में प्राप्त सहयोग द्वारा निर्मित आवास भी 50 प्रतिशत है। दुर्ग जिले में अधिकांश उत्तरदाताओं के आवास में रसोईघर 97.5 प्रतिशत, पेयजल 94.5 प्रतिशत, शौचालय 95.9 प्रतिशत, स्नानघर 92.6 प्रतिशत, एवं विद्युत 100 प्रतिशत सुविधाएँ उपलब्ध है। इसी तरह रायपुर जिले में भी सभी उत्तरदाताओं के आवास में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अध्ययनगत समूह की महिला पार्षदों को अपने आवास में लगभग सभी मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 68.0 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि उनके मकान आवश्यकता के अनुरूप है जबकि 32.0 प्रतिशत पार्षदों का मानना है कि उनका मकान परिवार की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग जिले के 33.9 प्रतिशत व रायपुर जिले के 30.0 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि उनके मकान परिवार के आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि जिन पार्षदों के आवश्यकतानुरूप नहीं है उनमें 84.6 प्रतिशत पार्षदों का मकान किराये का है एवं 15.4 प्रतिशत पार्षदों के मकान में कमरे की कमी है। रायपुर

की अपेक्षा दुर्ग जिले के सर्वाधिक 90.5 प्रतिशत पार्षदों का मकान किराये का है जबकि रायपुर की तुलना में दुर्ग के पार्षदों के मकान में कमरे की कमी अधिक पाई गई है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि दुर्ग जिले में अधिकतर 69.0 प्रतिशत पार्षदों ने नल, 17.2 प्रतिशत हैण्डपंप, 8.6 प्रतिशत पार्षद कुंआ व सबसे कम 5.2 प्रतिशत पार्षद बोर पम्प से पेयजल प्राप्त करते है। तथा रायपुर जिलमें सर्वाधिक 78.9 प्रतिशत नल और सबसे कम 5.3 कुंआ से पेयजल प्राप्त करते है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि नौकरी द्वारा अधिकतर 45.5 प्रतिशत पार्षदों को आय की प्राप्ति होती है। व्यापार से 35.2 प्रतिशत व सबसे कम कृषि से 18.0 प्रतिशत पार्षदों को आय प्राप्त होता है। दुर्ग जिले की तुलना में रायपुर जिले के पार्षद सर्वाधिक नौकरी व व्यापार द्वारा आय प्राप्त करते है। जबकि रायपुर की अपेक्षा दुर्ग के पार्षद कृषि से आय अधिक प्राप्त करते है। आय के स्त्रोत संबंधी विवरण से स्पष्ट है कि समुह की अधिकांश महिला पार्षदों के आय का मुख्य स्त्रोत नौकरी है अर्थात सेवारत् परिवारों की महिलाएं अन्य वर्गों की तुलना में अधिक संख्या में नगरीय निकायों में भागीदार बन रही है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 41.8 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि उनके पास 4000 वर्गफीट से अधिक जमीन है जबकि 1000 व 2000-4000 वर्गफीट जमीन वाले पार्षद 20.5 & 21.3 प्रतिशत एवं सबसे कम 16.4 प्रतिशत पार्षदों के पास 1000-2000 वर्गफीट से अधिक जमीन है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जिन पार्षदों के जमीन 4000 वर्गफीट से अधिक है वे पार्षदों के अन्य सदस्य नौकरी व व्यापार वाले है।

घरेलू उपकरण संबंधी तालिका से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 87.7 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि उनके घर में कुलर है तत्पश्चात् 84.4 प्रतिशत गैस स्टोव, 77.9 प्रतिशत फैन, एवं सबसे अधिक 94.3 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि उनके घर कुलर 12.3 प्रतिशत की सुविधा नहीं है। जिले के आधार पर देखें तो रायपुर जिले में सर्वाधिक 87.1 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि उनके घर कुलर व गैस स्टोव की सुविधा है जबकि दुर्ग जिले में सर्वाधिक 90.0 प्रतिशत कुलर तत्पश्चात 80.6 प्रतिशत गैस स्टोव पार्षदों के घर में पाया गया है। घर में मनोरंजन के संबंधी साधन से स्पष्ट होता है कि, अधिकतर 87.7 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि उनके घर रंगीन टी.वी. है जबकि 50.8 प्रतिशत ने सी.डी. प्लेयर, 29.5 प्रतिशत ने होम थियेटर, 20.5 प्रतिशत ने टेप व सबसे कम 1.6 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि उनके घर विडियों कैमरा है दोनों ही जिलों के पार्षदों के घर में रेडियों, आई. पॉड, विडियो कैमरा एवं डिजिटल कैमरा समान मात्रा में पाया गया है जबकि टेप, होम थियेटर, सी.डी. प्लेयर एवं साधारण कैमरा, रायपुर के पार्षदों की तुलना में दुर्ग के पार्षदों के घर अधिक पाया गया।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि आधे से अधिक 59.8 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि उनके घर कम्प्यूटर नहीं है जबकि 40.2 प्रतिशत ने बताया है कि उनके घर कम्प्यूटर है। नगरीय निकायों में देखें तो रायपुर की तुलना में दुर्ग के पार्षदों के घर कम्प्यूटर अधिक पाया गया है। उत्तरदाता के घर में टेलीफोन सुविधा से संबंधित अध्ययन से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 68.0 प्रतिशत पार्षदों के घर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है जबकि 32.0 प्रतिशत पार्षदों के घर ही टेलीफोन की सुविधा है। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग की तुलना में रायपुर जिले के पार्षदों के पास टेलीफोन की सुविधा अधिक नहीं है इसका प्रमुख कारण है कि टेलीफोन की अपेक्षा मोबाईल सस्ती एवं सुविधाजनक होती है जिसके कारण टेलीफोन का उपयोग कम किया जाता है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 91.8 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि उनके स्वयं के पास मोबाईल अधिक है तत्पश्चात् पति के पास 81.1 प्रतिशत, बेटे के पास 61.5 प्रतिशत एवं सबसे कम परिवार के अन्य सदस्यों के पास 16.4 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि रायपुर की अपेक्षा दुर्ग के महिला पार्षदों के परिवार में पति, बेटा एवं बेटी के पास मोबाईल की सुविधा है एवं दोनों ही जिलों के महिला पार्षदों के पास मोबाईल की सुविधा उपलब्ध है।

अधिकतर 71.3 प्रतिशत वाहन उनके पति के पास तत्पश्चात् 38.5 प्रतिशत बेटे के पास व 37.7 प्रतिशत स्वयं के पास एवं सबसे कम 9.8 प्रतिशत परिवार के अन्य सदस्यों के पास है। तुलनात्मक रूप से देखें तो रायपुर की अपेक्षा दुर्ग जिले के महिला पार्षदों के बेटा एवं बेटी के पास स्वयं का वाहन अधिक है। जबकि दुर्ग की तुलना में रायपुर में पति एवं परिवार के अन्य सदस्यों के पास वाहन अधिक है। दोनों ही नगरीय निकायों में एक भी पार्षद ऐसे नहीं है जिन्होंने कर दिया हो अर्थात अध्ययनगत समूह के समस्त महिला पार्षद कर के दायरे में नहीं आते हैं। इसका कारण उनकी आय का कर योग्य नहीं होना है।

अध्ययन तृतीय में उत्तरदाताओं का राजनीतिक समाजीकरण से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है जिसमें जीवन की प्रत्येक अवस्था में औपचारिक एवं अनौपचारिक तथा नियोजित एवं अनियोजित, सभी राजनीतिक सीख सम्मिलित है। और इसमें सुस्पष्ट राजनीतिक सीख, सामाजिक मनोवृत्तियां एवं व्यक्तित्व गुणों को प्राप्त करना समाहित है। राजनीतिक व्यक्तियों के समाजशास्त्रीय अध्ययन में उनके राजनैतिक समाजीकरण का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। क्योंकि इससे नेतृत्व विकास के कारकों का पता चलता है। राजनीतिक गुणों एवं व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहते है। कैनेथ नैंगटन के अनुसार "राजनीतिक समाजीकरण वह तरीका है जिसके द्वारा समाज राजनीतिक संस्कृति को को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित करता है।"

राजनीति के प्रति रूझान संबंधी तालिका से स्पष्ट हुआ है कि अधिकतर 49.2 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में होने के कारण उनके मन में राजनीति के प्रति रूझान आई। जबकि सबसे कम 0.8 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि आन्दोलनों में भाग लेने से उनके मन में राजनीति के प्रति इच्छा उत्पन्न हुई है। उल्लेखनीय है कि दोनों ही नगरीय निकायों में 21.3 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि राजनीतिक समाचारों से उनके मन में रूझान आयी है जबकि 78.7 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि राजनीति में रूची समाचारों से नहीं आयी है। इसी प्रकार 99.2 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि राजनीति के प्रति रूझान आन्दोलन में भाग लेने से नहीं आयी है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 58.2 प्रतिशत पार्षद विद्यार्थी जीवन में परिवार के राजनीतिक चर्चा में भाग लेते थे, तत्पश्चात 27.9 प्रतिशत सामाजिक कार्यकर्ता, तत्पश्चात 17.2 प्रतिशत मित्रों से राजनीतिक चर्चा एवं सबसे कम 6.6 प्रतिशत राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे। दोनों ही नगरीय निकायों में महिला पार्षद विद्यार्थी जीवन में सर्वाधिक परिवार के राजनीतिक चर्चा में भाग लेते थे इसके विपरीत 93.4 प्रतिशत पार्षद राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य नहीं करते थे इसका प्रमुख कारण है कि विद्यार्थी जीवन में पार्षद घरेलु कार्य एवं शिक्षा के कारण परिवार के साथ राजनीतिक चर्चा में भाग तो लेते थे किन्तु कार्यकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर पाते थे।

महिला पार्षदों के 34.4 प्रतिशत पारिवारिक सदस्य केवल राजनीतिक दल के सदस्य है तत्पश्चात् पार्षद 20.5 प्रतिशत, सरपंच 9.0 प्रतिशत एवं सबसे कम पंच 2.5 प्रतिशत है जबकि महापौर के पद पर एक भी सदस्य आसीन नहीं रहे है सर्वाधिक 33.6 प्रतिशत पारिवारिक सदस्य किसी भी राजनीतिक पद पर आसीन नहीं है। जिले के आधार पर देखे तो रायपुर की तुलना में दुर्ग के महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्य सरपंच 9.6 प्रतिशत, पार्षद 21.0 प्रतिशत के पद पर अधिक रहे है जबकि रायपुर में पंच 3.3 प्रतिशत, राजनीतिक दल का सदस्य 35.0 प्रतिशत अधिक है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश महिला पार्षदों के पारिवारिक सदस्य किसी भी पद पर आसीन नहीं रहे है और जिन महिला पार्षदों के सदस्य किसी राजनीतिक पद पर आसीन रहे है वे केवल राजनीतिक दल के सदस्य ही रहे है क्योंकि राजनीतिक दल के सदस्य होने के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती है। जिसके कारण इसकी सदस्य संख्या अधिक है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 49.2 प्रतिशत महिला पार्षद भाजपा से, 41.0 प्रतिशत कांग्रेस एवं सबसे कम निर्दलीय 9.8 प्रतिशत दल से जुड़े है। नगरीय निकायों के आधार पर देखें तो दोनों ही जिलों में 40.3 प्रतिशत कांग्रेस से एवं भाजपा से दुर्ग में 46.8 प्रतिशत व रायपुर में 51.6 प्रतिशत इस दल से जुड़े है। जबकि निर्दलीय दल में रायपुर जिले के 6.7 प्रतिशत की तुलना

में दुर्ग जिले के 12.9 प्रतिशत महिला पार्षद अधिक सम्मिलित है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश महिला पार्षद भाजपा से जुड़े हुए है। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की ही सरकार है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी के प्रति रूझान होना स्वाभाविक है। दल विशेष से जुड़ने के कारण संबंधी विश्लेषण से स्पष्ट है कि, 52.5 प्रतिशत पार्षद सामाजिक कार्य एवं 47.5 प्रतिशत पार्षद राजनीतिक सक्रियता के कारण दल से जुड़े है। जिले के आधार पर देखें तो रायपुर की तुलना में दुर्ग में 48.4 प्रतिशत पार्षद राजनीतिक सक्रियता के कारण दल विशेष से जुड़े है। जबकि रायपुर जिले के 53.3 प्रतिशत पार्षद सामाजिक कार्य से अधिक जुड़े है। वर्तमान में 38.5 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि वे किसी दल के सदस्य है जबकि 62.5 प्रतिशत पार्षदों को कोई पद प्राप्त नहीं है नगरीय निकायों में देखें तो दुर्ग की अपेक्षा रायपुर के 38.3 प्रतिशत पार्षदों को दल में पद प्राप्त है जबकि दुर्ग के 61.3 प्रतिशत पार्षदों को कोई भी पद प्राप्त नहीं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश पार्षदों को किसी भी राजनीतिक दल सदस्य के रूप में पद प्राप्त नहीं है। इसका कारण उनका राजनीति में भागीदार होने की अवधि का कम होना है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 55.7 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि राजनीति में आने का कोई विशेष कारण नहीं बताया है। नगरीय निकाय के अधार पर देखें तो दुर्ग जिले के 53.2 प्रतिशत की तुलना में रायपुर जिलें में 58.3 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि राजनीति में आने का कोई विशेष कारण नहीं हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता हैं कि अधिकांश महिला पार्षदों के राजनीति में आने का कोई विशेष कारण होता है जैसें कि पारिवारिक राजनीतिक सक्रियता एवं सामाज सेवा से जुड़ने के कारण वे राजनीति में प्रवेश करती है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 52.9 प्रतिशत महिला पार्षद के राजनीतिक दल में आने का प्रमुख कारण समाज सेवा है एवं 47.1 प्रतिशत उत्तरदाता विकास के कारण वे राजनीति में आयी है। जिले के आधार पर देखें तो रायपुर की तुलना में दुर्ग जिले के 54.5 प्रतिशत महिला पार्षद समाज सेवा के कारण, जबकि दुर्ग 45.5 प्रतिशत की तुलना में रायपुर जिले के 48.6 प्रतिशत महिला पार्षद वार्ड के विकास के लिए राजनीति में आई है। दल के नेता का भागीदारी से संतुष्ट होने संबंधी तालिका से स्पष्ट है, कि दोनों ही नगरीय निकायों में शत्-प्रतिशत दल के नेता उनकी भागीदारी से संतुष्ट है। जिसका कारण उनका दल के नीतियों के अनुरूप कार्य करना रहा है, साथ ही वार्ड में लोगों का पार्षद के कार्य से संतुष्ट होना है।

महिला पार्षदों द्वारा कोई भी कार्य को ध्यान में रखकर करने संबंधी तालिका से ज्ञात हुआ है कि सर्वाधिक 89.3 प्रतिशत महिला पार्षद दल के हित को ध्यान में रखकर कार्य करती है, जबकि 10.7 प्रतिशत महिला पार्षद दलहित को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करती। दुर्ग जिले के 90.3

प्रतिशत महिला पार्षद दलहित को ध्यान में रखकर कार्य करती है, जबकि रायपुर जिले के 11.7 प्रतिशत महिला पार्षद दलहित को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करती। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश 90.2 प्रतिशत महिला पार्षदों ने बताया है कि, वे अपने विरोधी दल के सही कार्यों का विरोध नहीं करते जबकि 9.8 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि, वे उनके सही कार्यों का भी विरोध करते है। इसी प्रकार दुर्ग जिले के 8.1 प्रतिशत की तुलना में रायपुर जिले के 11.7 प्रतिशत पार्षद विरोधी दल के कार्यों का विरोध करते है। अधिकांश पार्षद अपने विरोधी दल के सही कार्यों का विरोध नहीं करते है क्योंकि उनके कार्य आम जनता के हित में ही होते है। इस प्रकार वे दलगत भावना से ऊपर उठकर उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करते है। बहुसंख्यक महिला पार्षद यह मानती है कि, वे पार्षद बनने के साथ-साथ समाज सेवा कर पाती है क्योंकि पार्षद पर उन्हे मुख्य रूप से समाज सेवा का अवसर प्रदान करता है। अधिकांश पार्षदों ने कहा है कि यह जान-पहचान बढ़ाने में लाभदायी है क्योंकि वार्ड के कार्यों के लिए अनेक बैठकों में जाने, निगम आयुक्त से मिलने से अनेक लोगों से पहचान बढ़ती है। परिणामस्वरूप भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर आसानी से सहायता ली जा सकती है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 71.4 प्रतिशत पार्षदों ने कहा पार्षद बनने से तनाव अधिक रहता है जबकि 28.6 प्रतिशत पार्षदों का मानना है कि, इससे लोगों की आलोचना सहनी पड़ती है। जिले के आधार पर देखें तो दोनों ही जिलों में सर्वाधिक दुर्ग के 66.7 प्रतिशत एवं रायपुर के 75 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि पार्षद पद में तनाव अधिक रहता है क्योंकि वार्ड में अनेक समस्याएं होती है जिसे लेकर वार्डवासी बार-बार आते है तथा समस्या का निराकरण तत्काल नहीं होने पर मानसिक तनाव देते है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश अधिकांश पार्षद समाज सेवा का माध्यम वार्ड की समस्याओं के निराकरण को मानते है क्योंकि वार्ड में अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे – सड़क-निर्माण, नाली की सफाई, वृक्षारोपण, पेयजल की व्यवस्था आदि समस्याएं होती है। जिसके निराकरण को ही समाज सेवा का माध्यम मानते है। अधिकांश महिला पार्षद यह मानती है कि दलीय संगठन उनसे यह अपेक्षा रखती है कि, वे समाज के विकास के लिए कार्य करें। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर पार्षद अपने सत्ताधारी पार्टी से निम्न वर्ग के उत्थान की अपेक्षाएं रखती है क्योंकि समाज के गरीब वर्ग और गरीब हो रहे जिसके कारण उनकी स्थिति दयनीय होती है इसी कारण अधिकांश पार्षद इस वर्ग का उत्थान चाहती है। जिन उत्तरदाताओं ने स्ताधारी पार्टी से कोई अपेक्षा नहीं है कहा है उनमें गैर सत्ताधारी पार्टी के पार्षद शामिल है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 84.4 प्रतिशत पार्षद मण्डल प्रस्तावित कार्य को महत्व देते है जबकि

15.6 प्रतिशत इस कार्य को कोई महत्व नहीं देते। दुर्ग जिले के 87.1 प्रतिशत एवं रायपुर जिले के 81.7 प्रतिशत पार्षद मण्डल कार्य को महत्व देते है क्योंकि ये प्रस्तावित कार्य वार्ड के विकास से संबंधित होते है जो आम जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप होते है। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि, बहुसंख्यक महिला पार्षदों के प्रस्तावित कार्य को पार्षद मण्डल के द्वारा महत्व दिया जाता है।

पार्षद मण्डल द्वारा सर्वाधिक 54.4 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि उनके योजनाओं को महत्व दिया जाता है जबकि 45.6 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि वे उनके कार्य में सहयोग प्रदान करते है। नगरीय निकार के आधार पर देखें तो रायपुर जिले (49.0 प्रतिशत) की तुलना में दुर्ग जिले के 59.3 प्रतिशत पार्षदों की योजनाओं को महत्व दिया जाता है व दुर्ग (40.7 प्रतिशत) जिले की तुलना में रायपुर जिले के 51 प्रतिशत पार्षदों को सहयोग प्रदान किया जाता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि पार्षद मण्डल द्वारा पार्षद के योजनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। दोनों ही नगरीय निकायों को देखे तो सर्वाधिक दुर्ग के 62.5 प्रतिशत, रायपुर के 54.5 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि पार्षद मण्डल दल का नहीं होने के कारण योजनाओं को महत्व प्रदान नहीं करते क्योंकि पार्षद मण्डल अपने दल का नहीं होने के कारण महत्वपूर्ण योजनाओं को भी महत्व प्रदान नहीं करते है। अधिकांश महिला पार्षदों को महिला आरक्षण के कारण पार्टी से टिकट प्राप्त हुआ है। प्राप्त तथ्यों को आरक्षण विधेयक का परिणाम भी माना जा सकता है जिसके कारण महिलाओं को नगरीय निकायों में नेतृत्व का अवसर प्राप्त हुआ।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 85.2 प्रतिशत पार्षदों को पार्टी से टिकट पाने हेतु कोई प्रयास करना नहीं पड़ा। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि महिला आरक्षण होने के कारण अधिकांश महिला पार्षदों को पार्टी से टिकट प्राप्त करने हेतु कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ा। अधिकांश महिला पार्षदों के चुनाव में विजयी होने का आधार पार्टी व वार्ड के लोगों का सहयोग रहा है। यह तथ्य दर्शाता है कि, आज नगरीय निकाय के चुनावों में दल विशेष को मतदाता के द्वारा महत्व दिया जाता है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश पार्षद चुनाव में प्रचार-प्रसार के साथ-साथ प्रलोभन भी देते है क्योंकि गरीब वर्ग के लोग पैसे एवं अपनी आवश्यकताओं की वस्तु पाकर इतने में खुश हो जाते है। और उस व्यक्ति को विजयी बनाने के लिए उन्हे वोट देते है। स्पष्ट है कि, वर्तमान राजनीति में चुनावी प्रलोभन एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश पार्षद चुनाव में पैसा ही अधिक वितरित करते है क्योंकि वे अपने आवश्यकताओं के अनुसार अपनी जरूरत की सामग्री खरीद सकें स्पष्ट है कि, विधानसभा और लोकसभा चुनाव की भांति स्थानीय निकाय के चुनावों में 'पैसा' और 'शराब'

मतदाताओं को प्रलोभन का मुख्य प्रकार होता है जो कि लोकतंत्र की सफलता की बढ़ी चुनौती मानी जा सकती है। अधिकांश 61.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि विधायक एवं मंत्री जनता के पैसे का दुरूपयोग नहीं करते है जबकि 38.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे इन पैसों का दुरूपयोग करते है दोनों ही जिलों से स्पष्ट होता है कि दुर्ग जिले के 41.9 प्रतिशत की तुलना में रायपुर के 35.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि विधायक एवं मंत्री इन पैसों का कम दुरूपयोग करते है। जबकि दुर्ग की तुलना में रायपुर जिले के पार्षदों ने माना कि विधायक एवं मंत्री जनता के पैसों का अधिक दुरूपयोग नहीं करते है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 62.3 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि मंत्री को निष्पक्ष कार्य करने वाला होना चाहिए जबकि 23.0 प्रतिशत पार्षदों ने व्यवहार कुशल एवं 14.7 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि इन्हे समस्याओं का निराकरण करने वाला होना चाहिए। नगरीय निकायो के आधार पर देखे तो दुर्ग की तुलना में रायपुर के 15.0 प्रतिशत पार्षद मंत्री को समस्या का निराकरण करने वाला अधिक माना है जबकि दुर्ग के पार्षद मंत्री को निष्पक्ष कार्य एवं व्यवहार कुशल होना अधिक माना है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 65.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि पार्षद बनने के लिए पति का सक्षम होना जरूरी नहीं है जबकि 34.4 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि पति का सक्षम होना जरूरी है। नगरीय निकायों को देखे तो दुर्ग जिले 62.9 प्रतिशत की तुलना में रायपुर जिले के सर्वाधिक 31.7 प्रतिशत पार्षदों ने पार्षद बनने के लिए पति का सक्षम होना जरूरी है। अधिकांश महिला पार्षदों के पति व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से सक्षम है जिसके कारण वे अपने कार्यो को स्वतंत्र होकर कर पाती है। यहां पर सक्षम होने से आशय बाहुबल के स्थान पर पद, स्थिति व वार्ड में महत्व के आधार से है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 58.7 प्रतिशत महिला पार्षदों ने बतलाया है कि, उनके सामाजिक, राजनीतिक सहभागिता के कारण पति का सक्षम होना जरूरी नहीं है जबकि 41.3 प्रतिशत पार्षदों ने बतलाया है कि वे सामाजिक राजनीतिक सहभागिता एवं आम जनता से व्यक्तिगत जुड़व के कारण पार्षद पद के लिए पति का सक्षम होना समान रूप से सक्षम नहीं मानती। स्पष्ट है कि, जिन पार्षदों की वार्ड के लोगों के साथ जुड़ाव है तथा वे सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को सहभागी होते रहते हैं उनके लिए पति का सक्षम होना जरूरी नहीं है। सर्वाधिक 84.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि, एम.आई.सी. में कितने पार्षद सक्षम है उनकी संख्या उन्हे मालूम नहीं है। जबकि 15.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं को एम.आई.सी. के सक्षम पार्षदों की संख्या मालुम है। स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि अध्ययनगत नगर पालिका/नगर निगम में सक्षम पार्षदों की संख्या कम है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि

एम.आई.सी. के सर्वाधिक 81.1 प्रतिशत सक्षम पार्षद अपने सक्षमता का उपयोग नहीं करते है जबकि 18.9 प्रतिशत पार्षद अपने सक्षमता का उपयोग करते है। दोनों ही जिलों को देखे तो दुर्ग की 21.0 प्रतिशत एवं रायपुर जिले के 16.7 प्रतिशत पार्षद अपने सक्षमता का उपयोग नहीं करते है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, सर्वाधिक पार्षद अपने सक्षमता का उपयोग नहीं करते है क्योंकि उनकी समस्याओं का निराकरण एवं योजनाओं का क्रियान्वयन आसानी से हो जाता है जिसके कारण उसे अपने सक्षमता का उपयोग करना नहीं पड़ता है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि सर्वाधिक पार्षदों के कोई भी प्रकरण थाने में दर्ज नहीं है क्योंकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह बिना किसी लड़ाई-झगड़े के शालिनता पूर्वक करते है इस कारण वार्डवासी किसी भी प्रकार का प्रकरण थाने में दर्ज नहीं कराते है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश पार्षदों के पारिवारिक सदस्य प्रचार-प्रसार के कार्यों में सहयोग प्रदान करते है क्योंकि परिवार के सदस्य ही वार्ड व अन्य रिश्तेदारों के साथ प्रचार-प्रसार करने में सर्वाधिक योगदान देते है। प्राप्त तथ्य यह भी दर्शाता है कि, एक महिला पार्षद के वार्ड में अच्छी छवि बनाने में पारिवारिक सदस्यों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ऐसा वार्ड पार्षद मानती है।

चतुर्थ अध्याय में उत्तरदाताओं की जनकल्याणकारी कार्यक्रम में सक्रियता का अध्ययन किया गया है जो नगरीय निकाय एवं पुनर्निमाण अर्थात नगर का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक आधार पर सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया है। विभिन्न विकास कार्यक्रमों को विशिष्ट तरीके से कार्यान्वित करने हेतु चार व्यापक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। (1) खण्डीय क्रार्यक्रम (2) रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम (3) क्षेत्रिए कार्यक्रम (4) सामुहिक उद्देश्योन्मुखी कार्यक्रम।

पार्षदों ने अपने वार्ड के विकास के लिए दोनों ही जिलों में अधिकाशतः पेयजल व्यवस्था सम्बन्धी विकास कार्य किया है। और सबसे कम 9.0 प्रतिशत तालाब सौंदर्यीकरण किया है। इसके अतिरिक्त स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तथा शिक्षा के क्षेत्र में विकास संबंधी कार्य किया है। शासन के जनकल्याण कार्यक्रम संबंधी तालिका से स्पष्ट है कि पेंशन योजना रायपुर में सर्वाधिक 86.7 प्रतिशत चलाई जा रही है। और सबसे कम निःशुल्क पाठ्यपुस्तक/गणवेश योजना 8.3 प्रतिशत चलाया गया है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि दोनों ही जिलों में पेंशन योजना पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, राजगार गारंटी, परिवार विकास योजना आदि कार्यक्रम पर भी विकास संबंधी कार्य किया गया है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि सर्वाधिक 81.1 प्रतिशत पेंशन योजना वार्ड में चलाई जा रही है तत्पश्चात 78.7 प्रतिशत रोजगार गांरटी व 77.9 प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा, 60.7 प्रतिशथ परिवार विकास योजना तथा सबसे कम 6.6 प्रतिशत निःशुल्क पाठ्यपुस्तक/ गणवेश योजना चलाई जा रही है। वार्ड में पेयजल व्यवस्था का विस्तार के संबंध में अधिकांश 89.9 प्रतिशत वार्ड पार्षदों ने अपने वार्ड में पेयजल व्यवस्था का विस्तार किया है केवल 13.1 प्रतिशत वार्ड पार्षद ही ऐसे पाये गये है जिन्होंने यह कार्य नहीं किया है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि दुर्ग की तुलना में रायपुर में पेयजल की आपूर्ति वर्षभर नहीं हो पाने का मुख्य कारण जनसंख्या का दबाव, पेयजल आपूर्ति के स्त्रोतों की कमी मुख्य कारण है। रायपुर की तुलना में दुर्ग जिले के महिला पार्षदों द्वारा अपने वार्ड में पेयजल की व्यवस्था अधिक की गई है। जिसका कारण शहर का छोटा होना और संसाधनों की बेहतर उपलब्धता है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि सर्वाधिक 76.2 प्रतिशत पार्षदों का मानना है कि योजना तैयार होने पर 2-4 माह में क्रियान्वयन होता है जबकि 18.0 प्रतिशत पार्षदों ने कहा 4-6 माह का समय लगता है। तथा सबसे कम 5.7 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि 2 माह से भी कम समय लगता है। नगरीय निकाय के आधार पर देखें तो दुर्ग एवं रायपुर दोनों ही जिलों में 2-4 माह के अंतर्गत अधिकांश योजना का क्रियान्वयन हो जाता है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि 94.3 प्रतिशत वार्ड पार्षदों ने कहा है कि उनके वार्डवासी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी सहायता करते हैं जबकि 5.7 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि उनके वार्ड में निवासरत सदस्य योजना के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान नहीं करते। जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग की तुलना में रायपुर में वार्डवासी अपने पार्षदों को योजना क्रियान्वयन में सहायता प्रदान नहीं करते।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि सर्वाधिक 84.4 प्रतिशत महिला पार्षदों ने कहा है कि अपने वार्ड में सफाई और स्वास्थ्य संबंधी योजना का क्रियान्वयन किया है जबकि 15.6 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि उन्होंने इस योजना का क्रियान्वयन नहीं किया है। रायपुर जिले की तुलना में दुर्ग जिले के पार्षदों द्वारा सफाई और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन अपेक्षाकृत कम किया गया है। इसका प्रमुख कारण है कि रायपुर जिला राजधानी होने के कारण जनसंख्या का दबाव अधिक हुआ है जिससे झोपड़पट्टी व गंदी बस्तियां भी बढ़ी है परिणामस्वरूप यहां के पार्षदों ने सफाई और स्वास्थ्य को लेकर अधिक योजनाएं चलाई है।

अपने वार्ड में सर्वाधिक 39.6 प्रतिशत स्वास्थ्य अभियान तत्पश्चात् 36.0 प्रतिशत स्वच्छता व सबसे कम 24.3 प्रतिशत अन्य कार्यों का क्रियान्वयन किया है अन्य कार्यो मे जननी सुरक्षा

योजना, रोजगार गारंटी योजना, पेंशन योजना, सड़क निर्माण योजना इत्यादि कार्य सम्मिलित है। सर्वाधिक 95.9 प्रतिशत पार्षदों ने बतलाया है कि उन्होंने अपने वार्ड में सड़क निर्माण का कार्य करवाया है। जबकि 4.1 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि अपने वार्ड में इस योजना का क्रियान्वयन नहीं कराया है। जिसका प्रमुख कारण है कि पहले से ही वार्ड में सड़कों का निर्माण होना है। जिले के अनुसार देखें तो रायपुर की तुलना में दुर्ग के पार्षदों द्वारा अपने वार्ड में सड़क निर्माण योजना का कार्य कम कराया गया है। वार्ड पार्षदों द्वारा सीमेंटीकरण एवं डामरीकृत सड़कों का निर्माण किया गया है जिले के आधार पर देखा जाए तो दोनों ही जिलों में रायपुर जिले में सीमेंटीकरण एवं डामरीकरण का कार्य कराया गया है। नाली के निर्माण के लिए 82.8 प्रतिशत पार्षदों ने नगर निगम से अपील की है जबकि 17.2 प्रतिशत पार्षद ऐसे है जिन्होंने नाली निर्माण के लिए कोई अपील नहीं की है। यदि जिलों के आधार पर देखें तो दुर्ग जिले के 83.9 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा नाली निर्माण के लिए नगर निगम से अपील की है जबकि रायपुर जिले के 81.7 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने अपील की है जो दुर्ग जिले से कम है।

अध्याय पंचम में अध्ययनगत उत्तरदाताओं को शासकीय योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जिसके अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन संबंधी योजना के चुनाव के विवरण से स्पष्ट है कि 91.0 प्रतिशत जनकार्य की उपयोगिता के आधार पर व 9.0 प्रतिशत योजना का लाभ व महत्व बताकर पार्षद योजना का चुनाव करते है। रायपुर जिले के रायपुर जिले के सर्वाधिक 95.0 प्रतिशत पार्षद निगम प्रशासन को व दुर्ग जिले के 19.4 प्रतिशत पार्षद अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु संबंधित विभाग को स्वीकृति हेतु भेजते है। तुलनात्मक रूप से जनकार्य की उपयोगिता के प्रति रायपुर के पार्षद अधिक संवेदनशील है। वहीं दुसरी ओर दुर्ग नगर निगम के पार्षद योजना का क्रियान्वयन लाभ और महत्व को बताकर लागू करने में अधिक रूची रखते है। योजना का चुनाव करने के पश्चात स्वीकृति हेतु पार्षद सर्वाधिक 87.8 प्रतिशत निगम प्रशासन को व 12.2 प्रतिशत संबंधित विभाग को भेजते है रायपुर जिले के सर्वाधिक 95.0 प्रतिशत पार्षद निगम प्रशासन को व दुर्ग जिले के 19.4 प्रतिशत पार्षद अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु संबंधित विभाग को स्वीकृति हेतु भेजते है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि योजना का चुनाव करने के पश्चात स्वीकृति हेतु पार्षद सर्वाधिक 87.8 प्रतिशत निगम प्रशासन को व 12.2 प्रतिशत संबंधित विभाग को भेजते है रायपुर जिले के सर्वाधिक 95.0 प्रतिशत पार्षद निगम प्रशासन को व दुर्ग जिले के 19.4 प्रतिशत पार्षद अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु संबंधित विभाग को स्वीकृति हेतु भेजते है।

योजना का चुनाव करने के पश्चात स्वीकृति हेतु पार्षद सर्वाधिक 87.8 प्रतिशत निगम प्रशासन को व 12.2 प्रतिशत संबंधित विभाग को भेजते है रायपुर जिले के सर्वाधिक 95.0 प्रतिशत पार्षद निगम प्रशासन को व दुर्ग जिले के 19.4 प्रतिशत पार्षद अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु संबंधित विभाग को स्वीकृति हेतु भेजते है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि योजना क्रियान्वयन के दौरान नगरीय निकाय के वार्ड पार्षदों को योजनान्तर्गत बजट की कमी जैसी समस्याओं का सामना 21.3 प्रतिशत करना पड़ा जबकि 78.7 प्रतिशत वार्ड पार्षदों को इस संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई है । लगभग 46.2 प्रतिशत पार्षदों को वार्ड के योजनाओं में स्वयं का पैसा खर्च करना पड़ता है, पर वास्तव में यह आंशिक सत्य है क्योकि विकास योजना का बजट लाखों में होता है और एक वार्ड पार्षद की आय इतनी नहीं होती कि वह स्वयं के पैसे से वार्ड में कार्य कराये।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि सर्वाधिक 78.7 प्रतिशत वार्ड पार्षदों का कहना है कि योजना तैयार करने के पश्चात् उसे क्रियान्वयन करने में 6 से अधिक महीने का समय लगता है जबकि न्यूनतम 8.2 प्रतिशत पार्षदों ने बताया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में 2 से 3 माह का समय लगता है। तथा 13.1 प्रतिशत पार्षदों का मानना है कि किसी भी योजना का प्रस्ताव तैयार करने एवं उसके क्रियान्वयन में 3 से 6 माह का समय लगता है। उल्लेखनीय है कि रायपुर एवं दुर्ग दोनों ही नगरीय निकायों के पार्षदों ने माना है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में 3 से 6 माह का समय लगता है। जबकि रायपुर 76.7 प्रतिशत की तुलना में दुर्ग के 80.6 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि योजनाओं को क्रियान्वित करने में 6 माह से अधिक समय लगता है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि सर्वाधिक 75.4 प्रतिशत महिला वार्ड पार्षदों ने कहा है कि उन्हे निगम के बैठकों में जाने के लिए परिवार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती जबकि 24.6 प्रतिशत महिला पार्षदों को परिवार की अनुमति लेनी पड़ती है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि सर्वाधिक पार्षदों को अपने पति से ही अनुमति लेनी पड़ती है जिसका प्रमुख कारण एकाकी परिवार का होना है, जिसका मुखिया पति ही होता है जबकि संयुक्त परिवार में रहने वाली महिला पार्षदों की संख्या कम है, जिसके कारण सास-ससुर व बुजुर्गों से अनुमति कम लेनी पड़ती है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि बहुसंख्यक महिला पार्षद निगम पंचायत की बैठकों में अकेली जाती है, जबकि 20.5 प्रतिशत महिलाएं पति या अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ जाती है। सर्वाधिक 71.3 प्रतिशत महिला पार्षदों को कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती है जबकि 28.7 प्रतिशत पार्षदों को अनमति लेनी पड़ती है। जिले के आधार पर देखें तो रायपुर 28.3 प्रतिशत की तुलना में दुर्ग 29.0 प्रतिशत जिले के महिला पार्षदों को अनुमति अधिक लेनी पड़ती है। अध्ययन से ज्ञात हुआ

है कि बहुसंख्यक उत्तरदाताओं को नगर के बाहर आयोजित होने वाले बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती है। अध्ययन से ज्ञात तथ्य यह भी दर्शाता है कि नगरीय क्षेत्रों में परिवार एकाकी होने पर पति तथा संयुक्त होने की स्थिति में भी पति ही महिला पार्षद को अनुमति प्रदान करता है। यह तथ्य परिवार के वृद्ध सदस्यों की घटती भूमिका को दर्शाता है।

महिला पार्षदों को परिवार के सदस्यों द्वारा किसी न किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त हुआ है। यह महिलाओं की क्रमशः बढ़ती हुई सामाजिक स्थिति को दर्शाता है कि, वर्तमान समय में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरूषों के समकक्ष कार्य कर रही है जिसका मुख्य कारण परिवार एवं पति का सहयोग ही है। आज महिलाएं अपने सेवा/संस्था से जुड़े कार्यों के साथ-साथ अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को भी बेहतर ढंग से कर पाने में सफल रही है। सर्वाधिक पार्षदों को पद की जिम्मेदारियों को लेकर परिवार में विवाद व तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि घरेलु कार्यों के लिए परिवार के बुजुर्ग एवं पति का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश महिला पार्षद बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन स्वयं कर लेती है जबकि कुछ पार्षदों को पति व अन्य पारिवारिक सदस्य इस कार्य में मदद करते है जिसका कारण कार्य की अधिकता होना माना है।

वार्ड के विकास कार्यो में सर्वाधिक रायपुर जिले के 81.7 प्रतिशत की तुलना में दुर्ग जिले के 83.9 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि उन्हे अपने वार्ड विकास कार्यों में वहां के निवासियों का पूर्ण सहयोग मिलता है जबकि रायपुर जिले के 18.3 प्रतिशत पार्षदों ने बताया है कि उन्हे वार्डवासियों द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि सर्वाधिक 74.3 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि उन्हे वार्डवासियों का सहयोग मिलता है जबकि 20.7 प्रतिशत पार्षदों को आंशिक व 5 प्रतिशत पार्षदों को नहीं के बराबर सहयोग प्राप्त होता है। अधिकतर 37.7 प्रतिशत पार्षदों पर नाली की साफ-सफाई को लेकर दबाव बनाया जाता है। तत्पश्चात् पेयजल 27.0 प्रतिशत, कचरा उठाने को लेकर 21.3 प्रतिशत व सबसे कम विद्युत व्यवस्था के लिये 2.5 प्रतिशत पार्षदों को वार्डवासियों के द्वारा दबाव डाला जाता है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि दुर्ग जिले की तुलना में रायपुर जिले के पार्षद वार्डवासियों के शिकायतों को सहजरूप में एवं गंभीरतापूर्वक अधिक लेते है जबकि दुर्ग जिले 11.3 के प्रतिशत पार्षद रायपुर जिले के पार्षदों की तुलना में वार्डवासियों के शिकायतों को चुनौतीपूर्ण रूप में अधिक लेते है। कार्यकाल के दौरान वार्ड के लोगों से हुए वाद-विवाद समस्या से संबंधित घठनाओं को लेकर अधिकतर 86.9 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई जबकि 7.3

प्रतिशत बाजार विवाद, 2.5 प्रतिशत विरोधी दल द्वारा बाधा व सड़क चौड़ीकरण को लेकर विवाद तथा 0.8 प्रतिशत झुग्गी झोपड़ी हटाने से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई है। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग की तुलना में रायपुर जिले के पार्षदों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

भारतीय समाज के पुरूष सत्तावादी प्रवृत्ति के कारण अधिकतर 71.3 प्रतिशत महिला पार्षदों को आंशिक संघर्ष करना पड़ता है। दोनों नगरीय निकायों की तुलना करें तो स्पष्ट है कि रायपुर एवं रायपुर दोनों ही जिले के पार्षदों को आंशिक संघर्ष अधिक करना पड़ता है। बहुसंख्यक महिला पार्षदों का मत है कि उन्हे आंशिक रूप से संघर्ष करना पड़ता है, जिसके प्रति उनकी प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक रही है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है दोनों नगरीय निकायों से स्पष्ट है कि दुर्ग जिले की तुलना में रायपुर जिले के पार्षदों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना अधिक करना पड़ता है क्योंकि इस जिले में समस्याएं अधिक है जिसके निराकरण हेतु अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति के लिये कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सर्वाधिक 75.4 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि, उन्हे निर्धारित समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है जबकि दुर्ग के 22.6 प्रतिशत व रायपुर के 26.7 प्रतिशत ने बताया है कि उन्हे समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है जिसके कारण वार्ड के विकास के लिए नाली की साफ-सफाई, तालाबों का सौन्दर्यीकरण, सड़कों का निर्माण, पेय जल की व्यवस्था संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि सर्वाधिक 66.3 प्रतिशत पार्षदों ने निगम आयुक्त से चेक के माध्यम से राशि प्राप्त करते है जबकि 31.5 प्रतिशत पार्षद नगद भुगतान प्राप्त करते है। जिले के आधार पर देखा जाए तो रायपुर जिले में 68.2 प्रतिशत पार्षदों को निगम आयुक्त के द्वारा चेक के माध्यम से अधिक राशि की प्राप्ति होती है स्पष्ट है कि बहुसंख्यक महिला पार्षदों को वार्ड के विकास कार्यों का भुगतान निगम आयुक्त के माध्यम से चेक के द्वारा किया जाता है। रायपुर जिले के 93.3 प्रतिशत की तुलना में दुर्ग जिले के 95.2 प्रतिशत पार्षदों द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग अधिक किया जाता है। राशि का भुगतान नहीं कर पाने वाले पार्षदों की संख्या बेहद कम है जो कि यह स्पष्ट करता है कि आज महिला पार्षद अपने वार्ड में विकास कार्यों को लेकर बेहद सजग है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि दुर्ग जिले के19.4 प्रतिशत की तुलना में रायपुर जिले के 23.3 प्रतिशत पार्षदों को वार्ड के विकास में वित्तीय सहायता समय पर प्राप्त नहीं होने से समस्याएं अधिक हुई है। वित्तीय सहायता समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण सर्वाधिक 30.8 प्रतिशत पार्षदों को पेय जल आपूर्ति व सड़क निर्माण संबंधी समस्याएं आई है, तत्पश्चात् 23.0 प्रतिशत चिकित्सा संबंधी व न्यूनतम 15.4 प्रतिशत स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए पार्षदों को समस्याओं का सामना करना पड़ा

है। पेयजल, स्नानघर, शौचालय, विद्युत, सड़क, आदि के विकास में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होने संबंधी विवरण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 63.9 प्रतिशत पार्षदों ने बतलाया है कि जनता का सहयोग लेकर राशि की व्यवस्था करते है जबकि मात्र 5.8 प्रतिशत पार्षदों ने कहा है कि राशि की कमी होने पर स्वयं के द्वारा राशि की व्यवस्था करते है इसी प्रकार 30.3 प्रतिशत पार्षद ऐसे है जो विधायक निधि से राशि की व्यवस्था करते है। निष्कर्षतः यह माना जा सकता है कि बहुसंख्यक पार्षदों ने स्वीकृत निधि के भीतर ही विकास कार्य किया है जिससे उन्हे अतिरिक्त व्यय के समायोजन/व्यवस्थापन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि दोनों ही नगरीय निकायों में महिला पार्षदों की राय को योजना क्रियान्वयन के संदर्भ में महत्व दिया जाता है। यह स्थिति दोनों ही जिले में समान रूप से देखी गयी है। समस्याओं के निराकरण में सर्वाधिक 80.3 प्रतिशत विरोधी दल सार्थक भूमिका का निर्वहन करते है 19.7 प्रतिशत विरोधी दल की भूमिका समस्याओं के निराकरण में बाधक होती है।

षष्ठम अध्याय में नगरीय विकास में महिला पार्षदों की भूमिका का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जिसमें किसी राजनीतिक दल से संबंधित होना संबंधित विवरण से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 48.4 प्रतिशत महिला पार्षद भाजपा दल के है, 41.0 प्रतिशत महिला पार्षद कांग्रेस दल से है, तथा 10.6 प्रतिशत महिला पार्षद अन्य दल से है। जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग एवं रायपुर जिले में भाजपा दल के महिला पार्षदों की संख्या कांग्रेस दल से अधिक है उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि, भाजपा दल के महिला पार्षद को लोगों के द्वारा अधिकाधिक मत प्राप्त हुए है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश महिला पार्षद 68.0 प्रतिशत 15 वर्ष से ज्यादा उस मोहल्ले में निवास कर रहे हैं सबसे कम 1.6 प्रतिशत महिला पार्षदों की अवधि 5 वर्ष की है जिले के आधार पर देखें तो रायपुर जिले की 70.0 प्रतिशत महिला पार्षद दुर्ग जिले के महिला पार्षद 66.1 प्रतिशत से अधिक है। स्पष्ट है कि रायपुर जिले के महिला पार्षद बहुत समय से अपने वार्ड में निवास कर रहे है इसलिये वे अपनी वार्ड की मुलभूत समस्याओं से चिर-परिचित है।

महिला पार्षदों के विकास संबंधी कार्य से स्पष्ट है कि, अधिकतर 94.3 प्रतिशत पार्षद ने सड़क निर्माण कराया है तत्पश्चात 83.6 प्रतिशत नाली निर्माण, 63.1 प्रतिशत औषधालय निर्माण, 50.0 प्रतिशत पेयजल एवं सबसे कम 15.6 विद्युत सुधार संबंधी विकास कार्य किया है। नगरीय निकाय के आधार पर देखे तो दोनों जिले में विकास संबंधी कार्य सबसे अधिक एवं सबसे कम विद्युत संबंधी कार्य हुए है। नगरीय निकाय में रहने वाले लोगों को सबसे अधिक समस्या

नाली, पानी एवं सड़क की है इसलिए उन समस्या पर महिला पार्षदों का ध्यान ज्यादा रहा और उससे संबंधित विकास हुआ।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि वार्ड के निरिक्षण से संबंधित अधिकांश 79.5 प्रतिशत महिला पार्षद अपने वार्ड का नियमित निरिक्षण नहीं करते है 20.5 प्रतिशत महिला पार्षद अपने वार्ड का निरिक्षण रोज करते है। दुर्ग एवं रायपुर जिले के आधार पर देखें तो रायपुर में 21.7 प्रतिशत महिला पार्षद रोज निरिक्षण करते हैं एवं दुर्ग के 19.4 प्रतिशत महिला पार्षद रोज निरिक्षण करते है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, महिला पार्षदों को अपने वार्ड की समस्याओं को जानने के लिए वार्ड का रोज निरिक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है वे कभी-कभी निरिक्षण कर उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर 49.2 प्रतिशत साफ-सफाई के लिए शिकायत करते है तत्पश्चात् 43.4 प्रतिशत पेयजल, 36.6 प्रतिशत बी.पी.एल. कार्ड के लिये, और सबसे कम 4.9 प्रतिशत विद्युत संबंधी शिकायत करते है जिले के आधार पर देखा जाए तो दुर्ग के अधिकांश 48.4 प्रतिशत उत्तरदाता साफ-सफाई के लिये शिकायत करते है और सबसे कम 4.8 प्रतिशत विद्युत संबंधी शिकायत करते है। रायपुर के 50 प्रतिशत उत्तरदाता भी साफ-सफाई के लिए शिकायत अधिक करते है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है। जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग एवं रायपुर जिले में लोगों की शिकायत अधिकत्तर साफ-सफाई से संबंधित होती है कुछ लोग वार्ड में ऐसे भी है जो किसी भी विषय पर ज्यादा शिकायत नहीं करते है। रायपुर में महिला पार्षदों में 98.3 प्रतिशत समस्या संबंधी प्रस्ताव निगम को सौंपकर जबकि दुर्ग में 93. 5 प्रतिशत निगम को सौंपकर समस्याओं का निराकरण करते है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, बहुत कम महिला पार्षद स्वयं क्षेत्र का निरिक्षण कर अपने स्तर पर समस्याओं का निराकरण करते है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि सर्वाधिक 82.0 प्रतिशत बेरोजगारी लोन तथा सबसे कम स्वास्थ्य सेवा 7.4 प्रतिशत योजना संचालित है इसके अतिरिक्त रोजगार प्रशिक्षण 79.5 प्रतिशत, पेंशन योजना 45.9 प्रतिशत, तथा महिला समूह 11.5 प्रतिशत है दोनों जिले अर्थात रायपुर एवं दुर्ग में देखें तो नगर निगम द्वारा संचालित योजनाएं दोनों ही जिलों में लगभग समान रूप से संचालित है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, दुर्ग एवं रायपुर की महिला पार्षद अपने वार्ड में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए अधिक योजनाओं को संचालित करवाई। वार्ड के अधिकतर लोगों को रोजगार प्रशिक्षण आवश्यकता अधिक है। जिसके द्वारा वह स्वालम्बी व आत्म-निर्भर बन सके।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है अधिकांश महिला पार्षद नेता प्रमुख दल से संबंधित है तो उन्हे उनका सहयोग प्राप्त होता है लेकिन कुछ महिला पार्षद अन्य दल से संबंधित है या निर्दलीय है इसलिए उन्हें उनका सहयोग प्राप्त नहीं होता है। सर्वाधिक 49.2 प्रतिशत महिला पार्षदों को नेता प्रमुख का सहयोग योजनाओं के क्रियान्वयन में सहभागी बनकर प्राप्त होता है इसके अतिरिक्त आर्थिक व सामाजिक सहयोग 40.2 प्रतिशत, विकास कार्य का अवलोकन कर प्रोत्साहित करना 10.6 प्रतिशत के रूप में प्राप्त होता है जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग जिले में महिला पार्षदों को नेता प्रमुख का सहयोग 51.6 प्रतिशत प्राप्त होता है जो रायपुर जिले के तुलना में 46.7 प्रतिशत से अधिक है। निष्कर्ष के आधार पर देखें तो कहा जा सकता है कि, अपने दल से संबंधित होने पर ही उसे सहयोग प्राप्त होता है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है दुर्ग जिले में 28.8 प्रतिशत रोजगार प्रशिक्षण संबंधित कार्यक्रम चलाए गए। जबकि रायपुर जिले में 28.8 प्रतिशत अधिकांश केन्द्रिय विकास कार्यक्रम स्वसहायता समूह से संबंधित है। निष्कर्ष के रूप में यहां कहा जा सकता है कि, दुर्ग जिले के विकास कार्यक्रमों में रोजगार प्रशिक्षण सर्वाधिक है और रायपुर जिले में 28.8 प्रतिशत स्वसहायता समूह का प्रतिशत अधिक है।

महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के संबंध में उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गई जो यह स्पष्ट करती है कि, अधिकांश योजनाएं 41.8 प्रतिशत समिति संचालन के माध्यम से और सबसे कम 36.1 प्रतिशत स्वसहायता समूह की योजना लागू की गई है इसके अतिरिक्त 22.1 प्रतिशत ऐसे वार्ड है जहां पर इस प्रकार की योजना लागू नहीं की गई है। दोनों जिले के आधार पर देखें तो रायपुर जिले में समिति संचालन 43.3 प्रतिशत, दुर्ग जिले के 40.3 प्रतिशत से अधिक है। उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी यह स्पष्ट करती है कि, वार्ड में लागू की गई योजनाओं का लाभ अधिकांश 72.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं को प्राप्त हुआ है जबकि 27.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ दोनों जिले के आधार पर देखे तो रायपुर जिले के उत्तरदाताओं को 75 प्रतिशत अर्थात दुर्ग जिले के 69.4 प्रतिशत से अधिक रूप से प्राप्त हुआ है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है, योजनाओं का क्रियान्वयन वार्ड में किया जाता है। पर सभी उत्तरदाताओं को इस संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं होती और यदि होती भी है तो देर से होती है।

सामाजिक बुराईयों के प्रति जागरूकता लाने के संबंध में दिए गए उत्तरदाताओं से यह स्पष्ट होता है कि, अधिकांश 32.8 प्रतिशत उत्तरदाता जनचेतना अभियान द्वारा एवं सबसे कम 23.0

प्रतिशत परस्पर संवाद द्वारा इसके अतिरिक्त 25.4 प्रतिशत कानूनी सलाह के द्वारा समाजिक बुराईयों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने हेतु प्रयास किया गया 18.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सामाजिक बुराईयों के प्रति जागरूकता लाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। अधिकांश 63.1 प्रतिशत महिला पार्षद नशामुक्ति आंदोलन नहीं चलाया जबकि बहुत कम 36.9 प्रतिशत महिलाओं द्वारा नशामुक्ति के लिए वार्ड में आंदोलन किया दोनों जिले के आधार पर देखें तो रायपुर जिले के अधिकांश 38.3 प्रतिशत महिलाओं द्वारा एवं दुर्ग जिले के 35.5 प्रतिशत महिलाओं द्वारा वार्ड में आंदोलन किया गया। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता लोगों में नहीं है यदि है भी तो वो आंदोलन के लिए आगे नहीं आना चाहती है। रायपुर जिले के अधिकांश 91.3 प्रतिशत महिला पार्षद केवल जनसहभागिता के रूप में आंदोलन में भाग लिया। बहुत कम 8.7 प्रतिशत नेता के रूप में आंदोलन किया दुर्ग जिले में 90.9 प्रतिशत महिला पार्षद जन सहभागिता के रूप में भाग लिए 9.1 प्रतिशत महिला पार्षद नेतृत्व कर आंदोलन में भाग लिए। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, आंदोलन में महिलाओं के नेतृत्व की कमी है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि वार्ड में पार्षद बनने के पश्चात् अधिकांश 97.5 प्रतिशत बाल विवाह नहीं हुआ है जबकि बहुत कम 2.5 प्रतिशत बाल विवाह हुआ है । दोनों जिले के आधार पर देखे तो दुर्ग जिले में 4.8 प्रतिशत बाल विवाह हुआ है जबकि रायपुर जिले में बाल विवाह नहीं हुआ है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, अभी भी दुर्ग जिले में कुछ लोगों में बाल विवाह को एक प्रथा के रूप में स्वीकार करते आ रहे है जबकि बाल विवाह आधुनिक समाज में एक कुप्रथा के रूप में प्रचलित है। अधिकांश 59.0 प्रतिशत महिला पार्षदों ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया है बहुत कम 41.0 प्रतिशत महिला पार्षदों ने प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया। विधवा पुर्नविवाह संबंधी तालिका से स्पष्ट होता है कि, सर्वाधिक 71.3 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि, उन्होंने अपने वार्ड में विधवा पुर्नविवाह नहीं कराया है जबकि सबसे कम 28.7 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि कि उन्होंने विधवा पुर्नविवाह कराया। वार्ड में उत्तरदाताओं से आदर्श सामूहिक विवाह संबंधी ली जानकारी के अंतर्गत आदर्श विवाह को अधिकांश 79.5 प्रतिशत महिला पार्षदों ने प्रोत्साहित किया है। जबकि सबसे कम 20.5 प्रतिशत ने आदर्श विवाह को प्रोत्साहित नहीं किया। महिला पार्षदों द्वारा आदर्श सामूहिक विवाह को प्राथमिकता प्रदान की गई है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दुर्ग की तुलना में रायपुर की महिला पार्षदों को महिला उत्पीड़न जैसे दहेज को लेकर दी जाने वाली प्रताड़ना या बेटी के पैदा होने पर दी जाने वाली प्रताड़ना से लोगों को मुक्त कराने का सफल प्रयास किया है।गरीबी उन्मूलन हेतु वार्ड के

महिला पार्षदों द्वारा 40.2 प्रतिशत गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य किया है एवं 59.8 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया।

रोजगार विकास एवं विस्तार संबंधी विवरण से यह स्पष्ट है कि, वार्ड के महिला पार्षदों द्वारा 73.8 प्रतिशत रोजगार विकास एवं विस्तार का कार्य किया जबकि 26.2 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा किसी भी प्रकार रोजगार विकास संबंधी कार्य नहीं किया।महिला उद्यमिता प्रोत्साहन से संबंधित तालिका से स्पष्ट है कि, 60.7 प्रतिशत महिला पार्षदों ने अपने वार्ड के लोगों को महिला उद्यमिता संबंधित जानकारी प्रदान की जबकि 39.3 प्रतिशत महिला पार्षदों ने प्रोत्साहित नहीं किया महिलाओं को स्वालम्बी बनाने के लिए सर्वाधिक 63.5 प्रतिशत सिलाई प्रशिक्षण, 36.5 प्रतिशत समिति संचालन की गतिविधियों के रूप में कार्य किया जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग में 30.8 प्रतिशत समिति संचालन एवं रायपुर में 42.9 प्रतिशत समिति संचालन संबंधी कार्य किये गए। दोनों जिले में रायपुर की अपेक्षा दुर्ग में सिलाई प्रशिक्षण का प्रतिशत अधिक रहा है।

अधिकांश 77.9 प्रतिशत महिला पार्षदों ने अपने वार्ड में स्वच्छता संबंधी कार्य किया, 22.1 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा स्वच्छता संबंधी कार्य नहीं किया जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग जिले की 80.6 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जबकि रायपुर में 75 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा स्वच्छता संबंधी कार्य किया जो दुर्ग की तुलना में कम है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, दुर्ग की महिला पार्षदों का ध्यान स्वच्छता की ओर अधिक है। वार्ड में किए गये कार्य में अधिकांश 54.1 प्रतिशत शौचालय निर्माण संबंधित कार्य हुए, 45.9 प्रतिशत स्वच्छता से संबंधित अभियान । जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग जिले में 56.5 प्रतिशत शौचालय निर्माण, 43.5 प्रतिशत स्वच्छता अभियान कार्य किए। रायपुर में दुर्ग की अपेक्षा कम कार्य किया गया। अधिकांश 42.8 प्रतिशत उद्यान का निर्माण कार्य किया गया है इसके अतिरिक्त 15.2 प्रतिशत पेयजल एवं सड़क निर्माण, सबसे कम 3.4 प्रतिशत विद्युत संबंधित कार्य, तथा 23.4 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। महिला पार्षदों में अधिकांश 51.6 प्रतिशत महिलाओं ने पर्यावरण को स्वच्छ तथा प्रदूषण मुक्त करने के लिए अपने वार्ड में वृक्षारोपण का कार्य किया जबकि कम 49.2 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा इस प्रकार का कार्य नहीं किया।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश 63.9 प्रतिशत महिला पार्षदों ने अपने वार्ड में रोजगार प्रशिक्षण का कार्य किया, 59.0 प्रतिशत समिति का संचालन, 45.1 प्रतिशत सुखद सहारा का लाभ, 41.8 प्रतिशत ऋण सुविधा, व 13 प्रतिशत पेंशन योजना प्रतिशत महिलाओं की स्थिति में

सुधार लाने के लिए कार्य किये गये । पार्षदों के द्वारा नगर विकास के लिए किये जाने वाले कार्य संबंधी अभिमत के संबंध में अधिकतर 83.6 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता संबंधित कार्य, सबसे कम 38.5 प्रतिशत महिलाओं ने शिक्षा अभियान वाले कार्य एवं इसके अतिरिक्त 77.0 प्रतिशत सफाई अभियान वाले कार्य, 82.0 प्रतिशत उद्यान विकास संबंधित कार्य में अभिमत प्राप्त किये गये। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग एवं रायपुर जिले में सभी महिला पार्षदों का अभिमत लगभग समान है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश 84.4 प्रतिशत महिला पार्षदों ने बताया कि, उनके दल के नेता उनकी वार्ड में भागीदारी से संतुष्ट है और 15.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि, उनके दल के नेता उनकी महिला पार्षदों की भागीदारी से संतुष्ट नहीं है। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग जिले के अधिकांश 85.5 प्रतिशत महिला पार्षदों की भूमिका से संतुष्ट है और सबसे कम 14.5 प्रतिशत असंतुष्ट है। रायपुर जिले के 83.3 प्रतिशत महिला पार्षदों की भूमिका से संतुष्ट है और सबसे कम 16.7 प्रतिशत असंतुष्ट है। निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि, दुर्ग के महिला पार्षदों की भूमिका से दल के नेता संतुष्ट है। पार्षद के रूप में अपनी भूमिका से अधिकांश 86.1 महिला पार्षद संतुष्ट है और बहुत कम 13.9 प्रतिशत महिला पार्षद संतुष्ट नहीं है। जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग के 87.1 प्रतिशत महिला पार्षद संतुष्ट है। जबकि रायपुर जिले के 85 प्रतिशत महिला पार्षद संतुष्ट हैं। दुर्ग जिले के 12.9 प्रतिशत पार्षद संतुष्ट नहीं है। जबकि रायपुर जिले के 15 प्रतिशत महिला पार्षद संतुष्ट नहीं है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, दुर्ग जिले के महिला पार्षद रायपुर की अपेक्षा अपनी भूमिका से अधिक संतुष्ट है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश 58.1 प्रतिशत महिला पार्षद समाज एवं राष्ट्र के विकास संबंधी कार्य करते है। इसके अतिरिक्त 41.9 प्रतिशत महिला पार्षद भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंधी कार्य करते है जो संतुष्टि प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने संबंधी विचार में अधिकांश 92.6 प्रतिशत महिला पार्षदों ने हाँ कहा है जबकि बहुत कम 7.4 प्रतिशत महिला पार्षदों ने नहीं कहा है। यदि दोनों जिले के आधार पर देखें तो दुर्ग के महिला पार्षदों का 95.2 प्रतिशत महिला चाहती है कि, छत्तीसगढ़ में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए जबकि दुर्ग की तुलना में रायपुर के 90 प्रतिशत महिलाओं ने हाँ कहा है। सर्वाधिक 42.5 प्रतिशत महिला पार्षद चाहती है कि सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक रहे अर्थात समाज में जो सामाजिक समस्याएँ है उनका निराकरण करने के लिए वे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना प्रतिनिधित्व करती रहे और सबसे कम 28.3 पार्षद आर्थिक कार्यों में अपना प्रतिनित्व करती है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि 73.8 प्रतिशत महिला पार्षद यह चाहती है कि, महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हो। बहुत कम 26.2 प्रतिशत महिला पार्षद चाहती है कि, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अधिकांश 72.1 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं की प्रगति में महिलाएं अवरोध बनती है व इस संबंध में नहीं कहा है। जबकि 27.9 प्रतिशत महिला उत्तरदाता ये कहती है कि, महिलाओं की प्रगति में महिलाएं ही अवरोध बनती है। जिले के आधार पर देखें तो रायपुर एवं दुर्ग दोनों ही जिले में इस संबंध में महिला उत्तरदाताओं के विचार समान है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि पुरूषो की तुलना में नारी अपने आपको असुरक्षित महसूस करने वाले महिला पार्षदों की अधिकांश 66.4 प्रतिशत महिला ने नहीं कहा है जबकि बहुत कम 33.6 प्रतिशत महिला पार्षदों द्वारा इस संदर्भ में हाँ कहा है। दुर्ग के 100 प्रतिशत महिला पार्षदों ने नारी प्रतिनिधित्व की अत्यंत आवश्यकता होना बताया है। जबकि रायपुर के 98.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नारी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता बताया है। जो दुर्ग जिले से थोड़ी कम है।

प्राप्त तथ्यों के अध्यायवार विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि अध्ययनगत समूह के महिला पार्षदों में युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है जो कि उच्च शिक्षित होने के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते है। बहुसंख्यक पार्षद विवाहित होने के साथ-साथ मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों से संबंधित है। अधिकांश महिला पार्षदों की पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं होने के बाद भी उनकी राजनीतिक भागीदारी तथा वार्ड विकास कार्यों के प्रति गहरी रूचि है।

परिशिष्ट

- ग्रंथ सूची
- प्रकाशित शोध पत्र
- साक्षात्कार-अनुसूची

ग्रंथ सूची

Abraham, M.F. (1974); Dynamics of Leadership in India. Indian International Publication, Allahabad.

Ackoff, Russel, L. (1961); The Design of Social Research. Chicago University of Chicago Press.

Aiyer, S.P., & Shrinivasan, R. (eds.) (1965); Studies in India Democracy. Allied Publishers, Bombay.

Almond, Gabriel, A., & Coleman, James (eds.) (1970); Mass Politics: Studies in Political Sociology, New York: The Free Press.

Atal, Yogesh (1971). Local Communities and National Politics; National Publishing House, Delhi.

Ayganger, M.A. (1967); Tribal and Rural Leadership in India, in Vidyarthi L.P. (ed.), Leadership in India. Asia Publishing House, Bombay.

Bailey, F.G. (1958); Cast and Economics Fronties. Oxford University Press, Mumbai.

Bavishkar, B.S. (1989); Sociology of Politics in Survey of Research in Sociology and Social Anthropology, Vol. 11.

Beals, Alen (1959); Leadership of a Mysore village, in Srinivas M.N. (ed.), India's village. Asia Publishing House, Bombay.

Beteitle, Andre (1969); Caste, class, and Power. Oxford University Press, Bombay.

Bhatt, A. (1975); Caste, class, and Power. Manohar Book Services, Delhi.

Bose, N.C. (1968); Changing character and leadership in India, in Vidyarthi L.P. (ed.), Leadership in India. Asia Publishing House, Bombay.

Botomore, Tom (1960); Political Sociology. Hutchinson Publishing Group Ltd., Convey Street, London.

Chauhan, B.R. (1967); A Rajasthan village. Vir Publishing House, New Delhi.

Chauhan, B.R. (1967); A Rajasthan village. Vir Publishing House, New Delhi.

Chawala, Amerjeet (1975); Political changes emerging pattern of authority in a Rajasthan village. Oxford University Press, Delhi.

Choudhary, R.K. (1987); Cast and Power Structure in village India. Inter-India Publications, Delhi.

Cohn, B.S. (1955); The changing status of a depressed caste in village India (ed.) Mackim Marriot.

Desai, A.R. (1961); Rural Sociology in India. Popular Book Depot, Bombay.

Desai, I.P. (1968); The concept of desired type of society and the problems of social change, in T.K. Oommen and Partho N. Mukherjee (ed.), Indian Sociology Reflection and Interaspection. Popular Prakashan, Bombay.

Dhillon, H.S. (1955); Leadership and group in a South Indian village. Commission. P.E.O. Publication No. 1 Govt. of India, New Delhi.

Dubey, Leela (1965); Studies of Leadership in village India in Emerging . Pattern of Rural Leadership in Southern Asia. N.I.C.D., Hydrabad.

Dubey, P.C., & Agrawal, B.K. (1974); Rural Leadership in Green Revolution Research Publication, Delhi.

Durshankar, A.Y. (1979); Leadership in Panchayati Raj, Panchshill Prakashan, Jaipur.

Edward, B., & Louise, Harper; Political Orgainisation and Leadership a Karnataka Village.

Emerson, R. (1962); Power Dependence Relation. American Sociological Review, Vol. 27.

Epestein, T. (1962); Economic Development and Social Change in South India. University Press, Manchester.

Franklyn, S. Haiman (1957); Group Leadership and Democratic Action. Houghton Miffin Company.

Ghosh, Buddadeb, & Girish Kumar (2003); State Politics and Panchayat in India. Manohar Publishers, New Delhi.

Guha, Sampa (1995); Political Participation of Women and Changing Society. Inter India Publication, New Delhi.

Issac, T.M. Thomas, & Richard, W. Frank. (2000); Local Democracy and Developments: People's Campaign for Decentralized Planning in Kerala, Left Word Books, New Delhi, 2nd rev. ed.

Jain & Bhatnagar, P.C., Shashi & Sudha (1997); Schedule Cast Women. Rawat Publishers, Jaipur.

Jha, S.N. (1979); Leadership and Local Politics. Popular Prakashan, Bombay.

Kaushik, Sushila (1993); Women Participation in Politics. Vikas Publishing House, Delhi.

Kaushik, Sushila (1997); Women and Panchayati Raj. Hari Anand Publishers, New Delhi.

Khanna, R.L. (1956); Panchayati Raj in India, A Comparative Study, Chandigarh, English Book shop.

Krishna, Shankaran (2000); Post Colonial insecurities; India, Srilanka and the question of Nationhood, New Delhi, Oxford.

Kumar, Sushil, Narayan, Iqbal, Mathru, P.C., & others (1970); Panchayati Raj (Old Controls and New Challenges), Indian Institute of Public Administration, Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi.

Lawaania, N.M. (1982); Status of Indian Women. Rawat Publication, Jaipur.

Majumdar, Veena (1987); Historical surroundings in the symposium on political reservation for women.

Malik, Shamsher Singh (2002); The New Panchayati Raj. Aalekh Publishers, Jaipur.

Mathur, P.C. (1991); Political Dynamics of Panchayati Raj. Konark Publishers, Delhi.

Mishra, Saraswati (1996); Indian women. Gyan Publishing House, New Delhi.

Narayan, Iqbal Kumar, Sushil, & Mathur, P.C. (1976); Panchayati Raj Administration: Old Control and New Challenges. The Indian Institute of Public Administration, New Delhi.

Palanithurai, G. (2008); Dynamics of New Panchati Raj System in India. Concept Publishers, New Delhi.

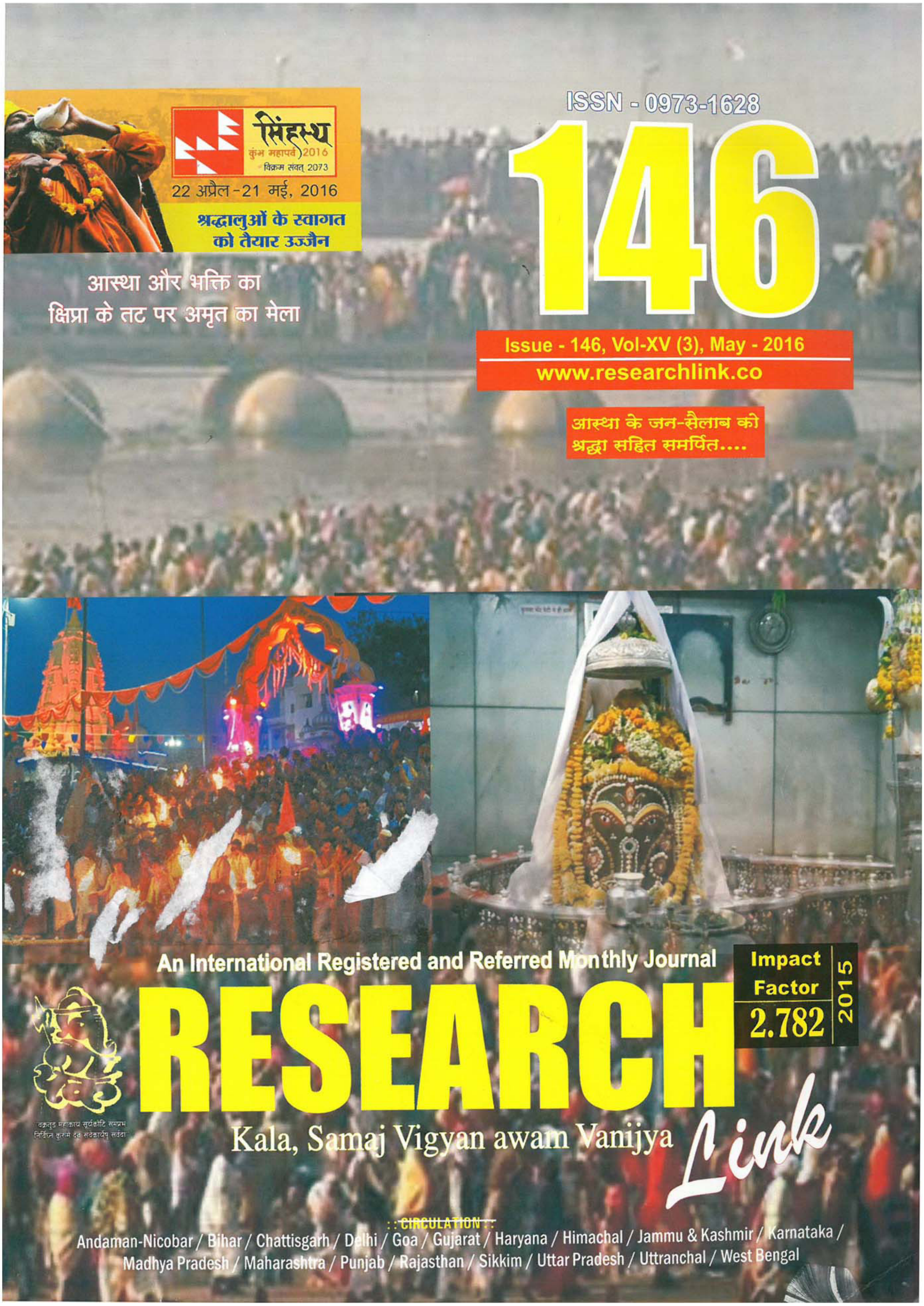
सिंहस्थ
कुंभ महापर्व 2016
विक्रम संवत् 2073
22 अप्रैल - 21 मई, 2016
श्रद्धालुओं के स्वागत
को तैयार उज्जैन
आस्था और भक्ति का
क्षिप्रा के तट पर अमृत का मेला
ISSN - 0973-1628
146
Issue - 146, Vol-XV (3), May - 2016
www.researchlink.co
आस्था के जन-सैलाब को
श्रद्धा सहित समर्पित....
An International Registered and Referred Monthly Journal
Impact Factor 2.782
2015
RESEARCH
Link
Kala, Samaj Vigyan awam Vanijya
:: CIRCULATION ::
Andaman-Nicobar / Bihar / Chattisgarh / Delhi / Goa / Gujarat / Haryana / Himachal / Jammu & Kashmir / Karnataka /
Madhya Pradesh / Maharashtra / Punjab / Rajasthan / Sikkim / Uttar Pradesh / Uttranchal / West Bengal

An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Sociology**
Since March 2002
Research Link - 146, Vol - XV (3), May - 2016, Page No. 81-83
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

नगरीय विकास में महिला पार्षदों की भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन (छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर तथा दुर्ग नगर के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में नगरीय विकास में महिला पार्षदों की भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर तथा दुर्ग नगर के विशेष संदर्भ में किया गया है। राजनैतिक सशक्तिकरण की दृष्टि से भारत की महिलाओं का स्थान 128 देशों में 21वें स्थान पर है। महिलाओं का राजनीति में समान भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए, तो निश्चित रुप से देशों में उन्हें अपने उन्नयन के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकेंगे। सामाजिक व्यवस्था उप व्यवस्था जैसे राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था तथा शैक्षिक व्यवस्था का पूंज होता है। इस उपव्यवस्थाओं में सामाजिक व्यवस्था को प्रमाणित करने वाले कारकों में राजनीतिक व्यवस्था वर्तमान संदर्भों में अत्यंत प्रभावशाली व्यवस्था है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉ.भीमराव अंबेडकर ने राजनैतिक व्यवस्था को सर्वोपरि, प्रभावशाली एवं परिवर्तनकारी बताया है। समाज में राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है।

आशा दुबे*, डॉ.एल.एस.गजपाल एवं डॉ.ललित शुक्ला*****

प्रस्तावना :

देश में निस्तरीय पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी के लिए की गई व्यवस्था एक क्रांतिकारी कदम है। 73 वां और 74 वें संविधान के द्वारा देश की ग्रामीण एवं नगरीय दोनों पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में महिलाओं का आरक्षण 36–37 प्रतिशत तक पहुँच गया है और बिहार जैसे राज्य में महिलाओं का आरक्षण बढ़कर देश में सर्वाधिक 50 प्रतिशत तक पहुँच गया है। अब उन्हें लोकतंत्र के आधार मूल्य स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के सुअवसर मिले हैं। राज्य में चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों ने अपवादों को छोड़कर अपनी भूमिका संयमता में निभाते हुए सिद्ध कर दिया है कि महिलाएँ किसी तरह पुरूषों से कम नहीं है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 2004 में केन्द्रीय सत्ता पाने में महिला वोटरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कांग्रेस ने अपने एजेन्डे में सभी स्तर के दलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग को आगे बढ़ाया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगसभा अध्यक्ष के रूप में पहली बार श्रीमती मीरा कुमार तथा प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक दलों के द्वारा महिला महदाताओं की संख्या को बढ़ाने हेतु निरन्तर प्रयास किए जाते रहे है। जिसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महिला मोर्चा और सीपीआई द्वारा गठित नेशनल फ्रेडरल ऑफ इडिण्यन वूमेन मुख्य है। विगत दो दशकों में महिलाओं की भारतीय राजनीति में भागीदारी बढ़ी है। वर्ष 2012 में राष्ट्रीय सांसद में 10–9 प्रतिशत महिलएँ थी, जो कि हंगरी, ब्राजील, चीन तथा मलेशिया जैसे देशों से अधिक थी।

भारत वैश्विक स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की दृष्टि से 20 वै स्थान पर है। जबकि दुनिया के प्रथम 9 देशों में जहाँ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अधिक है। उनमें डेनमार्क, स्वीट्जरलैंड, जर्मनी फ्रांस जैसे देश है। इनकी स्थिति में भारत महिला नेतृत्व की स्थिति में संतोषजनक है।

अध्ययन का उद्देश्य :

(1) महिला पार्षदों की सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना।

(2) महिला पार्षदों का राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन करना।

(3) पार्षदों को जनकल्याणकारी कार्यक्रमों में सक्रियता का अध्ययन करना।

अध्ययन पद्धति :

अध्ययन क्षेत्र : अध्ययन हेतु रायपुर तथा दुर्ग जिले के नगर पालिक निगम, नगर पालिका तथा विभिन्न नगर पंचायतों पार्षदों के महिला पार्षदों का चुनाव किया गया है।

रायपुर जिला : रायपुर जिला 01 नवम्बर सन् 2000 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित हुआ। यह एक मेट्रों पालिटिन सिटी है। जिले में एक नगर पालिक निगम एवं नगर पंचायत है। यहाँ 70 वार्ड है, जिनमें एक महापौर तथा 70 वार्ड पार्षद है। इनमें 56 पुरूष और 24 महिला वार्ड पार्षद है।

**सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग), शासकीय कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*
***सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र अध्ययन शाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*
****सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग), शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*

दुर्ग जिला : दुर्ग जिले का क्षेत्रफल 8701.80 वर्ग कि.मी. है। यहाँ की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसर कुल 28. 104.36 है। नगर निगम में कुल 58 वार्ड है। जिनमें 34 पुरूष वार्ड पार्षद एवं 24 महिला पार्षद हैं।

उत्तरदाताओं का चुनाव : अध्ययन हेतु रायपुर तथा दुर्ग जिले के नगर पालिक निगम, नगर पालिका तथा विभिन्न नगर पंचायतों में कुल 363 पार्षदों में से 133 महिला पार्षद है। जिनमें 95 प्रतिशत 120 महिला पार्षद उत्तरदाताओं का दैव निदर्शन की लॉटरी पद्धति द्वारा चुनाव किया गया।

तथ्य संकलन की प्रविधि एवं उपकरण : तथ्य संकलन के महत्वपूर्ण उपकरण साक्षात्कार अनुसूची, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति एवं अवलोकन प्रविधि के द्वारा किया गया। शोध अध्ययन में प्राथमिक तथ्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार द्वितियक तथ्यों का भी संकलन किया गया।

निष्कर्ष :

उत्तरदाताओं की आयु संबंधी अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि सर्वाधिक 54.2 प्रतिशत महिला पार्षद 20 से 40 वर्ष वर्ग के व 40 से 60 आयु वर्ग के 41.6 प्रतिशत पार्षदों है तथा सबसे कम 60 से अधिक आयु वर्ग के 4.2 प्रतिशत पार्षद कार्यरत हैं। एक अन्य तथ्य यह भी है कि आज नगरीय परिवेश में लोग युवा नेतृत्व से अधिक उम्मीद रखते है। महिला पार्षदों के शैक्षणिक स्तर से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 38.3 प्रतिशत पार्षद कॉलेज स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है। जाति संबंधी अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि सर्वाधिक 60. 8 प्रतिशत पार्षद अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं एवं 20 प्रतिशत सामान्य वर्ग तथा सबसे कम 6.7 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति वर्ग के हैं। वैवाहिक स्थिति संबंधी अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि सर्वाधिक 92. 5 पार्षद विवाहित व 5 प्रतिशत विधवा तथा सबसे कम 2.5 प्रतिशत महिला पार्षद अविवाहित है एवं एक भी महिला पार्षद तलाकशुदा नहीं है।

महिला पार्षदों की आर्थिक पृष्ठभूमि :

उत्तरदाताओं की वार्षिक आय संबंधी अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि सर्वाधिक 85.9 प्रतिशत पार्षदों की वार्षिक आय 50,000 से 1,00,000 रूपये के मध्य है, जबकि सबसे कम 5.8 प्रतिशत पार्षदों की आय 1,00,000 रूपये से अधिक है। नगरीय निकायों के आधार पर दोनों ही जिलों में 50,000 से कम वार्षिक आय प्राप्त करने वाले पार्षदों की संख्या 8.3 प्रतिशत है। विवरण से ज्ञात होता है कि अधिकांश पार्षदों की वार्षिक आय 50,000 से 1,00,000 के मध्य है। अध्ययनगत महिला पार्षदों की वार्षिक आय से यह भी स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में से अधिकांश सामान्य प्रति के व्यवसाय में संलग्न है या गृहणी है।

उत्तरदाताओं के मकान के स्वरूप संबंधी विवरण से स्पष्ट हुआ है कि महिला पार्षदों के 71.9 प्रतिशत मकान पक्का, 21.3 प्रतिशत अर्धपक्का एवं सबसे कम 6.8 प्रतिशत मकान कच्चा है। इसी प्रकार पार्षदों के आवास में 97.5 प्रतिशत में शौचालय, 94.2 प्रतिशत में स्नानघर व सबसे कम 3.3 प्रतिशत पार्षदों के घर अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश पार्षद अपने स्वयं के मकान में रहते है जहां आवश्यक आवास संबंधी सुविधाएं उपलब्ध है। तथ्यों से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 69.2 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि उनके मकान आवश्यकता के अनुरूप है जबकि 30.8 प्रतिश पार्षदों का मानना है कि उसका मकान परिवार की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है।

जिन पार्षदों के मकान परिवार की आवश्यकतानुरूप नहीं है, उनमें 86.5 प्रतिशत का मकान किरायें का है एवं 13.5 प्रतिशत पार्षदों के मकान में कमरे की कमी है। दुर्ग की अपेक्षा रायपुर जिले के सर्वाधिक 88.2 प्रतिशत पार्षदों का मकान किराये का है, जबकि रायपुर की तुलना में दुर्ग के पार्षदों के मकान में कमरे की कमी अधिक पाई गई है।

पेयजल की सुविधा संबंधी अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि सर्वाधिक 82.5 प्रतिशत पार्षदों ने नल, 30.8 प्रतिशत हैण्डपंप एवं 4.2 प्रतिशत पार्षद कुंआ व पंप तथा सबसे कम 1.7 प्रतिशत पार्षद अन्य स्त्रोत से पेयजल प्राप्त करते है। उल्लेखनीय है कि दोनों ही नगरीय निकायों में 1.7 प्रतिशत पार्षद अन्य साधनों द्वारा पेयजल की पूर्ति करते है। अन्य साधनों के अंतर्गत नगर निगम के टैकरों एवं मुहल्ले व वार्ड के अन्य घरों से पेयजल प्राप्त करते है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बहुसंख्यक महिला पार्षदों के घर में पेयजल की सुविधा का स्त्रोत नल है।

परिवार के आय संबंधी अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि नौकरी द्वारा सर्वाधिक 46.7 प्रतिशत पार्षदों को आय की प्राप्ति होती है। व्यापार से 35.8 प्रतिशत व सबसे कम कृषि से 17.5 प्रतिशत पार्षदों को आय प्राप्त होता है। दुर्ग जिले की तुलना में रायपुर जिले के पार्षद सर्वाधिक नौकरी व व्यापार द्वारा आय प्राप्त करते हैं, जबकि रायपुर की अपेक्षा दुर्ग के पार्षद कृषि से आय अधिक प्राप्त करते हैं।

प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बहुसंख्यक वार्ड पार्षदों के पास 4000 से अधिक वर्गफीट की जमीन परिवार के पास है। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि समूह के महिला वार्ड पार्षदों की आर्थिक स्थिति पारिवारिक दृष्टि से बेहतर है क्योंकि नगरीय क्षेत्र में 4000 से अधिक वर्गफीट का बाजार कीमत काफी अधिक है तथा इतनी जमीन शहर में होना आर्थिक दृष्टि से मुख्स बात है।

महिला पार्षदों का राजनीतिक समाजीकरण :

राजनीति के प्रति रूझान संबंधी अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि सर्वाधिक 49.2 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि परिवार का व्यक्ति राजनीति में होने के कारण उनके मन में राजनीति के प्रति रूझान आई। जबकि सबसे कम 0.8 प्रतिशत पार्षदों ने बताया कि आन्दोलनों में भाग लेने से उनके मन में राजनीति के प्रति इच्छा उत्पन्न हुई है। उल्लेखनीय है कि दोनों ही नगरीय निकायों में 21. 7 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि राजनीतिक समाचारों से उनके मन में रूझान आयी है जबकि 78.3 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि राजनीति में रूचि समाचारों से नहीं आयी है। इसी प्रकार 99.2 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि राजनीति के प्रति रूझान आन्दोलन में भाग लेने से आयी है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि सर्वाधिक 50. 8 प्रतिशत पार्षद विद्यार्थी जीवन में परिवार के राजनीतिक चर्चा में भाग लेते थे, तत्पश्चात 26.7 प्रतिशत सामाजिक कार्यकर्ता एवं सबसे कम 5 प्रतिशत राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे। दोनों ही नगरीय निकायों में सर्वाधिक महिला पार्षद विद्यार्थी जीवन में परिवार के राजनीतिक चर्चा में भाग लेते थे। इसके

वितरीत 95 प्रतिशत पार्षद राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य नहीं करते थे। इसका प्रमुख कारण है कि विद्यार्थी जीवन मे पार्षद घरेलु कार्य एवं शिक्षा के कारण परिवार के साथ राजनीतिक चर्चा में भाग तो लेते थे, किन्तु कार्यकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर पाते थे । अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि महिला पार्षदों के 33.3 प्रतिशत पारिवारिक सदस्य केवल राजनीतिक दल के सदस्य है। तत्पश्चात् पार्षद 20.8 प्रतिशत, सरपंच 9.2 प्रतिशत एवं सबसे कम पंच 2. 5 प्रतिशत है जबकि महापौर के पद पर एक भी सदस्य आसीन नहीं रहे हैं। सर्वाधिक 34.2 प्रतिशत पारिवारिक सदस्य किसी भी राजनीतिक पद पर आसीन नहीं है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश महिला पार्षदां के पारिवारिक सदस्य किसी भी पद पर आसीन नहीं रहे है और जिन महिला पार्षदों के सदस्य किसी राजनीतिक पद आसीन रहे है वे केवल राजनीतिक दल के सदस्य ही रहे है। क्योंकि राजनीतिक दल के सदस्य होने के लिए कोई आयु सीमा होती है। जिसके कारण इसकी सदस्य संख्या अधिक है।

अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि सर्वाधिक 49.2 प्रतिशत महिला पार्षद भाजपा से 41.7 प्रतिशत कांग्रेस एवं सबसे कम निर्दलीय 9.1 प्रतिशत दल से जुड़े हैं। नगरीय निकायों के आधार पर देखे तो दोनों ही जिलों में 41.7 प्रतिशत कांग्रेस से एवं भाजपा से दुर्ग में 48.2 प्रतिशत व रायपुर में 50 प्रतिशत इस दल से जुड़े है। जबकि निर्दलीय दल में रायपुर (8.3 प्रतिशत) की तुलना में दुर्ग (10 प्रतिशत) के महिला पार्षद अधिक सम्मिलित है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश महिला पार्षद भाजपा से जुड़े हुए है। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की ही सरकार है। दल विशेष से जुड़ने के कारण संबंधी विश्लेषण से स्पष्ट है कि, 52.5 प्रतिशत पार्षद सामाजिक कार्य एवं 47.5 प्रतिशत पार्षद राजनीतिक सक्रियता के कारण दल से जुड़े है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि वर्तमान में 37.5 प्रतिशत पार्षदों ने कहा कि वे किसी दल के सदस्य के है जबकि 62.5 प्रतिशत पार्षदों को कोई पद प्राप्त नहीं है। नगरीय निकायों में देखें तो दुर्ग की अपेक्षा रायपुर के 38.2 प्रतिशत पार्षदों को दल में पद प्राप्त है जबकि दुर्ग के 63.3 प्रतिशत पार्षदों को कोई भी पद प्राप्त नहीं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश पार्षदों को किसी भी राजनीतिक दल सदस्य के रूप में पद प्राप्त नहीं है।

<u>संदर्भ</u> :

(1) सिन्हा, एस.के. (2012) : नारी शोषण समस्याएँ एवं उनका निराकरण महिलाओं के बदलते स्वयम समस्या एवं समाधान, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 11–17.

(2) कौशिक, सुशीला (1993) : वुमेन, पार्टी सिमेशन इन पालिटिक्स इन पालिटिकल विकास पब्लिसिंग हाऊस, न्यू दिल्ली।

(3) अग्निहोत्री वंदना : पंचायती राज और महिलाएँ, सामाजिक, सहयोग, जुलाई 2002.

(4) यादव महेन्द्र सिंह (2004) : महिला और मानव अधिकार,म.प्र. सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल।

(5) डिल्लन एच.एस. (1995) : लीटरशिप्स एण्ड ग्रुप्स इन साउथ इंडियां ,विलेजेस प्रोग्राम इलेल्यूवेशन आग्रेनाईजेशन प्लानिंग कमीशन नई दिल्ली।

(6) पुजारी कौशिक, प्रेमलता एवं विजय कुमार (1994) : वुमन पावर इन इंडिया ,कनिष्क पब्लिर्सस, नई दिल्ली।

(7) उमन्न दत्त टी.एस. एवं अभिजीत (1995) : पंचायत राज एण्ड देयर फाइनेन्स कान्सेफ, नई दिल्ली।

(8) जैन एवं भटनागर, पी.सी.शशि एवं सुधा (1997) : शिड्युल वुमन, रावत पब्लिकेर्शस, जयपुर।

(9) Easton David (1953) : Palitical System at Paliticali libe newyour alterd a knort.

(10) Max. Weber (1971) : Palitical as avacaly in Pijomo (eds) Political Sociology Pengain book ltd. England.

समाजशास्त्र अध्ययन शाला

पं. रविषंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

पी–एच.डी.

साक्षात्कार-अनुसूची

वर्ष – 2013

”नगरीय विकास में महिला पार्षदों की भूमिका का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन”
(रायपुर एवं दुर्ग जिले के विशेष संदर्भ में)

नोट *:– आपसे प्राप्त जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जायेगी तथा इसका उपयोग केवल शोध कार्य में किया जायेगा ।*

---

1. उत्तरदाता का सामान्य विवरण :–

1.1 नाम .... 1.2 आयु ....

1.3 शिक्षा ....

1.4 जाति .... 1.5 उपजाति .... 1.6 गोत्र ....

1.7 वर्ग : सामान्य / अ.पि.वर्ग/ अनुसूचित जनजाति / अनु. जाति

1.8 धर्म ....

1.9 वैवाहिक स्थिति – अविवाहित / विवाहित / विधवा / तलाकशुदा / अन्य

1.10 व्यवसाय .... 1.11 वार्षिक आय ....

1.12 जन्म स्थान .... 1.13 वर्तमान स्थान ....

(1) उत्तरदाओं का पारिवारिक विवरण :–

उत्तरदाता के साथ रहने वाले सदस्य –

क्र.	उत्तरदाता से संबंध	आयु	लिंग	शिक्षा	वैवाहिक स्थिति	व्यवसाय	मासिक आय	बाहर रहने का कारण

(2) उत्तरदाताओं की आवासीय स्थिति / आर्थिक स्थिति :–

2.1 क्या आपका स्वयं का मकान है ?	हाँ / नहीं
2.2 यदि हाँ तो मकान का स्वरूप	पक्का /अर्द्धपक्का/ कच्चा
2.3 क्या आपके मकान का निर्माण आपने स्वयं किया है।	हाँ / नहीं
2.4 यदि नहीं तो किसके द्वारा सहयोग किया गया ?	रिश्तेदारों के सहायोग / बैंक के सहयोग / शासन के सहयोग / अन्य
2.5 यदि बैंक/शासन के सहयोग द्वारा प्राप्त हुआ है तो किस प्रकार से	तैयार आवास / राशि के रूप में/ निर्माण सामग्री / अन्य
2.6 यदि राशि के रूप में सहयोग मिला तो कितनी राशि प्राप्त हुई ?	....
2.7 आपके मकान में कौन–कौन सी सुविधाएँ हैं ?	कमरे /पेयजल/ शौचालय/ स्नानघर/विद्युत/ अन्य
2.8 क्या आपका मकान आपके परिवार के आवश्यकता के अनुरूप है ।	हाँ / नहीं
2.9 यदि नहीं तो क्यों ?	....
2.10 आपके घर में पेयजल सुविधा का स्त्रोत क्या है ?	नल / हैण्डपंप / कुआँ / विद्युत / पम्प / अन्य
2.11 परिवार के आय का स्त्रोत क्या है ?	नौकरी / कृषि / व्यापार
2.12 आपकी वार्षिक आय कितनी है ?	....
2.13 आपके परिवार के पास कुल कितनी जमीन है ?	....

2.14 आपके घर में कौन–कौन से मुख्य घरेलू उपकरण हैं ?

1. सामानय स्टोव
2. गैस स्टोव
3. ओवन
4. मिक्सी
5. फूडप्रोसेसर / जूसर

6. ओ.टी.पी.
7. फ्रिज
8. टोस्टर
9. सिलाई मशीन (साधारण)
10. सिलाई मशीन (फैशमेकर)
11. आलमारी
12. डायनिंग टेबल
13. फेन
14. कूलर
15. ए.सी.
16. अन्य

2.15 आपके घर में कौन–कौन से मनोरंजन के साधन है ?

1. रेडियो
2. टेप
3. टी.व्ही.रंगीन
4. होम थियेटर
5. सी.डी. प्लेयर
6. आई पॉट
7. साधारण कैमरा
8. विडियो कैमरा
9. डिजिटल कैमरा

2.16 क्या आपके घर कम्प्यूटर है ? हाँ / नहीं

2.17 क्या आपके घर टेलीफोन सुविधा है ? हाँ / नहीं

2.18 आपके परिवार में कौन–कौन से सदस्यों के पास मोबाईल है ? स्वयं / पति / बेटा /बेटी / अन्य

2.19 आपके परिवार में किन–किन सदस्यों के पास स्वयं का वाहन है ? स्वयं / पति / बेटा /बेटी/अन्य

2.20 क्या आप करदाता है ? हाँ / नहीं

2.21 यदि हाँ तो विगत वर्ष आपने कितना कर भुगतान किया है ? ....

(3) उत्तरदाता का राजनीतिक समाजीकरण

3.1 राजनीति के प्रति रूझान आपके मन में कैसे आया ?

- राजनीति समाचारों से — हाँ / नहीं
- आंदोलन में भाग लेने से — हाँ / नहीं
- किसी राजनीति संगठन में जुड़ने से — हाँ / नहीं
- आपके परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति होने से

3.2 क्या विद्यार्थी जीवन में आपने निम्नांकित गतिविधियों में भाग लिया ?

- परिवार में राजनीतिक चर्चा — हाँ / नहीं
- मित्रों से राजनीतिक चर्चा — हाँ / नहीं
- सामाजिक कार्यकर्ता — हाँ / नहीं
- राजनीतिक कार्यकर्ता — हाँ / नहीं
- सामाजिक कार्यकर्ता — हाँ / नहीं

3.3 क्या आपके परिवार का कोई सदस्य राजनीति से जुड़ा है ? — हाँ / नहीं

3.4 क्या परिवार का सदस्य किस राजनीतिक पद पर आसीन रहे हैं ।

पंच / सरपंच /पार्षद / महापौर / केवल सदस्य

3.5 आप किस राजनीतिक दल से जुड़े हैं ? ....

3.6 दल विशेष से जुड़ने का कारण ? ....

यदि हाँ तो कौन–सा ? ....

3.7 वर्तमान में आपको दल के सदस्य के रूप में कोई पद प्राप्त है ? — हाँ / नहीं

3.8 क्या आपके राजनीति में आने का कोई विशेष कारण है ? — हाँ / नहीं

यदि हाँ तो कौन–सा ? ....

3.9 आपके दल के नेता आपकी भागीदारी से संतुष्ट हैं ? — हाँ / नहीं

3.10 क्या आप कोई भी कार्य दलहित को ध्यान में रखकर करते है ? — हाँ / नहीं

3.11 क्या आपका मूल व्यवहार एवं दल व्यवहार भिन्न–भिन्न है ? — हाँ / नहीं

यदि हाँ तो कौन–सा ? ....

.

3.12 क्या आप अपने विरोधी दल के सही कार्य का भी विरोध करते हैं । — हाँ / नहीं

3.13 आपके अनुसार पार्षद बनना किस प्रकार का पद है ? लाभदायक / गैर लाभदायक / समाज सेवा

3.13.1 यदि लाभदायक है तो किस प्रकार ....

3.13.2 यदि गैर लाभदायक है तो क्यों ? ....

3.13.3 यदि समाज सेवा का माध्यम है तो किस प्रकार ? ....

3.14 आपको अपने दलीय संगठन से क्या अपेक्षाएं हैं ?

....

....

3.15 आपको अपने सत्ताधारी पार्टी से क्या अपेक्षाएं हैं ?

....

....

3.16 आपके प्रस्तावित कार्य को क्या पार्षद मण्डल महत्व देता है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किस प्रकार ....

....

यदि नहीं तो क्यों ....

....

3.17 आपको पार्षद चुनाव के लिए पार्टी का टिकट मिलने का आधार क्या था ?

....

....

3.18 पार्टी का टिकट पाने हेतु आपको क्या–क्या प्रयास करना पड़ा ?

....

....

3.19 आपके चुनाव में विजयी होने का क्या आधार रहा है ?

....

....

3.20 आपके अनुसार चुनाव में प्रलोभन दिये जाते हैं ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किस प्रकार और कौन–कौन से –

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

5. .... 6. ....

3.21 आपके अनुसार क्या विधायक एवं मंत्री जनता के पैसे का दुरूपयोग करते हैं ?

हाँ / नहीं

3.22 आपके अनुसार मंत्री को कैसा होना चाहिए ?

1. ....

2. ....

3.23 क्या पार्षद बनने के लिए पति का ताकतवर होना जरूरी है हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किस प्रकार ....

....

यदि नहीं तो क्यों ....

....

3.24 आपके अनुसार एम.आई.सी. में कितने पार्षद बाहुबली ....

हैं ? क्या वे अपने बाहुबल का उपयोग करते हैं ? ....

3.25 क्या आपका कोई प्रकरण थाने में दर्ज है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किस प्रकार का ....

1. आपराधिक 2. भ्रष्ट आचरण संबंधी 3. राजनैतिक प्रतिउदित

4. आर्थिक मढरता 5. अन्य

3.26 क्या आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग मिला ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किस प्रकार ....

....

यदि नहीं तो क्यों ....

....

3.27 आपके वार्ड के लोग आपसे किन विषयों पर ज्यादा शिकायत करते हैं।

....

....

3.28 आप लोगों की षिकायतों को कैसे आगे बढ़ाते हैं और उनका निराकरण कैसे करते हैं ?

....

....

3.29 क्या आप लोगों के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक कार्य में अंतर करते हैं ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किस प्रकार ....

....

यदि नहीं तो क्यों ....

....

3.30 पार्षद बनने के पश्चात जो लोग आपके पास आते हैं उनका कार्य आप निष्ठापूर्वक करते हैं।

हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किस प्रकार ....

....

यदि नहीं तो क्यों ....

....

.

3.31 आपके अनुसार आपसे मिलने वाले क्या संतुष्ट होते हैं ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किस प्रकार ....

....

यदि नहीं तो क्यों ....

....

(4) जनकल्याणकारी कार्यक्रमों में सक्रियता

4.1 आपने अपने वार्ड के विकास के लिए कौन–कौन से कार्य कराये हैं ?

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

5. .... 6. ....

4.2 शासन ने कौन–कौन से जनकल्याणकारी कार्यक्रम चलाया है ?

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

5. .... 6. ....

4.3 उपरोक्त जनकल्याणकारी कार्यक्रम में से कौन–कौन से कार्यक्रम अपने वार्ड में चलाये ?

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

5. .... 6. ....

4.4 क्या आपने अपने वार्ड में पेयजल व्यवस्था का विस्तार किया है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किस प्रकार –

नल द्वारा / हैण्ड पम्प / कुंआ खुदवाकर / अन्य

4.5 क्या उपरोक्त पेयजल स्त्रोत से वर्षभर पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हो पाती है ? हाँ / नहीं

यदि नहीं तो जल पूर्ति के लिए आप किस प्रकार की व्यवस्था करते हैं ?

....

....

4.6 किसी योजना के प्रस्ताव तैयार करने के कितने दिनों पश्चात् सामान्य योजना का क्रियान्वयन होता है ।

....

....

4.7 क्या आपके योजनाओं के क्रियान्वयन करने में वार्ड के लोगों का सहयोग मिलता है ?

हाँ / नहीं

यदि नहीं तो क्यों ?

....

....

4.8 सफाई और स्वास्थ्य को लेकर क्या आपने अपने वार्ड में कोई योजना चलाई है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो कौन–कौन सी –

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

5. .... 6. ....

4.9 क्या आपने अपने वार्ड में सड़क का निर्माण कराया है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किस प्रकार

....

....

यदि नहीं तो क्यों

....

....

4.10 क्या आपने नाली के निर्माण के लिए नगर–निगम से अपील की ? हाँ / नहीं

यदि नहीं तो क्यों

....

....

(5) शासकीय योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयाँ

5.1 किसी योजना के क्रियान्वयन करने के लिए योजना का चुनाव कैसे करते हैं ?

....

....

5.2 चुनाव करने के बाद स्वीकृति हेतु सर्वप्रथम आप कहाँ भेजते हैं ?

....

....

5.3 क्या शासन से योजना को स्वीकृत कराने में किसी तरह की समस्या होती है ?

....

....

5.4 यदि हाँ तो किस तरह की समस्यायें –

समस्या का स्वरूप ....

....

5.5 योजना के क्रियान्वयन के दौरान किसी योजनान्तर्गत बजट की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है ? हाँ / नहीं

उपरोक्त बजट संबंधी समस्याओं का समाधान आप कैसे किये –

....

....

5.6 किसी योजना के प्रस्ताव तैयार करने के कितने दिनों पष्चात् सामान्यतः योजना का क्रियान्वयन होता है ?

....

....

परिवारिक कठिनाइयाँ

5.7 निगम की बैठकों में जाने के लिये परिवार से अनुमति लेनी पड़ती है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किससे –

पति से / सास–ससुर से / परिवार के बुजुर्ग से

5.8 निगम की बैठकों में जाने के लिए आप किसे साथ ले जाते हैं ?

पति को / भाई को / माँ / सास / अन्य

5.9 नगर के बाहर की बैठकों में भाग लेने की पारिवारिक स्वतंत्रता –

पूर्णतः / आंशिक / नहीं के बराबर

5.10 नगर के बाहर की बैठकों में जाने के लिए परिवार की अनुमति लेनी पड़ती है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किससे –

पति से / सास–ससुर से / परिवार के बुजुर्ग से

5.11 घरेलू कार्यो में परिवार के सदस्यों का योगदान किस प्रकार मिलता है ?

पूर्णतः / आंशिक / नहीं के बराबर

5.12 पार्षद पद का दायित्व और परिवार के कार्यो में सामंजस्य किस प्रकार करते हैं ?

घरेलू कार्य के लिए नौकर रखकर / पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से / स्वयं कर लेते हैं

5.13 घरेलू कार्य और पार्षद की जिम्मेदारी को लेकर कभी परिवार में विवाद / तनाव की स्थिति आयी है ?

यदि हाँ तो कब और किन कारणों से –

....

....

5.14 कार्यो की व्यवस्तता के कारण अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए किस प्रकार व्यवस्था करती हैं ?

स्वयं / पति के द्वारा / परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा / नौकरों के द्वारा

समाजिक समस्याएँ

5.15 क्या आपके वार्ड के लोगों का सहयोग मिलता है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किस प्रकार – ....

....

5.16 वार्ड के लोगों के सहयोग कितना पर्याप्त मानती हैं ?

पूर्णतः / आंशिक / नहीं के बराबर

5.17 वार्ड के लोगों के द्वारा किन–किन कार्यो को लेकर दबाव बनाया जाता है ?

नली की साफ–सफाई / पेयजल / कचरा उठाने को लेकर / विद्युत व्यवस्था

5.18 वार्ड के लोगों की शिकायतों को किस रूप में लेती हैं ?

....

....

5.19 कार्यकाल के दौरान वार्ड के लोगों से हुए वाद–विवाद / समस्या में कौन–कौन सी घटनाएं मुख्य रही हैं ?

(1) बाजार विवाद

(2) विरोधी दल द्वारा बाधा

(3) मार–पीट

(4) सड़क चौड़ीकरण को लेकर विवाद

(5) झुग्गी–झोपड़ी हटाना

5.20 आप इस मत से किस प्रकार सहमत हैं कि भारतीय समाज के पुरूष सत्तावादी प्रवृत्ति के कारण महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है ?

पूर्णतः / आंशिक / नहीं के बराबर

आर्थिक कठिनाइयाँ

5.21 आपके वार्ड के विकास कार्य के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

हाँ / नहीं

हाँ तो किस

....

....

5.22 क्या विकास कार्य के लिए समय पर निर्धाति राषि का भुगतान हो पाता है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो कैसे

....

....

यदि नहीं तो क्यों

....

....

5.23 क्या आपके वार्ड के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग आप पूर्ण रूप से कर पाते हैं ?

हाँ / नहीं

5.24 क्या कभी आर्थिक कारणों की वजह से विकास कार्यो में रूकावटें आई हैं ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किन–किन विकास कार्यो में

अ. ....

ब. ....

स. ....

5.25 पेयजल / स्नानघर / शौचालय / विद्युत / सड़क आदि के विकास में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होने पर आप इसकी व्यवस्था कैसे कर पाते हैं ?

....

....

5.26 पार्षद निधि का प्रयोग करने के लिए क्या आपको महापौर से अनुमति लेनी पड़ती है ?

हाँ / नहीं

प्रशासनिक कठिनाइयाँ

5.27 योजना के क्रियान्वयन में होने वाली बैठकों में क्या आपकी राय को महत्व दिया जाता है ?

हाँ / नहीं

यदि हाँ तो –

पूर्ण रूप से / आंषिक रूप से

यदि नहीं तो क्यों ?

....

....

5.28 आपके वार्ड में होनी वाली समस्याओं के निराकरण पर विरोधी दल की भूमिका किस प्रकार की होती है ?

सकारात्मक / नकारात्मक

5.29 महापौर के विरोधी दल के होने पर आपकी समस्याओं के लिए उनका रूझान किस प्रकार को होता है ?

सकारात्मक / नकारात्मक

5.30 क्या शासन से योजनाओं को स्वीकृत कराने में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किस प्रकार –

....

....

यदि नहीं तो क्यों –

....

....

5.31 क्या विकास कार्य के लिए आवंटित राषि का भुगतान समय पर किया जाता है ? हाँ / नहीं

5.32 आबंटित राशि का प्रयोग विकास की प्राथमिकता के आधार पर कितने दिनों के भीतर किया जाता है ?

एक महीने में / 3 महीने में / 6 महीने / साल भर

(6) नगरीय विकास में महिला पार्षदों की भूमिका

6.1 आप पार्षद कब बनी एवं किस दल से आपका संबंध है ?

भाजपा / कांग्रेस / अन्य

6.2 नगर एवं अपने मोहल्ले में आप कितने दिनों से रह रहे हैं ?

5 वर्ष / 1. वर्ष / 15 वर्ष से ज्यादा

6.3 अपने मोहल्ले के विकास के लिए क्या–क्या कार्य किए हैं ?

1 .... 2 .... 3 .... 4 ....

6.4 आपने निगम की बैठकों में किन–किन विषयों पर चर्चा की है ?

1 .... 2 .... 3 .... 4 ....

6.5 अपने वार्ड का क्या रोज निरीक्षण करते हैं या कभी–कभी ?

....

6.6 आपके वार्ड के लोग आपसे किन विषयों पर ज्यादा शिकायत करते हैं ?

....

....

6.7 आप लोगों की शिकायतों को कैसे आगे बढ़ाते हैं ? और उनका निराकरण कैसे करते हैं ?

....

....

6.8 आपके वार्ड में नगर निगम द्वारा संचालित कितने प्रकार की योजनाएं हैं ?

1 .... 2 ....

3 .... 4 ....

6.9 उपरोक्त योजनाओं में से कितनी योजनाएं आपके वार्ड में आपने सम्पूर्ण कराई हैं ?

1 .... 2 ....

3 .... 4 ....

5 .... 6 ....

6.10 क्या योजनाओं के क्रियान्वयन में आपको अपने नेता प्रमुख का सहयोग मिलता है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किस प्रकार से –

....

....

यदि नहीं तो क्यों –

....

....

6.11 महिलाओं पर केंद्रित विकास कार्य{मों में आपने कौन–कौन से कार्यक्रम चलाये हैं ?

1 .... 2 ....

3 .... 4 ....

5 .... 6 ....

6.12 महिलाओं को शिक्षित करने के लिए साक्षरता अभियान चलाया गया उसमें कितने प्रतिशत महिलाओं ने शिक्षा ग्रहण की ?

....

6.13 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस प्रकार की योजना लागू की गई है ?

....

....

6.14 क्या उपरोक्त योजना का लाभ सभी महिलाओं को मिला है ? हाँ / नहीं

....

....

6.15 सामाजिक बुराईयो के प्रति लोगों में जागरूकता लाने हेतु किस–किस प्रकार का प्रयास आपके द्वारा किया गया ?

1 ....

2 ....

3 ....

6.16 नशा मुक्ति के लिए महिलाओं द्वारा चलाए गए आंदोलन में आपके वार्ड की महिलाओं ने भाग लिया ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो कैसे ....

....

6.17 आपके पार्षद बनने के पश्चात् क्या आपके वार्ड में कोई बाल–विवाह हुआ है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो कैसे ....

6.18 क्या आपने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो क्या आपने किसी विधवा का पुनर्विवाह कराया है – हाँ / नहीं

6.19 क्या आपने आदर्श सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित किया है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो आपके प्रोत्साहन से जिनका सामूहिक विवाह हुआ है उनकी जानकारी दें –

संख्या ....

स्थान ....

6.20 क्या आपने किसी महिला को उत्पीड़न से मुक्त किया ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो –

संख्या ....

स्थान ....

6.21 क्या आपने गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य किये ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो –

संख्या ....

स्थान

6.22 क्या आपने रोजगार विकास एवं विस्तार का कार्य किया है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो कौन–कौन से –

1 .... 2 ....

3 .... 4 ....

5 .... 6 ....

यदि नहीं तो क्या –

1 .... 2 ....

3 .... 4 ....

5 .... 6 ....

6.23 क्या आपने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो कौन–कौन से कार्य किये –

1 .... 2 ....

3 .... 4 ....

5 .... 6 ....

6.24 क्या आपने स्वच्छता संबंधी कार्य किया ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो कौन–कौन से कार्य किये –

1 .... 2 ....

3 .... 4 ....

5 .... 6 ....

6.25 नगर के विकास में आपका कौन–सा महत्वपूर्ण योगदान है ?

....

....

6.26 क्या आपने पर्यावरण विकास संबंधी कार्य किया ? हाँ /नहीं

1 .... 2 ....

3 .... 4 ....

1 .... 6 ....

6.27 महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए आपने कौन–कौन से कार्य किये ?

यदि हाँ तो कौन–कौन से कार्य किये –

1 .... 2 ....

3 .... 4 ....

5 .... 6 ....

6.28 पार्षदों को नगर विकास के लिए कौन–कौन से कार्य करने चाहिए ?

1 .... 2 ....

3 .... 4 ....

5 .... 6 ....

6.29 आपके दल के नेता आपकी भागीदारी से संतुष्ट हैं ? हाँ / नहीं

6.30 क्या आप पार्षद के रूप में अपनी भूमिका से संतुष्ट हैं ? हाँ / नहीं

6.31 छत्तीसगढ़ में क्या महिला प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किस प्रकार ....

....

यदि नहीं तो क्यों ....

....

6.32 क्या आप महिलाओं को आरक्षण दिये जाने का समर्थन करती हैं ? हाँ / नहीं

6.33 महिलाओं की प्रगति में महिलाएँ की अवरोध बनती हैं। क्या इस विचार से सहमत हैं ?

हाँ / नहीं

6.34 क्या आप पुरूषों की तुलना में अपने आपको असुरक्षित महसूस करती हैं ? हाँ / नहीं

क्या भारत जैसे विकासशील देश को आज नारी प्रतिनिधित्व की अत्यंत आवश्यकता है ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो किस प्रकार ....

यदि नहीं तो क्यों ....